बिहार विधान परिषद्

की

(श्री जगनारायण पाठक, सदस्य विधान परिषद् के ध्यानाकर्षण दिनांक 1 दिसम्बर 1976, पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किये गये अवैध सुअर का शिकार पर गठित जांच समिति।)

प्रतिवेदन 1978

सत्यमेव जयते

अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रशाखा,
बिहार विधान परिषद् सचिवालय 1978 ई०

आमुख।

श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० के ध्यानाकर्षण, दिनांक 1 दिसम्बर 1977 पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के विकास पदाधिकारी द्वारा किये गये अवैध सूअर का शिकार पर बिहार विधान परिषद् द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन आपके सामने है।

इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में बिहार विधान परिषद् के सचिव, श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल से जो सर्वाधिक सहायता मिली है उसके लिए समिति अनन्य रूप से आभारी है। अपनी बैठकों एवं अन्वेषणों के क्रम में परिषद् के अन्य पदाधिकारी विशेषत: श्री इन्दुभूषण सिन्हा, उप-सचिव, श्री सुशील प्रसाद सिन्हा, सहायक सचिव, श्री रामनगीना प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक के प्रति भी हमारा वही उद्‌गार है, जिन्होंने प्रतिवेदन को तैयार करने में पूरी लगन एवं अथक परिश्रम का परिचय दिया है।

अपनी ओर से मैं समिति के अन्य माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो समिति द्वारा प्रतिवेदन के अनुमोदन तक इस दायित्व के निर्वाहन में मेरे साथ-साथ रहे और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे अनुप्रेरित एवं लाभान्वित करते रहे।

पटना :

दिनांक 21 मार्च 1978।

धनंजय महतो,
अध्यक्ष,
जांच समिति।

5 एल० सी०—1

जांच समिति के सदस्यों की सूची।

अध्यक्ष।

(1) श्री जागेश्वर मंडल, स० वि० प०।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स० वि० प०
(3) श्री जोगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स० वि० प० एवं
(4) श्री धनंजय महतो, स० वि० प०।

माननीय सदस्य श्री जागेश्वर मंडल को विहार विधान सभा के सदस्य चुन लिये जाने के बाद दिनांक 13 अगस्त 1977 से समिति के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये :-

अध्यक्ष।

(1) श्री धनंजय महतो, स० वि० प०।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स० वि० प०,
(3) श्री जोगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स० वि० प० ,एवं
(4) श्री कृपानाथ पाठक, स० वि० प०।

सचिवालय।

(1) श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल, सचिव, विहार विधान परिषद् ।
(2) श्री इन्दु भूषण सिन्हा, उप-सचिव, विहार विधान परिषद् ।
(3) श्री सुशील प्रसाद सिंह, सहायक सचिव, विहार विधान परिषद् ।
(4) श्री रामनगीना प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, विहार विधान परिषद्।
(5) श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक , विहार विधान परिषद् ।

विषय सूची।

	पृष्ठ।
समिति का प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	1—18
अनुबन्धन 1--श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० का ध्यानाकर्षण दिनांक 1ली दिसम्बर, 1976 ई०।	19
अनुबन्धन 2--ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य दिनांक 10 दिसम्बर 1976 ई०	20—24
अनुबन्धन 3--बिहार विधान परिषद् सचिवालय अधिसूचना सं० वि० 1, प, अ० प्र० 145/76—65(1)वि०प० दिनांक 10 जनवरी, 1977 ई०।	25-26
अनुबन्धन 4--बिहार गजट, दिनांक 11 जनवरी, 1977 ई० ..	27-28
अनुबन्धन 5--दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 1977 ई० को रंका डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही।	29—90
अनुबन्धन 6--रंका पुलिस स्टेशन (थाना) की डायरी ..	91—105
अनुबन्धन 7--प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका द्वारा समिति को सुपूर्द किये गये कुछ आलेख्य की सच्ची प्रतिलिपि।	106—121
अनुबन्धन 8--वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा, दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 529, दिनाक 1 फरवरी 1977।	122—145
अनुबन्धन 9--प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रंका के पत्रांक 18 दिनांक 19 फरवरी 1977।	146—166
अनुबन्धन 10--बिहार विधान परिषद् सचिवालय अधिसूचना सं० वि०प०अ०प्र० 145/76—1370(1)वि०प० दिनांक 12 अगस्त 1977।	167-168
अनुबन्धन 11--दिनांक 8 अक्तूबर 1977 का गढ़वा डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही।	169—195
अनुबन्धन 12--दिनांक 9 अक्तूबर 1977 को गढ़वा डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही।	196—213
अनुबन्धन 13--उपायुक्त पलामू से प्राप्त पत्रांक 3060, दिनांक 30 नवम्बर 1976।	214-215
अनुबन्धन 14--उपायुक्त, पलामू से प्राप्त पत्रांक 3140 सी०, दिनांक 8 दिसम्बर 1976 ई०।	216-217
अनुबन्धन 15--वनक्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी, दिनांक 23 नवम्बर 1976 के प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि।	218—220
अनुबन्धन 16--प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका, द्वारा समिति को सुपुर्द किये गये कुछ आलेख्य की सच्ची प्रतिलिपि।	221—234
अनुबन्धन 17--दिनांक 13 अक्तूबर 1977 की बैठक की कार्यवाही	235

मैं (श्री धनंजय महतो) परिषद् के 66वें सत्र में श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० के ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में गठित समिति का अध्यक्ष, समिति द्वारा प्राधिकृत होकर उसका ओर से निम्नलिखित प्रतिवेदन समुपस्थित करता हूं :—

विषय।

श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० ने दिनांक 1 दिसम्बर 1976 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पलामू जिलान्तर्गत रंका के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री सरयू राम द्वारा वनजन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन करजोगीखुरा में दिनांक 22 नवम्बर 1976 को जंगल में शिकार खेलने तथा एक सुअर का अवैध शिकार करने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस सम्बन्ध में उसी समय ए० डी० एफ० ओ० ने वहां पहुचकर इस बात की जांच की और जांच के दौरान यह सही पाया कि एक सुअर को मारा गया था तथा सुअर का जबड़ा मांस तथा अन्य कुछ सामान भी जब्त किया जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने विभाग को की।

दूसरा आरोप यह था कि उपर्युक्त बातों को छिपाने के लिए तथा सबूत ठीक करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम ने परिवार नियोजन कार्य में बाधा पहुचाने का झूठा आरोप लगाकर वहां के लोगों को डी०आई०आर० की दफा लगाकर तंग किया और इस साजिश में वहां के अनुमंडलाधिकारी एवम् डी० एस० पी० का भी हाथ बताया गया है जिससे वहां के निवासियों के बीच आतंक था।

दिनांक 10 दिसम्बर 1976 को इस विषय पर सरकार का वक्तव्य (अनुबन्ध-2) हुआ। यह स्पष्ट था कि सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य से कुछ विन्दुओं के स्पष्टीकरण से असन्तुष्ट होकर सदन में अनेक माननीय सदस्यों न तथ्यों की जांच के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया। सदन के मनोभावों का मूल्यांकन करते हुए माननीय उपसभापति महोदया ने दिनांक 10 जनवरी, 1977 को यह समिति गठित करने की कृपा की। माननीय उप-सभापति महोदया द्वारा समिति के निर्णयार्थ निम्नलिखित जांच विन्दु अनुबंध-3 निश्चित किये गये :—

(1) क्या रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर जोगीखुरा ग्राम में सुअर का अवैध शिकार किया गया था ?

(2) क्या गढ़वा वन प्रमंडल के ए० डी० एफ० ओ० द्वारा इस घटना की जांच की गयी थी ? यदि की गयी थी तो जांच प्रतिवेदन क्या था और प्रतिवेदन में कोई विषमता थी या नहीं ?

(3) क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका के बचाव के लिए वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में अनावश्यक सहायता प्रदन की गयी है ?

(4) क्या स्थानीय पदाधिकारी वहां की राजनीति से प्रभावित होकर वहां आदिवासियों के नाम पर मनमाने ढंग से प्रतिवेदन देते रहे हैं और डी० आई० आर० के अन्तर्गत कारंवाई की है ?

(5) जांच के दौरान और कोई बिन्दु, यदि आवश्यक प्रतीत हो।

जांच बिन्दुओं के अनुसार इस विषय की जांच करने के लिए समिति की कुल दस बैठके हुई जिसमें चार बैठकें समिति ने ग्राम जोगीखुरा एवं गढ़वा में की। जोगीखुरा ग्राम का स्थल निरीक्षण किया और संबंधित व्यक्तियों का साक्ष्य लिया या उनसे विचार-विमर्श किया। स्थल निरीक्षण के समय और समिति की बैठकों में जो आलेख्य कागजात और साक्ष्य समिति के समक्ष आये उसके अनुसार समिति ने सभी जांच बिन्दुओं पर पूर्णरूपेण विचार किया।

समिति श्री जागेश्वर मंडल, मंत्री, सहकारिता विभाग जो पूर्व में विधान परिषद् के सदस्य थे और जिनकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी तथा अपना कार्य सम्पादन भी किया था, का अनुग्रहित है।

निष्कर्ष

जहां तक विषय बिन्दु 1 का प्रश्न है कि क्या रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लेघंन कर जोगीखुरा ग्राम में सुअर का अवैध शिकार किया गया था ? इस संबंध में जो तथ्य और साक्ष्य समिति के समक्ष आये हैं उससे यह प्रकट होता है कि रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री सरजू राम के पास उनकी एक दोनाली बन्दूक है जिसके लिए कुछ दिन पहले उन्होंने 25 गोलियां खरीदी थी तथा उन्होंने समिति के समक्ष स्वीकार किया है कि अभी उनके पास केवल 16 गोलिया बाकी हैं। 9 गोलियों का अभी तक व्यवहार किया गया है ।

समिति के समक्ष जो गवाह आये हैं उनलोगो ने किसी न किसी तरह से ऐसा तथ्य और ऐसी परिस्थिति बतलाई है जिससे यह परिलक्षित होता है कि तिथि 15 नवम्बर 1976 और तिथि 22 नवम्बर 1976 के बीच की अवधि में जोगीखुरा ग्राम में सुअर का एक अवैध शिकार किया गया। उपायुक्त, पलामू महोदय ने भी यह स्वीकार किया है कि एक सुअर का अवैध शिकार किया गया। पर उन्होंने निश्चित रूप से यह नहीं बतलाया है कि शिकार किसने किया। समिति के समक्ष पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ कई अन्य व्यक्तियों ने अपना साक्ष्य दिया।

स्थल निरीक्षण के समय समिति ने बहुत से व्यक्तियों का साक्ष्य लिया। श्री अलीजान शेख, ग्राम जोगीखुरा ने समिति के समक्ष तिथि 16 जनवरी 1977 को उस जंगल में शिकार सिवा बी० डी० ओ० साहब के और कोई भी करने-वाला नहीं है और बी० डी० ओ० साहब ने लगातार 4-5 दिनों तक शिकार किया था। शिकार लगभग एक-डेढ़ महीना पहले हुआ था। उस दिन हम 11 बजे दिन को निकले थे। बी० डी० ओ० साहब ने ड्राईवर को कहा कि वह गाड़ी लेकर जाये, वे चले आ रहे हैं। बी० डी० ओ० साहब मलुआनी के रास्ते जाकर रहमान मियां के यहां बैठे थे। ड्राईवर तथा लाल विहारी भुइयां गाड़ी लेकर आ रहे थे, तीसरे दिन एक सुअर का शिकार हुआ था। उसने यह भी बतलाया कि जिस समय फौरेस्ट विभाग के लोग आये थे उस समय बहुत आदमी जमा थे। भूखन भुईयां जो शिकार में गये थे वे भी आ गये थे।

भूखन भुईयां ने समिति को बतलाया कि बी० डी० ओ० साहब ने उसे शिकार के लिए बुलाया था। जिस समय वह कैम्प में गया उस समय लाल बिहारी वहां था। उसके बाद उन्होंने उसे सिकटा भेज दिया कि तुम सरण सिह तथा प्रेम सिह को बुला लाओ और कहो कि शिकार होने पर तुमको भी देंगे। सिकटा से जब वह 12.00-1 बजे लौटा तो देखा कि सुअर को कैम्प के पश्चिम की ओर चीरा जा रहा है, उसमें का चार अंश काट कर बोरा में बांधकर गाड़ी में रखा गया। पूछताछ के दौरान उसने यह भी बतलाया कि बी० डी० ओ०

साहब उसे अक्सरहां हकबई करने के लिए बुलाया करते हैं और शिकार खेला करते हैं। बुधन महतो, नागेश्वर महतो, लक्षमण कोयरी, भूखन महरा सुअर को काट बोरा में रखे और बाकी को बी० डी० ओ० साहब ने बंटवा दिया। उसने यह भी साक्ष्य में कहा कि जिस दिन सुअर मारा गया था उसके 3-4 दिन के बाद फोरेस्टर रेन्जर तथा गार्ड आये थे और जहां सुअर को चीरा गया था, वहां से सुअर की खोपड़ी, हड्डी इत्यादि जो मिला उसे ले गये।

श्री मनोहर सिंह ने समिति के समक्ष बयान दिया कि जितने दिन सी० ओ० साहब छुट्टी पर रहे, उतने दिन बराबर बी० डी० ओ० साहब शिकार के लिए आया करते थे और अन्य लोगों के साथ-साथ उसे भी हकबई करने के लिए बुलाया जाता था। पांच दिन के बीच में सिर्फ एक दिन सुअर का शिकार मिला था। श्री महदूल शेख ने समिति के समक्ष कहा कि मैंने किस्सा सुना कि बी० डी० ओ० साहब शिकार कर रहे थे। मेरे सामने वन विभाग के अधिकारी जब आ गये तो वे भाग गये और लुका गये।

श्री जगदेव सिंह ने साक्ष्य दिया कि हमने सुना और गांव में हल्ला था कि बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने के लिए गये थे। पांच दिन शिकार खेलने पर एक दिन सुअर पिटाया।

श्री रामप्रीत चमार ने अपने बयान में बतलाया कि बी० डी० ओ० साहब उसके धान के खेत पर आये थे और उन्होंने उससे कहा था कि तुम मुझसे पूछ कर धान काटना। इसलिए जब वह बी० डी० ओ० साहब से मिलने जोगीखुरा गया तो बी० डी० ओ० साहब शिकार में चले गये थे। इसके कुछ देर बाद जब वह लौट रहा था तो देखा कि लाल बिहारी, भुखन, नागेश्वर, रहमान, प्रजापति मेहरा, लक्षमण मेहरा कैम्प से कुछ दूरी पर सुअर चीर रहे थे। उसने बी० डी० ओ० साहब से अपने काम के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि आज वे कुछ नहीं कहेंगे दूसरे दिन आओ, अभी हम सुअर मारे हैं। सी० ओ० साहब उस समय छुट्टी में थे। बी० डी० ओ० साहब से अपने काम के लिये फिर जब वह तिथि 22 नवम्बर 1976 को पुनः कहने गया तब पता चला कि वे शिकार खेलने चले गये हैं। उसका कहना है कि उसने सोचा कि शिकार खेलना मना है और उसने रंका जाकर रेंज ऑफिसर से इसकी शिकायत की। इसके बाद रेंजर, गढ़वा (पूर्व और पश्चिम) ट्रक लेकर आये। उस समय बी० डी० ओ० साहब जंगल में नहीं मिले। बी० डी० ओ० साहब के ड्राईवर सुरेश, सोनदाग चौक पर गया, रहमान खां भी वहीं थे। उस दिन शिकार नहीं मिला था। शिकार दो-तीन दिन पहले मिला था। बी० डी० ओ० साहब से मुलाकात होने पर रेंजर साहब ने कहा कि आप नाजायज करते हैं। उनसे कुछ और बातें हुई। उसके बाद बी० डी० ओ० साहब सी० ओ० साहब को खबर कराकर बुलाये और उनके साथ रंका चले गये।

दूसरे दिन डी० एफ० ओ० साहब के साथ श्री रामप्रीत राम भी जंगल में गये जहां सुअर की खोपड़ी, हड्डी इत्यादि मिली जिसे वे ले गये।

श्री लतीफ मियां ने अपने साक्ष्य में कहा कि पहले दिन बी० डी० ओ० साहब के बुलाने पर वे हकबई में गये थे लेकिन फिर लौटकर चले आये और अपनी भैंस चराने लगे। इसी समय उन्होंने बन्दूक की आवाज जंगल में सुनी। थोड़ी देर के बाद देखा कि उधर से लोग सुअर मार कर ला रहे हैं उसके बाद बुधन महतो, कामेश्वर महतो तथा नागेश्वर महतो मिलकर सुअर को चीरने लगे. तब वे वहां से चले गये।

दूसरे दिन फिर जब वे भैंस चरा रहे थे तो बी० डी० ओ० साहब उन्हें हकबई के लिए बुलाये और बोले कि शिकार खेलने चलना है और सब कोई बरारी जंगल की तरफ चले गये। वहां बी० डी० ओ० साहब ने अपनी बन्दूक का खोल निकालकर उन्हें रखने के लिए दिया और बोले कि तुम भाग जाते हो इसको रखे रहो। इसके बाद शाम हो गयी, शायद किसी ने रेंजर फोरेस्टर साहब को खबर कर दी थी। वे आ गये थे। हल्ला होने पर सब कोई जंगल से भाग गये। बी० डी० ओ० साहब के बन्दूक का खोल उन्हीं के पास रह गया जिसे बाद में उन्होंने दूसरे दिन डी० एफ० ओ० साहब को दे दिया। जांच के समय समिति को बन्दूक का खोल दिखलाया गया जिसपर बी० डी० ओ० साहब का नाम लिखा हुआ था।

लाला श्री रमण अग्रवाल, सी० ओ०, रंका ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया कि 22 नवम्बर 1976 के पहले वे छुट्टी पर थे। 22 नवम्बर को 11 बजे रंका से सोनदाग आये, उस समय उनके साथ श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ए० एस० आई०, बी० डी० ओ० रंका श्री सरजू राम, महावीर केवट, ब्लौक एग्रीकल्चर ऑफिसर, रंका तथा बद्री प्रसाद थे। वे और ए० एस० आई० सोनदाग कैम्प में रह गये बाकी के लोग कहां गये उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। शाम में 7 बजे सुरेश ड्राईवर ने आकर उन्हें कहा कि बी० डी० ओ० ने आर्म फोर्स के साथ बुलाया है। क्यों बुलाया है, किसलिए बुलाया है यह नहीं कहा। जब वे पहुंचे तो देखा कि सोनदाग गांव के चौमुहानी पर एक चारपाई पर बी० डी० ओ० साहब लेटे हुए हैं और उसी चारपाई पर श्री दादु पाठक भी बैठे हैं। दूसरी चारपाई पर फौरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे हुए थे। बहुत से अन्य लोग लगभग 25-30 आदमी जनता भी वहां जमा थी। वे भी जिस चारपाई पर बी० डी० ओ० साहब लेटे थे, जाकर बैठ गये। थोड़ी देर के बाद बी० डी० ओ० के साथ चले गये और उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया। उनके सामने किसी प्रकार की गरमा गरमी बातें नही हुई। उन्होने सभी को आराम से बैठाया था।

श्री वद्री प्रसाद ने अपने साक्ष्य में बतलाया कि सूअर के शिकार के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम है । उन्होंने यह भी बतलाया कि उन्हें किसी आदमी ने 22 नवम्बर 1976 को परिवार नियोजन के काम में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचायी।

श्री विपिन विहारी वर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी ने अपने साक्ष्य में कहा कि उनके संलग्न पदाधिकारी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने सूअर के शिकार के सम्बन्ध में जांच की और उनके द्वारा दिये गये रिपोर्ट को पढ़कर वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे कि बी० डी० ओ० ने सूअर का अवैध शिकार किया है । चूंकि एक राजपत्रित पदाधिकारी से यह मामला संबंधित था अतः उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से इस सम्बन्ध में निर्देश मांगा था ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, सहायक प्रबन्धक, साल वीज परियोजना, गढ़वा, जो उस समय क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्व थे; समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में बतलाया कि जब वे अवैध सूअर के शिकार के सम्बन्ध में तिथि 23 नवम्बर 1976 को जांच करने के लिए गये तो जंगल में नाला के पास तीन अंटा बना हुआ देखा । दो अंटा की पत्तियां सूखी हुई नहीं थी और एक अंटा की पत्तियां सूखी हुई थीं । इससे यह पता चलता है कि यहां इस जंगल में कुछ दिन पहले और अभी हाल में भी शिकार करने के लिए अंटा बनाया गया था । लोगों की जो गवाही उन्हें मिली उससे पता चला कि 15 तारीख को बी० डी० ओ० साहब शिकार में गये थे और पुनः 22 तारीख को बी० डी० ओ० साहब, कृषि पदाधिकारी और बद्री बाबू शिकार में गये थे । जांच के समय लाल बिहारी भुईयां, रामप्रीत राय और अन्य आदमियों ने उन्हें शिकार करने के स्थान के बारे में बताया। उनलोगों के बयान के आधार पर श्री सिद्धेश्वर प्रसाद स्पोट पर गये और वहां पर जांच किया जहां कुछ सामान मिला। उन्होंने बतलाया कि उनके समक्ष जिन व्यक्तियों ने गवाही दी थी उसमें एक वृद्ध चौकीदार भी था जिसने गवाही दी थी । समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपने जिन तीन व्यक्तियों के ऊपर यह आरोप था, उनसे क्यों नहीं इस संबंध में पूछताछ किया, तो श्री प्रसाद ने बतलाया कि ग्राम जोगीखुरा में गवाहों के बयान बी० डी० ओ० साहब के सामने ही लिये गये थे और उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया था । बाद में बी० डी० ओ० साहब रेंज ऑफिस में उनके समक्ष उपस्थित हुए थे और इस स्थिति में कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में बातें भी की थीं । उस समय एक दूसरे रेंज ऑफिसर श्री शिवनन्दन चौधरी भी वहीं बैठे थे । श्री प्रसाद ने बतलाया कि उपर्युक्त दोनों बातों से वे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि जब बी० डी० ओ० साहब शिकार नहीं किये हुए होते तो बयान के समय में ही उसका विरोध करते या उनके पास रेंज ऑफिस में इस सम्बन्ध में बातचीत नहीं करते । उन्होंने समिति के समक्ष जांच के समय प्राप्त सारे सामान जिसमें बन्दूक की खोली, सूअर का जबड़ा, अंटा की पत्तियां, खून लगा हुआ पत्थर जिसपर

उनका कहना था कि सूअर को काटा गया था एवं अन्य सभी सामान समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया। श्री प्रसाद ने जो पूर्व में अपनी जांच रिपोर्ट अपने पदाधिकारी को दी थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी राय दी है कि तिथि 15 नवम्बर 1976 और 22 नवम्बर 1976 के बीच विभिन्न तिथियों को बी० डी० ओ०, रंका एवं अन्य कई व्यक्ति उनके साथ जंगल में अवैध रूप से सूअर का शिकार करने गये थे और उन्हें एक दिन सूअर मिला भी था जिसे काटकर लोगों में बांटा गया। उन्होंने अपने पूर्व की रिपोर्ट की तसदीक भी की।

श्री शिवनन्दन चौधरी, तत्कालीन बन रक्षा पदाधिकारी, रंका पूरब, वर्तमान सहायक निदेशक, पलामू परियोजना डिवीजन नं० 2 ने अपने बयान में बतलाया कि 22 तारीख को चार-साढ़े चार बजे उन्हें सूचना मिली कि जंगल में लोग शिकार के लिए गए हैं। जब वे ग्राम जोगीखुरा में गये तो उन्हें पता चला कि बी० डी० ओ० साहब और 20-25 आदमी हकवाई में गये हुए हैं। श्री चौधरी कुछ व्यक्तियों के साथ जंगल की तरफ गये तो उन्होंने देखा कि तालाब पर बी० डी० ओ० साहब की जीप लगी हुई थी और जोगीखुरा की तरफ शिकार हो रहा था। उस समय लाल बिहारी भुईयां और जीप के ड्राईवर सुरेश पैदल ही आ रहे थे, जिसने बतलाया कि बी०डी०ओ० साहब शिकार पर गये हुए हैं और जीप लेकर आगे बुलाये हैं। उनलोगों ने देखा कि उन्हें देखकर कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उस समय अंधकार था इसलिए भागने वालों के पास पहुंच नहीं सका 23 तारीख को जब श्री शिवेश्वर प्रसाद इस घटना की जांच में आये तो पुलिस कैम्प के पास सूअर के शिकार का एवं उसे काटने का कई सबूत एवं निशाना मिला। जांच से पता चला कि 7-8 दिन पहले एक सूअर मारा गया था। श्री चौधरी ने बताया कि जब वे 22 तारीख को अवैध शिकार के बारे में जांच कर रहे थे तो बी०डी०ओ० साहब के सामने ही लाल बिहारी भुईआं ने बयान दिया था कि बी०डी०ओ० साहब ने शिकार किया है। बी० डी० ओ० साहब ने उस समय उसकी बातो का न तो कोई विरोध किया और न ही उसे झूठलाया ही। बी० डी० ओ० साहब रेंज ऑफिस भी गये थे और उनके सामने ही प्रसाद साहब से बोले थे कि जो कुछ हो गया, वह हो गया अब मुझे बचाने का उपाय किया जाय। कैम्प के सिपाहियों से डी०एस० पी० साहब की अनुमति से बयान लिया गया। जब बयान लेने के लिए वे गये तो डी० एस० पी० साहब वहां मौजूद थे और उनके सामने ही सबों का बयान लिया गया। एक सिपाही ने अपने बयान में बतलाया था कि मैंने बन्दूक की आवाज सुनी थी। समिति के एक प्रश्न पर श्री चौधरी ने बतलाया कि 23 नवम्बर 1976 को जांच के बाद वे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गये थे कि 15 नवम्बर 1976 को शिकार किया गया था। 22 नवम्बर 1976 को शिकार के लिए हकवाई हुई थी लेकिन कोई शिकार नहीं मिला था।

श्री सरयू राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में बताया कि वे अपने भ्रमण के सम्बन्ध में कोई टूर प्रोग्राम या टूर डायरी पिछले एक वर्ष से अपने उच्चाधिकारियों को नहीं सबमिट किये हैं। समिति के प्रश्न पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि टूर डायरी देना नियमत: आवश्यक है परन्तु उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने अपने साक्ष्य में बताया कि उनके ब्लॉक में तीन मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो 22 नवम्बर 1976 को भी मौजूद थे पर कोई उनके साथ नहीं था जब वे जोगी खुरा ग्राम में गये थे। उनको अपने कार्य के अलावे डेभलपमेंट सम्बन्धी कार्य एवं लॉ० एण्ड ऑर्डर का भी काम करना पड़ता है। फेमिली प्लानिंग के सरकारी टारगेट को भी पूरा करने का उनके ऊपर उत्तरदायित्व है। जब वे फेमिली प्लानिंग के कार्य के लिए या किसी अन्य काम के लिए किसी ग्राम में जाते हैं तो उसका कोई रिटन रिपोर्ट या किसी अन्य तरह की सूचना वहां के कर्मचारियों या अन्य पदाधिकारियों या पंचायत सेवको को नहीं दिया करते हैं और उनलोगो को ऐसे ही खबर करा दिये करते हैं। उन्होंने समिति को यह बताया कि दिनांक 22 नवम्बर 1976 को जब वे फेमिली प्लानिंग के काम के बाद उस पार से लौटकर आ रहे थे तो सोनदाग चौराहे पर श्री सुरेन्द्र पाठक तथा अन्य व्यक्तियों ने घेर लिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने थाना में एक एफ०आई० आर० भी किया है। उनका कहना था कि श्री सुरेन्द्र पाठक कुछ दिन पहले डी० आई० आर० में गिरफ्तार किये गये थे जिसके कारण शायद उन्हें उनसे दुश्मनी है। समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि अन्य व्यक्ति एवं वन विभाग वाले जो सूअर मारने के सम्बन्ध में गवाही दी है क्या वे लोग भी उनके दुश्मन हैं जो उन्होंने बताया कि वन विभागवालों के खिलाफ भी उन्होंने एक बार गलत को-ऑपरेटिव बनाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजी थी जिससे वन विभाग वाले चिढ़े हुए है। उन्होंने समिति को बताया कि वे श्री सुरेन्द्र पाठक और अन्य के खिलाफ एक एफ० आई० आर० थाना में लौज किये हैं। उनके पास बंदूक है जिसके लिए वे 25 गोली जिसमें से 9 गोली क्वार्टर में निशाना बनाने के लिए खर्च किये और 16 अभीतक बचा हुआ है। उन्होंने समिति को बताया कि उन्होंने सुअर का कभी शिकार नहीं किया है। दिनांक 22 नवम्बर 1976 को उनकी बंदूक उनके पास नहीं थी। उस बंदूक को ये अंचल फोर्स आर्मेरी में जमा कर दिये थे। अवैध शिकार का लोगो ने झुठा आरोप लगाया है। बंदूक के जिस खोल को ए० डी० एफ० ओ० ने समिति के समक्ष पेश किया था उसके सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वह उनके बंदूक का खोल नहीं है और उन्होंने बताया कि वे न कभी किसी का हकवाई करने के लिए बुलाये हैं और न कभी शिकार करने के लिए बुलाये हैं। इसलिए ये सारी बात गलत हैं। हमारी बंदूक पुलिस आर्मेरी में दिनांक 9 जनवरी 1977 तक रखी हुई थी।

बी० डी० ओ० साहब के बयान से ऐसा लगता है कि उनका बयान सत्यता से बहुत परे है। सर्वप्रथम यदि इनके बयान को और एफ० आई० आर०

(अनुबन्धन 4 एवं 5) को जिसे उन्होंने थाने में दर्ज कराया है देखा जाय तो पता चलता है कि 22 तारीख की घटना को जिसमें इनपर जंगल में शिकार खेलने का आरोप है को छिपाने के लिए ही इन्होंने तिथि 23 नवम्बर 1976 को एक एफ० आई० आर० जिसका केस डायरी न० 380, दिनांक 23 नवम्बर 1976 है लिखवाया था।

समिति के समक्ष जो साक्ष्य आया है उसमें श्री एस० एन० चौधरी वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बी० डी० ओ० द्वारा एफ० आई० आर० में दिये गये स्टेटमेंट के खिलाफ अपना साक्ष्य दिया है और उन्होंने बताया है कि जब 22 तारीख को उन्हें सूचना मिली तो वे जब जंगल की तरफ गये तो देखे की बी० डी० ओ० जीप रखे हुए थे और जोकीखुरा की तरफ शिकार हो रहा था। बी० डी० ओ० साहब का ड्राईवर सुरेश और लाल बिहारी भुईयां पैदल ही चले आ रहे थे जिन्होंने बताया कि बी० डी० ओ० साहब शिकार पर गये हुए थे और हमलोग जीप लेकर आगे चले आये हैं। अन्य व्यक्ति श्री चौधरी को देखकर भाग खड़े हुए थे। इस प्रकार बी० डी० ओ० के इस बात को कि श्री दादूपाठक उन्हें घेरे हुए थे और श्री चौधरी उन्हें बचा रहे थे झुठलाता है और गलत साबित करता है। पुनः थाना प्रभारी श्री आर० के० मिश्र की डायरी नं० 386, दिनांक 24 नवम्बर 1976 भी इस सत्यता को झुठलाता है। श्री आर० के० मिश्र ने अपनी डायरी नं० 386 में अन्य बातों के अलावा लिखा है कि सिन्हा नं० 380 के बयान से मालूम होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ दिनांक 22 नवम्बर 1976 का घटना घटी। इसके सम्बन्ध में आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह की घटना का प्रतिवेदन मेरे थाना में कल शाम को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिया गया है जबकि मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका से कल दिनांक 23 नवम्बर 1976 को लगभग साढ़े नौ बजे दिन में अपने निवास स्थान पर ही अंचल पदाधिकारी, रंका एवं उनके साथ नियोजित सहायक आरक्षी निरीक्षक के सामने भेंट हुई थी। उनके साथ मुझे लगभग 15—20 मिनट तक बात हुई थी लेकिन उन्होंने इस घटना की जानकारी उस समय एकदम नहीं दी जबकि यह प्रतिवेदन थाना प्रभारी को ही पुनः शाम को भेजा गया।

इससे भी यह साबित होता है कि यदि तिथि 23 नवम्बर 1976 को यह घटना सही और व्यवहारिक रूप से घटी हुई होती तो सामान्य रूप से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी से सुबह में मुलाकात के समय इस घटना की चर्चा किये होते पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। यह प्रतीत होता है कि दिन भर के बाद जब इस अवैध शिकार की गंभीरता को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवम् उनके अन्य सलाहकारों ने समझा तो अपने बचाव के लिए यह झूठा एफ० आई० आर० थाने में दर्ज करा दिया।

जहां तक इस बात की सत्यता का प्रश्न है कि बी० डी० ओ० ने अपनी बंदूक को पुलिस आर्मरी में जमा किया था या नहीं उस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया तो ऑफिसर इनचार्ज ने समिति को बताया कि ब्लौक में आर्मस का कस्टोडियन हवलदार होता है और वे रजिस्टर रखते हैं। जब आर्मरी में कोई आर्म्स रखा जाता है या निकाला जाता है तो उसकी एन्ट्री की जाती है जिसपर गार्ड कमान्डर का हस्ताक्षर रहता है। हवलदार धनराज सिंह ने समिति के समक्ष आर्म रजिस्टर उपस्थित किया। समिति के समक्ष रजिस्टर देखने पर यह पाया गया कि बी० डी० ओ० द्वारा तिथि 9 नवम्बर 1976 को गन जमा किया गया और 10 जनवरी को गन निकाला गया दिखलाया गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में रजिस्टर में जो एन्ट्रीज किया गया था वह पहले के एन्ट्रीज के बीच में था और उन दोनों एन्ट्रीज से इस एन्ट्री की स्याही भिन्न थी। बी० डी० ओ० द्वारा गन रखने के सम्बन्ध में दो एन्ट्रीज के बीच में जो एन्ट्री की गयी थी वह इस प्रकार है—

2 बजे बी० डी० ओ० साहब का गन गार्ड में जमा किया जिसका नं० 7505055 है। यह गन सुरक्षा हेतु हमलोगों के गार्ड में रखा गया है।

(ह०) एच० सिंह,
9-11-1976
बहरेन उरांव

इस एन्ट्री के पहले रजिस्टर में जिस स्याही से दूसरी एन्ट्री की हुई है उससे वह भिन्न है जिससे यह साफ पता चलता है कि बी० डी० ओ० अपने बचाव के लिए वहां के पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस घटना के बाद इस प्रकार की एन्ट्री आर्मस रजिस्टर में कराये हैं।

हवलदार धनराज सिंह ने इस रजिस्टर को समिति के समक्ष उपस्थित किया और अपने बयान में उन्होंने बताया कि दूसरे का राईफल जमा नहीं किया जाता है। केवल एक बार ही यह बन्दूक जमा किया गया है। समिति के समक्ष कमान सम्बन्धी आदेश बुक हवलदार ने प्रस्तुत किया जिसे देखने से पता चला कि दिनांक 9 नवम्बर 1977 को अंचल गार्ड डयूटी रजिस्टर में बन्दूक वापस दिखाया गया है जिसमें हवलदार धनराज सिंह ने बी० डी० ओ० के गन डिलीवरी के पूर्व इस एन्ट्रीज में अपनी रवानगी दिखायी है। रवानगी में ही शिव कुमार सिंह सिपाही को चार्ज दे दिया गया है। पुनः सदर लिखकर बी० डी० ओ० को बन्दूक की डिलीवरी दिखायी गयी है जिसमें हवलदार ने एन्ट्रीज किया है लेकिन अपना हस्ताक्षर एन्ट्री के लिए नहीं बनाया है। उसमें सिर्फ बी० डी०

ओ० का इनीसियल और तिथि 10-1 अंकित है। जिस दिन बी० डी० ओ० द्वारा बन्दूक जमा की गयी उस दिन उस इन्टरी में उसकी तिथि और समय भी अंकित है लेकिन जिस दिन बी० डी० ओ० द्वारा बन्दूक की डिलीभरी ली गयी उस दिन समय अंकित नहीं किया गया है।

सी० ओ० लाला रमण अग्रवाल ने भी अपने बयान में समिति के समक्ष बताया कि सुरेश ड्राईवर के बुलाने पर जब वे गये तो उन्होंने देखा कि एक चारपाई पर बी० डी० ओ० लेटे हुए हैं और उसी चारपाई पर श्री दादु पाठक बैठे हुए हैं और दूसरी चारपाई पर फौरेस्ट डिपार्टमेंट के औफिसर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग थे। बहुत जनता थी। उन्होंने समिति द्वारा पूछे जाने पर आगे बताया कि बी० डी० ओ० साहब ने उन्हें कोई खास बात नहीं बतायी और वह उन्हें वहां से लेकर उनके घर गये। समिति द्वारा ही किये गये प्रश्न पर सी० ओ० ने कहा कि कोई खास ऐसा इन्सीडेन्ट नहीं हुआ था जिसके लिए कोई अलग रिपोर्ट कहीं पर भेजने की कोई जरूरत समझी गयी हो। सी० ओ० के इस बयान से भी जाहिर होता है कि जब वे बी० डी० ओ० को लेने के लिए वहां पर गये तो वहां सब कोई इत्मिनान से बैठा था। बी० डी० ओ० साहब लेटे हुए थे और श्री दादु पाठक वहीं पर बैठे हुए थे, कहीं कोई गरमा गरमी नहीं थी। इससे पता चलता है कि बी० डी० ओ० ने जो एफ० आई० आर० में या अपने साक्ष्य में बताया है वह उन्हें धमका रहे थे। काम में बाधा पहुंचायी थी और मारने के लिए अग्रसर थे इत्यादि पूरी बात बनावटी है क्योंकि स्थिति में अगर इतना तनाव रहता तो सी० ओ० के और फोर्स के पहुंचने पर तुरत बी० डी० ओ० उनसे अपनी स्थिति का बयान करते जो उचित और सामान्य था। सी० ओ० साहब ने यह भी समिति के समक्ष बताया कि उन्हें बी० डी० ओ० ने रास्ते में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं बतायी जिसको कि खास तरह के किसी रिपोर्ट में मेन्सन किया जा सकता था। इस बात से यह जाहिर होता है कि बी० डी० ओ० ने अपना एफ० आई० आर० 23 नवम्बर 1976 को कराया वह पूर्णरूप से झूठा और गलत है और अपने बचाव के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। सी० ओ० साहब जो उनके डेरा के बगल में रहते हैं पूछने पर समिति को यह भी बतलाया कि उन्होंने कभी बी० डी० ओ० साहब को निशाना बनाने के लिए बन्दूक छोड़ते नहीं देखा था और न बन्दूक की आवाज ही कभी सुनी थी। इससे भी यह पता चलता है कि बी० डी० ओ० ने 9 गोलियों का इस्तेमाल कहीं अन्यत्र ही किया होगा।

अनुमंडलाधिकारी ने समिति के समक्ष बयान दिया कि बी० डी० ओ०, रंका के सम्बन्ध में उन्हें वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि वे शिकार करते थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में विभाग से जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी। डी० एफ० ओ० ने जब उनसे कहा तो उन्होंने डी० एफ० ओ० से कह दिया कि

इन्क्वायरी कर लें और जो फैक्टस मिले उसपर कार्रवाई करें। अनुमंडलाधिकारी ने यह स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण हुआ था उसपर सरकार के जवाब के लिए उन्होंने सूचना भेजी थी और इस जवाब को भेजने के पहले उन्होंने वन विभाग के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं की।

उपायुक्त डालटेनगंज ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि उन्होंने जो प्रतिवेदन सरकार के पास ध्यानाकर्षण के जवाब के लिए भेजा था उस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं जांच नहीं की थी और अपने संलग्न पदाधिकारी अनुमंडलाधिकारी से उसकी जांच करायी थी। उपायुक्त का मत था कि जब वन विभाग के पदाधिकारियों ने गवाहों से पूछताछ की थी तो उस समय ही बी० डी० ओ० से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। उपायुक्त महोदय ने समिति के समक्ष स्वीकार किया कि सुअर मारा गया यह सही है पर किसने मारा यह नहीं कहा जा सकता है। समिति की इजाजत के बाद उन्होंने समिति के समक्ष बताया कि स्थिति यह है कि एक सुअर के शिकार के लिए परमीशन मांगा जाय तो पचास रुपया जुर्माना लगेगा और बिना परमीशन के यदि शिकार किया जाता है तो उसे पचास रुपया जुर्माना देना होगा। इस तरह से यह सारा मामला पचास रुपये के लिए है। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया गया कि आपलोगों से लेकर कमिश्नर साहब तक को भी तकलीफ उठानी पड़ी। आश्चर्य तो यह है कि यदि कोई दूसरा आदमी यह काम करता तो वन विभाग के पदाधिकारी ही सक्षम थे कि पचास रुपया जुर्माना कर देते लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं करके उसे अपने उच्चाधिकारी के पास भेजा। इस तरह से इस छोटी सी बात का इतना ब वंडर बनाया गया कि इसके लिए आपलोगों का भी बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ।

उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि उन्हें मौका नहीं मिला इसलिए वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सके। वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर भी जांच नहीं कर सके और सारी बात इस हद तक पहुंच गयी। समिति उपायुक्त महोदय के साक्ष्य की भावना (स्पीरिट) की प्रशंसा करती है जिससे मुख्य विषय विन्दु पर काफी प्रकाश पड़ता है। इस संबध में वन विभाग के जांच पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि चूंकि बी० डी० ओ० साहब के सामने ही लोगों ने उनके द्वारा शिकार किये जाने की बात कही थी जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया था और बाद में उनसे इस सम्बन्ध में मिले भी थे इसलिए वन विभाग वालों ने उनसे फिर कुछ नहीं पूछा।

समिति के समक्ष जो साक्ष्य आये उन लोगों ने जो तथ्य और परिस्थितियां बतलायी है उस पर विचार करने पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तिथि 15 नवम्बर 1976 और 22 नवम्बर 1976 के बीच की अवधि में जोगीखुरा ग्राम में सुअर का एक अवैध शिकार किया गया और यह शिकार श्री सरजू

राम, बी० डी० ओ०, रंका अपने कुछ साथियों के साथ किये हैं। इस अवैध शिकार और अन्य बातों में जो व्यक्ति उनके साथ नहीं थे और जिन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी उनलोगों को फंसाने के लिए या तकलीफ पहुंचाने के लिए उन्होंने झूठा एफ० आई० आर० किया एवं नियम कानून की अवहेलना कर अपने अधिकार एवं पद का दुरुपयोग किया है।

विषय विन्दु नं० 2 क्या गढ़वा वन प्रमंडल के ए० डी० एफ० ओ० द्वारा इस घटना की जांच की गयी थी? यदि की गयी थी तो जांच प्रतिवेदन क्या था और उस प्रतिवेदन में कोई विषमता थी या नहीं?

ए० डी० एफ० ओ० ने इस घटना के संबंध में जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन (अनुबंध) वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल के पास भेजा था। उसकी एक प्रतिलिपि अनुमंडलाधिकारी, गढ़वा के पास भी भेजी थी। ए० डी० एफ० ओ० श्री शिवेश्वर प्रसाद ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जोगीखुरा तथा मुगदा रक्षित वन में रंका प्रखंड के विकास पदाधिकारी श्री सरजू राम, रंका प्रखंड के कृषि पदाधिकारी श्री महावीर प्रसाद केवट तथा रंका स्थित परिवार नियोजन के श्री बद्री राम ने भारतीय वन प्राणी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए वन प्राणी का शिकार किया। सर्वप्रथम तिथि 15 नवम्बर 1976 को रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री राम द्वारा शिकार किया गया जिसमें उन्होंने एक सुअर मार कर सबों में वितरित कर दिया। यह शिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री राम ने अपने बन्दूक से संभवतः जिसे उसे उन्होंने हाल ही में खरीदा है, किया था। इस मारे गये सुअर के संबंध में खून लगा पत्थर विभिन्न अंग की हड्डियां बोरा तथा अन्य सामग्री जो स्थल पर पाये गये थे उसका विस्तृत विवरण उन्होंने अपने प्रतिवेदन में दिया है। जोगीखुरा रक्षित वन में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम द्वारा तिथि 22 नवम्बर 1976 को दूसरी बार भी शिकार किया गया था। इस शिकार में इनके साथ रंका प्रखंड के कृषि पदाधिकारी श्री महावीर प्रसाद केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री राम भी थे। शिकार पर श्री राम श्री केवट अपने-अपने निजी बन्दूक के साथ बैठे थे। इस दिन यहां शिकार में कोई जानवर नहीं मारा जा सका। शिकार के दिन ही इसकी सूचना क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी क्षेत्र को मिल गयी और उनको स्थल पर पहुंच जाने के कारण लोग इधर उधर भाग गये और ऐसा होते समय प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम की वन्दूक की खोली जो हकवाहा लतीफ शेख के पास श्री राम ने रखने के लिए दिया था, रह गयी और वह हकवाहा उस खोली को लेकर घर चला गया जो बाद में जांच के समय इस पदाधिकारी को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन से यह साफ प्रतीत होता है कि श्री सरजू राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्य व्यक्तियों के साथ तिथि 15 नवम्बर 1976 और 22 नवम्बर 1976 के बीच कई दिन शिकार पर गये लेकिन सिर्फ एक दिन ही सुअर मारा जा सका।

जहां तक ऐसे प्रतिवेदन में विषमता का प्रश्न है, जो साक्ष्य समिति के समक्ष आये हैं और ए० डी० एफ० ने जो अपना प्रतिवेदन दिया है उसे देखने से यह प्रतीत होता है कि ए० डी० एफ० ओ० जब इस संबंध में जांच कर रहे थे तो वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम ने इस विषय के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं लिया था और न श्री केवट या श्री बद्री प्रसाद से साक्ष्य लिया था। समिति ने जब जांच पदाधिकारी श्री शिवेश्वर प्रसाद से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने इस संबंध में बतलाया कि जब गवाहों से साक्ष्य ले रहे थे तो उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी भी वहीं पर बैठे थे। परन्तु उन्होंने उस समय किसी प्रकार की इस विषय पर आपत्ति नहीं उठाई और न किसी गवाह से यह कहा कि वे यह बात गलत कह रहे हैं और न यह आपत्ति की कि इस गवाह ने अपना बयान गलत दिया है। इस स्थिति में जांच पदाधिकारी की हैसियत से गवाहों के बयान को, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम के समक्ष ही लिया जा रहा था, जांच पदाधिकारी ने सच समझा।

जांच पदाधिकारी ने यह भी बताया कि चूंकि श्री राम उनके कार्यालय में इस बात को खत्म कर देने के लिए उनसे मिले थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बात सही ही है और इसीलिए उनसे अलग से कोई बयान नहीं लिया। ए० डी० एफ० ओ० के प्रतिवेदन में यही विषमता झलकती थी जिसे उन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य और अन्य प्रश्नों के जवाब में साफ कर दिया। समिति यह समझती है कि ऐसी स्थिति में कोई भी जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में ऐसी विषमता रह जाना सामान्य बात है।

विषय बिन्दु 3 — क्या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका के बचाव के लिए वहां के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इस मामले में अनावश्यक सहायता प्रदान की गयी है ?

इस बिन्दु पर समिति के समक्ष जितने साक्ष्य आये उससे सर्वप्रथम यह पता चलता है कि डी० एस० पी०, रंका श्री रामचन्द्र राम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के बचाव में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए रंका आये और इस सिलसिले में उन्होंने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया। संभवतः जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, वे तिथि 24 नवम्बर 1976 को रंका थाने का निरीक्षण करने के लिए आये और इस मामले के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से सनहा नं० 380 पर जो बी० डी० ओ०, रंका का एफ० आई० आर० था, श्री राम कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी से बातचीत की और इस मामले का अनुसंधान स० अ० नि०, श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा कराने का आदेश दे दिया। तिथि 23 नवम्बर 1976 की रात्रि में श्री शिवेश्वर प्रसाद, वन विभाग, जांच पदाधिकारी, उनसे गढ़वा में मिलकर इस विषय में विचार विमर्श किया था और

उनकी अनुमति प्राप्त की थी कि जोगीखुरा स्थित पुलिस सह-दंडाधिकारी शिविर के निकट, चूंकि यह घटना हुई है इसलिए वे वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों से पूछताछ करना चाहते हैं जिसकी अनुमति उन्होंने दे दी। जब 24 नवम्बर 1976 को शिवेश्वर प्रसाद वन विभाग के जांच पदाधिकारी उन पुलिसकर्मियों का बयान लेने के लिये गये तो उन्होंने देखा कि शिविर में बी० डी० ग्रो०, रंका और डी० एस० पी० महोदय पहले से ही उपस्थित थे और उनके समक्ष ही जांच पदाधिकारी ने लोगों से बयान लिया। कई सिपाहियों ने इस घटना से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और कुछ नहीं बताया। एक सिपाही ने बन्दूक की आवाज सुनने का जिक्र अपने बयान में किया था। उपायुक्त महोदय ने भी यह माना है कि वहां सुअर का शिकार किया गया जिसको काटने चीरने का स्थान पुलिसकर्मियों के शिविर से मुश्किल से एक फर्लांग के अन्दर ही है। जैसा कि वन विभाग के जांच पदाधिकारी ने अपने रिपोर्ट में दिया है कि इतने नजदीक से जब सुअर को चीरा और काटा गया फिर भी उससे शिविर में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने जब अपनी अनभिज्ञता प्रकट की तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिसकर्मियों ने सत्य को प्रकट करने के बदले इसे छिपाने का प्रयास किया। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब या तो पुलिसकर्मी स्वयं ही उस शिकार से किसी न किसी रूप से संबंधित हों या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर सत्य को छिपाने की कोशिश की हो। पुलिसकर्मियों के बयान लेने के लिए वन विभाग के पदाधिकारी को स्थल पर पहुंचने के पहले ही बी० डी० ग्रो० और डी० एस० पी० महोदय को वहां पहुंचा रहना यह साबित करता है कि संभवतः उनके प्रभाव में आकर ही पुलिसकर्मियों ने सत्य को छिपाने की कोशिश की है।

ब्लॉक में आर्म्स का कस्टोडियन हवलदार होता है और वहीं आर्म्स रजिस्टर भी रखता है। ब्लॉक के आर्मरी में किसी दूसरे का कोई आर्म अक्सरहां नहीं रखा जाता है। बी० डी० ग्रो० ने यह साबित करने के लिए कि उनकी बन्दूक तिथि 9 नवम्बर 1976 से 10 जनवरी 1977 तक ब्लौक के आर्मरी में जमा थी, वहां के आर्मस रजिस्टर पर दो इन्ट्रीज के बीच में अपनी बन्दूक रखने की इन्टरी संभवतः शिकार के बाद करवा कर जमा दिखलाया है। रजिस्टर को देखने से साफ जाहिर होता है कि दोनों इन्टरीज के बीच में इनकी बन्दूक जमा करने की इन्टरी की गयी है और उस इन्टरी की स्याही दूसरे उपर नीचे के इन्टरीज की स्याही से भिन्न है। दिनांक 10 जनवरी 1977 को अंचल गार्ड ड्यूटी रजिस्टर में बन्दूक वापस दिखायी गयी है जिसमें हवलदार घनराज सिंह ने बी० डी० ग्रो० को बन्दूक लौटाने के पूर्व की इन्टरीज में अपनी रवानगी दिखलाई है। रवानगी में ही शिव कुमार सिंह, सिपाही को चार्ज दे दिया गया है। पुनः सदर लिखकर बी० डी० ग्रो० की बन्दूक की डिलीभरी दिखलायी गयी है जिसमें हवलदार ने इन्टरी किया है लेकिन अपना हस्ताक्षर इन्टरी में नहीं बनाया है। इस पर सिर्फ बी० डी० ग्रो० का लघु हस्ताक्षर है। हवलदार

की रवानगी का समय नहीं दिया गया है। जिस दिन बन्दूक जमा हुई थी उस दिन तिथि और समय भी अंकित थे लेकिन जिस दिन यह लौटाई गई उस दिन समय अंकित नहीं किया गया है। कोई भी हवलदार अपने उच्च अधिकारियों के इशारे के बिना अपने रजिस्टर में इस प्रकार का गलत इन्टराज, इन्टरपुलेशन और गलत बयानी, जो देखने से साफ झलकती है, नहीं कर सकता है। समिति का निश्चित मत है कि यह कार्य डी० एस० पी० श्री राम चन्द्रराम के दबाव में आकर ही पुलिसकर्मियों ने किया है।

अनुमंडलाधिकारी गढ़वा श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद ने भी इनके बचाव में अनावश्यक सहायता प्रदान की है। जो रिपोर्ट इन्होंने उपायुक्त को ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में भेजने के लिए दिया उसमें अन्य असंबंधित बातों का जिक्र कर सारी बातों को उलझाने की कोशिश की। मामला केवल सुअर के शिकार के संबंध में था लेकिन जवाब में सीधा तर्क न देकर श्री वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करने पर भी उसकी जांच नहीं कर अलग से रिपोर्ट दी कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका, जो परिवार नियोजन के कार्य में गये थे, उनके कार्य में श्री सुरेन्द्र पाठक और उनके सहयोगियों ने बाधा उत्पन्न की और गैर-कानूनी ढंग से उनका घेराव किया क्योंकि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को फंसाना चाहते थे। उपायुक्त महोदय ने भी समिति के समक्ष यह पूछने पर कि जब ध्यानाकर्षण, खासकर सुअर के शिकार के सम्बन्ध में ही था तो अन्य बातों की चर्चा करने का क्या औचित्य था, बतलाया कि जिस पृष्ठभूमि की चर्चा रिपोर्ट में की गयी थी उसकी चर्चा नहीं करने से सही बात सामने नहीं आती। समिति यह समझती है कि इन पदाधिकारियों ने बी० डी० ओ०, रंका को बचाने के लिए ऐसी परिस्थिति अपनी रिपोर्ट में बनाई जिससे कि सुअर का अवैध शिकार गौण हो जाय और अन्य गलत बात सामने आ जाये। जो तथ्य साक्ष्य और परिस्थिति समिति के समक्ष विभिन्न व्यक्तियों के बयान से उभरा है उससे प्रतीत होता है कि स्थानीय पदाधिकारियों ने, खास कर, डी० एस० पी० और एस० डी० ओ०, गढ़वा ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका के बचाव के लिए अनावश्यक सहायता प्रदान की।

विषय विन्दु 4

रंका प्रखंड में आदिवासियों एवं गैर-आदिवासियों दोनों की आबादी काफी है। समिति के समक्ष जो साक्ष्य आए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में आदिवासी एवं गैर-आदिवासी में किसी प्रकार का तनाव नहीं था और न इस अंचल में कोई राष्ट्रद्रोही कार्य-कलाप का केस भी पुलिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कुछ केसेज मनी लेंडिंग, कर्ज माफी तथा लैन्ड इविक्शन के संबंध में आये थे परन्तु इससे आदिवासी या गैर-आदिवासी के सम्बन्ध के बारे में किसी प्रकार से विधि व्यवस्था में तनाव नहीं थी। परन्तु यहां के स्थानीय

पदाधिकारी ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से प्रभावित होकर आदिवासियों के नाम पर विधि व्यवस्था में या दूसरी चीजों में तनाव होने का प्रचार करते थे और उसके कारण अपने इच्छानुसार कुछ लोगों पर डी० आई० आर० के अन्तर्गत कार्रवाई भी किये थे। जो साक्ष्य समिति के समक्ष आये हैं उससे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि डी० आई० आर० की कार्रवाई किसी केस के सम्बन्ध में करने की आवश्यकता थी परन्तु अधिकारीगण ने कई व्यक्तियों को झूठ-मूठ परेशानी में डालने के लिए डी० आई० आर० की कार्रवाई भी की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो अधिकार का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

जांच के दौरान समिति के समक्ष अन्य बातें जो सामने आयीं उनमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री सरजू राम कभी अपना यात्रा कार्यक्रम या यात्रा दैनन्दिनी अपने ऊपर के पदाधिकारियों को नहीं दिया करते थे। जबकि सरकार के नियम के अधीन और निर्देश के अनुसार उनको अपना यात्रा कार्यक्रम अपने उच्चाधिकारियों को देना था और उसे स्वीकृत कराकर उसीके अनुसार कार्रवाई करनी थी, परन्तु उन्होंने समिति के समक्ष स्वीकार किया था कि पिछले कई महीनों या साल से ज्यादा से उन्होंने कोई अपना यात्रा कार्यक्रम अपने उच्चाधिकारियों से स्वीकृत नहीं करवाया और अपने इच्छानसार यात्रा करते रहे। अनुमंडलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों ने भी अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि ऐसा यात्रा कार्यक्रम या यात्रा दैनन्दिनी नहीं समर्पित की जाय तो उनसे कैफियत पूछना चाहिये था लेकिन इस संबंध में किसी प्रकार की कैफियत उनसे नहीं पूछी गयी। उपायुक्त, डालटेनगंज ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में जवाब भेजा था इसके साथ उन्होंने और बहुत-सी बातों की जो अनावश्यक चर्चा की थी उनमें ध्यानाकर्षण से कोई संबंधित बात नहीं थी क्योंकि ध्यानाकर्षण में मुख्य रूप से सुअर के शिकार से संबंधित बातें उठायी गयी थीं, तब उन बातों के साथ अन्य बातों की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। हालांकि उपायुक्त ने अपने साक्ष्य में बतलाया कि घटना को समझने के लिये उसकी पृष्ठभूमि के रूप में उन्होंने अन्य बातों की चर्चा अपने प्रतिवेदन में की थी। परन्तु समिति समझती है कि अधिकारी विशेष को मदद करने के लिये और मुख्य बातों को गौण करने के लिए संभवतः घटना की पृष्ठभूमि के नाम पर अपने प्रतिवेदन को एकतरफा बनाकर सरकार के पास उन्होंने भेजा था जैसाकि एक उच्च पदाधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाती है।

अनुशंसा।

रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर जोगीखुरा ग्राम में सुअर का अवैध शिकार के प्रश्न से संबंधित बातों की जांच के सन्दर्भ में समिति के सक्षम पदाधिकारी जनता एवं अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों ने जो साक्ष्य दिये उन साक्ष्यों पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी,

श्री सरजू राम तिथि 15 नवम्बर 1976 और 22 नवम्बर 1976 के बीच विभिन्न तिथियों को कई व्यक्तियों के साथ सुअर का शिकार करने गये और उन्होंने एक दिन एक सुअर का शिकार भी किया जो वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन था और उनके द्वारा सुअर का शिकार किया जाना अवैध था। इस घटना को प्रकाश में लाने वाले व्यक्तियों को उन्होंने तथा उनके ऊपर के कुछ सक्षम पदाधिकारियों ने, जो उनकी मदद में आये दबा देना चाहा और गलत प्रतिवेदन देकर उनको बचाव करने के लिये अनावश्यक सहायता प्रदान की। अधिकारियों ने उनके बचाव के लिए आदिवासी एवं गैर-आदिवासी के बीच झगड़ के गलत नाम पर तथा परिवार नियोजन कार्य में बाधा पहुंचाने का झूठा आरोप लगाकर वहां के लोगों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत मनमाने ढंग से तंग किया और गलत मुकदमा कर लोगों को परेशान किया। कुछ अधिकारियों ने सर्वथा अनावश्यक अवैध कार्य कर एवं कानून का उल्लंघन कर अधिकार की सीमा का दुरुपयोग किया।

समिति क्षोभ प्रकट करती है कि पुलिस अधिकारियों ने गलत ढंग से रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को बचाने के लिये अपने रजिस्टर में गलत-गलत प्रविष्टि की और अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया और इसमें डी० एस० पी०, श्री रामचन्द्र राम का हाथ अनिवार्य रूप से प्रतीत होता है। डी०एस०पी० पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं। उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गलती को देखना था जबकि इसके विपरीत उन्होंने कर्मचारियों पर दबाव डालकर रजिस्टर में गलत इन्ट्री करवाया और उसे स्वीकृत किया, गलत बयान दिलवाया और तथ्य को छिपाने की चेष्टा की। अधिकार का दुरुपयोग कर लोगों को गलत ढंग से तंग किया और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। समिति उनके इस आचरण की निन्दा करती है।

जिन अन्य उच्चाधिकारियों को इन बातों पर उचित कारंवाई करनी थी उनलोगों ने भी अपने अपने कर्त्तव्यों का सही रूप में पालन नहीं किया तथा इस अवैध कार्य को छिपाने में बी० डी० ओ० श्री सरजू राम को मदद पहुंचाने की कोशिश की।

समिति की यह सर्वसम्मत अनुशंसा है कि दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आरक्षी उपाधीक्षक पर कड़ी कारंवाई की जाय। साथ ही अन्य अधिकारियों पर भी सरकार कड़ी कारंवाई करे जिन्होंने इस मामले को दबाने की चेष्टा की है और इस संबंध में की गई कारंवाई से बिहार विधानपरिषद् को अवगत करावें।

धनंजय महतो,
अध्यक्ष,
विशेष जांच समिति।
कृपानाथ पाठक, सदस्य।
जोगेन्द्र प्रसाद चौरासिया, सदस्य।
राजकुमार महासेठ, सदस्य।

अनुबन्धन 1

माननीय उपाध्यक्ष महोदया,

मैं एक लोक महत्व के अत्यावश्यक विषय की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जग नारायण पाठक,
स०वि०प०।

विषय

पलामू जिलान्तर्गत रंका के बी० डी० ओ० श्री सरयू राम, ग्राम जोगीखुरा में 22 नवम्बर 1976 को शिकार खेलने गये तथा एक सुअर का शिकार किये जो वन-जन्तु सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कानून का उल्लंघन करना है। इसी समय ए० डी० एफ० ओ०, पलामू वहां पहुंच गये तथा अपनी जांच के दौरान इस बात को सही पाया एवं सुअर का मांस भी जब्त किया तथा इसकी रिपोर्ट अपने विभाग में भी की है। उपर्युक्त बातों को छिपाने के लिए तथा अपना सबूत ठीक करने के लिये बी० डी० ओ० श्री राम ने परिवार नियोजन कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर वहां के लोगों को डी० आई० आर० दफा लगाकर तंग करना चाहते हैं। इस साजिश में गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं डी० एस० पी० का भी हाथ बताया जाता है जिससे वहां के निवासियों के बीच आतंक छाया हुआ है।

अतः सरकार इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य दे कि इस प्रकार के आरोप लगाकर वहां के निवासियों को बड़े-बड़े अफसर तंग करना क्यों चाहते हैं।

जग नारायण पाठक,
27-11-1976
स०वि०प०।

ज्ञापांक वि०प०अ०प्र०-145/76 वि०प०
पटना, 29 नवम्बर, 1976।

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, विहार/श्री जग नारायण पाठक, स०वि०प०/मुख्य सचिव, बिहार सरकार/गृह (आरक्षी) विभाग/संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ *(एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए)।

2. माननीय सदस्य दिनांक 1 दिसम्बर 1976 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

*(—) केवल सम्वन्धित विभाग के लिए।

इन्दु भूषण सिन्हा,
उप-सचिव,
बिहार विधान परिषद।

(अनुबन्धन 2)

पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के विकास पदाधिकारी द्वारा जनता को डी० आई० आर० की धमकी से आतंक करने से संबंधित श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० के ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य :

श्री रामजयपाल सिंह यादव (मंत्री) —माननीय सदस्य श्री जगनारायण पाठक के ध्यानाकर्षण सूचना में उठाये गये विन्दुओं के संबंध में उपायुक्त, पलामू से प्राप्त दो प्रतिवेदन के अनुसार विदित होता है कि यह बात सही है कि गढ़वा वन प्रमंडल में अवैध सुअर का शिकार करने का एक मामला हुआ था। यह भी सही है कि वन विभाग के पदाधिकारियों ने इस घटना की जांच की। उपायुक्त के प्रतिवेदन से विदित होता है कि इस विषय से संबंधित वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वास्तव में प्रखंड पदाधिकारी, रंका ने अवैध शिकार किया।

उपर्युक्त का मंतव्य है कि प्रतिवेदन को पढ़ने से पता चलता है कि वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा एकतरफा जांच की गयी एवं जांच के दौरान तीन गवाहों के बयान पर विश्वास किया गया। इन तीन गवाहों में एक हैं श्री भुखन भुइयां, जिन पर एक हत्या का आरोप है। दूसरे हैं श्री रामपूत राम जिन पर श्री दुखी सिंह की हत्या का आरोप है एवं जिन्हें अन्य के साथ चार्जशीट किया गया है। तीसरे गवाह हैं श्री लाल बिहारी भुइयां जो उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के सहयोगी हैं। कहा गया है कि उपर्युक्त सभी गवाह श्री दादू पाठक एलियास श्री सुरेन्द्र पाठक के सहयोगी हैं तथा सम्भवतः उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को फंसाने की साजिश की है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसके संक्षिप्त में कहा गया है कि श्री दादू पाठक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवैध रूप से रोक रखा एवं उन्हें जोगीखोरा गांव में घेरा बन्द कर रखा। जब वे परिवार नियोजन के कार्य हेतु गये हुए थे। उन्हें सशस्त्र पुलिस द्वारा छुड़ाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अस्वीकार किया है कि वे उक्त गांव में शिकार हेतु गये थे। उपायुक्त के प्रतिवेदनों से विदित होता है कि एक ओर वन विभाग का प्रतिवेदन है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अवैधानिक शिकार किया तो दूसरी ओर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसे अस्वीकार किया है तथा उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक श्री दादू पाठक ने गैर-कानूनी ढंग से उन्हें घेराव में रखा जबकि वे जोगीखूरा गांव में परिवार नियोजन कार्य के लिये गये हुए थे। उपायुक्त ने कहा कि वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन एकतरफा है।

जांच पदाधिकारी ने पुलिस पदाधिकारी के साक्ष्य को बिना कारण अस्वीकार कर दिया जबकि भूतपूर्व मीसाबंदी श्री सुरेन्द्र पाठक के आदमियों पर शत-प्रतिशत विश्वास किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछताछ नहीं की और न किसी स्वतंत्र गवाहों की गवाही ली। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच पदाधिकारी पहले ही अपना मत बना चुके थे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिकार की है : उपायुक्त का कहना है कि यह स्पष्ट है कि वन पदाधिकारी द्वारा जो जांच की गयी वह निष्पक्ष नहीं है।

उपायुक्त का विचार है कि चूंकि दो प्रकार की सूचनायें हैं अतः इस विषय पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद अन्तिम निष्कर्ष पर आना ही उचित होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनलोगों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत तंग नहीं किया जा रहा है।

यह बात भी सत्य नहीं है कि अनुमण्डल पदाधिकारी तथा आरक्षी उपाधीक्षक का इस मामले में हाथ है। अनुमंडल पदाधिकारी चार दिनों से बीमार थे। उप-आरक्षी अधीक्षक, गढ़वा को इस घटना की जानकारी तब हुई जब वे रंका थाना निरीक्षण में गये। उपायुक्त ने उन्हें मौखिक निर्देश दिया है कि इसकी सही ढंग से जांच की जाय।

श्री जयनारायण पाठक—अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट सरासर गलत है। वहां

पर बी० डी० ओ० शिकार खेलते हैं। वन वाले ने उनको पकड़ा है। डी0 एस0 पी0 भी वहां गये थे। सारी बातें वहां के थाने की डायरी से मालूम हो जायेंगी। जब केस हुआ तो कम-से-कम 50 लोगों की गवाही ली गयी। गवाहों ने कहा कि उनलोगों को शिकार खेलते हमने देखा है। और गांव वाले ने पकड़ा भी था। इसलिये मेरा कहना है कि इसके लिये सदन की एक कमिटी बना दी जाय, जिससे इन सारी बातों की जानकारी हो सके और लक्ष्य सामने आ सके।

श्री अरुण कुमार—अध्यक्ष, मेरा कहना है कि सरकार द्वारा दिये गये

ध्यानाकर्षण का जवाब सदन ने सुना। इसमें यह स्पष्ट होता है कि सरकार को इसकी जानकारी है, सरकार ने बात सही कही है कि उपायुक्त ने कहा, उपायुक्त का प्रतिवेदन, उपायुक्त के अनुसार, उपायुक्त का मन्तव्य के अनुसार, उपायुक्त के विचार के अनुसार। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है और जिस तरह का उत्तर सदन में आना चाहिये था वैसा नहीं आया है; इसलिये यह आवश्यक है कि सदन की एक समिति बना दी जाय और सदन इसकी जानकारी स्वयं प्राप्त करे।

श्री दीप नारायण चौधरी—सरकार के उत्त ... यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी जांच नहीं हुई है। उपायुक्त महोदय का एकतरफा जवाब है और यह असंतोषजनक है। इसलिये अच्छा तो नहीं होगा कि सदन की एक कमिटी इसकी जांच के लिये बना दी जाय।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे—सदन की समिति बनायी जाय।)

श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया—उप-सभापति महोदया, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि इन सारी बातों की जांच के लिये सदन की एक कमिटी बना दी जाय। क्योंकि पद्धति जो चल रही है कि माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, लक्ष्य सामने रखते हैं लेकिन सरकार की ओर से एक ही लीक पर बना बनाया उत्तर दे दिया जाता है। इससे हाउस का और हम सबों का भी समय बर्बाद होता है।

(शोरगुल)

(आवाजें—इसके लिये समिति अवश्य बनाई जाय।)

श्री रामजयपाल सिंह यादव (मंत्री)—उप-सभापति महोदया, उपायुक्त के कथनानुसार वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिया गया जांच-प्रतिवेदन एकतरफा है। इस संदर्भ में जिन लोगों की गवाही ली गई है वह मात्र तीन आदमियों से ली गई है।

(शोरगुल)

श्री जगनारायण पाठक—उप-सभापति महोदया, यह सरकार गलत है, यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। तीन ही आदमियों से नहीं बल्कि 50 आदमियों से गवाही ली गई है।

श्री रामजयपाल सिंह यादव (मंत्री)—जैसी रिपोर्ट है, उससे तो यही स्पष्ट होता है।

(शोरगुल)

श्री परमेश्वर—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह मामला विशुद्ध रूप से आदिवासियों के जमीन हड़पने की है। मैं जानता हूं कि अधिकारियों द्वारा उनकी जमीनें जोती गई हैं।

(आवाजें—यह तो बहुत गंभीर मामला है।)

श्री कृष्णकान्त सिंह---उप-सभापति महोदया, इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच के लिये सदन की एक कमिटी बना दी जाय जिससे सरकार द्वारा जो गलत बयानी की गई है वह सामने आ जाये और 50 लोगों की गवाही ली गयी है या 3 लोगों की गवाही ली गई है या आदिवासियों की जमीन हड़प ली गई है ये सारी बातें भी सामने आ जायेंगी।

उप-सभापति---गलत बयानी का सवाल नहीं है। मैं यह समझती हूं कि सदन में किसी भी माननीय सदस्य को गलत बयानी नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह जिम्मेवारी का प्रश्न है और माननीय सदस्य जिस चीज को नहीं जानते हैं उसे न कहें, तो अच्छा हो। सरकार का बयान सदन ने सुना और·····

(शोरगुल)

श्री परमेश्वर---उप-सभापति महोदया, जमीन हड़पने के मामले में जो दो आदिवासी सोमारू खरमार और उनका पुत्र दुखन खरमार को मार दिया गया है और इसके गवाह छवी साव को मार दिया गया है और जब वे लोग कुछ कहते हैं तो आदिवासियों को डराया-धमकाया जा रहा है।

श्री कृष्णकान्त सिंह---इसलिये तो मैं कह रहा हूं कि सदन की एक समिति बना दी जाय जो इन सारी बातों की छानबीन करे।

श्री रामजयपाल सिंह यादव (मंत्री)---उप-सभापति महोदया, माननीय सदस्य अगर चाहें तो मैं इसकी इन्क्वायरी करा सकता हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री कृष्णकान्त सिंह---सरकार अपने अफसरों को बचाना चाहती है। वह क्यों न कमिटी बनवा देती है इन बातों की छानबीन के लिये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

उप-सभापति—सरकार ने जो बात कही है वह उपायुक्त के मन्तव्य के अनुसार ही कही है। सुअर का मांस निकला। रैयतों को हक नहीं है कि वह सुअर को मार सके चाहे उनका अनाज भी क्यों न वह खा जाय। लेकिन मुझे जानकारी है कि पलामू जिले में खुलेआम सरकारी कर्मचारी सुअर का शिकार करते हैं: यह पकड़ा गया सो अलग बात है। सरकार के इस उत्तर से सदन असंतुष्ट है। इसलिये सरकार इसकी जांच किसी वरीय पदाधिकारी से कराये और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जायेगी इसकी सूचना सदन को कराये।

श्री परमेश्वर—जमीन के बारे में जांच होगी या नहीं?

(कोई जवाब नहीं।)

श्री कृष्णकान्त सिंह—हमलोग चाहते हैं कि जांच अवश्य हो और आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले लोगों को कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाय।

उप-सभापति—इसके लिये सदन की समिति बनाई जायगी।

(अनुबन्धन 3)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

10 जनवरी 1977

सं0 वि0प0अ0प्र0 145/76—65(1)-वि0प0—दिनांक 22 नवम्बर 1976 को पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा "वन-जन्तु-सुरक्षाकानून" का उल्लघंन कर जोगीखूरा ग्राम में सूअर का शिकार किये जाने से सम्बन्धित श्री जगनारायण पाठक, स0 वि0 प0 के ध्यानाकर्षण दिनांक 1 दिसम्बर 1976 पर दिनांक 10 दिसम्बर 1976 को सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में कुछ विन्दुओं का स्पष्टीकरण किया गया था। किन्तु सरकारी वक्तव्य से असंतुष्ट होकर सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने तथ्यों की जांच के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर उप-सभापति महोदया ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्सम्बन्धी अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठन करने की कृपा की है :—

(1) श्री जागेश्वर मंडल, स0 वि0 प0—संयोजक,
(2) श्री राजकुमार महासेठ, स0 वि0 प0—सदस्य,
(3) श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स0 वि0प0—सदस्य एवं
(4) श्री धनंजय महतो, स0 वि0 प0—सदस्य।

समिति निम्नलिखित विन्दुओं की जांच कर अपना प्रतिवेदन देगी :—

(1) क्या रंका प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लघंन कर जोगीखूरा ग्राम में सूअर का अवैध शिकार किया गया था ?
(2) क्या गढ़वा वन प्रमंडल के ए0डी0एफ0ओ0 द्वारा इस घटना की जांच की गयी थी, यदि की गई थी तो जांच प्रतिवेदन क्या था और ऐसे प्रतिवेदन में कोई विषमता थी या नहीं ?
(3) क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका के बचाव के लिये वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में अनावश्यक सहायता प्रदान की गयी है ?

(4) क्या स्थानीय पदाधिकारी वहां की राजनीति से प्रभावित होकर यदि आदिवासियों के नाम पर मनमानी ढंग से प्रतिवेदन देते रहे हैं और डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत कार्रवाई की है ?

(5) जांच के दौरान और कोई बिन्दु, यदि आवश्यक प्रतीत हो।

राजेश्वर प्रसाद मंडल,
सचिव,
बिहार विधान परिषद्, पटना।

ज्ञापांक वि0 प0 अ0 प्र0 145/76--66(1)-वि0 प0।

पटना, दिनांक 10 जनवरी 1977 ई0।

प्रतिलिपि–बिहार विधान परिषद् के सदस्यगण, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, विस्कोमान भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार/कार्यालय लेखा प्रशाखा-2 को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए)।

(–) कार्यालय लेखा प्रशाखा-2 के लिए।

इन्दु भूषण सिन्हा,
उप-सचिव,
बिहार विधान परिषद।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

10 जनवरी 1977

सं0 वि0 प0 अ0 प्र0 145/76—65(1)-वि0 प0—दिनांक 22 नवम्बर 1976 को पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 'वन-जन्तु-सुरक्षा कानून" का उल्लघंन कर जोगीखूरा ग्राम में सूअर का शिकार किये जाने से सम्बन्धित श्री जगनारायण पाठक, स0 वि0 प0 के ध्यानाकर्षण दिनांक 1 दिसम्बर 1976 पर दिनांक 10 दिसम्बर 1976 को सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में कुछ विन्दुओं का स्पष्टीकरण किया गया था। किन्तु सरकारी वक्तव्य से असन्तुष्ट होकर सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने तथ्यों की जांच के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर उप-सभापति महोदया ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्सम्बन्धी अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठन करने की कृपा की है :—

(1) श्री जागेश्वर मंडल, स0 वि0 प0—संयोजक,

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स0 वि0 प0—सदस्य,

(3) श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स0 वि0 प0—सदस्य एवं

(4) श्री धनंजय महतो, स0 वि0 प0—सदस्य।

समिति निम्नलिखित विन्दुओं की जांच कर अपना प्रतिवेदन देगी:—

(1) क्या रंका प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लघंन कर जोगीखूरा ग्राम में सूअर का अवैध शिकार किया गया था ?

(2) क्या गढ़वा वन प्रमंडल के ए0 डी0 एफ0 ओ0 द्वारा इस घटना की जांच गयी थी ? यदि की गई थी तो जांच प्रतिवेदन क्या था और ऐसे प्रतिवेदन में कोई विषमता थी या नहीं ?

(3) क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका के बचाव के लिये वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में अनावश्यक सहायता प्रदान की गयी है ?

(4) क्या स्थानीय पदाधिकारी वहां की राजनीति से प्रभावित होकर यदि आदिवासियों के नाम पर मनमानी ढंग से प्रतिवेदन देते रहे हैं और डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत कारवाई की है ?

(5) जांच के दौरान और कोई विन्दु, यदि आवश्यक प्रतीत हो।

राजेश्वर प्रसाद मंडल,
सचिव।

अनुबन्धन 5

श्री जगनारायण पाठक, स0 वि0 प0 के ध्यानाकर्षण पर गठित चार सदस्यीय समिति की दिनांक 15 जनवरी 1977 को रंका में हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

संयोजक ।

(1) श्री जागेश्वर मंडल ।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ ।
(3) श्री धनंजय महतो ।

विशेष आमंत्रित ।

(4) उपायुक्त, डालटेनगंज,
(5) आरक्षी अधीक्षक, डालटेनगंज,
(6) अवर-प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा,
(7) वन प्रमंडल विकास पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिण),
(8) प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका,
(9) मुखिया, ताम्बे ग्राम पंचायत, रंका,
(10) सरपंच, ताम्बे ग्राम पंचायत, रंका,
(11) डी0 एस0 पी0, गढ़वा,
(12) थाना प्रभारी, रंका, एवं
(13) श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक थाना प्रभारी, रंका ।

सचिवालय

श्री इन्दु भूषण सिन्हा, उप-सचिव, बिहार विधान परिषद ।

श्री सरजू राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

श्री सरजू राम—मैं श्री सरजू राम सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—दिनांक 22 नवम्बर 1976 को आप जोगीखरा गये थे ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आप अपने टूर प्रोग्राम की कौपी किसको देते हैं तथा किससे सैंक्शन करवाते हैं ?

श्री सरजू राम—अंचलाधिकारी, गढ़वा को कौपी देते हैं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—इसके अतिरिक्त और किसी को कौपी है ?

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—उस वक्त यहां पंचायती राज था। आप डी0 डी0 को भी अपने टूर प्रोग्राम की कौपी देते हैं ?

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—नवम्बर माह का आपने अपना टूर प्रोग्राम दिया था कि नहीं ?

श्री सरजू राम—कभी नहीं दिया था।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—अनुमंडलाधिकारी को टूर प्रोग्राम की कौपी देते हैं कि नहीं ?

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष—टूर प्रोग्राम को कौन एप्रूभ करेंगे, इसके बारे में क्या इन्सट्रक्शन्स हैं ?

श्री सरजू राम—भ्रमण करने के एक महीना पहले टूर प्रोग्राम दिया जाता है लेकिन कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कहां जाना है। इसीलिए मैंने एक बार भी टूर प्रोग्राम नहीं दिया है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—टूर डायरी तो आपने सबमिट की होगी ?

श्री सरजू राम—जी नहीं। एक वर्ष से सबमिट नहीं की है और न ही टी0 ए0 लिया है।

श्री राजकुमार महासेठ—आप अपनी गाड़ी रखे हुए हैं या सरकारी है ?

श्री सरजू राम—सरकारी गाड़ी है।

श्री राजकुमार महासेठ—उसमें जो पेट्रौल भरवाते हैं उसका तो लौग बुक आप रखते हैं ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आप टूर डायरी नहीं देते हैं। क्या आपको जानकारी है कि ऐसा निर्देश है कि टूर प्रोग्राम अपने से उच्चाधिकारी को दिया जाय, उसे एप्रूभ कराया जाय और यदि उसमें डाईभर्सन हो तो उसे बाद में एप्रूभ करा लें ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आपने उसका पालन नहीं किया है ?

श्री सरजू राम—हम सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक हम इसको बना नहीं पाये हैं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—साल भर का टूर डायरी एक बार कैसे बनेगा ?

श्री राजकुमार महासेठ—पेट्रोल का आप जो बिल ड्रा करते हैं क्या महीने में एक बार ड्रा करते हैं ?

श्री सरजू राम—सामान्यतः हमें दो सौ लीटर पेट्रोल खरीदना है एक माह में। यदि इतने में हो जाता है तो ठीक है यदि नहीं होता है तो उससे अधिक पेट्रोल के खर्च को हम लोग बुक में इन्टरी कर देते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—ऐसे कोई महीना है जिसमें आपने दो सौ लीटर से ज्यादा पेट्रोल खर्च किया हो ?

श्री सरजू राम—जी हां। इसीलिए कि अप्रील से फुड न्यूट्रीशन प्रोग्राम शुरू हो गया है।

श्री राजकुमार महासेठ—जितना पूछा जाय उतना ही जवाब दें। हम जानना चाहते हैं कि किस महीने में आपने दो सौ लीटर से ज्यादा खर्च किया है ?

श्री सरजू राम—ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक महीने में दो सौ लीटर से ज्यादा खर्च नहीं किया जाय।

श्री राजकुमार महासेठ—अभी-अभी आपने कहा कि एक माह में दो सौ लीटर पेट्रोल खर्च करना है।

श्री सरजू राम—हमें दो तरह से अधिकार है पेट्रोल खर्च करने का। 200 लीटर पेट्रोल हमें विकास के लिए लेना है और 200 लीटर एप्लायड फुड न्यूट्रीशन प्रोग्राम के लिए लेना है।

श्री राजकुमार महासेठ—यह अधिकार आपको कबसे है ?

श्री सरजू राम—दिनांक 1 अप्रील 1976 से हमें यह अधिकार है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—जब आप जोगीखुरा गये थे तो आपके साथ उस दिन कौन-कौन थे ?

श्री सरजू राम—हमारे साथ श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ए0 एस0 आई0, रंका, श्री लाला श्रीरमण अग्रवाल, सर्किल ऑफिसर, रंका, श्री महावीर केवट, ब्लौक एग्रीकल्चर ऑफिसर, रंका, श्री बद्री राम, फेमिली प्लानिंग सुपरवाईजर, रंका तथा श्री सुरेश राम, ड्राईवर थे।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आपके यहां मेडिकल ऑफिसर हैं ?

श्री सरजू राम—जी हां– तीन की जगह पर एक है।

श्री राजकुमार महासेठ—क्या ये 22 नवम्बर को मौजूद थे ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आप जोगीखुरा कब पहुंचे ?

श्री सरजू राम—साढ़े बारह बजे दिन में।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—ब्लौक एग्रीकल्चर ओौफिसर का टूर प्रोग्राम कौन एप्रुभ करते हैं ?

श्री सरजू राम—हम एप्रुभ करते हैं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—इसकी प्रति उच्चाधिकारी को भी देते हैं ?

श्री सरजू राम—काउन्टर सिग्नेचर हमारे यहां से होता है इसलिए इसकी कौपी उच्चाधिकारी को नहीं भेजी जाती है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—फैमिली प्लानिंग सुपरवाईज का टूर प्रोग्राम कौन एप्रुभ करते हैं ?

श्री सरजू राम—डाक्टर साहब करते हैं। उनका फिक्सड टी0 ए0 है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आपके कन्ट्रोलिंग ओौफिसर कौन हैं ?

श्री सरजू राम—सी0 ओ0 हैं, सी0 ओ0 के कन्ट्रोलिंग ओौफिसर एस0 डी0 ओ0 हैं और मेरे अधीन ब्लौक एग्रीकल्चर ओौफिसर और ड्राईवर हैं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आप यहां कितने दिनों से हैं और क्या आपने कोई कम्पलेन फौरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया है ?

श्री सरजू राम—मैं यहां 7 दिसम्बर 1975 से हूं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आपको अपने ड्यूटी के दरम्यान फौरेस्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल ओौफिसर, रेन्जर या डी0 एफ0 ओ0 या और किसी के खिलाफ रिपोर्ट करने का मौका मिला है ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—किसके ऊपर आपने रिपोर्ट की है और कब की है ? किसके खिलाफ आपने लिखा है ?

श्री सरजू राम—दिनांक 21 अगस्त 1976 को लिखा है और दोनों डी0 एफ0 ओ0 (उत्तरी और दक्षिणी) के खिलाफ लिखा है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—प्रशासकीय कैपेसिटी में क्या आपको किसी भी रैंक के फौरेस्ट ओौफिसर (जैसे फौरेस्ट गार्ड, रेंजर, डी0 एफ0 ओ0) के विरुद्ध किसी कारणवश कम्पलेन करने का मौका मिला सरकार के पास ?

श्री सरजू राम—डी0 एफ0 ओ0 को हमने लिखा है लेकिन सरकार के पास नहीं लिखा है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—डी0 एफ0 ओ0 के विरुद्ध डी0 एफ0 ओ0 को ही लिखा है ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—डी0 एफ0 ओ0 को आपने जो लिखा है उसमें फौरेस्ट लेबरर्स को-ऑपरेटिव सोसाईटी के बारे में भी लिखा है ?

श्री सरयू राम—पहले मैंने जेनरल लिखा था ?

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—उसकी प्रति आप हमें दे दें। पहले आपने जेनरल लिखा था उसके बाद फिर कब आपने लिखा ?

श्री सरयू राम—फिर दिनांक 18 दिसम्बर 1976 को मैंने लिखा कि दैट इज सब्सीक्वेन्ट टू दिस।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—22 नवम्बर के पहले आपने जेनरल लिखा था।

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—जबसे आप यहां हैं तबसे आपके विभाग से ग्रीभान्स करने का मौका मिला ?

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—आपके बारे में मालूम हुआ कि फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने ऐसे कम्पलेन किया है। क्या आपको मालूम है ?

श्री सरजू राम—जी हां। मालूम है।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—क्रीमीनल केस भी फाईल हुआ है ?

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—एक केस फाईल हुआ है ऐसा मालूम है आपको ?

श्री सरजू राम—पता लगा है कि एफ० ओ० आई० की रिपोर्ट है सुअर मारने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—किस गाँव में ?

श्री सरजू राम—जोगीखुरा में।

अध्यक्ष (श्री जागेश्वर मंडल)—एक वर्ष में आपने कुछ केसों में एफ0आई0 आर० किया है ?

श्री सूरज राम—जी हां।
अध्यक्ष—कितने केसों में किया है ?

श्री सरजू राम—सीता साह के विरूद्ध मनी लेन्डिग वाला केस में किया है

श्री राजकुमार महासेठ—मनी लेन्डिग वाला केश में क्या किया है ?

श्री सरजू राम—कुछ व्यक्तियों ने उनसे जो रुपया लिया था उसके लिए उन्होंने उनका गहना बन्धक में ले लिया था। इन्होंने जो रुपया दिया हुआ था उसके लिए ये गरीबों को तंग कर रहे थे। गरीब व्यक्तियों ने इसके लिये कम्पलेन किया। हमने जांच की और केस दायर किया।

श्री राजकुमार महासेठ—यह केस आपने किस कानून के अन्दर दायर कि।

श्री सरजू राम—मनी लेन्डिग ऐक्ट के मुताबिक।

श्री राजकुमार महासेठ—कानून बनने के पहले या बाद।

श्री सरजू राम—कानून बनने के बाद। दो माह के लगभग हुआ है। अक्तूबर में हुआ है। एस०डी० ओ० साहब भी उस समय यहां आये हुए थे।

अध्यक्ष—और कोई केस आपने किया है।

श्री सरजू राम—और श्री सुरेन्द्र पाठक के खिलाफ किया है ?

अध्यक्ष—उसमें क्या था?

श्री सरजू राम—उसमें था कि हम जब उसपार से लौटकर आ रहे थे दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को तो सोनदाग चौराहा पर हमें इनलोगों ने घेर लया था।

श्री राजकुमार महासेठ—आपके साथ और कौन थे?

श्री सरजू राम–हम थे और हमारे साथ ड्राईवर था।

अध्यक्ष—वह स्थान रंका से कितनी दूरी पर है ?

श्री सरजू राम—चार लिमिटर है।

श्री राजकुमार महासेठ—किधर?

श्री सरजू राम—दक्षिण।

अध्यक्ष—और कुछ याद पड़ता है।

श्री सरजू राम—स्मरण नहीं है।

अध्यक्ष—आपने डी०आई–आर० में भी केस किया है?

श्री सरजू राम—श्री सीता साहू पर डी०आई० आर0 का केस लगा हुआ है।

श्री राजकुमार महासेठ—इसके अलावे और भी कोई डी० आई० आर० में केस किया है?

अध्यक्ष—सरकार का जो नया कानून बना है जो पोलिसि बनी है उसके अन्दर और भी कोई केस आपने किया है?

श्री सरजू राम—स्मरण नहीं है।

अध्यक्ष—मनी लेन्डिग ऐक्ट जो बना है उससे सम्बन्धित केसों को देखने लिये आप औथोराईज्ड हैं ?

श्री सरजू राम—सी० ओ० हैं।

अध्यक्ष—आप औथोराईज्ड नहीं है?

श्री सरजू राम—बाई ऐक्ट हम औथोराईज्ड नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—आपने मकदमे की छानबीन कीया सी० ओ० ने।

श्री सूरज राम—सी० ओ० नें।

अध्यक्ष—और कोई केस आप की याद से नहीं है।

श्री सरजू राम—जी नहीं।

अध्यक्ष—डी०एफ० ओ० ने जो कम्पलेन किया है उस सिलसिले में वह आपके यहाँ आये थे। उस गाँव में गये थे। क्या इसकी आपको जानकारी है।

श्री सरजू रास—जी हां।

अध्यक्ष—उन्होंने वहां जाकर इसकी जांच की थी। क्या इसकी आपको जानकारी है ?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष—आपने उनसे अपना भीयू प्वायन्ट कहा।

श्री सरजू राम—उन्होंने हमसे नहीं पूछा।

अध्यक्ष—आपने अपनी ओर से भी कुछ नहीं कहा।

श्री सरजू राम—हमने अनुरोध किया था कि हमको भी कुछ मौका दिया जाय।

अध्यक्ष—उन्होंने केस एक्जैयमिन किया।

श्री सरजू राम—जीगीखुरा गांव में वे गये थे। उस रोज उन्होंने जांच की और उसके बाद फिर गये।

अध्यक्ष—आपसे उनकी मुलाकात हुई।

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष—उनका हेडक्वाटर यहीं है या गढ़वा है।

श्री सरजू राम—गढ़वा है।

अध्यक्ष—22-11 को आपने जो मुकदमा था घेर लेने का किया वारदात किस समय हुयी थी।

श्री सरजू राम—शाम के साढ़े पांच बजे के लगभग।

अध्यक्ष—उसका क्या स्टेज है ? पुलिस इन्कवायरी कम्पलीट हुई कि नहीं।

श्री सरजू राम---मैं नहीं जानता हूं।

अध्यक्ष---इनलोगों में कुछ आदिवासी भी हैं।

श्री सरजू राम---जी नहीं।

अध्यक्ष---उनके बीच में आपको डेभलपमेन्ट वर्क के लिये जाना पड़ता है।

श्री सरजू राम---जी हां।

अध्यक्ष---आदिवासियों की कितनी आबादी है। और कुल आबादी कितनी है इस अंचल की।

श्री सरजू राम---43 प्रतिशत। कुल 58 हजार आबादी है।

अध्यक्ष---58 हजार आबादी में 43 प्रतिशत संख्या आदिवासियों की है।

इस गांव में आदिवासियों की कितनी आबादी है और कितने घर आदिवासी हैं।

श्री सरजू राम---हम नहीं बता सकते हैं।

अध्यक्ष---आप कमिश्नर साहब के साथ गये थे।

श्री सरजू राम---कमिश्नर इन्क्वायरी के लिये जिस दिन आये थे उसी दिन केवल हम गये थे। रोड खराब था उसी को बनाने के लिये हमलोग गये थे। ए० एस० आई० के साथ।

अध्यक्ष---कमिश्नर साहब इन्क्वायरी के लिए कहां जाने वाले थे।

श्री सरजू राम---जोगीखुरा जाने वाले थे।

अध्यक्ष---किस तारीख को जाने वाले थे। 22 नवम्बर 1976 के पहले या बाद में।

श्री सरजू राम---22 नवम्बर, 1976 के बाद।

अध्यक्ष---आप और ए0एस0आई0 सड़क बनाने के लिये गये थे।

श्री सरजू राम---जी हां।

अध्यक्ष---कब गये थे।

श्री सरजू राम---डेढ़ दो बजे के लगभग।

अध्यक्ष---आपने आदिवासियों की दिक्कत के सम्बन्ध डी०एम० को कोई रिपोर्ट सबमिट की है।

श्री सरजू राम---इसको स्मरण नहीं है।

अध्यक्ष---आदिवासियों की दिक्कत के बारे में आपने कोई रिपोर्ट सरकार को या अपने उच्चाधिकारी को दी है।

श्री सरजू राम---हमें स्मरण नहीं है।

अध्यक्ष---आदिवासियों की कोई दरखास्त आपको मिली है।

श्री सरजू राम—हमें बराबर उनकी दरखास्त मिला करती है ।

अध्यक्ष—उनकी कितनी दरखास्तें आपको मिली हैं । उसका कोई रेकर्ड आपके पास है । आपके यहां कोई पेटीशन रजिस्टर है । यदि है तो क्या आप पेटीशन रजिस्टर मेन्टेन करते हैं?

श्री सरजू राम—जी हां ।

अध्यक्ष—उन दरखास्तों का क्या हुआ । वह भी रेकर्ड आपके पास होगा?

श्री सरजू राम—जी हां ।

अध्यक्ष—ये आदिवासी किस तरह की तकलीफ के बारे में आपको जानकारी देते हैं । या लिखते हैं?

श्री सरजू राम—बहुत-सी तकलीफें के बारे में दरखास्त देते हैं ।

अध्यक्ष—डेभलेपमेन्ट के सम्बन्धित कार्य के विरुद्ध दरखास्त देते हैं या सब तरह की दरखास्त देते हैं ।

श्री सरजू राम—सब तरह की दरखास्त देते हैं । डेभलेपमेन्ट से सम्बन्धित जो दरखास्त होती है उसे अपने कर देते हैं और बेदखली इत्यादि से सम्बन्धित दरखास्त को सी0ओ0 को फोरवार्ड कर देते हैं ।

अध्यक्ष—ऐसी कितनी दरखास्तें हैं क्या आपको याद है?

श्री सरजू राम—जी नहीं ।

अध्यक्ष—इस अंचल में फेमिली प्लानिंग के काम के लिये कितने ओफिसर्स हैं?

श्री सरजू राम—एक सुपरवाईजर हैं, कुछ डाक्टर हैं लेकिन कितने डाक्टर हैं यह हम एक्जेक्ट नहीं बता सकते हैं?

अध्यक्ष—सुपरवाईजर को आप जानते हैं?

श्री सरजू राम—जी हां ।

अध्यक्ष—फैमिली प्लानिंग के टारगेट के सम्बन्ध में आपको गवर्नमेन्ट का इन्स-ट्रक्शन्स है?

श्री सरजू राम—जी हां ।

अध्यक्ष—पहले क्या इन्सट्रक्शन्स था?

श्री सरजू राम—इस अंचल का 500 टारगेट निर्धारित था ।

अध्यक्ष—टारगेट का फीगर आपके पास रहता है या डाक्टर के पास । अंचलाधिकारी भी इसे रखते हैं ?

श्री सरजू राम—दोनों के पास रहता है ।

अध्यक्ष—इसकी एक कौपी आप हमें दे दें?

अध्यक्ष—इसका फंड कौन डिसवर्स करता है?

श्री सरजू राम—मेडिकल ओफिसर ।

अध्यक्ष—आपको कुछ याद है कि आपने गत तीन माह में इस सम्बन्ध में कितना काम किया है । और कहां-कहां किया है?

श्री सरजू राम—चीनिया में हुआ है, रमकंडा में हुआ है, रंका में हुआ है, तथा गोदरमाना में हुआ है ।

अध्यक्ष—काम का एडभान्स प्रोग्राम आप नहीं देते हैं?

श्री सरजू राम—हम और मेडिकल औफिसर दोनों मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं।

अध्यक्ष—पिछले तीन महीनों का प्रोग्राम आपने चौक आउट किया था?

श्री सरजू राम—रिटेन में इस तरह का कुछ नहीं था।

अध्यक्ष—इन तीन महीनों में किस जगह के लिये कौन-सी तिथि थी वह हमें बतायें?

श्री सरजू राम—चीनिया के लिए था।

अध्यक्ष—इसे आपने अपने इनीसियेटिभ से किया है?

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष—इसमें आप पहले ही तय कर लेते हैं।

श्री सरजू राम—जी हां।

अध्यक्ष—उसकी कोई रिपोर्ट भी देते हैं।

श्री सरजू राम—रिटेन नहीं देते हैं। ऐसे सभी को खबर जाती है।

अध्यक्ष—रेभेन्यू के कर्मचारी को खबर देते हैं?

श्री सरजू राम—भी0एल0 डब्ल्यू तथा फेमिली प्लानिंग को खबर करते हैं।

अध्यक्ष—पंचायत सेवक को भी खबर करते हैं?

श्री सरजू राम—पंचायत सेवक को खबर नहीं करते हैं।

अध्यक्ष—मुखिया को खबर करते हैं?

श्री सरजू राम—मुखिया उपस्थित रहते हैं तो खबर करते हैं।

अध्यक्ष—जहां-जहां काम होता है वहां खबर करते हैं?

श्री राजकुमार महासेठ—आपलोग अपने जाने से पहले वहां सूचना भेज देते हैं?

श्री सरजू राम—जी हां।

श्री राजकुमार महासेठ—कितना टारगेट नेशनल डाटा में फिक्स्ड था?

श्री सरजू राम—महीने में 50 का टारगेट फिक्स्ड है।

श्री राजकुमार महासेठ—इसके मुताबिक आपने कितना परसेन्टेज किया?

श्री सरजू राम—हमें एक्जेक्ट याद नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—एप्रोक्सीमेटली तीन महीने का बतायें?

श्री सरजू राम—50 से अधिक हैं।

अध्यक्ष—टारगेट पूरा हो गया है?

श्री सरजू राम—97 प्रतिशत हुआ है।

श्री धनंजय महतो—जिस दिन आप उस गांव में गये थे उस दिन आपको वहां क्या काम था?

श्री सरजू राम—हम जोगीखुरा गांव में गये थे। सी0ओ0 और ए0एस0 आई0 को पहुंचाने के लिये गये थे। हमलोग उस गांव में फेमिली प्लानिंग और डेभलपमेन्ट के लिये गये थे। हमलोगों का लाऐण्ड औडंर का कैम्प था।

अध्यक्ष—उस दिन उक्त गांव में फेमिली प्लानिंग का कहीं कैम्प नहीं था?

श्री सरजू राम—जी नहीं। सिर्फ ला एण्ड औडंर का कैम्प था।

श्री राजकुमार महासेठ--आपने श्री सुरेन्द्र पाठक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 लौज किया है?

श्री सरजू राम--जी हां।

अध्यक्ष--उसकी आप एक प्रतिलिपि हमें दे दें।

श्री राजकुमार महासेठ--श्री दादु पाठक को आप जानते हैं।

श्री सरजू राम--जी हां, वे माननीय सदस्य श्री जगनारायण पाठक के भतीजा हैं।

श्री राजकुमार महासेठ--श्री सुरेन्द्र पाठक दूसरे आदमी हैं।

श्री सरजू राम--जी नहीं। दोनों एक ही आदमी हैं।

अध्यक्ष--इसके पहले भी आपको कोई मौका मिला था इनके खिलाफ रिपोर्ट करने का ?

श्री सरजू राम--मुझे स्मरण नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ--इनसे आपको बहुत दिनों से जान-पहचान है?

श्री सरजू राम--जी हां।

श्री राजकुमार महासेठ--क्या आपसे इनका सम्बन्ध अच्छा है?

श्री सरजू राम--जी नहीं। हमसे इनका सम्बन्ध अच्छा नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ--कबसे आपसे इनका सम्बन्ध अच्छा नहीं है?

श्री सरजू राम--हमारे आने के बाद से।

श्री राजकुमार महासेठ--आपके आने के तुरत बाद ही आपसे इनका सम्बन्ध खराब हो गया?

श्री सरजू राम--जी नहीं। आने तीन चार महीनों के बाद सम्बन्ध खराब हुआ।

श्री राजकुमार महासेठ--क्या पहले से अनबन थी?

श्री सरजू राम--इस रूप में अनबन नहीं थी कि किसी का नुकसान कर डालें।

अध्यक्ष--आपको अपने इलाके के लोगों के तनावपूर्ण रिलेशन के बारे में रिपोर्ट करने का मौका मिला है?

श्री सरजू राम--मुझे स्मरण नहीं है।

अध्यक्ष--आपने फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट को क्लैरीफिकेशन भेजा या आपको अपना पोजीशन एक्सप्लेन करने का मौका मिला ?

श्री सरजू राम--अनुमंडलाधिकारी को मैंने एक पत्र लिखा था ?

अध्यक्ष--किस तिथि को?

श्री सरयू राम--उसका मेमो नम्बर नहीं है। इसकी एक ही प्रतिलिपि मैंने लिखी थी। उसकी तिथि भी मुझे याद नहीं है।

अध्यक्ष--इस अकरेन्स के कितने दिनों के बाद।

श्री सरजू राम--ए०सी०एफ० के इनक्वायरी करने के एक सप्ताह के अन्दर।

अध्यक्ष--उनकी इनक्वायरी किस तिथि को हुई थी।

श्री सरजू राम--23 और 24 नवम्बर को हुई थी।

अध्यक्ष---आपके पास गन हैं।

श्री सरजू राम---जी हां।

अध्यक्ष---कारतूस खरीदते हैं।

श्री सरजू राम---जी हां।

अध्यक्ष---कितना खरीदा है।

श्री सरजू राम---25।

अध्यक्ष---अभी कितना है।

श्री सरजू राम---16।

अध्यक्ष---कब आपने खरीदा था।

श्री सरजू राम---23 सितम्बर 1976 को।

अध्यक्ष---बहुत पहले यहां बाघ इत्यादि रहते थे।

श्री सरजू राम---हमको मालूम नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ---आप कितने दिनों से सर्विस में हैं।

श्री सरजू राम---13 वर्षों से।

श्री राजकुमार महासेठ---आपने कभी गन के लिए अप्लाई किया था।

श्री सरजू राम---पहले मैंने गन के लिये अप्लाई किया था। लेकिन मुझे गन नहीं मिल सका।

श्री राजकुमार महासेठ---आपने कब अप्लाई किया था।

अध्यक्ष---क्या आपको शिकार का शौक है।

श्री सरजू राम---जी नहीं।

अध्यक्ष---लोग गन रखते हैं अपनी सेक्यूरिटी के लिये या फिर अपने शौक के लिए। आपने गन रखने के लिए क्या रीजन्स दिया था और किसको लिखा था।

श्री सरजू राम---महुआ को लिखा था।

अध्यक्ष---आपने रिजन्स क्या लिखा था।

श्री सरजू राम---टू सेभ माई प्रोपर्टी।

अध्यक्ष---आपको कोई प्रोपर्टी है या घर पर प्रोपर्टी को लेकर कोई झगड़ा इत्यादि है।

श्री सरजू राम---जी नहीं। मुझे यों ही शौक था।

अध्यक्ष---शौक के लिये जो रिजन्स होता है उसको दर्शाया था गन के लिये जब आपने अप्लाई किया था?

श्री सरजू राम---उसका कोई अवशयकता ही नहीं पड़ी।

श्री राजकुमार महासेठ---सेल्फ डिफेन्स के लिए आपको कभी बन्दूक छोड़ने का मौका मिला?

श्री सरजू राम---जिस दिन ददू पाठक घर थे उस दिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

अध्यक्ष---उस दिन आपके पास बंदूक थी?

श्री सरजू राम---जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ--आपने अभी कहा कि सेल्फ डिफेन्स में बंदूक छोड़ने का मौका आपको नहीं मिला जो 25 गोलियों में से 16 गोलियों का इस्तेमाल किया है क्या वह शिकार के लिये इस्तेमाल किया है ?

श्री सरजू राम--जी नहीं । अपना ऐम बनाने के लिए किया है ।

अध्यक्ष--निशाने के लिये लोकल किया है ?

श्री सरजू राम--जी हां घर के सामने प्लाट है वहीं किया है ।

अध्यक्ष--वहां कोई अगल-बगल में जानवर इत्यादि भी हैं ?

श्री सरजू राम--हमें जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष--तो आपने ब्लैंक फायर किया ?

श्री सरजू राम--जी हां ।

अध्यक्ष--जहां पर आपका क्वाटर है वहीं पर आपने फायर किया है ?

श्री सरजू राम--जी हां ।

श्री राजकुमार महासेठ--आपने कब-कब ब्लैंक फायर किया ?

श्री सरजू राम--हमें स्मरण नहीं है ।

श्री राजकुमार महासेठ--ब्लैंक फायर के लिये आपने टारगेट बनाया होगा ?

श्री सरजू राम--टीन पर निशाना किया था ।

श्री राजकुमार महासेठ--उसका पार्ट तो होगा ही ?

श्री सरजू राम--जी हां ।

श्री धनंजय महतो--22 नवम्बर 1976 को आपकी बंदूक कहां थी ?

श्री सरजू राम--अंचल फोर्स आर्मरी में थी । शुरू में अपने साथ रखे हुए थे और बाद में मैंने वहां बंदूक रख दी ।

श्री राजकुमार महासेठ--वहां रेकार्ड इसका है ?

श्री सरजू राम--जी हां ।

श्री राजकुमार महासेठ--जब आपको जरूरत पड़ती है तब उसकी डिलीभरी लेकर जाते हैं ।

श्री सरजू राम--जी हां ।

अध्यक्ष--उसका भी रेकर्डस रहता है ?

श्री सरजू राम--जी हां ।

अध्यक्ष--17 अगस्त तथा 21 अगस्त को आपने जो एस०डी०ओ० साहब को जो पत्र लिखा है वह आपने क्या मीन किया है ? वह डी० ओ० था या पर्सनल लेटर ?

श्री सरजू राम--ऐसे ही लिखा है ।

अध्यक्ष--पर्सनल लेटर समझकर लिखा था ?

श्री सरजू राम--पर्सनल नहीं कहा जा सकता है ।

अध्यक्ष--तो वह औफिशियल है ?

श्री सरजू राम--लेकिन उसमें मेमो नम्बर नहीं है ।

श्री राजकुमार महासेठ--यह कैसे हो सकता है ?

श्री सरजू राम--मेमो नम्बर तो औफिस से निर्गत होगा ।

अध्यक्ष---उसकी कौपी है ?

श्री सरजू राम---जी नहीं।

अध्यक्ष---इसके अतिरिक्त आपने जो एफ०आई०आर० लौज किया है उसकी प्रति तथा एफ० डी० ओ० को अपने जो पत्र लिखा है उसकी प्रति तथा अन्य पत्रों की प्रति हमें दे दें।

(आरक्षी अधीक्षक श्री देवी चरण सिन्हा शपथ ग्रहण किया गया।)

श्री देवीचरण सिन्हा---मैं, श्री देवीचरण सिन्हा सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष---बी०डी०ओ० रंका ने अपने को घेरे जाने के संबंध में नवम्बर में एक एफ०आई०आर० लौज कराया है। क्या वह आपके नोटिस में है ? उसका सुपरवीजन हुआ है ?

आरक्षी अधीक्षक--- एफ०आई०आर० हुआ है लेकिन उसका पर्यवेक्षण नहीं हुआ है। जिस समय प्राथमिकी अंकित की गयी थी उस समय मैं छुट्टी में था। छुट्टी से लौटकर आने के बाद मुख्यालय में यह बात आयी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इसकी जांच एडिशनल कलक्टर कर लें। जब इस सम्बन्ध में समिति का गठन हुआ तब इसका पर्यवेक्षण हुआ।

अध्यक्ष---यह किस स्टेज में है ?

आरक्षी अधीक्षक---क्लोज नहीं हुआ है। अभी यह इनभेस्टीगेशन में है। कमान्डेंट से बात हुई थी। मैं ने पूछा था कि इसकी जांच का निर्णय हो गया है उसका क्या हुआ ? उस समय एडिशनल कलक्टर छुट्टी में थे। बाद में मैं फिर दस बारह दिन के लिए छुट्टी में चले गये। वे कोई जांच प्रतिवेदन दिये होंगे ?

अध्यक्ष---दिनांक 22 नवम्बर 1976 की रंका थाने की स्टेशन डायरी की प्रतिलिपि हमें दें।

आरक्षी अधीक्षक---22 नवम्बर 1976 को इस सन्दर्भ में इन्टरी नहीं हुई है।

श्री जगनारायण पाठक---यहां कौन दिन इन्टरी हुई है ?

आरक्षी अधीक्षक---23 नवम्बर 1976 को।

अध्यक्ष---22 नवम्बर 1976 के सम्पूर्ण दिन की डायरी चाहिए। यदि 23 को इन्टरी हुआ है।

आरक्षी अधीक्षक---जी हां। इन्सीडेन्ट 22 नवम्बर को हुआ था। 23 नवम्बर को 8 बजे इसकी इन्टरी हुई। एफ०आई०आर० 24 नवम्बर को लौज हुआ।

अध्यक्ष---मनी लेन्डिग का मुकदमा भी आपलोगों के लेबुल से सुपरभीजन होता है।

आरक्षी अधीक्षक--उसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ही कर लेते हैं।

अध्यक्ष--आप इस अंचल के डिस्ट्रीक्ट पुलिस हेड की हैसियत से बतायें कि इस अंचल में आदिवासी या नन आदिवासी के रिलेशन के बारे में ला एण्ड ऑर्डर कैसा है ?

आरक्षी अधीक्षक--ऐन्टी नेशनल एक्टीभीटिज का केस किसी पर प्रतिवेदित नहीं हुआ है। लेकिन कुछ केस हैं जिसमें आदिवासी हैं तथा नन-आदिवासी भी हैं।

अध्यक्ष--यहां आदिवासी और नन-आदिवासी दोनों हैं ?

आरक्षी अधीक्षक--यहां दोनों पोपुलेशन है। लेकिन आदिवासी बनाम नन-आदिवासी नहीं होता है।

अध्यक्ष--हाल में सरकार का मनी लेंडिंग, कर्ज माफ तथा लेन्ड एभीक्शन के संबंध में जो कानून बना है इससे संबंधित भी केस हुए हैं ?

आरक्षी अधीक्षक--इस अंचल में ऐसे बहुत से केस हैं।

अध्यक्ष--इस अंचल में बेदखली के केस भी रहते हैं ?

आरक्षी अधीक्षक--जी हां। लेकिन उसका पूर्ण विवरण हमारे पास नहीं है।

अध्यक्ष--रेवेन्यू औफिसर ने ऐसे किसी केस में पोजेशन दिलाने के लिए या डिसपोजेशन के सम्वन्ध में आपको सूचित किया है।

आरक्षी अधीक्षक--इस सम्वन्ध में हम नहीं नहीं कह सकते हैं। इस अंचल में भी दूसरे अंचल जैसा आदेश है।

अध्यक्ष--ऐसा कोई स्पेसीफिक आदेश है कि डिस्ट्रीक्ट पुलिस हेड को इन्टरभीन करना पड़े।

आरक्षी अधीक्षक--हमें ऐसा मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष--पुलिस औफिसर को पर्सनल डायरी कहां जाती है।

आरक्षी अधीक्षक--इन्सपेक्टर से मुख्यालय तथा गढ़वा डी०एस०पी० के यहां जाती है।

अध्यक्ष--आपके यहां नहीं आती है ?

आरक्षी अधीक्षक--औफिसर इनचार्ज को जाती है।

अध्यक्ष इन्सट्रक्शन्स क्या है कि आपको भी कौपी जाये ?

आरक्षी अधीक्षक हमें कौपी भेजने की जरूरत नहीं होती है।

अध्यक्ष गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि टडी०एस०पी० गये थे थाना का इन्सपेक्शन करने तो इन्सपेक्शन या टूर प्रोग्राम की कौपी डी० एस० पी० आपको देते हैं।

आरक्षी--एडभान्स प्रोग्राम बनता है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनका जो भी एडभान्स टूर प्रोग्राम बनता है उसका पालन नहीं हो पाता है।

अध्यक्ष--लेकिन प्रोसिज्योर है ?

आरक्षी अधीक्षक--जी हां।

अध्यक्ष--उसमें यदि मोडीफिकेशन करना पड़े तो उसका एप्रूभल उच्चाधिकारी से लेते हैं।

आरक्षी अधीक्षक--उसकी आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण की प्रतिलिपि मुख्यालय में भेज देते हैं।

अध्यक्ष--ऑर्डिनरी मुभमेंट के बारे में क्या है?

आरक्षी अधीक्षक--ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

अध्यक्ष--उसकी कौपी भेजते हैं?

आरक्षी अधीक्षक--इस सम्बन्ध में डी०एस०पी० एक महीने का समरी ऑफ वर्क भेज देते हैं लेकिन ऐडभान्स नहीं देते हैं।

अध्यक्ष--नवम्बर का उन्होंने समरी ऑफ वर्क भेजा होगा?

आरक्षी अधीक्षक--भेजना चाहिए।

श्री राजकुमार महासेठ--बी०डी०ओ० 22 नवम्बर को इन्सपेक्शन में जोगीखुर गये हुए थे।

आरक्षी अधीक्षक--जोगीखुर में ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यालय से आदेश आता है कि उन क्षेत्रों मे नक्सलपंथियों की गतिविधियों को चेक करें। तो मुख्यालय में जितने स्टेटिक गार्ड हैं उनको डिप्यूट किया जाता है।

श्री राजकुमार महासेठ--उस डेट का रिपोर्ट होगा।

अध्यक्ष--सरकार के जवाब में है कि बी०डी०ओ० रंका पुलिस के द्वारा छुड़वाये गये। आपके नोटिस में यह बात आयी या नहीं और आयी तो कब आयी?

आरक्षी अधीक्षक--हम 20 से 26 तारीख तक छुट्टी में थे। जिले से बाहर थे लौटकर आने के बाद डिटेल्स अंचलाधिकारी से मालूम हुआ उक्त घटना के बारे में।

अध्यक्ष--कोई रिटेन रिपोर्ट नहीं की?

आरक्षी अधीक्षक--इस कांड के बारे में।

अध्यक्ष--इसके बारे में कि बी.डी०ओ० को सशस्त्र पुलिस द्वारा छुड़ाया गया है?

आरक्षी अधीक्षक--कलक्टर, कमिश्नर तथा सरकार के यहां रिपोर्ट की है। इस संबंध में दो रिपोर्टस है। रिपोर्ट 1 तथा रिपोर्ट 2

श्री राजकुमार महासेठ--रिपोर्ट 1 क्या है, किसके द्वारा है?

आरक्षी अधीक्षक--रिपोर्ट 1 एफ०आई०आर० का कौपी है।

श्री राजकुमार महासेठ--यह रिपोर्ट कोर्ट में भी गयी होगी?

आरक्षी अधीक्षक--जी हां। अलग से कोई प्रतिवेदन नहीं है। रिपोर्ट 2 नहीं गया है। कन्फीडेंशियल रिपोर्ट में हो सकता है कुछ हो।

अध्यक्ष--आप देख लें कि कन्फीडेंसियल रिपोर्ट में कुछ है कि नहीं?

श्री रामचन्द्र राम, डी०एस०पी०, गढ़वा द्वारा शपथ ग्रहण किया गया

डी०एस०पी० (गढ़वा)--मैं श्री रामचन्द्र राम सर्वशक्तिमान ईश्वर समक्ष शपथ लेता हूं। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य

...ा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—आप अपना एडभान्स टूर प्रोग्राम एस० पी० को देते हैं?

डी०एस०पी०, गढ़वा—इन्सपेक्शन प्रोग्राम की कौपी देते हैं।

अध्यक्ष—आप रंका कब गये थे?

डी०एस०पी०—मुझे याद नहीं है। मैं देखकर बतलाऊंगा।

अध्यक्ष—आप कहीं गये हैं?

डी०एस०पी०—22 को गये हैं।

अध्यक्ष—नवम्बर, दिसम्बर में आपने रंका में इन्सपेक्शन किया था?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—कितने बजे से कितने तक आप वहां थे?

डी०एस०पी०—यह देखकर बतलायेंगे।

अध्यक्ष—कितने बजे थाना पहुंचे?

डी०एस०पी०—याद नहीं है।

अध्यक्ष—कितने बजे रंका छोड़े?

डी०एस०पी०—याद नहीं है।

अध्यक्ष—एडवान्स इन्सपेक्शन प्रोग्राम की कौपी नवम्बर में आपने एस०पी० को दी थी?

डी०एस०पी०—एक वर्ष का एक बार भेजते हैं। लेकिन होता यह है कि जितने थानों का इन्सपेक्शन करना होता है उसमें एक-एक थाना सेलेक्ट करते हैं और निश्चित तिथि को जाकर इन्सपेक्शन करते हैं।

अध्यक्ष—आपने इन्सपेक्शन कम्पलीट किया?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—इन्डीभीजुअल इन्सपेक्शन था?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—आपने एडभान्स खबर की थी?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—आपलोग जब आते हैं तो यहां के रजिस्टर इत्यादि को साईन करते हैं?

डी०एस०पी०—रेगुलरवे में साईन नहीं होता है।

अध्यक्ष—नो रजिस्टर इज साईन्ड बाई यू। जाकर इन्सपेक्शन की कौपी भेज देते हैं।

डी०एस०पी०—जी हां। हायर औफिसर को भेज देते हैं तथा उसकी कौपी अपने पास भी रखते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—रंका में कौन-कौन औफिसर हैं?

डी०एस०पी०—औफिसर इनचार्ज तथा ए०एस०आई० हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—जिस समय आप इन्सपेक्शन में थे उस समय दोनों आदमी मौजूद थे?

डी०एस०पी०—जी हां। लेकिन दोनों आदमी में एक ही आदमी थे।

अध्यक्ष—इन्सपेक्शन की आपको खबर थी?

डी०एस०पी०—जी हां। उनका डेपुटेशन हुआ था। वे ड्यूटी में थे।

श्री राजकुमार महासेठ—आपने पूछा होगा कि कहां ये गये हैं?

डी०एस०पी०—मुझे जानकारी थी इसलिए पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अध्यक्ष—आप हमें इन्सपेक्शन रिपोर्ट की कॉपी दिखायें।

अध्यक्ष—बी०डी०ओ०, रंका ने जो एफ०आई०आर० दर्ज कराया था 22 तारीख को उसका आपने सुपरवीजन किया है?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—नोटिस भेजा है?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

अध्यक्ष—आपके औफिसर कौन हैं?

डी०एस०पी०—श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ए०एस०आई० हैं। वे ही औफिसर इन्चार्ज हैं।

अध्यक्ष—आपने जो सुपरवीजन किया उसका नोट आपने फौरवार्ड नहीं किया?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया—सुपरवीजन दो महीना हुआ?

डी०एस०पी०—जी हां।

श्री राजकुमार महासेठ—22 की घटना की सूचना आपको मिली?

डी०एस०पी०—जी हां।

श्री राजकुमार महासेठ—कितने बजे मिली?

डी०एस०पी०—22 तारीख को गढ़वा में सिपाही से सूचना मिली।

अध्यक्ष—आप ठीक से स्मरण करें।

डी०एस०पी०—जी नहीं। 23 तारीख को सिपाही से सूचना मिली।

श्री राजकुमार महासेठ—इसके बाद आपने क्या किया?

डी०एस०पी०—23 के बाद हम यहां आये। तिथि याद नहीं है। चेक अप करके बतायेंगे।

श्री राजकुमार महासेठ—तिथि जो भी हो। जब आपको सूचना मिली तो आपने क्या कार्रवाई की।

डी०एस०पी०—मैंने औफिसर इन्चार्ज को कहा कि ऐसी-ऐसी बात हुई है। स्टेशन डायरी में इन्टरी था उसके आधार पर केस हुआ।

श्री राजकुमार महासेठ—किस जगह के सम्बन्ध में था?

डी०एस०पी०—रंका में जो हुआ था उसी के आधार पर केस हुआ।

अध्यक्ष—कोई स्टेटिक गार्ड बाहर भी था उस दिन?

श्री राजकुमार महासेठ—जिन दिन इन्सपेक्शन हुआ था उसके दूसरे दिन भी आपको सूचना मिली?

डी०एस०पी०—हम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष—उसके बाद फिर आप रंका आये?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—कब आये?

डी०एस०पी०—डेट याद नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—एप्रोक्सीमेटली।

डी०एस०पी०—उसके बाद आये हैं। तिथि याद नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—कितने दिनों के बाद?

डी०एस०पी०—सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर केस सुपरवीजन के लिए गये।

अध्यक्ष—वहां जो केस हुआ था उस घटना के बारे में आपने कोई स्पेशल रिपोर्ट अपने उच्च पदाधिकारी को दी?

डी०एस०पी०—चेक अप करके बतायेंगे।

श्री राजकुमार महासेठ—डी०सी० से इस संबंध में डिस्कशन हुआ?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

श्री धनंजय महतो—डी०सी० ने कुछ डायरेक्शन दिया या नहीं?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ—डी०सी० आपसे कुछ लिखित जानना चाहते थे?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

अध्यक्ष—इसके बाद वे कभी रंका या गढ़वा आये थे इस सम्बन्ध में?

डी०एस०पी०—पूछताछ की थी?

अध्यक्ष—कब की थी और कहां की थी?

डी०एस०पी०—याद नहीं है।

अध्यक्ष—डालटेनगंज में की थी या वे रंका या गढ़वा आये थे? या आप उन्हें कहीं मिले होंगे तो इससे संबंधित बातचीत हुई या उन्होंने आपको बुला भेजा?

डी०एस०पी०—मेरे ख्याल में डालटेनगंज में ही बात हुई थी जब हम वहां गये हुए थे।

अध्यक्ष—आपको कभी रंका थाने के लॉ ऐंड ऑर्डर से संबंधित अपने उच्चाधिकारी को कोई स्पेशल रिपोर्ट करने का मौका मिला कि लॉ ऐंड ऑर्डर ठीक नहीं है इस गांव के आसपास?

डी०एस०पी०—हमलोग जेनरल रिपोर्ट भेजते हैं।

अध्यक्ष—रंका थाने के किन-किन बस्तियों से संबंधित आपको स्पेशल मेन्शन करने का मौका मिला है कि इन-इन बस्तियों में नक्सली गतिविधियां हुई हैं? उसका तो एक सेल होता है।

डी०एस०पी०—मैंने मेन्शन किया है।

अध्यक्ष—उसमें इसके अगल-बगल गांव के लॉ ऐंड ऑर्डर के बारे में भी मेन्शन करने की जरूरत पड़ी?

डी०एस०पी०—जोगीखुरा में दो पार्टियों में धान काटने को लेकर कुछ टेंशन था। इसकी रिपोर्ट मैंने की है।

अध्यक्ष—किस महीने में ?

डी०एस०पी०—यह ठीक याद नहीं है। लेकिन नवम्बर या दिसम्बर में रिपोर्ट की है।

अध्यक्ष—उसकी कौपी होगी ?

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—उसकी कौपी दे दें।

अध्यक्ष—धान काटने की रिपोर्ट में कुछ स्पेसीफिक केस हुए ?

डी०एस०पी०—जी नहीं।

अध्यक्ष—लेकिन कुछ केस हुए हैं ?

डी०एस०पी०—नवम्बर में आर्म्ड फोर्स दिया गया है।

अध्यक्ष—वह फोर्स कितने दिन रही ?

डी०एस०पी०—याद नहीं है।

अध्यक्ष—पुलिस युनिट को कुछ इन्सट्रक्शन्स देते हैं ?

डी०एस०पी०—एस०पी० के यहां से ऑर्डर गया है।

अध्यक्ष—वह फोर्स कब से कबतक रही यह आपको याद नहीं है।

डी०एस०पी०—जी हां।

अध्यक्ष—कितना स्ट्रेंग्थ था ?

डी०एस०पी०—115 था।

अध्यक्ष—किस जगह पर फोर्स थी ? कभी आपने इन्सपेक्शन किया ? यह फोर्स किसी के घर पर थी या बाहर कैम्प में थी ?

डी०एस०पी०—एक छोटा-सा तालाब टाईप का है वहीं पर थी।

श्री धनंजय महतो—वहां किसके-किसके साथ टेंशन था ?

डी०एस०पी०—जेनरल टेंशन था।

अध्यक्ष—एस०पी० के यहां से आर्म्ड फोर्स को डिप्युट करने के बारे में डायरेक्ट ऑर्डर आया या आपकी रिपोर्ट पर ?

डी०एस०पी०—हमलोगों की रिपोर्ट के आधार पर।

अध्यक्ष—आपके रिक्वेस्ट पर ऑर्डर आया ?

डी०एस०पी—ऑफिसर इन्चार्ज रिपोर्ट करते हैं। हम फोरवार्ड करते हैं। उसके बाद एस०पी० ऑर्डर देते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—1976 के अगहन मास में धान काटने से पहले भी कभी डिस्टरबेंस हुआ था उस बारे में ?

डी०एस०पी०—इसके पहले कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ।

अध्यक्ष—आपने जो रिपोर्ट की है उसकी प्रतिलिपि हमें दे दें।

श्री अयोध्या तिवारी, मुखिया, ताम्बे ग्राम पंचायत (रंका) द्वारा शपथ ग्रहण किया गया।

श्री अयोध्या तिवारी--मैं, श्री अयोध्या तिवारी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं /निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष--फेमिली प्लानिंग के बारे में आपलोगों को खबर जाती है?

श्री तिवारी (मुखिया)--जाती है।

अध्यक्ष--कैम्प होता है तब खबर जाती है? इधर कुछ कैम्प हुआ है?

मुखिया--हमारे पंचायत में इस सम्बन्ध में कभी कैम्प नहीं लगा है।

श्री राजकुमार महासेठ--तीन-चार महीने से कोई कैम्प नहीं लगा है? आपके पंचायत में खबर देकर कभी कैम्प नहीं किया गया है?

मुखिया--जी नहीं।

अध्यक्ष--डाक्टर साहब कभी-कभी वहां जाते हैं?

मुखिया--रमकंडा रोड पड़ता है वहीं से रास्ते में प्रचार करते जाते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ--माईक से प्रचार करते हैं?

मुखिया--वहीं गाड़ी रोककर प्रचार करते हैं।

अध्यक्ष--जोगीखुरा आपके पंचायत में है। उस गांव में कभी कैम्प नहीं लगा परिवार नियोजन का?

मुखिया--जी नहीं।

अध्यक्ष--आपको कभी सूचना गयी थी? जोगीखुरा गांव में इस संबंध में कभी ऑफिसर गये थे समझाने-बुझाने?

मुखिया--इसके पहले कोई सूचना नहीं गयी है। आज ही सूचना मिली है।

अध्यक्ष--जोगीखुरा में दो बातें सुनते हैं। एक है कि बी०डी०ओ० साहब शिकार खेलने गये हुए थे। उसको लेकर झंझट हुआ। दूसरा है कि बी०डी० ओ० परिवार नियोजन को लेकर समझाने-बुझाने गये थे। इसको लेकर झंझट हुआ। आपको क्या मालूम है?

मुखिया--शिकार वाली बात सुनी है। बी०डी०ओ० साहब शिकार खेलने गये थे। केस हुआ है।

अध्यक्ष--झंझट हुआ शिकार लेकर या परिवार नियोजन को लेकर?

मुखिया--परिवार नियोजन के बारे में नहीं सुना है।

अध्यक्ष--आप मुखिया हैं। झंझट होने के बाद गांव में आप पता लगाने गये थे कि क्या बात है। आप तो उस रोज मौजूद नहीं थे?

मुखिया--जी नहीं।

अध्यक्ष--कभी गये हैं? गांव वालों से पूछताछ की है?

मुखिया--इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष--गांव वालों से पूछताछ में कौन बात मालूम हुई, फेमिली प्लानिंग वाली बात या शिकार वाली बात?

मुखिया--गांव वालों ने दोनों में एक बात भी नहीं कही है।

अध्यक्ष—और किसी दूसरे गांव के लोगों ने कुछ कहा ?

मुखिया—मैं नहीं गया हूं।

अध्यक्ष—इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं की ?

श्री धनंजय महतो—बी०डी०ओ० द्वारा शिकार करने के बारे में कुछ जाना ?

मुखिया—बी०डी०ओ० द्वारा शिकार की बात रंका में सुनी है।

अध्यक्ष—गांव में जाकर पूछताछ नहीं की ?

मुखिया—गांव में गये थे। मुगदा में गये थे।

अध्यक्ष—जोगीखुरा नहीं गये हैं ?

मुखिया—जोगीखुरा टाल होकर मुगदा पड़ता है। वे लोग दोनों में एक बात भी नहीं बोलते हैं।

अध्यक्ष—आपने पूछा भी नहीं है ?

मुखिया—पूछा। लेकिन उनलोगों ने कहा कि हमलोग कुछ नहीं जानते हैं कि किससे झगड़ा हुआ है ?

श्री धनंजय महतो—बी०डी०ओ० ने शिकार करके सूअर मारा है यह आपको मालूम है ?

मुखिया—हमने सुना है।

श्री रामचन्द्र प्रसाद, सरपंच, ताम्बे ग्रामपंचायत द्वारा शपथ ग्रहण किया जाना।

श्री रामचन्द्र प्रसाद—मैं, श्री रामचन्द्र प्रसाद सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—आप कितने दिनों से सरपंच हैं ?

सरपंच—1970 से।

अध्यक्ष—आपके ग्रामपंचायत में कितना मुकदमा हुआ है ?

सरपंच—15-20।

अध्यक्ष—आप अपने ही सभी केसों में फैसला कर देते हैं या ऊपर भेज देते हैं ?

सरपंच—कुछ में सुलह हो जाती है। जिसमें सुलह नहीं हो पाती है उसको ऊपर भेज देते हैं।

अध्यक्ष—जंगल में जानवर इत्यादि मारने का भी मुकदमा हुआ है ?

सरपंच—जी नहीं।

अध्यक्ष—आपको कुछ मालूम है कि जोगीखुरा में दो माह पहले क्या झंझट हुई ? फेमिली प्लानिंग लेकर या बी०डी०ओ० द्वारा शिकार किये जाने को लेकर ? दोनों सही है या दोनों में कोई सही नहीं है ?

सरपंच—यह तो हम नहीं बता पायेंगे।

श्री धनंजय महतो—जोगीखुरा से आपका घर कितनी दूर पर है?

सरपंच—चार माईल पर।

अध्यक्ष—कभी आप वहां गये हैं?

सरपंच—जी नहीं।

श्री धनंजय महतो—बी०डी०ओ० साहब सूअर मारे, इसकी कोई खबर है?

सरपंच—जी नहीं।

अध्यक्ष—परिवार नियोजन के सिलसिले में बी०डी०ओ० साहब घेरा गये थे या ऐसी कोई घटना घटी। इसकी कोई खबर आपको है?

सरपंच—जी नहीं।

श्री राम कुमार सिंह, थाना प्रभारी (एस०आई०), रंका द्वारा शपथ ग्रहण किया जाना।

श्री राम कुमार सिंह—मैं, श्री राम कुमार सिंह सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—आपके थाने का नवम्बर में इन्सपेक्शन हुआ था?

थाना प्रभारी—जी हां।

अध्यक्ष—आपके यहां डी०एस०पी० आये थे?

थाना प्रभारी—24 नवम्बर को आये थे लेकिन टाईम याद नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—इन्सपेक्शन की सूचना आपको पहले मिली थी?

थाना प्रभारी—जी हां, पहले मिली थी।

अध्यक्ष—वे मौनिंग में पहुंचे थे या आफ्टर-नून में?

थाना प्रभारी—फोरनून में पहुंचे थे।

अध्यक्ष—वे चले गये या रहे?

थाना प्रभारी—शायद चले गये जहां तक मुझे याद है।

अध्यक्ष—कितने बजे?

थाना प्रभारी—स्टेशन डायरी देखकर बतायेंगे। मुझे याद नहीं है।

अध्यक्ष—इन्सपेक्शन में कितना वक्त लग जाता है?

थाना प्रभारी—यह औफिसर पर निर्भर है।

अध्यक्ष—आप कुछ स्टेटमेंट तैयार करके रखते हैं या वे रजिस्टर में साईन करते हैं?

थाना प्रभारी—वे इन्सपेक्शन रजिस्टर में साईन करते हैं।

अध्यक्ष---उन्होंने साईन किया?

थाना प्रभारी---उनका नोट आया है।

श्री राजकुमार महासेठ---आपने कहा कि 24 नवम्बर को उन्होंने इन्सपेक्शन किया है। उसकी सूचना होगी?

थाना प्रभारी---स्टेशन डायरी में है।

श्री राजकुमार महासेठ---स्टेशन बुक पर भी उनका सिगनेचर होगा?

थाना प्रभारी---जी हां।

अध्यक्ष---हमलोगों ने एस०पी० से कहा था कि 22 नवम्बर की स्टेशन डायरी चाहिए। वह कितना पेज होगी?

थाना प्रभारी---एक-डेढ़ पेज की होगी।

अध्यक्ष---आप उसकी कौपी इन टोटो दे दें।

अध्यक्ष---जोगीखुरा में जो केस इन्टरी हुआ था उसमें आप आई०ओ० नहीं हैं?

थाना प्रभारी---बाद में चार्ज दिया है।

अध्यक्ष---एफ०आई०आर० में आपको ही विटनेस में दिया है और ए०एस० आई० का भी नाम है?

थाना प्रभारी---सम्भवतः है। मुझे याद नहीं है।

अध्यक्ष---जब आपने केस का चार्ज लिया तो ए०एस०आई० को एक्जेमिन करने का मौका मिला?

थाना प्रभारी---जी नहीं।

अध्यक्ष---वे विटनेस हैं कि नहीं?

थाना प्रभारी---जी हां। विटनेस हैं।

अध्यक्ष---आपने इस केस का इनभेस्टीगेशन विटनेस को कैसे दिया?

थाना प्रभारी---एफ०आई०आर० में विटनेस थे यह याद नहीं है। सी०ओ० बी०डी०ओ० को बुलाये थे। ऐज ए विटनेस ए०एस०आई० को बनाया गया। उसके बाद डायरी में लिखा हुआ है।

अध्यक्ष---आपने ऐज ए विटनेस उनका एक्जामिन किया है?

थाना प्रभारी---याद नहीं है।

अध्यक्ष---आपका पुलिस मैनुअल क्या कहता है? विटनेस कैन बी पुलिस आई०ओ०?

थाना प्रभारी---हम नहीं बता सकते हैं। इसको इन्टरीज कर दिया कि वहां वे डिप्यूटेड हैं। बाद में हमने चार्ज ले लिया।

श्री राजकुमार महासेठ---वे कहां डिप्यूटेड थे?

थाना प्रभारी---जोगीखुरा कैम्प में।

श्री राजकुमार महासेठ---हार्वेस्टिंग में डिप्यूट करने का डी०एस०पी० साहब का ऑर्डर था?

थाना प्रभारी---डिप्टी कमिश्नर साहब का आदेश मिला उसके अनुसार डेप्यूटेशन किया गया।

श्री राजकुमार महासेठ—वे कब से कबतक वहां रहे ?

थाना प्रभारी—स्टेशन डायरी देखकर बतायेंगे।

अध्यक्ष—आपकी रिपोर्ट पर डेपुटेशन हुआ ?

थाना प्रभारी—हम नहीं कह सकते हैं।

अध्यक्ष—आपने कोई रिपोर्ट नहीं की ?

थाना प्रभारी—जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ—हार्वेस्टिंग में लॉ एंड ओर्डर का प्रोब्लेम था इसके बारे में रिपोर्ट दी थी ?

थाना प्रभारी—जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ—डी०एस०पी० जिस दिन आये थे उस दिन यहां कौन-कौन था ?

थाना प्रभारी—हमको छोड़कर और कोई नहीं था। ए०एस०आई० वहां डिप्यूटेड थे।

श्री राजकुमार महासेठ—ए०एस०आई० को खबर थी ?

थाना प्रभारी—हमने उनको नहीं बुलाया था। चूंकि वे वहीं डिप्यूटेड थे।

श्री राजकुमार महासेठ—आप लॉ एंड ओर्डर के इन्चार्ज हैं। डी०सी० का क्या इन्सट्रक्शन्स था ?

थाना प्रभारी—हमको याद है उन्होंने लिखा था कि हार्वेस्टिंग के समय आर्म फोर्स दिया जाय। एस०पी० ने उसकी कौपी हमारे पास भेज दी।

अध्यक्ष—अभी यह केस किस स्टेज में है, जोगिखूरा वाला ? अभी आपने क्लोज नहीं किया है ?

थाना प्रभारी—जी नहीं। कुछ प्वायन्ट्स पर जांच बाकी है।

अध्यक्ष—आपने फौरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्जेमिन किया है कि नहीं ?

थाना प्रभारी—ए०एस०आई० किये थे।

अध्यक्ष—डायरी में लिखा गया है ?

थाना प्रभारी—जी हां।

अध्यक्ष—आप जरूरत समझते हैं कि फिर से उनको एक्जेमिन किया जाय ?

थाना प्रभारी—मैं समझता हूं कि यह जरूरी है। हम एक्जेमिन करेंगे।

अध्यक्ष—बी०डी०ओ० के घेराव के बारे में एफ०आई०आर० किस तिथि को हुआ था ?

थाना प्रभारी—जहां तक मुझे ख्याल है 24 नवम्बर को हुआ था।

श्री राजकुमार महासेठ—किस वक्त ?

थाना प्रभारी—स्टेशन डायरी देखकर बतायेंगे।

अध्यक्ष—कैम्प से समय-समय पर ए०एस०आई० रिपोर्ट देते थे ?

थाना प्रभारी—रिटेन में कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन खैरियत रिपोर्ट भेजते थे।

अध्यक्ष—22 तारीख की रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी ?

श्री राजकुमार महासेठ—खैरियत रिपोर्ट आती है तो फिर आप डी०एस०पी० को भेजते हैं ?

थाना प्रभारी--लिखित नहीं भेजते हैं। ऐसे ही कह देते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ--ट्रबुल हुआ तो भेजा नहीं तो नहीं भेजा?

थाना प्रभारी--जी हां।

अध्यक्ष--22 नवम्बर की शाम को आपको कोई स्पेशल रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारी को भेजने की जरूरत महसूस नहीं हुई?

थाना प्रभारी--जी नहीं।

अध्यक्ष--बाद में आपने कोई रिपोर्ट भेजी?

थाना प्रभारी--एफ०आई०आर० भेजा।

अध्यक्ष--डी०आई०आर० का केस भी आपके यहां हुआ है मनीलेन्डिंग का। 1976 में बी०डी०ओ० या सी०ओ० किसी भी पदाधिकारी द्वारा डी०आई०आर० के संबंध में रिपोर्ट हुई है?

थाना प्रभारी--मनीलेन्डिंग का केस हुआ है।

अध्यक्ष--जोगीबुरा या बगल के गांव में इसके अतिरिक्त फसल काटने का केस हुआ है?

थाना प्रभारी--जी नहीं।

अध्यक्ष--आपने जिस तिथि से लेकर जिस तिथि तक डेपुटेशन किया है, उसका इन्सट्रक्शन होगा?

थाना प्रभारी--पीरियड है टिल हार्वेस्टिंग इज ओभर।

अध्यक्ष--वहां कैम्प चालू है या हटा दिया है?

थाना प्रभारी--हटा दिया है।

अध्यक्ष--किस तिथि से आपने हटा दिया है उसकी तिथि दे दें तथा दिनांक 22, 23 तथा 24 नवम्बर की स्टेशन डायरी की प्रतिलिपि दे दें और साथ ही एफ०आई०आर० की भी प्रतिलिपि दे दें।

थाना प्रभारी--जी अच्छा।

अध्यक्ष--ए०एस०आई० अपने मूभमेंट की जो रिपोर्ट देते थे उसकी डायरी आप मेन्टेन करते थे?

थाना प्रभारी--वहां आते थे तो लिखते थे कि किस काम से यहां आये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ए०एस०आई०, रंका द्वारा शपथ-ग्रहण किया गया।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद--मैं, सुरेन्द्र प्रसाद, सर्वशक्तिमान् ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष--आप इस थाने में कितने दिनों से हैं?

ए०एस०आई०---पौने दो वर्षों से।

अध्यक्ष---जोगीखुरा में आपका डेपुटेशन किस तारीख को हुआ?

ए०एस०आई०---1 नवम्बर 1976 को।

अध्यक्ष---वहां से कब आये?

ए०एस०आई०---9 दिसम्बर 1976 को चले आये।

अध्यक्ष---क्या आपको मालूम है कि बी०डी०ओ० ने एक मुकदमा किया है कि सोनदाग के चौराहे पर उनको घेर लिया गया था? उसके आई०ओ० आप हैं, और कबतक आप आई०ओ० थे?

ए०एस०आई०---एक दिन थे।

अध्यक्ष---आपने कब इसका चार्ज दिया?

ए०एस०आई०---25-26 को चार्ज दे दिया।

श्री राजकुमार महासेठ---आप उसमें गवाह भी हैं?

ए०एस०आई०---हमने लिखकर दिया था बी०डी०ओ०, सी०ओ० तथा थाना प्रभारी को कि केस का चार्ज ले लें।

श्री राजकुमार महासेठ---जिस दिन आपको आई०ओ० का चार्ज मिला उस दिन आपको जानकारी हुई कि नहीं?

ए०एस०आई०---हमारे यहां ऐसा होता है कि हमलोग फर्दबयान पर केस करते हैं और जांच भी करते हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसा हुआ है अब आप इसकी जांच करें। फिर बाद में परामर्श कर उनको चार्ज दे दिया।

श्री राजकुमार महासेठ---परामर्श किससे लिया?

ए०एस०आई०---आरक्षी निरीक्षक से।

अध्यक्ष---आपने कोई रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारी को भेजी है इस केस के अलावे?

ए०एस०आई०--- जी नहीं।

अध्यक्ष---ओ०आई० या डी०एस०पी० को?

ए०एस०आई०---हमारे समय में इस तरह की घटना नहीं हुई जिसकी खबर मुझे वहां देनी चाहिए थी।

अध्यक्ष---आप वहां कबतक रहे?

ए०एस०आई०---वहां 8 दिसम्बर तक रहे।

श्री राजकुमार महासेठ---आपकी कोई मदद फेमिली प्लानिंग में ली जाती है?

ए०एस०आई०---जी नहीं।

अध्यक्ष---22 से वहीं थे?

ए०एस०आई०---22 को हम और सी०ओ० जोगीखुरा गये थे। बीच-बीच में थाना प्रभारी बुला लेते थे।

अध्यक्ष---आप 21 को कहां थे?

ए०एस०आई०---थाना पर थे।

अध्यक्ष—आप किस वक्त थाना छोड़े ?

ए०एस०आई०—12 बजे दिन में थाना छोड़े।

अध्यक्ष—आप जोगीखुरा कैसे और किसके साथ गये थे ?

ए०एस०आई०—सी०ओ० साहब की जीप में गये। बी०डी०ओ० साहब भी उसी जीप में थे।

अध्यक्ष—इसके अतिरिक्त जीप में और कौन-कौन थे ?

ए०एस०आई०—हम थे, बी०डी०ओ० थे, सी०ओ० थे।

अध्यक्ष—ये तीन आदमी आगे की सीट पर थे। पीछे कौन बैठे हुए थे ?

ए०एस०आई०—पीछे बद्री राम थे।

श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया—बद्री राम क्या हैं ?

ए०एस०आई०—मैं नहीं जानता हूं।

अध्यक्ष—यहां से जोगीखुरा कितनी माईल है ?

ए०एस०आई०—वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है दस किलोमीटर।

श्री राजकुमार महासेठ—आप वहां जाकर कैम्प पर उतर गये थे ?

ए०एस०आई०—जी हां।

श्री धनंजय महतो—वे लोग कहां गये ?

ए०एस०आई०—मैं नहीं कह सकता हूं।

अध्यक्ष—आप कैम्प में दिनभर रहे। कहीं बाहर जाने का मौका आपको नहीं मिला ?

ए०एस०आई०—जी नहीं। उस दिन कहीं जाने का मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष—उस दिन आप दिन भर कहीं नहीं गये ?

ए0एस0 आई0—जी नहीं।

अध्यक्ष—23 तारीख को ?

ए0एस0 आई—23 तारीख की सुबह को रँका आये साढ़े नौ बजे।

अध्यक्ष—फिर कब लौटे ?

ए0 एस0 आई0—तुरत लौटे। सी0 ओ0 साहब आ रहे थे। थाना पर जाने का मौका नहीं मिला। वे थाना प्रभारी से बातचीत किये।

श्री राजकुमार महासेठ—आप ब्लौक किसलिए गए हुए थे ?

ए0 एस0 आई0—ब्लौक कार्यालय के काम के लिए गए हुए थे। सी0ओ0 साहब का काम था।

अध्यक्ष—आप 22 को बाहर नहीं निकले। कम्पनी कहीं नहीं जाती है ?

ए0 एस0 आई0—जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ—आप 23 को यहां आये और 24 को ?

ए0 एस0 आई—24 को वहीं रहे।

अध्यक्ष—जंगल विभाग के जो पदाधिकारी गढ़वा में रहते हैं आपने उनसे मुलाकात की ?

ए0 एस0 आई0—वे लोग कैम्प में गये हुए थे।

श्री राजकुमार महासेठ—किस तिथि को ?

ए0 एस0 आई0---23 या 24 तारीख को।

श्री राजकुमार महासेठ---किसलिए गये हुए थे ?

ए0 एस0 आई0---शिकार के बारे में जांच करने गये थे।

अध्यक्ष---आपके सामने कुछ लोगों का ब्यान लिया ?

ए0 एस0 आई0---हमलोगों से पूछा कि आपलोगों ने देखा है। हमलोगों ने कहा कि हमलोगों ने नहीं देखा है।

अध्यक्ष---और किससे पूछा ?

ए0 एस0 आई0---सिपाहियों से पूछा।

अध्यक्ष---वहां पांच सिपाही थे ?

ए0 एस0 आई0---जी हां।

अध्यक्ष---डी0 एस0 पी0 स्टेटमेंट के लिए रंका आये थे यह आपको मालूम था ?

ए0 एस0 आई0---बाद में मालूम हुआ कि वे आये थे।

अध्यक्ष---आप खैरियत रिपोर्ट देते हैं ?

ए0 एस0 आई0---ऐसा कोई आदेश नहीं था। आदेश था कि आर्म फोर्स के साथ नियुक्त रहेंगे।

अध्यक्ष---आपलोगों का कहीं डेपुटेशन होता है तो आपलोगों को कुछ इन्स्ट्रक-शनस तो होगा ?

ए0 एस0 आई---परिस्थिति आने पर रिपोर्ट देते हैं।

अध्यक्ष---आपका रिपोर्ट देने का मौका मिला कि नहीं ?

ए0 एस0 आई0---जबतक हम वहां रहे हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की और न ही जरूरत पड़ी।

श्री राजकुमार महासेठ---सूअर मारने के संबंध में आपने सुना होगा ?

ए0 एस0 आई0---जंगल विभाग के ऑफिसर गये हुए थे 22 को। इंक्वायरी करने गये थे रात्रि में 6-7 बजे।

अध्यक्ष---किसके खिलाफ इंक्वायरी करने गये थे ?

ए0 एस0 आई0---हमलोगों से सुरेश ड्राईवर ने जाकर कहा।

अध्यक्ष---ड्राईवर किसका है ?

ए0 एस0 आई0---बी0 डी0 ओ0 का।

अध्यक्ष---उसने क्या कहा ?

ए0 एस0 आई0---सी0 ओ0 साहब बुला रहे हैं। वहां जाने पर देखा कि चौधरी जी (रेंजर) इंक्वायरी कर रहे थे। बी0 डी0 ओ0 वहीं पर थे। बदु पाठक भी वहां बैठे हुए थे।

अध्यक्ष---कितनी दूरी पर जंगल है ?

ए0 एस0 आई0---चारो तरफ जंगल है।

श्री राजकुमार महासेठ---उसके बाद सी0 ओ0 और आप लौट आये ?

ए0 एस0 आई0 --उसके बाद हमलोग यहां रंका चले आये । बी0 डी0 ओ0 साहब को यहां छोड़ दिया । हम और सी0 ओ0 साहब चले गये ।

अध्यक्ष--22 को जीप आपलोगों के कब्जे में थी ?

ए0 एस0 आई0 --बी0 डी0 ओ0 के कब्जे में थी ।

श्री राजकुमार महासेठ—उस दिन बी0 डी0 ओ0 साहब की ही जीप थी ?

ए0 एस0 आई0 --जी हां ।

अध्यक्ष--शाम को लौटकर आप थाना नहीं गये ?

ए0 एस0 आई0 --जी नहीं । बी0 डी0 ओ0 साहब को घर पर छोड़े और बैंक हो गये । थाना नहीं गये ।

इन व्यक्तियों के साक्ष्य लेने के बाद समिति ने निर्णय लिया कि इनके अतिरिक्त एस0 डी0 ओ0, गढ़वा तथा सी0 ओ0, यदि वे उपलब्ध हों तो कल दिनांक 16 जनवरी 1977 को उनका ब्यान लिया जाय तथा इसके साथ ही बी0 डी0 ओ0 के ड्राईवर फेमिली प्लानिंग के सुपरवाईजर तथा मेडिकल ऑफिसर का भी ब्यान लिया जाय ।

इस बैठक में वन विभाग का कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं था जिससे समिति को काफी असुविधा हुई ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 16 जनवरी 1977 तक के लिए स्थगित की गयी ।

श्री जगनारायण पाठक, स0 वि0 प0 के ध्यानाकर्षण पर गठित चार सदस्यीय समिति की दिनांक 16 जनवरी 1977 को रंका में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

(1) श्री जागेश्वर मंडल—संयोजक ।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ ।
(3) श्री धनंजय महतो ।

विशेष आमंत्रित ।
(4) अवर-प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा ।
(5) अंचल पदाधिकारी, रंका ।
(6) अपर संमाहर्त्ता श्री सुखदेव बैठा ।

साक्ष्य ।

(7) श्री अलीजान शेख, ग्राम जोगीखुरा।
(8) श्री भूखन भुईयां, ग्राम जोगीखुरा।
(9) श्री मनोहर सिंह, ग्राम जोगीखुरा ।
(10) श्री महदुल शेख, ग्राम जोगीखुरा।
(11) श्री जगदेव सिंह, ग्राम जोगीखुरा ।
(12) श्री अब्दुल रहमान, ग्राम पावा ।
(13) श्री रामप्रीत चमार, ग्राम सोनदाग ।
(14) श्री मो0 नजवी अंसारी, ग्राम जोगीखुरा ।
(15) श्री मो0 लतीफ अंसारी, ग्राम जोगीखुरा ।
(16) श्री कामेश्वर महतो, ग्राम सोनदाग ।

सचिवालय ।

श्री इन्दूभूषण सिन्हा, उप-सचिव, विहार विधान परिषद् ।

श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद, अनुमंडलाधिकारी, गढ़वा द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद---मैं, सुरेश चन्द्र प्रसाद, सर्वशक्तिमान् ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूँ, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष---आपके अधीन जो बी0 डी0 ओ0 हैं वे आपको कभी ऐडभान्स टूर प्रोग्राम देते हैं कि नहीं ?

अनुमंडलाधिकारी--एक-आध देते होंगे लेकिन जेनरली नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष--टूर डायरी भी नहीं देते हैं?

अनुमंडलाधिकारी---देते हैं ।

अध्यक्ष---बी0 डी0 ओ0, रंका ने पिछले क्वाटर (अक्तूबर से दिसम्बर) का ऐडवान्स टूर प्रोग्राम या टूर डायरी सबमिट की है कि नहीं ?

अनुमंडलाधिकारी--टूर प्रोग्राम दिया है । टूर डायरी रंका से नहीं मिली है ।

श्री राजकुमार महासेठ--टूर प्रोग्राम और टूर डायरी में क्या अन्तर है ?

अनुमंडलाधिकारी--टूर डायरी टूर करने के बाद दी जाती है ।

श्री राजकुमार महासेठ---बी0 डी0 ओ0, रंका से टूर डायरी पहले भी नहीं आयी और बाद में भी उन्होंने नहीं भेजी कि वे कहां गये ?

अनुमंडल धिकारी---हमको लगता है कि नहीं मिली है ।

अध्यक्ष--आप रिमाण्ड नहीं करते हैं कि टूर प्रोग्राम और टूर डायरी भेजिये ?

अनुमंडलाधिकारी---टूर प्रोग्राम भेजने के लिए नहीं कहा है । टूर डायरी जब वे लोग भेजते हैं दो-तीन महीना लेट करके तो हम उनसे एक्सप्लेनेशन कौल करते हैं ।

अध्यक्ष---नहीं भेजे तो ।

अनुमंडलाधिकारी---मांगते नहीं हैं ।

अध्यक्ष---यह तो आपकी ड्यूटी है टूर डायरी और टूर प्रोग्राम लें । 1971 के पहले तो प्रमुख को ही देना पड़ता था और प्रमुख ही टूर डायरी और टूर प्रोग्राम सैंक्शन करता था । लेकिन 1971 में एस0 डी0 ओ0 को यह अधिकार दे दिया गया । आपने भी नहीं मांगा और उन्होंने भी नहीं दिया ।

अनुमंडलाधिकारी---जी हां ।

अध्यक्ष---जोगीखुरा गांव में लास्ट हार्भेस्टिंग सीजन में आपको कुछ टेंसन के संबंध में पुलिस ऑफिसर या बी0 डी0 ओ0 से रिपोर्ट मिली ।

अनुमंडलाधिकारी---सी0 ओ0 से मिली ।

अध्यक्ष---उसपर आपने क्या किया ।

अनुमंडलाधिकारी---उस रिपोर्ट पर 144 का प्रोसीडिंग हुआ ।

अध्यक्ष---आपने उस अंचल के ला एंड ऑर्डर के बारे में कोई जेनरल रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर या उच्चाधिकारी को दी ।

अनुमंडलाधिकारी---हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी है ।

अध्यक्ष---बी0 डी0 ओ0 से रिपोर्ट मिली ।

अनुमंडलाधिकारी---सी0 ओ0 से मिली है ।

अध्यक्ष---सी0 ओ0 से मिली है पूरे विलेज की ।

अनुमंडलाधिकारी---एक इन्सीडेंट के बारे में कि वहां टेंसन हो सकता है ।

अध्यक्ष---सी0 ओ0 ने डायरेक्ट रिपोर्ट दी ।

अनुमंडलाधिकारी---जी हां ।

अध्यक्ष---उसपर आपने ऐक्शन लिया ।

अनुमंडाधिकारी---जी हां 144 किया ।

अध्यक्ष---क्या हो रहा है ।

अनुमंडाधिकारी---यह सबजुडिश है । हाईकोर्ट ने रेकर्ड कौल किया है । यह सबजुडिश है और फरदर प्रोसीडिंग स्टेड Stayed है ।

अध्यक्ष---कितने रकबे का था ।

अनुमंडलाधिकारी---166 एकड़ का था । इसके बारे में एप्रीहेंसन या ट्रबुल का ।

श्री राजकुमार महासेठ---ट्रबुल एप्रीहेसन हुआ ऐक्ट दी इन्सटान्स ऑफ सम पार्टी या सी0 ओ0 ने फील किया ।

अनुमंडलाधिकारी---वे वहीं मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड थे ।

श्री राजकुमार महासेठ---रिगार्डिंग ला एंड ऑर्डर, एप्रीहेंसन ऑफ ट्रबुल या किसी तरह की उनकी रिपोर्ट नहीं हुई ।

अनुमंडलाधिकारी---हमारे यहां नहीं हुई । सी0 ओ0 ने भेजी ।

श्री राज कुमार महासेठ---सी0 ओ0 वहां कैसे पोस्टेड हुए ।

अनुमंडलाधिकारी---डिप्टी कमिश्नर ने पोस्टिंग की ।

श्री राजकुमार महासेठ—डिप्टी कमिश्नर ने जो डायरेक्शन भेजा उन्हें अपने इंसटान्स पर या आपलोगों की रिपोर्ट पर ।

अनुमंडलाधिकारी—मौखिक रूप में बातचीत हुई थी कि वहां ऐसा होता है । रिटेन रिपोर्ट हमने नहीं की है ।

अध्यक्ष—डिप्टी कमिश्नर ने स्टेटिक फोर्स डिप्यूट करने के लिए लिखा है ।

अनुमंडलाधिकारी—एस0 पी0 को लिखा कि सी0 ओ0 को भेजे एँज एमजिस्ट्रेट ।

श्री राजकुमार महासेठ—1976 के पहले भी किसी तरह की पोस्टिंग हुई ।

अनुमंडलाधिकारी—दिसम्बर 1976 में ही हुई ।

श्री राजकुमार महासेठ—इसके पहले ला एँड ऑर्डर को लेकर जोगीखुरा में पोस्टिंग हुई है ।

अनुमंडलाधिकारी—हम रेकर्ड देखकर ही डिफीनिट कह सकते हैं ।

श्री राज कुमार महासेठ—अभी याद नहीं है ।

अनुमंडलाधिकारी—डेट याद नहीं है ।

अध्यक्ष—डिप्टी कमिश्नर ने एस0 पी0 को लिखा था उसकी कोपी आपको दी ।

अनुमंडलाधिकारी—जी हां ।

अध्यक्ष—उसमें सिर्फ पोस्टिंग का ही था ।

अनुमंडाधिकारी—उसमें लिखा हुआ है कि आप एक सेक्शन फोर्स दे दें। सी0 ओ0 मजिस्ट्रेट इनचार्ज रहे ।

अध्यक्ष—तो सी0 ओ0 पोस्टेड हुए ।

अनुमंडाधिकारी—जी हां ।

श्री राजकुमार महासेठ—उसी गांव में उनका हेडक्वाटर हो गया । वे कबसे कबतक वहां रहे । आदेश की तिथि क्या है ;

अनुमंडलाधिकारी—27 अक्तूबर 1976 को आदेश हुआ है ।

श्री राजकुमार महासेठ—वायरलेस है ।

अनुमंडलाधिकारी—एस0 पी0 का मेमो है । हमें उसकी कोपी दी गयी है । उसको मैं पढ़ देता हूं ।

Several complaints have been received from Ranka to the effect that there is the apprehension of breach of peace at the instance of undesirable elements of their elaka during the harvesting. You are therefore requested to depute a section of armed force from 1st November 1976 till the harvesting is over at Jogikhura under charge of C.O., Ranka to ensure maintenance of law and order and peaceful harvesting.

अध्यक्ष--सी० ओ० ने आपको रिपोर्ट इसके अर्लियर दी थी या बाद में।

अनुमंडलाधिकारी--बाद में दी।

श्री राज कुमार महासेठ--सी० ओ० की रिपोर्ट कब आयी है?

अनुमंडलाधिकारी--वह जुडिशियल रेकर्ड का पार्ट हो गया है। उसकी कौपी हमारे पास नहीं है। पोस्टिंग के 13 दिनों के अन्दर दी है।

श्री राज कुमार महासेठ--उनकी क्या रिपोर्ट थी?

अध्यक्ष--उसमें पार्टी का भी नाम था।

अनुमंडलाधिकारी--सुरेन्द्र पाठक का नाम था।

अध्यक्ष--और किसी दूसरे का नाम था?

अनुमंडलाधिकारी--सी० ओ० ने अपनी दो रिपोर्ट दी है। दूसरी रिपोर्ट 144 की दी। 2 प्रोसीडिंग्स हुए 144 के

अध्यक्ष--दोनों हाईकोर्ट में है?

अनुमंडलाधिकारी--छोटा वाला यहीं है।

अध्यक्ष--कहां का है?

अनुमंडलाधिकारी--मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह जोगीखुरा का है या सोनदाग का।

अध्यक्ष--वह भी सी० ओ० के इनीसियेटिभ पर हुआ?

अनुमंडलाधिकारी--जी हां।

अध्यक्ष--सेकन्ड पार्टी दोनों में एक ही था?

अनुमंडलाधिकारी--दूसरे में सुरेन्द्र पाठक थे। पहले प्रोसीडिंग में पाठक जी के लड़के थे।

श्री राज कुमार महासेठ--कम्पलेनेन्ट हार गये।

अनुमंडलाधिकारी--144 एक पार्टी के केस से हुआ कि आप उस जमीन पर नहीं जायें।

अध्यक्ष--एक पार्टी ने अपने रेसपोन्स किया है ऐट दी इन्सटान्स ओफ हूम?

अनुमंडलाधिकारी--जिनको रेस्टरेन्ड किया गया जाने के लिये। वहां लेकिन पाठक जी के लड़के का नाम था। जिस ओर्डर से जमीन मिली थी वह सेट ऐसाईड हो गया। अब प्रश्न उठा कि पाठक जी की जमीन नहीं रही। लेकिन कल से क्या होना चाहिये यह भेग (vague) रहा। अब हमलोग निश्चित करेंगे कि जमीन किसको जायगी। जब तक यह नहीं हो जाता है तब तक इनका अधिकार है।

श्री राजकुमार महासेठ--जमीन पहले पाठक जी की थी। डिस्प्यूटेड नहीं मानी जायगी। देयर इज नो अदर पार्टी क्लेमिंग दी लैंड।

अध्यक्ष--एप्रीहेन्सन ओफ पीस देयर वाज ऐकौडिंग टू सी० ओ० बेटवीन हूम। एक हो सकता है स्टेट और पार्टी में और दूसरा हो सकता है दो प्राइवेट पार्टी हो। उनके बीच में था। कुछ याद पड़ता है। क्या था।

अनुमंडलाधिकारी—यह जमीन पाठक जी के लड़के के नाम से थी 1964-65 में। जो लैंड के क्लेमेंट थे उन्होंने दरखास्त दी कि यह गलत हुआ है। क्लेम करने वाले मौजूद थे लेकिन उनको जमीन नहीं मिली।

श्री राज कुमार महासेठ—उस समय सी० ओ० ने रिपोर्ट की कि कौन दूसरी पार्टी थी। एक पार्टी ने कह दिया कि पाठक जी की जमीन हो गयी लेकिन दूसरी पार्टी कोई क्लेम करने वाली थी?

अनुमंडलाधिकारी—हमको किसी ने ऐप्लीकेशन नहीं दिया। सी० ओ० ने दिया।

अध्यक्ष—सी० ओ० की रिपोर्ट में कुछ था कि नहीं।

अनुमंडलाधिकारी—सी० ओ० की रिपोर्ट सामने नहीं है। रेकर्ड में चली गयी है।

अध्यक्ष—क्रौप का चार्ज किसको दिया?

अनुमंडलाधिकारी—ओर्डर हुआ कि धान कटवाकर रख लिया जाय।

अध्यक्ष—सी० ओ० का ओर्डर हुआ था?

अनुमंडलाधिकारी—ओ० आई० का हुआ था। दैट ओर्डर वाज स्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट जज। रिपोर्ट के बारे में नहीं कह सकते हैं कि क्या है।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० रंका के सम्बन्ध में फौरेस्ट विभाग ने रिपोर्ट की है कि वे शिकार करते थे किसी एक इलाके में। इसकी जानकारी है?

अनुमंडलाधिकारी—रिपोर्ट दी है इसकी जानकारी है।

अध्यक्ष—फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से डिसकस करने का मौका मिला?

अनुमंडलाधिकारी—ओफिशियल डिस्कशन नहीं हुआ।

अध्यक्ष—चूंकि उन्होंने बी० डी० ओ० के खिलाफ रिपोर्ट दी इसलिये आपने जरूरी समझा उनसे डिसकशन करना?

अनुमंडलाधिकारी—हमने कभी बात नहीं की।

अध्यक्ष—आपके मातहत वे काम करते हैं। उनके बारे में शिकायत हुई। आपने जरूरी नहीं समझा कि विभाग से पूछें कि क्या बात है?

अनुमंडलाधिकारी—डी० एफ० ओ० ने हमसे कहा तो हमने कहा कि आप इनक्वायरी करके बतलायें। जो फैक्ट्स मिले। यू गो इन इनक्वायरी।

वे आई० एफ० एस० के ओफिसर हैं। वे कोई सबोर्डिनेट नहीं हैं। वे अपने ला के अधीन काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० ने आपको ओफिशियल डी० ओ० लिखा कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी है?

अनुमंडलाधिकारी—इस सम्बन्ध में नहीं लिखा कि फौरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर केस कर दिया है। आपने जो उन्होंने केस किया था उसकी सूचना भेज दी है। एफ० आई० आर० की कौपी हमारे यहां नहीं देते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने इसकी कौपी भेज दी है।

अध्यक्ष—इसके अलावे और कोई पत्र उन्होंने नहीं लिखा?

अनुमंडलाधिकारी—जी नहीं। जो उन्होंने केस किया उसकी कौपी दो।

अध्यक्ष—बिना मेमो के कोई पत्र उन्होंने आपको लिखा।

अनुमंडलाधिकारी—जी नहीं।

अध्यक्ष—लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था।

अनुमंडलाधिकारी—फौरेस्ट को-आपरेटिव के बारे में जो लिखा है उसकी कौपी दी है।

अध्यक्ष—इस इन्सीडेंट के बारे में नहीं लिखा?

अनुमंडलाधिकारी—जी नहीं। एक-दो माह पहले लिखा है फौरेस्ट को-आपरेटिव के बारे में उसकी कौपी दी है।

अध्यक्ष—गोपीबुरा में आप गये होंगे?

अनुमंडलाधिकारी—तीन चार बार गये हैं।

अध्यक्ष—आदिवासियों के कुछ लैंड का एमीक्शन हुआ ऐसी कुछ दरखास्त मिली?

अनुमंडलाधिकारी—रेस्टोरेशन के लिये ऐडीशनल कलक्टर के यहां मिलती है।

अध्यक्ष—आपको मिली कि नहीं?

अनुमंडलाधिकारी—बहुत से आवेदन-पत्र जिला में मिलते रहते हैं।

अध्यक्ष—हम जानना चाहते हैं कि आदिवासियों की ओर से आपको कोई दरखास्त एमीक्शन की मिली कि नहीं?

अनुमंडलाधिकारी—दरखास्त बहुत आती रहती है।

अध्यक्ष—एक वर्ष के अन्दर आदिवासियों से आपने एमीक्शन, मिनिमम वेजेज या मनी लेन्डिग के सम्बन्ध में कोई ज्वायन्ट पेटीशन रिसीभ की?

अनुमंडलाधिकारी—आई बिल हैभ टू चेक अप इन्टायर रेकर्ड।

अध्यक्ष—हमलोग जानना चाहते हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या वहां काफी है या एक दो घर है?

अनुमंडलाधिकारी—50-60 घर है। आदिवासी हरिजन भी हैं।

अध्यक्ष—इनलोगों की तरफ से लैंड एमीक्शन, मिनिमम वेजेज या मनीलेन्डिग के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली?

अनुमंडलाधिकारी—3 तारीख को मिली है।

अध्यक्ष—किस महीने की?

अनुमंडलाधिकारी—जिला कार्यान्वियन समिति की बैठक हुई थी उसमें एक दरखास्त मिली थी।

अनुमंडलाधिकारी—आपको याद नहीं पड़ता है कि आदिवासी हरिजनों की ओर से आपको कोई ज्वायन्ट दरखास्त मिली कि नहीं। रंका गांव में आदिवासी हरिजन को ह्रास करने के बारे में आपको रिपोर्ट करने का मौका मिला?

अनुमंडलाधिकारी——फोर्टनाईटली कन्फीडेन्शियल रिपोर्ट हमलोग भेजते हैं। उसमें हमलोग लिखते हैं। जेनरल रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें लिख देते हैं कि यह भी एक आईटेम है।

अध्यक्ष——उस अंचल में ऐसा कोई इन्सटान्स आया था और वह आपने मेन्सन किया?

अनुमंडलाधिकारी——जी हां।

अध्यक्ष——किस महीने का है। पोस्टिंग के पहले का है या बाद का। रंका ब्लौक के बारे में देयर इज वन मेन्सन या रिपीटेड मेन्सन?

अनुमंडलाधिकारी——रंका के बारे में है। एक दो बार मेन्सन किया है।

अध्यक्ष——उसमें स्पेसीफाई किया है विलेज के बारे में?

अनुमंडलाधिकारी——जी हां।

अध्यक्ष——इसे आपने डिप्टी कमिश्नर को भेजा?

अनुमंडलाधिकारी——जी हां।

अध्यक्ष——उस रिपोर्ट में आपने इस बस्ती को भी मेन्सन किया है?

अनुमंडलाधिकारी——उस कन्फीडेन्शियल रिपोर्ट में जोगीखुरा का मेन्सन नहीं किया है।

श्री राजकुमार महासेठ——जेनरल मेन्सन किया है ब्लौक के बारे में तो क्या रंका ब्लौक के बारे में मेन्सन किया है?

अनुमंडलाधिकारी——एक दो भिलेज का नाम दिया है।

अध्यक्ष——जोगीखुरा का नाम दिया है?

अनुमंडलाधिकारी——जी नहीं।

अध्यक्ष——फैमिली प्लानिंग के परफोरमेन्स के बारे में आपने रिपोर्ट दी है?

अनुमंडलाधिकारी——जी हां।

अध्यक्ष——उसका मोर्टाभंशन रिपोर्ट देते हैं?

अनमंडलाधिकारी——जी नहीं।

अध्यक्ष——मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट सिविल सर्जन के अधीन हैं?

अनमंडलाधिकारी——डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के।

श्री राजकुमार महासेठ——इस वर्क में आप ऐसोसियेट करते हैं?

अनुमंडलाधिकारी——जी हां। हमलोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा।

श्री धनंजय महतो——डिप्टी कमिश्नर का प्रोग्राम रंका में कब हुआ था?

अनुमंडलाधिकारी——3 नवम्बर को हुआ था। वे जोगीखुरा में गये थे।

अध्यक्ष——उसके पहले आपलोग गांव में गये थे?

अनुमंडलाधिकारी——उसी दिन कमिश्नर साहब के एक घंटा पहुंचने के पहले वहां गये थे।

अध्यक्ष——उनके प्रोग्राम की कोपी बी० डी० ओ० को गयी होगी?

अनुमंडलाधिकारी——जी नहीं।

अध्यक्ष--आपने इनफोर्म किया कि डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं?

अनुमंडलाधिकारी--उनकी इनक्वायरी थी। इसलिये हमलोगों ने कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष--आपने बी० डी० ओ० को कोई निर्देश नहीं दिया?

अनुमंडलाधिकारी--जी नहीं। चिट्ठी आने के पहले हल्ला हुआ कि डी० सी० इस तारीख को आयेंगे। जोगीखुरा में फोरेस्ट डिपार्टमेंट का रोड्स है। ऐसे ही मैंने कहा था कि रास्ता ठीक है कि नहीं इसको देख लें। पहले हल्ला हुआ कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं। इसलिये रोड को देख लिया जाय क्योंकि रोड बहुत खराब था। तीन तारीख को वे आयेंगे कि नहीं इसकी चिट्ठी हमने बी० डी० ओ० को नहीं दी।

अध्यक्ष--कौन्सिल में जो जवाब हुआ है कौल एटेन्शन का डी० सी० ने जवाब भेजा है। उसमें आपसे कोई रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी?

अनुमंडलाधिकारी--जो कौल एटेन्शन मोशन हुआ था उसका मैंने जवाब भेज दिया था। उसकी कौपी उन्होंने मुझे भेजी थी।

अध्यक्ष--बी० डी० ओ० वाला कौल एटेन्शन मोशन था?

अनुमंडलाधिकारी--कौल एटेन्शन मोशन लिखा हुआ था। गवर्नमेंट से जो आया था उसकी कौपी उन्होंने भेजी थी।

अध्यक्ष--कौल एटेन्शन में सदस्य का नाम होगा। उसमें शिकार का जिक्र था?

अनुमंडलाधिकारी--उसमें श्री जग नारायण पाठक जी का नाम था।

अध्यक्ष--आपने फोरेस्ट डिपार्टमेंट से इस रिपोर्ट को भेजने के पहले बातचीत की?

अनुमंडलाधिकारी--हमने कहा कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया था कि इट उड बी बेटर टू इनक्वायर फ्रोम डी० एफ० ओ०।

अध्यक्ष--यू डिड नोट कन्टैक्ट हिम?

अनुमंडलाधिकारी--नो सर।

अध्यक्ष--डिप्टी कमिश्नर पर्सनली नहीं आये?

अनुमंडलाधिकारी--मैंने लिख दिया कि आई डू नोट नो ऐनी थिंग।

अध्यक्ष--आपने कहा कि रिपोर्ट भेजी है कौल एटेन्शन मोशन की ?

अनुमंडलाधिकारी--डायरेक्शन आया था कि यही मेसेज है। काईन्डली न्ड नेसेसरी मेटेरियल्स थ्रू मेसेन्जर एट वन्स (हमने लिख दिया कि इट उड ी बेटर टू इनक्वायर फ्रोम डी० एफ० ओ०।

(एस० डी० ओ० द्वारा चिट्ठी पढ़ी गयी।)

श्री राजकुमार महासेठ--उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पर्सनली रंका में नहीं आये?

अनुमंडलाधिकारी--ही डिड नौट भिजिट जोगीखुरा और रंका इन दिस कनेक्शन ओफ रिप्लाई ओफ कौल एटेन्शन।

समिति ने जोगीखुरा ग्राम का स्थल निरीक्षण कर विभिन्न व्यक्तियों का बयान लिया।

श्री अलीजान शेख समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष---इस गांव का नाम क्या है?

श्री अलीजान शेख---जोगीखुरा।

अध्यक्ष---नदी के उस पार?

श्री अलीजान शेख---सोनदाग।

अध्यक्ष---आपलोग जानवर मारते हैं। इस जंगल में जानवर है कि नहीं?

श्री अलीजान शेख---जंगल में बहुत से जानवर हैं जैसे सुअर बाघ इत्यादि। बी० डी० ओ० साहब चार-पांच दिन शिकार खेले। और कोई यहां जानवर मारने वाला नहीं है।

अध्यक्ष---आपलोग हिरण इत्यादि नहीं मारते हैं कानून के डर से?

श्री अलीजान शेख---नहीं। हमलोग ऐसे ही नहीं मारते हैं।

अध्यक्ष---परिवार नियोजन सम्बन्धी आपरेशन कराने के लिये आपके गांव में कोई आया था। आपलोग परिवार नियोजन वाला आपरेशन कराते हैं कि नहीं?

श्री अलीजान शेख---जी नहीं। डाक्टर यहां कभी नहीं आये हैं। बहुत लोग अपने ही जाकर आपरेशन कराते हैं।

अध्यक्ष---आपके यहां कितने आदमी आपरेशन कराये हैं।

श्री अलीजान शेख---किसी ने नहीं कराया है।

अध्यक्ष---यहां खेड़वार ही हैं?

श्री अलीजान शेख---बहुत से खेड़वार हैं।

अध्यक्ष---खेड़वार में से किसी ने कराया कि नहीं?

श्री अलीजान शेख---कोई नहीं।

अध्यक्ष---पाठक जी के किसी नौकर इत्यादि ने?

श्री अलीजान शेख---कोई नहीं।

अध्यक्ष---आपलोग इसके खिलाफ हैं?

श्री अलीजान शेख---जी नहीं।

अध्यक्ष---यहां कोई जमीन का झगड़ा है?

श्री अलीजान शेख---10 डि० का झगड़ा है, जेठु सिंह ने झगड़ा खड़ा किया है।

अध्यक्ष---वे क्या कहते हैं?

श्री अलीजान शेख---वे कहते हैं कि हमारा है।

अध्यक्ष---जेठु सिंह किस जाति के हैं?

श्री अलीजान शेख—खेड़वार हूँ।

अध्यक्ष—यहां कोई सरकारी सिपाही रहते हैं?

श्री अलीजान शेख—जी हां पाठक जी के भंडार के बगल में।

अध्यक्ष—उसमें और कौन-कौन थे?

श्री अलीजान शेख—सी०ओ०, बी०डी०ओ०, जमादार तथा फौरेस्टर।

अध्यक्ष—सी०ओ० रात में भी थे?

श्री अलीजान शेख—जी हां।

श्री धनंजय महतो—और बी०डी०ओ०भी?

श्री अलीजान शेख—जी हां।

अध्यक्ष—बी०डी०ओ०और सी०ओ०यहीं थे?

श्री अलीजान शेख—जी हां।

अध्यक्ष—खेड़वार जाति के यहां कितने घर हैं?

श्री अलीजान शेख—25 घर हैं जोगीखुरा में।

अध्यक्ष—उस पार सोनदाग में?

श्री अलीजान शेख—पांच छ: घर।

अध्यक्ष—खेड़वार जाति के अलावे यहां और कौन लोग हैं।

श्री अलीजान शेख—चमार तथा भूईयां इत्यादि हैं। चमार जाति के लोगों का 100 घर हैं तथा पचास हरिजन हैं।

अध्यक्ष—वे लोग कौन काम करते हैं?

श्री अलीजान शेख—गृहस्थी करते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट के यहां कोई आये हुए थे कहने के लिए लकड़ी मत काटो?

श्री अलीजान शेख—फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट का गार्ड बराबर रहता है। जिस दिन बी०डी०ओ० शिकार खेलने आये थे उस दिन रेन्जर, फौरेस्टर तथा गार्ड इत्यादि सभी थे।

श्री राजकुमार महासेठ—यह कब की बात है?

श्री अलीजान शेख—एक-डेढ़ महीना के लगभग हुआ।

श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया—किधर शिकार हुआ था?

श्री अलीजान शेख—टेन्ट से दो माईल हटकर।

अध्यक्ष—किस वक्त?

श्री अलीजान शेख—11 बजे निकले हुए थे। रेन्जर, फौरेस्टर गार्ड से मुलाकात हुई तो साढ़े चार बज गया। बी०डी०ओ० साहब ने ड्राईवर को कहा कि तुम गाड़ी लेकर चलो हम बगल के रास्ते से आते हैं। वे भलुआनी के रास्ते से जाकर रहमान मियां के यहां बैठे थे। ड्राईवर तथा लालबिहारी भूईयां गाड़ी लेकर आ रहे थे। लालबिहारी से पूछने पर उसने बताया कि बी०डी०ओ० साहब भी हैं।

अध्यक्ष—उसमें कोई सामान भी था ?
श्री अलीजान शेख—याद नहीं है लेकिन तीसरे दिन सुअर पिटाया था।
अध्यक्ष—उस दिन उसमें कुछ भी नहीं था ?
श्री अलीजान शेख—तीसरे दिन सुअर पिटाया था। गार्ड साहब हमारे विरादरी थे तो उन्होंने कहा कि इधर मत आओ। इसलिए नहीं गये।
अध्यक्ष—उनका क्या नाम है ?
श्री अलीजान शेख—उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं।
श्री राजकुमार महासेठ—फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट से औफिसर जिस समय आये थे उस समय इनलोगों में कोई था।
श्री अलीजान शेख—जी हां।
श्री राजकुमार महासेठ—यहां उसमें से कितने आदमी होंगे ?
श्री अलीजान शेख—बहुत आदमी होंगे।
अध्यक्ष—वे लोग शिकार में गये थे ?
श्री अलीजान शेख—जी हां, भूखन भुईयां शिकार में गये थे।

श्री भूखन भुईयां समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष—आपको अपना खेत है ?
श्री भूखन भुईयां—जी हां।
अध्यक्ष—कितना है?
श्री भूखन भुईयां—दो एकड़।
अध्यक्ष—कितने दिनों से है ?
श्री भूखन भुईयां—बहुत दिनों से है बाबूजी।
अध्यक्ष—आपने क्या देखा ?
श्री भूखन भुईयां—बी०डी०ओ० साहब शिकार के लिए बुलाये थे। हम जोगीखुरा आये। इसके बाद उन्होंने हमें सिकटा भेज दिया कि शरण सिंह तथा प्रेम सिंह को बुला लाये। और कहा कि शिकार होगा तो तुमको भी देंगे। सिकटा से 12-1 बजे लौटे तो देखा कि वहां सुअर था। कैम्प के पश्चिम उसको लोग चीर रहे थे। उसका चार हिस्सा काटकर बोरा में बांधकर गाड़ी में रख दिये।
अध्यक्ष—तुम्हें शिकार के लिए बुलाया गया था ?
श्री भुखन भुईयां—हमको अकसर बुलाया जाता है।
अध्यक्ष—किस काम के लिए ?
श्री भुखन भुईयां—हकवई करने के लिए।
श्री राजकुमार महासेठ—और कौन-कौन थे ?
श्री भुखन भुईयां—लालविहारी भुईयां तथा सोनदाग के लोग थे।

अध्यक्ष—शिकार से कब लौटे ?

श्री भुखन भुईयां—12-1 बजे। हम जब सिकटा से लौटकर कैम्प में आये तो देखा कि सुअर चीरा जा रहा था। उन्होंने पूछा कि भेंट हुई तो हमने कहा कि नहीं हुई। हम तो हकवई करने नहीं गये। हमको अपने काम से बी०डी०ओ० ने भेज दिया और कहा कि कुछ तुमको भी दे देंगे।

अध्यक्ष—कानून सबके लिए है। इसके पहले भी आप कभी गये थे ?

श्री भुखन भुईयां—यहां पांच दिन सी०ओ० साहब थे।

श्री राजकुमार महासेठ—बी०डी०ओ० तथा सी०ओ० से आपको कुछ जान पहचान थी।

श्री धनंजय महतो—शिकार खेलने के लिए बुलाये थे।

श्री भुखन भुईयां—हकवईकरने के लिए बुलाये थे।

श्री राजकुमार महासेठ—और कोई आदमी नहीं था ?

श्री भुखन भुईयां—कैम्प में लाल बिहारी थे।

श्री राजकुमार महासेठ—हकवई में और कौन-कौन लोग थे ?

श्री भुखन भुईया—हमने लालबिहारी को हो देखा।

अध्यक्ष—आपको हिस्सा मिला ?

श्री भुखन भुईयां—बी०डी०ओ० बुद्धन महतो, नागेश्वर महतो, लक्ष्मण, कोईली, भूखन महरा इत्यादि से एक बोरा में चार गत्तर कटवाकर रखवा दिये और बाकी बटवा दिये।

श्री राजकुमार महासेठ—आप रामप्रीत राम को पहचानते हैं। वे कहां के हैं ?

श्री भुखन भुईयां—वे सोनदेग के हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—ये उस दिन थे ?

श्री भुखन भुईयां—बाद में गये थे।

अध्यक्ष—सी०ओ० साहब कहां थे ?

श्री भुखन भुईयां—सी०ओ० साहब जीप में थे।

अध्यक्ष—शिकार के दिन सी०ओ० नहीं थे ?

श्री भुखन भुईयां—जी नहीं।

श्री राजकुमार महासेठ—आप मांस नहीं खाते हैं ?

श्री भुखना भुईया—सुअर, मुर्गी, खस्सी तथा हिरण का मांस खाते हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—फौरेस्टर यहां किस दिन आये थे। जिस दिन सुअर मरा उसके कितने दिनों के बाद ?

श्री भुखन भुईया—उसके तीन-चार दिनों के बाद।

श्री राजकुमार महासेठ—वे क्या करने आये थे ?

श्री भुखन भुईयां—फौरेस्टर, रेन्जर तथा गार्ड आये थे।

श्री राजकुमार महासेठ—वे लोग कहां थे ?
श्री भुखन भुईया—वे लोग सोनदाग चौक पर बैठे थे।
श्री राजकुमार महासेठ—शिकार के बाद आये थे।
श्री भुखन भुईयां—शिकार के बाद डी०एफ० ओ०, रेन्जर तथा फौरेस्टर आये थे। जहां सुअर चीरा गया था वहां से डी०एफ०ओ० साहब सुअर की खोपड़ी तथा हड्डी इत्यादि सारा सबूत ले गये थे।
श्री राजकुमार महासेठ—कुछ पूछताछ भी की ?
श्री भुखन भुईयां—जीगीखुरा में पूछताछ नहीं की। संध्या हो गयी थी।

श्री मनोहर सिंह, समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष—डी०एफ०ओ० साहब आये थे ?
श्री मनोहर सिंह—जी हां।
श्री राजकुमार महासेठ—वे वहां बैठे थे ?
श्री मनोहर सिंह—उन्होंने गांव में पूछताछ की।
श्री राजकुमार महासेठ—गांव के लोग थे ?
श्री मनोहर सिंह—जी हां दो चार थे।
श्री धनंजय महतो—यह कैसे हुआ ?
श्री मनोहर सिंह—हकवाई में ले गये थे। उसमें हम भी थे।
श्री राजकुमार महासेठ—हकवाई में कौन-कौन थे ?
श्री मनोहर सिंह—गुलाबचन्द भुईयां थे ?
श्री राजकुमार महासेठ—बी०डी०ओ० ने कितने शिकार किया था ?
श्री मनोहर सिंह—पांच दिन सी०ओ० छुट्टी में थे। उतने समय के लिए बी०डी०ओ० आये। उन पांच दिनों में सिर्फ एक दिन सुअर पीटाया।
श्री राजकुमार महासेठ—वे किस चीज से शिकार करते थे ?
श्री मनोहर सिंह—दुनाली बंदूक थी।
श्री राजकुमार महासेठ—बी०डी०ओ० साहब, फेमिली प्लानिंग के आपरेशन के लिए दो तीन महीना पहले यहां आये हैं।

श्री महदुल शेख समिति के समक्ष उपस्थित हुए

अध्यक्ष--आपके यहां क्या बात हुई ?
श्री महदुल शेख--हमने जो सुना वह बता देते हैं।
श्री राजकुमार महासेठ--आपने क्या सुना।
श्री महदुल शेख—बी० डी०ओ० साहब ने यहां आकर गाली-गलोज किया। हमारे मेहमान आये थे उसको भी बेईज्जत किया।

श्री राजकुमार महासेठ--कौन चीज के लिए बेईज्जत किया?

श्री महदुल शेख--इसलिए कि हमलोग इसमें नहीं थे। हमलोग तो यहां अपने पेट के लिए हैं।

अध्यक्ष--आपने शिकार का किस्सा सुना?

श्री महदुल शेख--जी हां। सुना था। बी०डी० ओ० साहब यहां से गाड़ी पर गये थे और फिर भागकर लुका गये थे।

श्री राजकुमार महासेठ--कहां लुका गये थे?

श्री महदूल शेख--पावा गांव में।

अध्यक्ष--क्यों?

श्री महदूल शेख--यहां सब ऑफिसर लोग आये तो वे भाग गये क्योंकि वे पकड़ा गये थे।

अध्यक्ष--उनको गांव के लोग घेरे थे?

श्री महदूल शेख--जी हां।

अध्यक्ष--कौन बस्ती के लोग थे?

श्री महदूल शेख--सोनदाग और जोगीखुरा वाले थे।

अध्यक्ष--वे आये थे परिवार नियोजन के सिलसिले में?

श्री महदूल शेख--उस दिन नहीं आये थे।

श्री राजकुमार महासेठ--उस दिन वे शिकार के लिए आये थे?

श्री महदूल शेख--जी हां।

अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि (बच्चा कम करने) नसबंदी के लिए आये थे, तो लोगो ने करा लिया?

श्री महदूल शेख--जी नहीं। उस दिन नसबंदी के सिलसिले में नहीं आये थे।

अध्यक्ष--इस गांव में जो लोग हैं उनको अपनी जमीन है कि कुछ लोग जबर्दस्ती करते हैं?

श्री महदूल शेख--कोई जबर्दस्ती नहीं करता है।

अध्यक्ष--आप जो फसल बोते हैं उसे काटते हैं?

श्री महदूल शेख--जी हां।

अध्यक्ष--दूसरे की जमीन में दूसरा कोई बोता है?

श्री महदूल शेख--जी नहीं।

अध्यक्ष--इसतरह का कोई झगड़ा है?

श्री महदूल शेख--मजदूरी करने के बाद हक मिल गया तो फिर झगड़े की क्या बात है।

अध्यक्ष--इस तरह की कोई बात है?

श्री महदूल शेख--अब तो सरकार के यहां से कानून बन गया। मजदूरी पूरी मिलती है।

अध्यक्ष--कितनी मिलती है?

श्री महदूल शेख--पहले तो तीन सेर मिलता था। अब तीन किलो मिलता है।

अध्यक्ष--नगदी का रिवाज नहीं है?

श्री महदूल शेख--नगदी का रिवाज यहां नहीं है। केवल अनाज का है।

अध्यक्ष--इस गांव में जमीन को लेकर कोई झगड़ा है?

श्री महदूल शेख--जी नहीं।

अध्यक्ष--जेठू सिंह से क्या झगड़ा है?

श्री महदूल शेख--कभी झगड़ा था। अब वापस हो गया।

अध्यक्ष--कितनी जमीन का झगड़ा था?

श्री महदूल शेख--12-14 कट्ठे का झगड़ा था

अध्यक्ष--जेठू सिंह को कितनी जमीन है?

श्री महदूल शेख--हम नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष--दस बीस बीघा होगी?

श्री महदूल शेख--जी नहीं। नौ-दस एकड़ है।

अध्यक्ष--क्या वे अपने साथ सदा दस आदमियों को लेकर चलते हैं?

श्री महदूल शेख--जी हां।

अध्यक्ष--वे दूसरों को मदद करते हैं?

श्री महदूल शेख--जी हां। सभी की मदद करते हैं।

अध्यक्ष--तब तो वे अच्छे आदमी हैं?

श्री महदूल शेख--क्या अच्छे आदमी हैं। इमताज बाबू के पास ये बराबर रहते हैं। हमारे परिवार को फंसाते हैं।

श्री जगदेव सिंह समिति के समक्ष उपस्थि हुए।

श्री जगदेव सिंह--हुजूर पहली बात है कि पाठक जी को यहां दस वर्ष हो गये लेकिन उन्होंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। हमलोग गरीब आदमी हैं। मजदूरी करते हैं। पहले तीन किलो अनाज मिलता था जहां तक जगह-जमीन का सवाल है वह कुछ इधर-उधर हो गया था, लेकिन पाठकजी ने निकाल लिया।

अध्यक्ष--आपकी जमीन निकली

श्री जगदेव सिंह--दो एकड़ निकली

अध्यक्ष--शिकार की बात जानते हैं या नसबंदी वाली बात को लेकर झगड़ा हुआ था उसको जानते हैं। डाक्टर साहब इस सिलसिले में यहां आये थे उसको लेकर झगड़ा हुआ।

श्री जगदेव सिंह--जी नहीं? डाक्टर कभी नहीं आये और न ही उन्होंने कभी किसी को कहा?

अध्यक्ष—किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ ?

श्री जगदेव सिंह—हमलोग तो नहीं जानते हैं ?. यह जानते हैं कि कैम्प पर सी० ओ० साहब की ड्यूटी थी।

अध्यक्ष—उस दिन आप गांव में थे ?

श्री जगदेव सिंह—जी हां।

अध्यक्ष—कहां पर थे

श्री जगदेव सिंह—गांव में थे।

अध्यक्ष—आपने स्वयं देखा या सुना ?

श्री जगदेव सिंह—हमने सुना।

अध्यक्ष—गांव में क्या हल्ला हुआ ?

श्री जगदेव सिंह—हमने सुना कि बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने के लिए गये थे। पांच दिन शिकार खेलने पर एक दिन सुअर पिटाया।

(श्री अब्दुल रहमान सोनदाग समिति के समक्ष उपस्थित हुए)

अध्यक्ष—आपके गांव में परिवार नियोजन को लेकर कुछ बात हुई थी ?

श्री अब्दुल रहमान—उसको लेकर नहीं हुई थी। एक दिन बाद में खबर मिली सुखदेव भुईयां तथा लालदेव भुईयां से कि बी० डी० ओ० वहां गये थे। दूसरी बात हमने सुनी कि पाठक जी तथा रेन्जर रोड पर आये हुए हैं। हमने दो दिन पहले भी दरखास्त दी थी कि हमारा धान ददु पाठक कटवा लिये।

अध्यक्ष—वे कब गये थे।

श्री अब्दुल रहमान—तीन बजे। लोगों को खबर मिली कि बी० डी० ओ० साहब दरखास्त की इन्क्वायरी करने आयेंगे। इसके बाद हमने देखा कि बी० डी० ओ० भलुआनी गये हुए हैं और भुनेश्वर सिंह के यहां और परिवार नियोजन तथा बागवानी के लिए लोगों को कह रहे हैं। वहां बहुत लोग थे।

श्री धनंजय महतो—वहां ब्लौक का कोई औफिसर था या डाक्टर इत्यादि।

श्री अब्दुल रहमान—जी नहीं। खेती के बारे में बात हो रही थी। कह रहे थे कि ज्यादा परिवार हो जाता है तो तकलीफ होती है, इसलिए लोगों को चाहिए कि परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबंदी करवा लें। उसके बाद कहा कि आपलोग अपने घर जायें। फिर दूसरी पार्टी को बुलाया। समझाया कि समझकर खेती कीजियेगा। साढ़े चार बजे उन्होंने कहा कि इसका काम सी० ओ० साहब करेंगे। रोड पर चले आये। देखा कि हाकिम वहां हैं। ददु पाटक गुर्राते हुए आये और कहे कि जैसे भुईयां को किया जाता है वैसे ही किया जाय।

अध्यक्ष—रेन्जर भी मौजूद थे।

श्री अब्दुल रहमान—उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे वही तो हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से फौरेस्टर उनको हटाये तो ददु पाठक जी ने कहा कि बी० डी० ओ० साहब बन्दूक रहमान के यहां रखे हुए हैं उनका घर घेरें। इसपर उन्होंने कहा कि यह अधिकार हमें नहीं है। यह पुलिस वाले करेंगे। हम किसी का घर नहीं घेर सकते हैं।

अध्यक्ष—यह बात कौन कह रहे थे ?

श्री अब्दुल रहमान—रेन्जर साहब।

अध्यक्ष—तो आपका घर घेरवा लिया।

श्री अब्दुल रहमान—जी नहीं। इसके बाद बी० डी० ओ० फोर्स मंगवाये और फौर्स आया और वे चले गये।

अध्यक्ष—वहां सी० ओ० थे ?

श्री अब्दुल रहमान—सी० ओ० साहब और जमादार साहब आये।

अध्यक्ष—आपने दरखास्त दी है कि आपकी धान काट ली गयी ?

श्री अब्दुल रहमान—जी हां। बी० डी० ओ० साहब का ओर्डर हुआ कि तीन हिस्सा जो वाजिब हुआ काट लीजिये।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० साहब ने बजाप्ते लिखित भी आर्डर दिया ?

श्री अब्दुल रहमान—जी हां।

अध्यक्ष—सी० ओ० के यहां भी दरखास्त दी थी ?

श्री अब्दुल रहमान—एस० डी० ओ० के यहां दिया था।

श्री राजकुमार महासेठ—कब दिया था ?

श्री अब्दुल रहमान—बीस-पच्चीस दिन पहले डी० एस० पी० से मिले। इतने में ऑर्डर हुआ कि जमादार साहब आयेंगे और उन्होंने कहा कि आपका जो हक होगा वह रहेगा।

अध्यक्ष—उसमें कुछ फसल हुई है कि नहीं ?

श्री अब्दुल रहमान—उन्होंने कहा कि तीन हिस्सा ले लीजिये।

अध्यक्ष—एस० डी० ओ० ने क्या किया ?

श्री अब्दुल रहमान—एस० डी० ओ० ने डी० एस० पी० को दिया। डी० एस० पी० थाने पर आये।

अध्यक्ष—उन्होंने कुछ लिखकर दिया ?

श्री अब्दुल रहमान—जी नहीं।

अध्यक्ष—आपने धान काट ली ?

श्री अब्दुल रहमान—जी हां।

अध्यक्ष—कोई दिक्कत नहीं हुई ?

श्री अब्दुल रहमान—जी नहीं।

अध्यक्ष—आप भी रंका गये थे ?

श्री अब्दुल रहमान—जी नहीं।

अध्यक्ष—कितना वक्त था ?

श्री अब्दुल रहमान—साढ़े 6 बजे थे। बेर डूब रहा था।

अध्यक्ष—कैम्प कितनी दूर है ?

श्री अब्दुल रहमान—डेढ़ मील है।

अध्यक्ष—वे इन्क्वायरी के लिए कब आये थे ?

श्री अब्दुल रहमान—साढ़े चार बजे इन्क्वायरी आयी।

अध्यक्ष—कितनी देर इन्क्वायरी करते रहे ?

श्री अब्दुल रहमान—एक-डेढ़ घंटा।

अध्यक्ष—उन्होंने कुछ कहा या रिपोर्ट दी ?

श्री अब्दुल रहमान—सिर्फ कह दिया कि धान नहीं काटिये जिसकी फसल होगी वही काटेगा।

अध्यक्ष—आपने जो दरखास्त दी थी वह आपके अनुकूल है ?

श्री अब्दुल रहमान—जी हां।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० साहब ने कहा कि हमारे पास दरखास्त नहीं पहुंची है ?

श्री अब्दुल रहमान—हम तो लिखकर दिये हैं।

श्री राजकुमार महासेठ—किस तारीख को दी थी ?

श्री अब्दुल रहमान—20 दिसम्बर को दी थी।

अध्यक्ष—किस तारीख को बी० डी० ओ० को लोग घेरे थे ? दरखास्त के कितने दिनों के बाद बी० डी० ओ० को लोग घेरे थे ?

श्री अब्दुल रहमान—तीन-चार दिनों के बाद।

अध्यक्ष—मुहर्रम के पहले या बाद ?

श्री अब्दुल रहमान—पहले।

(श्री रामप्रीत चमार समिति के समक्ष उपस्थित हुए।)

श्री रामप्रीत चमार—एक धान का खेत 7 डि० है। धान के खेत पर बी० डी० ओ० साहब गये थे। उन्होंने कहा कि धान मत काटियेगा। हमसे पूछकर काटियेगा। इसके बाद जोगीखुरा गये थे और बी० डी० ओ० शिकार में थे। इसके बाद देखा कि लाल बिहारी, भूखन, नगेश्वर, रहमान, प्रजापति महरा, लक्ष्मण महरा कैम्प से 500 गज की दूरी पर सुअर चीर रहे थे। हमने बी० डी० ओ० से कहा तो उन्होंने कहा कि आज हम नहीं कहेंगे। आज हम सुअर मारे हुए हैं। दूसरे दिन कहेंगे। इसके बाद हम चले आये। बी० डी० ओ० साहब सुअर मारने के दो दिन बाद आये। 22 तारीख थी 11वें महीने की वहां गये तो। बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने गये हुए थे। उसके बाद में जब वे वापस आये तो बी० डी० ओ० साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि हमकर दगे। इसके बाद बी० डी० ओ० रंका चले गये। जिस दिन से सी० ओ० साहब छुट्टी में थे उसी दिन से बी० डी० ओ० आये। भगवान कसम खाकर कह रहे हैं, बाल-बच्चेदार होकर कह रहे हैं, हम नहीं गये थे। नदी पर चढ़कर देखा कि हमने जितने भी नाम बताये वे लोग शिकार के लिए जा रहे थे। हमने सोचा कि शिकार खेलना मना है तो हम रंका चले गये और इसके बाद रेन्ज ऑफिसर के यहां गये और कहा कि वहां इस तरह की धांधली है। बी० डी० ओ० साहब धान कटवा लेते हैं। बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। इसके बाद रेन्जर, गढ़वा (पूर्व और पश्चिमी) ट्रक लेकर गये। जंगल में बी० डी० ओ० साहब नहीं मिले। उनका एक सुरेश ड्राईवर है। सुरेश सोनदाग चौक पर गया। रहमान खां भी वहीं थे।

श्री धनंजय महतो—उस दिन शिकार नहीं मिला।

श्री रामप्रीत चमार—उसके दो दिन पहले मिला था।

श्री रहमान—बी० डी० ओ० साहब ने कहा कि क्या झगड़ा लगाये हुए हैं। रेन्जर साहब ने कहा कि आप नजायज करते हैं और आप कह रहे हैं कि झगड़ा लगाये हुए हैं। इसके बाद ददु पाठक थे। बी० डी० ओ०, रेन्जर, फोरेस्टर थे। सी० ओ० साहब को खबर कराकर बी० डी० ओ० रंका चले गये थे। छोटानागपुर डी० एफ० ओ० के साथ हमलोग दूसरे दिन जंगल गये थे। वहां सुअर की खोपड़ी मिली थी।

जमीन सम्बन्धी कागजात लोगों ने समिति के समक्ष पेश किये और कहा कि पर्चा हमें मिल गया है, लेकिन उक्त जमीन का अधिकार हमें नहीं मिला है। वह जमीन रहमान खां की है।

अध्यक्ष—आपने सी० ओ० साहब से नहीं कहा? यह पर्चा आपको कब मिला है?

श्री रामप्रीत चमार तथा अन्य—बहुत पहले मिला है। पिछले आषाढ़ में मिला है। हमने सी० ओ० साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी भेजकर आपलोगों की जमीन निकलवा देंगे।

अध्यक्ष—अभीतक नहीं निकला है।

श्री रामप्रीत चमार तथा अन्य—जी नहीं। उसका प्लौट संख्या 197 है।

197 प्लौट संख्या में जिन व्यक्तियों को जमीन मिली है उनका नाम निम्न प्रकार है:—

(1) रामवृक्ष महरा।
(2) भुखन भुईयां।
(3) कैलाश महरा।
(4) विगन चमार।
(5) रमाबली चमार।
(6) जगदीश महरा।
(7) रामदास चमार।
(8) रामदास महरा।
(9) दुखी भुईयां।
(10) वृक्ष भुईयां।
(11) लक्ष्मन भुईयां।
(12) परदेशी चमार।
(13) इशक महरा।

श्री रामप्रीत चमार—रहमान मियां नाजायज तरीके से पट्टे पर दिये हुए थे।

अध्यक्ष—इसके पहले कौन जोतते थे।

श्री रामप्रीत चमार—इम्तीयाज खां जोतते थे। जब उनको मालूम हो गया कि जमीन नहीं रहने वाली है तो उन्होंने रहमान खां को बेच दिया।

अध्यक्ष—कितने दिन हुए?

श्री रामप्रीत चमार—सात आठ-वर्ष।

अध्यक्ष—रहमान खां की जमीन सीलिंग में गयी है?

श्री रहमान—हमारी जमीन सीलिंग में नहीं है।

अध्यक्ष—आपको नोटिश हुआ है?

श्री रहमान—जी नहीं।

अध्यक्ष—आपने इम्तीयाज खां से जमीन खरीदी है?

श्री रहमान—जी हां ? 11 एकड़ 33 डि० जमीन खरीदी है।

अध्यक्ष—वह जमीन आपके दखल में है ?

श्री रहमान—जी हां। हमने उसमें धान लगायी है और काटी भी है। जब हमको मालूम हुआ कि हमारी जमीन सीलिंग में है तो हम दरखास्त दिये।

अध्यक्ष—आपको मालूम हुआ कि आपकी फाजिल जमीन सीलिंग में दूसरे को मिल गयी ?

श्री रहमान—सी० ओ० ने कहा कि दाखिल-खारिज का कागज ले आये नहीं तो जमीन बंट जायगी। हमने कहा कि हमें समय दीजिये।

अध्यक्ष—आप अपील किये हुए हैं ?

श्री रहमान—जी हां।

अध्यक्ष—आपको मालूम नहीं है ?

श्री रहमान—जी नहीं।

अध्यक्ष—यह जमीन सीलिंग में गयी थी, उसकी जानकारी है। इम्तीयाज खां से आपने जो जमीन खरीदी है वह केवाला है। दाखिल-खारिज की दरखास्त आपने दी है लेकिन नहीं हुआ है।

श्री रहमान—जी हां।

अध्यक्ष—सी० ओ० के यहां है ?

श्री रहमान—सी० ओ० उप-समाहर्त्ता को बढा दिये हैं।

अध्यक्ष—यह पर्चा कहां बंटा ?

श्री रामप्रीत चमार—रंका ब्लौक में।

अध्यक्ष—कितने आदमी को मिला है ?

श्री रामप्रीत चमार—सोनदाग के 27-28 आदमियों को मिला है।

अध्यक्ष—जोगीपुर के आदमियों को नहीं मिला है ? सीलिंग में कितनी जमीन निकली थी ?

श्री रहमान—28 एकड़ सीलिंग में निकली थी।

अध्यक्ष—आपने कितनी जमीन खरीदी है ?

श्री रहमान—14 एकड़।

अध्यक्ष—28 एकड़ का दाखिल-खारिज नहीं हुआ है ?

श्री रहमान—लेकिन यह हमारी जमीन का झगड़ा नहीं है। यह तो रामावतार राउत वाली जमीन का झगड़ा है।

अध्यक्ष—इम्तीयाज खां वाली जमीन सीलिंग में नहीं है।

श्री रहमान—जी है।

अध्यक्ष—बांटने के पहले क्या किया ?

श्री रहमान—अपील पहले ही कर चुके हैं। पिछले साल अप्रील में।

अध्यक्ष—आपकी जमीन जब बंट गयी तो आप कानून के अन्दर आ जाते हैं। इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं।

मैं एक पर्चे में लिखी गयी चौहद्दी पढ़ता हूं आप बतायें कि यह चौहद्दी आपकी जमीन की है--

उत्तर—भूखन भुईयां।

दक्षिण—परदेशी चमार।

पूरब—वृक्ष भुइयां।

प्लौट सं० 197।

अध्यक्ष—यह चौहद्दी आपके जमीन की है?

श्री रहमान—प्लौट 197 से मेरा है।

अध्यक्ष—आपका 16 आना है?

श्री रहमान—जी हां।

श्री विश्वनाथ राम समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० द्वारा किये गये शिकार के बारे में या परिवार नियोजन के सिलसिले में नसबंदी संबंधी बातों के बारे में आप जानते हैं?

श्री विश्वनाथ राम—हम नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष—उनको लेकर हल्ला हुआ यह जानते हैं?

श्री विश्वनाथ राम—जी नहीं।

अध्यक्ष—मजदूरी या कर्जा को लेकर यहां कुछ झगड़ा-फसाद है?

श्री विश्वनाथ राम—मजदूरी करते हैं। पहले तीन सेर मिलता था अब तीन किलो तथा दो टाईम खाना मिलता है। पाठक जी के यहां काम करते हैं।

अध्यक्ष—मजदूरी तथा कर्जा के बारे में आपको कोई तकलीफ है?

श्री विश्वनाथ राम—हमलोगों को कुछ तकलीफ नहीं है। हमलोगों को इम्तीयाज खां ने कहा कि पाठक जी के खिलाफ काम करो। वे जमीन छोड़ देंगे तो तुमलोगों में जमीन बंट जायगी।

अध्यक्ष—शिकार के बारे में जानते हो या आपने देखा हो तो बतायें। परिवार नियोजन के सिलसिले में नसबंदी आपरेशन को लेकर कुछ बात हुई हो तो बोलें।

मो० नवीजान अंसारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष—आपको क्या तकलीफ है।

मो० नवीजान अंसारी—ऐसी बात है कि इस जमीन में काफी जंगल लगा हुआ था, उसको हमने काटकर साफ किया और अब बोते हैं।

अध्यक्ष—आपको कितनी जमीन है?

मो० नवीजान अंसारी—11-12 एकड़ जमीन है। इसके पहले यह छकौड़ी तिवारी की थी। वे यहां खेती करवा रहे थे। यह जमीन लेने के लिये इमतीयाज खां देखने आये। हमलोग इस जगह थे। पाठकजी वाली जमीन

इमतीयाज खां ले रहे थे। इसके लिये श्री छकौड़ी तिवारी ने 200 रुपया बयाना भी ले लिया। इसके बाद पाठक जी ने जमीन खरीदने के लिये बात की और श्री तिवारी ने इमतीयाज खां को बयाना लौटा दिया। इसके बाद पाठक जी ने 28 एकड़ जमीन ले ली।

अध्यक्ष—यहां पाठक जी को कितनी जमीन होगी।

मो० नवीजान अंसारी—70-80 एकड़ होगी। वही जमीन के बारे में इमतीयाज खां ने कहा कि हम चैलेन्ज करेंगे। इन्होंने युवराज साहब से 11 एकड़ जमीन सोनादाग में ली 65-66 में और बैंक डेट में पट्टा ले लिया। जब पाठकजी ने जमीन ले ली तो इमतीयाज खां को आदमी नहीं मिलने लगा। इस तरह ददु पाठक और इमतीयाज खां में कम्पीटीशन चलने लगा। सरपंच इमतीयाज खां ने इनके खिलाफ केस करना शुरू किया और हमको भी डरा दिया। पाठक जी को ट्रबुल हो गया। कई एक किता इमतीयाज खां ने सोनादाग में भी केस करा दिया। तीन तारीख को डिप्टी कमिश्नर आये हुए थे मिड्ल स्कूल में। वहां सुनवाई हो रही थी और ये भी वहां गये थे और ददु पाठक के खिलाफ बयान दिये। वहां हमलोगों ने अपना बयान दिया। 17 तारीख को बुद्धन महतो सरपंच को यहां लाया गया। इमतीयाज खां ने हमे कहा कि सारी जनता पाठक जी के खिलाफ हो गयी और आप उनके हमदर्द बने हुए हैं डी० सी० इत्यादि सभी हमारे हाथ में हैं। हम तुम पर 25 किता केस लादकर तुम्हें परेशान करेंगे।

अध्यक्ष—आपके ऊपर कोई मुकदमा है।

मो० नवीजान अंसारी—जी हां। हमारे भाई के ऊपर 452 का तथा 389का मुकदमा है।

अध्यक्ष—आपके खिलाफ इमतीयाज खां ने मुकदमा कराया है।

मो० नवीजान अंसारी—जी हां। कमिश्नर साहब आने वाले थे। चार तारीख को 11 वें महीने की बयान हेतु। साढ़े सात बजे दिन से आये हुए थे। एस० डी० ओ०, डी० एस० पी० साहब भी आये। हमलोग उधर से आये तो वे लोग गाली-गलौज करने लगे और खैरात साहब को मारने लगे। डी० एस० पी० साहब ने कहा कि अलीजान नहीं गया। कल उसका घर जलवा देंगे।

अध्यक्ष—आपके ऊपर मुकदमा हुआ। अभी वह मुकदमा चालू है।

मो० नवीजान अंसारी—जी हां।

श्री लतीफ मियां समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

अध्यक्ष—आपको क्या कहना है।

श्री लतीफ मियां—जिस दिन सुअर मारा जा रहा था उस वक्त हम जंगल में भैंस चरा रहे थे। वहां बी० डी० ओ० गये और उन्होंने कहा कि चलो। दूसरे दिन का यह वाकया है।

अध्यक्ष—आप शिकार के दिन थे । आपने क्या देखा ।

श्री लतीफ मियां—हमने देखा कि डी० एफ० ओ० इन्क्वायरी में आये और सुअर का जबड़ा इत्यादि ले गये ।

अध्यक्ष—डी० एफ० ओ० कब आये ।

श्री लतीफ मियां—दूसरे दिन आये ।

अध्यक्ष—आप हकवाई में गये थे ।

श्री लतीफ मियां—हम चले आये ।

अध्यक्ष—कहां चले आये ।

श्री लतीफ मियां—हम आकर भैंस चराने लगे । उधर से लोग सुअर मारकर ला रहे थे । इसके बाद बुद्धन महतो, नगेश्वर महतो तथा कामेश्वर महतो सभी मिलकर सुअर चीरने लगे और हम वहां से हट गये । दूसरे दिन बी० डी० ओ० साहब आये और कहने लगे कि शिकार खेलने चलना है । कहा कि चलना होगा हकवई करने के लिये ये लोग बरारी जंगल में चले गये थे ।

अध्यक्ष—एक भी बंदूक की आवाज आपने सुनी ।

श्री लतीफ मियां—एक गोली की आवाज हुई और सुअर गिर गया ।

अध्यक्ष—आप तो थे नहीं ।

श्री लतीफ मियां—लेकिन गये थे । दूसरे दिन बी० डी० ओ० जब शिकार खेलने के लिये आये तो बंदूक की खोली हमको धरा दी । उन्होंने कहा कि तुम भाग जाते हो । इसे रखो । इतने में ही शाम हो गयी । कौन खबर दिये । रेंजर फौरेस्टर को हम नहीं जानते हैं । हम चले आये थे । बंदूक की खोली हमारे पास है ।

अध्यक्ष—कहां है ।

श्री लतीफ मियां—डी० एफ० को दे दिया है ।

श्री कामेश्वर महतो समिति के समक्ष उपस्थित हुए ।

श्री धनंजय महतो—एक डेढ़ माह पहले यहां कोई सुअर मारा गया है ।

श्री कामेश्वर महतो—रेंजर फौरेस्टर गये थे एक तारीख को । ददु पाठक जी भी थे । उधर से बी० डी० ओ० आ रहे थे । वे इन्क्वायरी में गये थे । वहां पर रेंजर फौरेस्टर आये हुए थे । बी० डी० ओ०, रहमान मियां के खेत के लिये इन्क्वायरी में गये हुए थे । ददु पाठक ने कहा कि बी० डी०ओ० को अरेस्ट कीजिये ।

श्री राज कुमार महासेठ—किसलिये ।

श्री कामेश्वर महतो—क्योंकि वे शिकार खेलने गये थे । फौरेस्टर ने कहा कि उन्हें हम जंगल में पकड़ते तब न एरेस्ट करते । ददु पाठक बोले कि उनकी गाड़ी जप्त कीजिये ।

अध्यक्ष—गाड़ी कहां पर थी ।

श्री कामेश्वर महतो—वे लोग गाड़ी से गये थे । गाड़ी में कुछ नहीं था। बी० डी० ओ० को अरेस्ट कीजिए, ददु पाठक ने कहा । बी०-डी० ओ० साहब शिकार खेलने गये थे ।

अध्यक्ष—क्या समय था ।

श्री कामेश्वर महतो—रात हो गई थी।

अध्यक्ष—अंधेरा होने के पहले या बाद ।

श्री कामेश्वर महतो—बाद में । बेर डूब गया था । जोगीखुरा कैंप म बी० डी० ओ० साहब आये । आर्म फार्स आया । सभी लोग बैठे रहे । बी० डी० ओ० साहब को ददु पाठक जी नहीं जाने दे रहे थे और कहे कि कबूल कीजिये तब जाईयेगा । आर्म फोर्स आया तब बी० डी० ओ० साहब रंका गये ।

अध्यक्ष—डी० एफ० ओ० क्या कह रहे थे ।

श्री कामेश्वर महतो—हम नहीं जानते हैं ।

लाला श्री रमण अग्रवाल, सी० ओ०, रंका समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

लाला श्री रमण अग्रवाल—मैं श्री लाला रमण अग्रवाल सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं । निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष—22-11 के पहले आप छुट्टी में चले गये थे ।

सी०ओ०—जी हां, पांच दिन ।

अध्यक्ष—कब लौटे ?

सी०ओ०—जोगीखुरा से 11 बजे प्रस्थान किया । उसके बाद थाना पर आये और आधा घंटा रहे साढ़े ग्यारह बजे तक और बारह बजे जोगीखुरा के लिये गये थे । वहां रहे ।

अध्यक्ष—आप वहीं रहे ।

सी० ओ०—जी हां । आर्म फार्स के साथ थे इसलिये वहां रहे ।

अध्यक्ष—शाम को लौटे ।

सी० ओ०—शाम को जब सूचना मिली तो सोन दाग आये और बी० डी० ओ० को लेकर रंका आये ।

श्री राजकुमार महासेठ—यहां से आप अकेले गये थे ।

सी० ओ०—हमारे साथ सुरेन्द्र प्रसाद, ए० एस०-आई०, बी० डी० ओ०, रंका, सरजू प्रसाद, महावीर केवट, ब्लोक एग्रोकल्चर ओफिसर, रंका तथा बद्री प्रसाद फैमिली प्लानिंग के थे ।

श्री राजकुमार महासेठ—आप जब गये तो ये साथ गये ।

सी० ओ०—चूंकि वहां ब्लौक की जीप थी और ब्लौक की जीप को लेकर गये हुए थे ।

अध्यक्ष—उसके बाद ये लोग कहां गये ।

सी० ओ०—हम तो कैम्प में चले गये थे । उसके बाद ये लोग कहां गये हमें जानकारी नहीं है । ए० एस०-आई० हमारे साथ रह गये ।

अध्यक्ष—बाकी ये लोग कह गये इसकी जानकारी आपको नहीं है ।

सी० ओ०—हमें तो सात बजे खबर मिली । सुरेश ड्राईवर ने कहा कि बी० डी० ओ० ने आर्म फोर्स के साथ बुलाया है सोनदाग ।

अध्यक्ष—क्यों बुलाया है और किसलिये बुलाया है यह नहीं कहा ।

सी० ओ०—कुछ नहीं कहा । हमलोग जब आये तो हमने देखा कि एक चारपाई पर बी० डी० ओ० लेटे हुए हैं और उसी चारपाई पर ददु पाठक बैठे हुए हैं । दूसरी चारपाई पर फौरेस्ट डिपार्टमेंट के ओफिसर बैठे हुए थे और बहुत से लोग भी थे । बहुत जनता थी ।

श्री राजकुमार महासेठ--कितनी जनता थी ।

सी० ओ०—25—30 लोग होंगे ।

अध्यक्ष—कहां पर थे ।

सी० ओ०—सोन दाग गांव के चौहानों पर ।

श्री राजकुमार महासेठ—आप कैसे आये ।

सी०ओ०—गाड़ी से आये । उसके बाद चारपाई पर जाकर बैठ गये जिसपर बी० डी० ओ० साहब थे । थोड़ी देर तक देखते रहे । उसके बाद हमने बी० डी० ओ० से कहा कि चलिये रंका छोड़ आयें । इसके बाद उन्हें छोड़कर फिर हम उसी गाड़ी से वापस लौट आये जोगीखुरा ।

श्री राजकुमार महासेठ—आपने कहा तो बी० डी० ओ० साहब तथा और कौन-कौन आपके साथ हो गये थे ।

सी० ओ०—हमारे साथ बी० डी० ओ० हो गये थे ।

श्री राजकुमार महासेठ—आपने बी० डी० ओ० को कहां छोड़ा ।

सी० ओ०—उनके घर पर छोड़ा ।

अध्यक्ष—जिस समय आपलोग आर्मड फोर्स के साथ सोनादाग आये उस समय आपलोगों ने वहां पहुंचने पर क्या देखा । वहां लोगों का क्या मुड था ।

सी० ओ०—उनका कुछ मुड नहीं था । बी० डी० ओ० ने तथा और किसी ने कुछ नहीं कहा । हम उन्हें पहुंचाकर वापस लौट गये ।

श्री राजकुमार महासेठ—उनके पास गाडी नहीं थी इसलिये उन्होंने आपको खबर भेजी ।

सी०ओ०—ड्राईवर गाड़ी लेकर ही आया था खबर देने के लिये हम गाड़ी से उन्हें पहुंचाये और फिर वापस चले आये ।

अध्यक्ष—आपने उस दिन की पर्सनल डायरी दी होगी।

सी०ओ० हमलोग इतना ही देते हैं कि यहां से वहां गये थे और नाईट हाल्ट किया।

अध्यक्ष—उस दिन कोई खास इन्सीडेंट हुआ जिसका आपको मेंसन करना चाहिए।

सी० ओ०—उस दिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका मेंसन हमें करना चाहिए। जब कोई वाकया होता है तो उसकी अलग से हम रिपोर्ट करते हैं।

अध्यक्ष—आपको अपने यहां के बारे में मनी लेंडिंग केसेज के बारे में कोई जेनरल रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ी।

सी० ओ०—मनी लेंडिंग के केस हमारे यहां आते हैं। उसम हमने बहुत लोगों को ऋण मुक्त किया है।

अध्यक्ष—इस तरह के केस अधिक संख्या में हैं।

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—एक वर्ष का कितना होगा।

सी० ओ०—एक्जैक्ट फीगर याद नहीं है। लेकिन तीन सौ-साढ़े तीन सौ के करीब सेटलमेंट कराया है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया और अपना गहना उसके बदले गिरवी रख दिया वह व्यक्ति जब कर्ज चुकाने से असमर्थ रहा और कर्ज देने वाले व्यक्ति ने उसका गहना नहीं लौटाया तो हमने जाकर उसे समझाया और कहा कि यदि आप उसका गहना गिरवी रखे हैं तो वापस कर दीजिये। इस तरह हमने वापस कराया है।

अध्यक्ष—जिसमें आपका जमीन देनी पड़ी जो कन्टेस्टेड केस था उसका क्या नम्बर था।

सी० ओ०—तीन केस में एफ० आई आर० किया है।

अध्यक्ष—आप औथोराईज्ड हैं एफ० आई० आर० करने के लिये।

सी० ओ०—मनी लेंडिंग ऐक्ट के बारे में हमें कोर्ट का पावर दिया गया है।

अध्यक्ष—सी० डी० ओ० को।

सी० ओ०—हमारे कोई भी ऑफिसर एफ० आई० आर० कर सकते हैं।

अध्यक्ष—मिनिमम वेजेज के केस भी आते हैं।

सी० ओ०—13 ऐसे केस थे जिसमें 10 का एमीकेबुल सेटलमेंट कराया है।

अध्यक्ष—लैंड एमीशन के भी केस आते हैं।

सी० ओ०—हमारे यहां लैंड रेस्टोरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत केस आते हैं। लातेहार में छोटानागपुर टिनेन्सी ऐक्ट के सेक्शन 47 के अन्तर्गत भी इस तरह के केस हुए।

अध्यक्ष—इन सबकी रिपोर्ट आप डिस्ट्रीक्ट औथोरीटीज को भेजते रहते हैं।

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—यहां इस तरह के केस बहुत ज्यादा है।

सी० ओ०—हमने जो रिपोर्ट की है वह सौ से ज्यादा की की है। हम प्राइमाफेसी इन्क्वायरी कर लेते हैं और फिर एस० डी० ओ०, गढ़वा के यहां भेज देते हैं।

अध्यक्ष—जोगीखुरा तथा सोनादाग में इन सब केसों का क्या हाल है।

सी० ओ०—सोनादाग में रेस्टोरेशन का केस नहीं है। जोगीखुरा में चार पांच केस थे जिनको भेज दिया है।

अध्यक्ष—क्या वे पन्डिग हैं।

सी० ओ०—फैसला हो गया है।

अध्यक्ष—उनका रकबा क्या ?

सी० ओ०—15-16 एकड़ का रकबा है।

अध्यक्ष—जोगीखुरा में आदिवासियों के रेस्टोरेशन से संबंधित केस है।

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—आपका और स्टैटिक फोर्स का डेपुटेशन हुआ तो आपके ऐंड से कोई रिपोर्ट गयी थी थ्रू एस० डी० ओ०।

सी० ओ०—नहीं हमारी तरफ से नहीं गयी थी।

अध्यक्ष—कटनी के दो-चार दिन पहले आपको हार्भेस्टिंग के संबंध में रिपोर्ट करने की आवश्यकता मालूम पड़ी।

सी० ओ०—हमने रिपोर्ट नहीं की।

अध्यक्ष—वहां 144 का केस हुआ है। उसका क्या एरिया है ?

सी० ओ०—70 एकड़।

अध्यक्ष—उसमें आपने रिपोर्ट की थी ?

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—ब्रीच ऑफ पीस किसमें था।

सी० ओ०—कुछ रैयत थे। सी० ओ० रंका फस्ट पार्टी थे और सेकेन्ड में गोविन्द पाठक। सी० ओ० बनाम दूसरे रैयत थे। उनलोगों का नाम रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष—उसकी एक कॉपी आप हमें दे दें। और भी कोई केस हुआ है।

सी० ओ०—144 का एक केस जोगीखुरा में तथा एक केस सोनादाग में हुआ था।

अध्यक्ष—दोनों की कॉपी आप दे दें।

अध्यक्ष—आदिवासियों के लैंड एलीनेशन से संबंधित केस लार्ज नम्बर में मिले।

सी० ओ०—4-5 केस मिला 15 एकड़ का।

अध्यक्ष—वह कहां है।

सी० ओ०—ब्लोक में है।

अध्यक्ष—सी० डी० ओ० वहीं रहते हैं।

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—आपको कभी बी० डी० ओ० द्वारा अपने क्वार्टर के नजदीक या कोलोनी में ब्लैंक फायर की आवाज सुनने का मौका मिला।

सी० ओ०—हमने कभी आवाज नहीं सुनी।

अध्यक्ष—अंचल में आर्म्ड सेक्शन आपकी देखरेख में है।

सी० ओ०—पुलिस की देखरेख में है। जो अंचल और ब्लौक का कैश रखता है। हमारे यहां बी० डी० ओ० के नाजिर जाते हैं कैश लाने और ये लोग कंपनी करते हैं।

अध्यक्ष—जो सरकारी आर्म्स रहता है उसका कस्टोडियन कौन है।

सी० ओ०—हवलदार होता है।

अध्यक्ष—रजिस्टर वहां रहता है और क्या वह रजिस्टर मेंटेन करते हैं?

सी० ओ०—जी हां।

अध्यक्ष—उसको आप नहीं देखते हैं।

सी० ओ०—वे एस० आई० तथा डी० एस० पी० के साथ हैं। लेकिन हमारे (कैश) की भी रक्षा करते हैं।

अध्यक्ष—ब्लौक का कोई सरकारी ऑफिसर यदि बीच में बंदूक रखना चाहे तो उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्सन है। आपने कभी रजिस्टर देखा है कि नहीं?

सी० ओ०—हमको मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष—आर्म्स मुमवेंट रजिस्टर की आपको जानकारी है।

सी० ओ०—जी नहीं।

अध्यक्ष—दो बातें हैं। एक यह है कि बी० डी० ओ० रॉंगफुल कन्फाईमेंट में थे और जब आपको खबर गयी तो आपने अपने आर्म फोर्स के साथ बी० डी० ओ० को रेस्क्यू किया। दूसरी बात यह है कि बी० डी० ओ० ने अवैध ढंग से शिकार किया था और वन विभाग के लोग जांच पड़ताल में गये थे। उस सिलसिले में कुछ लोगों से बातचीत हुई। यही दोनों बात है। आपके बयान से लगता है कि आपको कोई एस० ओ० एस० नहीं गया।

सी० ओ०—हमें ड्राइवर आकर बोला कि फोर्स लेकर बी० डी० ओ० साहब बुलाये हैं।

अध्यक्ष—शिकार की बात लेकर वन विभाग के लोगों में और उनकी मदद में और लोगों के साथ कुछ बातचीत हुई।

सी० ओ०—हमारे सामने कुछ गरमा-गरमी नहीं हुई। हमने सभी को सोना-दाग चौक पर वहां बैठे हुए पाया।

अध्यक्ष—आप 22 के पहले छुट्टी में थे। लेकिन छुट्टी से लौटकर जब आप आये तो आपको क्या सूचना मिली।

सी० ओ०—हम तो यहां थे नहीं और हमारी कोई छुट्टी नहीं थी कि पता लगायें। लेकिन 22 के बाद 23-34 को शाम को रेंज ऑफिसर तथा अन्य वन विभाग के पदाधिकारी इन्क्वायरी में गये हुए थे।

श्री राजकुमार महासेठ—इन्क्वायरी कहां हुई।

सी० ओ०—हम जहां थे वहीं हुई। हमारा जो गार्ड था उनसे उन्होंने पूछ-ताछ की।

श्री राजकुमार महासेठ— वहां और लोग भी थे।

सी० ओ०—जी० नहीं।

अध्यक्ष--वे गार्ड से पूछताछ करने के लिये गए हुए थे या ए० एस० आई० सुरेन्द्र प्रसाद से पूछताछ करने के लिये गये हुए थे।

सी० ओ०—इनको 22 को बुलाया गया था लेकिन ए० सी० एफ० 23-24 को गये हुए थे।

अध्यक्ष—अभी हमलोग जोगीखुरा में थे बहुत से लोगों ने जिसको आपने जमीन का पर्चा दिया है, हमें कहा कि हमलोगों को जमीन का पर्चा मिल गया है लेकिन यह जमीन पहले इमतीयाज खां की थी और इमतीयाज खां ने रहमान खां को जमीन बेंच दी और अब रहमान खां हमलोगों को पोजेशन नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्लौट का आपने पर्चा दिया है उसका नम्बर 197 है।

सी० ओ०—जहां तक रहमान खां को नोटिस देने की बात है वह तो राजा बहादुर की जमीन थी।

अध्यक्ष-- वे क्लेम करते हैं कि वे पोजेशन में हैं ?

सी० ओ०—यदि इस तरह की बात आपके जानकारी में आयी है तो आप हमें बता दें हम वहां जाकर देख लेंगे और उनलोगों को पोजेशन दिलवा देंगे।

अध्यक्ष—रहमान खां ने कहा कि यह हमारी जमीन है। हम उसके पोजेशन में हैं। हम उसमें से धान काटे हैं।

श्री जगनारायण पाठक—रहमान खां कहते हैं कि हमें बी० डी० ओ० ने धान कटवा दिया है ?

सी० ओ०—हमारे यहां उनलोगों की कोई दरखास्त भी है लेकिन हमने जिनलोगों को जमीन का पर्चा दिया है उनलोगों को उसका पोजेशन दिलवाना जरुरी है।

समिति ने निर्णय लिया कि जिनलोगों ने जमीन के पोजेशन नहीं मिलने के सम्बन्ध में शिकायत की है उनकी एक सूची बनाकर सी० ओ०, रंका को दे दी जाय ताकि उस सम्बन्ध में ये आगे की कार्रवाई कर सकें।

सी० ओ०, रंका को सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची दे दी गयी।

ओ० आई०, रंका समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष—ब्लौके के आर्म्स के कस्टोडियन हवलदार होते हैं। वे रजिस्टर रखते हैं और आपलोग कम्पीटेन्ट हैं, रजिस्टर देखने के ?

ओ० आई०—हमारे पास रखते हैं। हम उसको सीन करते हैं

यक्ष—रजिस्टर रोज लिखा जाता है ?

ओ० आई०—जी हां। सरकार ड्यूटी का लिखा जाता है।

अध्यक्ष—जैसे हम अपना आर्म्स रख दें तो वह इन्टरी हो जायगा और जब ले जायेंगे तो वह भी इन्टरी हो जायगा तो दस्तखत कौन करता है ?

ओ० आई०—गार्ड कमान्डर।

हवलदार धनराज सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया।

हवलदार धनराज सिंह द्वारा आर्म्स रजिस्टर समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया।

समिति ने रजिस्टर देखने पर यह पाया कि बी० डी० ओ० द्वारा 9 नवम्बर को गन जमा किया गया और 10 जनवरी को वे गन ले गये। लेकिन इस सम्बन्ध में रजिस्टर में जो इन्टरीज थी वह दो इन्टरीज के बीच की गयी थी और उन दोनों इन्टरीज से वह इन्टरीज भिन्न स्याही में थी। बी० डी० ओ० द्वारा गन रखने के सम्बन्ध में इन्टरीज निम्न प्रकार है :—

2 बजे—"बी० डी० साहब का गन गार्ड में जमा किया जिसका नम्बर 7505055 है। ये गन सुरक्षा हेतु हमलोग के गार्ड में रखा गया है।"

(ह०) चन्देश्वर सिंह,
9-11
बहुरन उरांव

रजिस्टर में इस इन्टरीज पर उप-सचिव श्री इन्दुभूषण सिन्हा, बिहार विधान परिषद् द्वारा अपना हस्ताक्षर कर दिया गया।

अध्यक्ष—आप कितने दिनों से हैं, इस अंचल में ?

हवलदार—9 महीने से।

अध्यक्ष—किसी सरकारी ऑफिसर का आपने बंदूक जमा किया है ?

हवलदार—दूसरे का राईफल जमा नहीं होता है।

श्री राजकुमार महासेठ—एक हीं बार जमा हुआ है ?

हवलदार—जी नहीं।

अध्यक्ष—आप अंचल क्वार्टर में रहते हैं। वहां किसी को आपने बंदूक छोड़ते देखा है या कभी बंदूक की आवाज सुनी है ?

हवलदार—हमने कभी आवाज नहीं सुनी।

अध्यक्ष—आपको बाहर जाने का हुक्म कौन देता है ?

हवलदार—थाना से आज्ञा लेकर जाते हैं। बी० डी० ओ०, सी० ओ० साहब

के आदेश के मुताबिक थाना प्रभारी कमान देते हैं।

अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में कोई सबूत है?

हवलदार--जी हां।

अध्यक्ष--आप हमें वह दिखा सकते हैं?

इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष कमान सम्बन्धी आदेश बुक प्रस्तुत किया गया जिसमें यह था कि दिनांक 9 नवम्बर 1976 को 8-30 बजे हवलदार कमान लेकर गये थे और 10 जनवरी 1977 को 8-30 बजे रवानगी का आदेश पहुँचा दिया गया ए० एस० आई० द्वारा।

इन सारे कागजातों को देखने के बाद समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची --

दिनांक 10 जनवरी 1977 को अंचल गार्ड ड्यूटी रजिस्टर में बंदूक वापस दिखलायी गयी है जिसमें हवलदार धनराज सिंह बी० डी० ओ० की गन डिलीवरी के पूर्व इन्टरीज में अपनी रवानगी दिलाये हैं। रवानगी में ही शिवकुमार सिंह सिपाही को चार्ज दे दिया गया है। पुनः "सदर" लिखकर बी० डी० ओ० को बंदूक की डिलीभरी दिखलायी गयी है जिसमें हवलदार ने इन्टरीज किया है लेकिन अपना हस्ताक्षर इन्टरी में नहीं बनाया है। उसमें सिर्फ बी० डी० ओ० का इनीसियल और तिथि 10-1 अंकित है। रवानगी का समय नहीं है। जिस दिन बी० डी० ओ० द्वारा बंदूक जमा की गयी उस दिन की इन्टरी में उसकी तिथि और समय भी अंकित किया गया है लेकिन जिस दिन बी० डी० ओ० द्वारा बंदूक की डिलीभरी ली गयी उस दिन समय अंकित नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गयी।

'संयोजक'
जांच समिति।

अनुबन्धन 6।

Copy of Entry, dated 22nd November 1976 of Ranka P.-S.

351 8बजे आज की डायरी शुरू किया।

(ह०) रा० कु० सिंह।

352 11 बजे आरक्षी 185—प्रदीप सिंह को थाना मालखाना सिरिस्ता बैरेक के निगरानी हेतु पूरे वर्दी में पहरा तैनात किया तथा समझा-बुझाकर दस्तखत लिया।

(ह०) रा० कु० सिंह।

353 8.30 बजे आरक्षी 69—भगवान सिंह को डालटेनगंज जरूरी डाक लेकर तथा बन्दूक का तेल लाने के लिए कमान दिया।

(ह०) रा० कु० सिंह।

354 10 बजे कुछ नहीं लिखना है।

(ह०) रा० कु० सिंह।

355 12.00 बजे सहायक आरक्षी निरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद योगीखूरा के लिए प्रस्थान। प्रस्थान किये। उन्हें आदेश दिया कि अगल-बगल के गांवों में ध्यान रखेंगे कि कोई अप्रिय घटना न घटने पावे।

(ह०) रा० कु० सिंह।

True copy of S.D.E. 353, dated 22nd November 1976 entry no.356

356 बजे इस समय योगीखूरा जाते के क्रम में बी० डी० ओ० तथा सी० ओ० थाने पर आये और बातचीत के सिलसिले में बी० डी० ओ० (क) बिना प्रसंग के एकाएक बोले कि इनको सूचना मिली है सरयु साहुन, साकिन सोनदाग, बुधन महतो, साकिन सोनदाग, रामजान या रहमान जिसका नाम याद नहीं है के यहां डकैती होने की बात कही जाती है। अतः सनहा किया एवं योगीखूरा में तैनात सहायक अवर निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद को आवश्यक हिदायत दिया कि उस ओर वे अपना कान खड़ा रखेंगे तथा देखेंगे कि किसी तरह की घटना न घटने पावे तथा यदि इस तरह की रचना की बात की जानकारी में हों तो वे तुरत मुझे तथा उच्च पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

मुझे आशंका होती है कि पुनः उस क्षेत्र के आपसी विरोधी लोग पुनः सिकठ के बुधन महतो की तरह अपने मतलब साधने की नियत से डकैती केस की रचना रचने की योजना बनाते हैं। जिसकी जानकारी सम्भवतः बी० डी० ओ०, रंका को हो, कारण कि इस तरह झूठे कार्यों के रचयिता सरपंच इमतियाज अहमद एवं विजय साव, साकिन रंका के साथ इनकी बैठकी एकसरहां हुआ करती है। अतः भविष्य के लिये सनहा किया एवं सहायक अवर निरीक्षक को सतर्क रहने को कहा जो उसी तरफ तैनात हैं। यह लिखना उचित होगा कि सरयू साहुन इस तरह का नाटक रचाने में सरपंच इमतियाज एवं विजय साव के साथ मुख्य पार्ट अदा किया करते हैं।

(ह०) आर० के० मिश्रा।

आज परेड पर चौकीदार खदेरू घासी एवं चौकीदार विश्वनाथ दुसाध, चौकीदार रातमनी दुसाध, चौ० जगपत भूइया हाजिर हैं--इलाके के खैरियत रिपोर्ट सही बताया। बाद परेड के नियमों के परेड समाप्त किया।

(ह०) रा० कु० सिंह।

358 16.00 बजे मैं थाना प्रभारी आर० के० मिश्र विविध गस्ती हेतु प्रस्थान किया—डायरी का चार्ज लेखक को दिया।

(ह०) रा० कु० सिंह।

---

359 18.00 बजे कुछ लिखना नहीं है।

(ह०) रा० कु० सिंह।

---

360 20.00 बजे कुछ लिखना नहीं है।

(ह०) रा० कु० सिंह।

---

361 22.00 बजे आ0 सूर्य सिंह तथा महाल चौकीदार ने रंका साकिन गस्ती करने हेतु प्रस्थान किये।

True copy
R. K. Misra
O/c Ranka P.-S.
15-1-1977

(ह०) रा० कु० सिंह।

True copy of Ranka P.-S. S.D.E. no. 380, dated 23rd Novembe[r] 1976 case of Ranka P.S. no. 4(11)76 u/s. 143-353-3[?]1 I.P.C. 20 hr[s]

इस समय बी० डी० ओ० साहब रंका का एक पत्र आ० 639 सूरज सिंह दिये जो इस प्रकार है :—

सेवा में
थाना प्रभारी,
रंका, पलामू।

विषय—सुरेन्द्र पाठक, ग्राम योगीबूरा द्वारा दबाव डालकर मुझे रोक रखने; मारने-पीटने की चेष्टा करने एवं सरकारी काम के व्यवधान डालने के सम्बन्ध में।

महाशय,

कल दिनांक 22 नवम्बर 1976 को संध्या समय जब मैं सोनदाग से परिवार नियोजन तथा अन्य निरीक्षण कार्य करके मुख्यालय के लिये लौट रहा था और

चाहता था कि मुख्यालय पहुँच कर जिला विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय निरीक्षण की तैयारी कर सकूं, तो मैंने देखा कि श्री सुरेन्द्र पाठक अपने बहुत से आदमियों के साथ ग्राम सोंनदाग के चौहाने पर खड़े थे। एक किनारे वन-विभाग के कुछ पदाधिकारी आ खड़े थे। श्री पाठक ने क्रोधित एवं आवेशपूर्ण मुद्रा में कहा कि आज सोनदाग से आगे बी० डी० ओ० को नहीं जाने दिया जायेगा और न उनकी गाड़ी को ही जाने दूंगा। आज इन्हें बन्द कर देंगे। ऐसा कहते हुए वे मुझे रोक लिये। उसी क्रोधित मुद्रा में उन्होंने यह भी कहा कि मेरा धान छीनकर चौकीदार के पास रख दिया है और ये जंगल में शिकार करते हैं। आज उन्हें ठीक कर दूंगा। श्री पाठक क्रोधित मुद्रा में बोलते जाते थे और मेरी ओर मारने-पीटने का प्रयत्न करते आने का प्रयत्न करते थे। श्री एस० एन० चौधरी, वन-क्षेत्र पदाधिकारी (क) पूर्वीय क्षेत्र मेरा बचाव कर रहे थे और श्री पाठक को अपने हाथ के सहारे किनारे करते जाते थे। श्री चौधरी ने इस प्रकार मेरी कुछ देर तक रक्षा की। मैं श्री सुरेश राम ड्राईवर से कहा, कि मेरे बचाव के लिये जमादार साहब का तथा सशस्त्र पुलिस को मेरे पास ला दीजिए। ड्राइवर के द्वारा समस्त पुलिस लायी जाने पर श्री पाठक कुछ नहीं बोले और किनारे हट गये। सशस्त्र पुलिस की सहायता से मैं सुरक्षित घर तक पहुँचने में सफल हो सका। इस प्रकार श्री पाठक ने दबाव डालकर मुझे रोके, कहीं आने-जाने से वंचित किये एवं सरकारी कार्य में विघ्न पहुँचाये। उस समय अनेक सहयोगी के साथ श्री रामप्रीत महरा, बसंत तिवारी, मोहम्मद सिराजुदीन, एवं विरमू साव भी थे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर उचित कानूनी कारवाई की जाय ताकि मैं निर्विघ्न रूप से सरकारी कार्य कर सकूं।

विश्वासभाजन,

(ह०) सरयू राम,
प्र० वि० पदा. (क)।
23-11-1976।

अभी थाना पर कोई आफिसर नहीं है। आफिसर के आने पर जैसा होगा आगे की कारवाई की जायेगी।
(ह०) रामप्यारे सिंह,
स0 आ0।

True copy
R.K. Misra
O/cRanka P.-S.
15 1-77

सच्ची प्रतिलिपि रंका थाना, दिनांक 23 नवम्बर 1976 का (1)

सन्हा नं०	समय	
365	8.00 बजे	आज का डायरी लिखना शुरू किया । (ह०) रामप्यारे सिंह । ले०
366	तथा पहरा ।	आरक्षी 639, सुरूज सिंह को थाना मालखाना, सीरीस्ता, बैरेक के निगरानी हेतु पूरे वर्दी में पहरा तैनात किया तथा समझा-बुझा दिया । (ह०) रामप्यारे सिंह । ले०
367	तथा प्रस्थान ।	आरक्षी 185, प्रदीप सिंह को रामकेड़ा वारंट तामील करने हेतु कमान दिया । (ह०) रामप्यारे सिंह । ले०
368	8.30 बजे प्रस्थान ।	मैं सा० आ० राम प्यारे सिंह, डाल्टेनगंज जी० पी० लिस्ट कम्पेयर कराने हेतु प्रस्थान किया । डायरी का चार्ज आ० 639-सुरूज सिंह को दिया । (ह०) रामप्यारे सिंह । ले०
369	8.40 बजे आमद ।	ह० धनराज सिंह छुट्टी से वापस आये । (ह०) सुरूज सिंह, आरक्षी ।

सन्हा नं० समय

370 9.00 बजे ह० धनराज सिंह तथा उनके बताये आरक्षियों को
प्रस्थान। गढ़वा के लिए कमान दिया।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

---

371 10.00 बजे कुछ लिखना नहीं है।
सन्हा।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

---

372 11.00 बजे आ० 69-भगवान सिंह थाना वापस आये।
आमद।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

---

373 12.00 बजे आ० 179-बम बहादुर सिंह थाना वापस आये।
आमद।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

---

374 14.00 बजे चौ० अनबुझ दुसाध चौ० गुठल हाजीर है।
परेड।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

---

375 16.00 बजे कुछ लिखना नहीं है।
सन्हा।

(ह०) सुरूज सिंह,
आरक्षी।

ृहा नं०	समय	
376	18.00 बजे सन्हा।	कुछ लिखना नहीं है। (ह०) सुरूज सिंह, आरक्षी।
377	18.30 बजे आमद।	ह० धनराज सिंह तथा गार्ड गढ़वा से आये। साथ में टी० ए० का पैसा लाये। अभी थाना पर कोई ऑफिसर नहीं है; उन्हें गार्ड में रखने को कहा तथा ऑफिसर को आने पर पैसा लावेंगे। (ह०) सुरूज सिंह, आरक्षी।
378	19.00 बजे आमद।	मैं सा० आरक्षी राम प्यारे सिंह डालटेनगंज से थाना आया। डायरी का चार्ज लिया। (ह०) राम प्यारे सिंह ले०।
379	तथा सन्हा	सुरेन्द्र पाठक, सा० जोगीखुर्रा ने एक आवेदन दिये हैं, जो इस प्रकार है :—

श्रीमान् थाना प्रभारी, रंका,
महाशय,

सेवा में सविनय निवेदन ऐसा है कि 22-11-'76 को मैं अपने भंडार से 12 बजे दिन में पहुंचा तो भुखन भुईया, रामप्रीत राय ने कहा कि वहां बी० डी० ओ० साहब चार-पांच दिन से शिकार खेलते हैं। तो हमने उन लोगों को रेंजर साहब के पास जाने के लिए कहा तो वे लोग जाकर रेंजर साहब से

बोले तो रेंजर साहब अपने स्टाफ के साथ वहां गये तो वहां हकवाई करने वाले को रेंजर साहब जंगल में पकड़े तो पूछने पर उन लोगों ने रंका बी० डी० ओ० महावीर केवल वगैरह का नाम बताया। इस पर बी० डी० ओ० रंका और यहां के प्रमुख लाल नर्वदेश्वर प्र० सिंह और इमतेयाज खां (सरपंच), विजय साह ने बी० डी० ओ० के डेरा पर मिटींग करके सुरेन्द्र पाठक जोगीखुर्रा में रहते हैं, उनको फंसा देंगे। तो आपको शिकार केश में हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। और अपने आदमियों से कहवा देंगे कि बी० डी० ओ० साहब कुछ दूसरे काम से आये थे। इसलिए मैं थाना में अगाह कर देता हूँ कि मेरे ऊपर और मेरे आदमियों को फंसाने का कोई कोशीस नहीं कर सके।

(ह०) सुरेन्द्र पाठक,
23-11-76।

सन्हा किया, कोई औफिसर थाना पर नहीं है। आने पर जैसा होगा आगे की कार्रवाई की जायेगी।

(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०।

---

380 20.00 बजे सन्हा। बी० डी० ओ० साहब का आवेदन की कोपि जी० मु० नं० 4(11)76 कायम किया गया है

---

381 22.00 बजे सन्हा। कुछ लिखना नहीं है।

(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०।

382 6.00 बजे सुबह । रात खैरियत से बीता ।

(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०।

---

383 8.00 बजे बन्द । आज का डायरी बन्द किया । केस नहीं ।

केस--नहीं ।
यू०डी० केस--नहीं ।
कैश--कैश रजिस्टर के अनुसार ।
स्टैम्प--डी० आर० के अनुसार ।

समर्पित ।
(ह०) राम प्यारे सिंह
24-11-1976
ले०, रंका थाना ।

सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 24-11-1976, रंका थाना का ।

---

384 8.00 बजे शुरू ।. आज का डायरी शुरू किया ।

(ह०) रामप्यारे सिंह,
ले०।

---

385 तथा पहरा आ० 179, बम बहादुर सिंह को थाना, मालखाना, सिरिस्ता, बैरेक के निगरानी हेतु पूरे वर्दी में पहरा तैनात किया तथा समझा-बुझा दिया ।

True copy of S. D.E. no. 386, dated the 24th November 1976 of Ranka P.-S.—8.15 A.M.

मैं थाना प्रभारी आर० के० मिश्रा सा० 117 मैंना सिंह आ० 185 प्रदीप सिंह के चिनियां होते रमकन्डा से वापस आया। डायरी का चार्ज लिया। पहले के सनहा को पढ़ा। सनहा नं० 380 के पढ़ने से मालूम होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ दिनांक 22 नवम्बर 1976 को घटना घटी है। इसके सम्बन्ध में आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह की घटित घटना का प्रतिवेदन मेरे थाने में कल शाम को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दी गयी है जबकि मेरे साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कल 23 नवम्बर 1976 को ही लगभग 9.30 बजे दिन में उनके निवास पर ही अंचल पदाधिकारी, रंका एवं उनके साथ नियोजित स० अ० नि० के सामने साक्षात्कार हुई थी। उनके साथ मुझे लगभग 15-20 मिनट तक बातें हुई थीं। लेकिन उन्होंने उस घटना की जानकारी उस समय एकदम नहीं दी जब कि यह प्रतिवेदन थाना प्रभारी को ही पुनः शाम को भेजी गयी। जिस समय कि मैं थाना मुख्यालय से बाहर रमकन्डा में था उक्त सनहा 380, दिनांक 23 नवम्बर 1976 की एक प्रतिलिपि स० अ० नि० श्री सुरेन्द्र प्रसाद, कैम्प गोगोखूरा को आवश्यक जांच-पड़ताल एवं उचित कार्रवाई के लिये भेजी जाती है तथा इसके सम्बन्ध में आ० नि० एवं आ० उपा०, गढ़वा से उचित परामर्श प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिये कदम उठाया जायगा।

मैं दिनांक 23 नवम्बर 1976 को रामकंडा बाजार में हुसेनी साव के घर एवम् दुकान के सामने रामकंडा-रंका रोड पर रंका बाजार से एक मोटर सायकील नं० बी०एच०टी० 3854 को 16.30 बजे शाम को गवाहन श्री लक्षुमन यादव, सा० रामकंडा तथा हबीबुल रहमान के समक्ष चेक किया जिस मोटर सायकील पर शिवलाल गुप्ता, वल्द करीमन साव, सा० गोदरमाना, थाना रंका, जिला पलामू के सवार थे तथा चलाते थे। इन्होंने इस गाड़ी का ऑनर बुक दिखाया, जो इनके अपने भाई मुगालाल साव के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका टैक्स टोकन 31 दिसम्बर 1976 तक दिया हुआ पाये। लेकिन चालक शिवलाल गुप्ता के पास चालक लाइसेंस नहीं पाया गया, पूछने पर इन्होंने बताया कि इनकी लरनींग लाइसेंस है जो घर पर है, साथ में नहीं है, तथा मोटर सायकील के सामने लरनींग लाइसेंस के सबूत में एल० का सायनबोर्ड भी नहीं लटकाया हुआ पाया, इन्हें चार रोज का समय दिया कि यदि इनके पास लरनींग लाइसेंस भी हो तो मुझे दिखा दें, अन्यथा समय के बाद इनके विरुद्ध मोटर-भेहिकील ऐक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए प्रतिवेदन भेज दूंगा।

(ह०) रामकुमार मिश्रा
थाना प्रभारी।

सनहा	समय	
387	8.30 आमद।	बजे इस समय ह० धनराज सिंह, आ० 173, चन्द्रेश्वर सिंह थाना आये तथा गढ़वा से सरकारी रुपया टी०ए० लाये जो ए० एस० नं० 44, दिनांक 19 नवम्बर 1976 में 1,289 रुपया 99 पैसा का है। जिसका आर० सी० नं० III दिनांक 24 नवम्बर 1976 जारी किया। (ह०) रामकुमार मिश्रा, थाना प्रभारी।
388	तथा पेमेंट।	नीचे लिखे ऑफिसर तथा स्टाफ का टी० ए० रौल के अनुसार वितरण किया तथा दस्तखत लिया। टी०ए०आर० 19 (11) 76 अ०नि० आर० के० मिश्रा—103 रु० 44 पैसा, स० आ० नि० सुरेन्द्र प्रसाद—252 रु० 23 पै०, आ० 639 सुरूज सिंह—64 रु० 56 पैसा, आ० 185, प्रदीप सिंह—44 रु० 65 पैसा, आ० बम बहादुर सिंह—62 रु० 34 पैसा, आ० 117 मैना सिंह—42 रु० 91 पै०। ई०ए०आर० 28 (10) 76—आ० 185 प्रदीप सिंह—5 रु० 40 पैसा, आ० 639 सुरूज सिंह—32 रु० 38 पै०, ह० धनराज सिंह—114 रु० 15 पै०, आ० 512 बहोरन उरांव—99 रु० 54 पै०, आ० 380 रणजीत ओझा—71.90 रु०, आ० 173 चन्द्रेश्वर सिंह—42 रु० 66 पैसा, इ० ए० आर० 42 (10) 76 ह० धनराज सिंह—43 रु० 67 पैसा। (ह०) रामकुमार मिश्रा, थाना प्रभारी।

स० न० समय

389 9.00 बजे प्रस्थान। आ० 512 बहोरन उरांव को गढ़वा आरक्षी उपाधीक्षक कार्यालय के लिए कमान्ड दिया।

ह० रामकुमार मिश्रा,
थाना प्रभारी।

सं० नं० समय

390 10.00 बजे प्रस्थान। ह० धनराज सिंह तथा उनके बताये आरक्षी पीरो गढ़वा के लिए कमाड दिया।

ह० रामकुमार मिश्रा
थाना प्रभारी।

---

391 11.00 बजे आमद। इस समय आरक्षी उपाधीक्षक महोदय थाना आये। मैं इनके साथ जोगीखुरा के लिए प्रस्थान किया। डायरी का चायर्ज लेखक को दिया।

ह० रामकुमार मिश्रा
थाना प्रभारी।

---

392 12.00 बजे कुछ लिखना नहीं है।

ह० रामप्यारे सिंह,
ले०।

393 12.30 बजे प्रस्थान। आ० 639 सुरूज सिंह को चिनियां तीन रात गस्ती हेतु कमान दिया तथा आ० 185 प्रदीप सिंह को तमगे एक रात एस० ड्राइव के लिए कमान दिया।

ह० रामप्यारे सिंह,
ले०।

---

394 14.00 बजे आमद। मैं थाना प्रभारी आर० के० मिश्रा, सामील आरक्षी उपाधीक्षक महोदय के थाना आया तथा आरक्षी उपाधीक्षक महोदय थाना का मुलाहजा शुरू किये।

ह० रामकुमार मिश्रा,
थाना प्रभारी।

395 16.00 बजे परेड। आज परेड पर चौ० भुखन दुसाध हाजिर हैं। ये इलाका के खैरियत रिपोर्ट सही बताया, बात परेड़ के नियमों के परेड समाप्त किया।

ह०

---

396 17.30 बजे प्रस्थान। इस समय आरक्षी उपाधीक्षक महोदय थाना से प्रस्थान किया।

ह० रामकुमार मिश्रा,
थान प्रभारी।

---

397 18.00 बजे आमद। इस समय कुछ लिखना नहीं है। केवल आ० 512 बहोरन उरांव गढ़वा से थाना वापस आये।

ह० रामकुमार मिश्रा,

सन्हा नं०	समय	
398	18.00 बजे मुकदमा।	सन्हा नं० 380 पर श्रीमान आरक्षी उपाधीक्षक, गढ़वा के विचार के बाद आदेशानुसार मु० नं० 4, दिनांक 24–11–1976 कायम किया तथा इसका अनुसंधान स० अ० नि० सुरेन्द्र प्रसाद को दिया, जो जोगीखुरा में नियोजित हैं।

ह० रामकुमार मिश्रा,
थाना प्रभारी।

399	18.10 बजे प्रस्थान।	मैं थाना प्रभारी आर० के० मिश्रा ग्राम तम्गें के लिए एस० ड्राईव डिउटी में प्रस्थान किया, चार्ज लेखक को दिया। ह० राजकुमार मिश्रा, थाना प्रभारी।
400	20.00 बजे आमद।	आ० 166 राम लाल सिंह, गढ़वा से डाक लेकर थाना आये। ह० राम प्यारे सिंह, ले०।
401	तथ्य आमद।	ह० धनराज सिंह थाना आये तथा कमान आमद कराये। ह० राम प्यारे सिंह, ले०।
402	22.00 बजे प्रस्थान।	आ० 117 मैना सिंह साथ महाल चौकीदार को रंका खाश रात गश्ती में प्रस्थान किया। ह० राम प्यारे सिंह, ले०।
403	5.00 बजे आमद।	आ० 117 मैना सिंह थाना वापस आये। ह० राम प्यारे सिंह, ले०।

404 6.00 बजे सुबह। रात खैरियत से बीता।

(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०।

---

405 7.00 बजे प्रस्थान। आ० 166—रामलाल सिंह को थाना से प्रस्थान किया।

(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०।

---

406 8.00 बजे बन्द। आज की डायरी बन्द किया।

केश—4(11)76
कैश—कैश रजिस्टर के अनुसार।

समर्पित,
(ह०) राम प्यारे सिंह,
ले०,
रंका थाना।
25-11-1976

अनुबन्धन 7

(सच्ची प्रतिलिपि)

सं० 1040, दिनांक 23 नवम्बर 1976।

प्रेषक

श्री सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका,

सेवा में

अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा।

विषय—श्री सुकदेव भुइयां, ग्राम सिकट का धान श्री सुरेन्द्र पाठक, ग्राम जोगीखुरा द्वारा कटवाये जाने का प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित श्री सुकदेव भुइयां, ग्राम सिकट के आवेदन-पत्र पर आपके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार मैंने दिनांक 21 नवम्बर 1976 के लगभग 12 बजे दिन में दिए गए तथ्यों की जांच की। प्रस्तावित धान के खेत में धान की फसल नहीं थी और उसकी कटनी समाप्त हो चुकी थी। पास के कुछ चरवाहों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि आधा घंटा पहले श्री सुरेन्द्र पाठक, पिता श्री प्रदुम्न पाठक, ग्राम चोकड़ी, थाना हुसेनाबाद, जिला पलामू, हाल मुकाम ग्राम जोगीखुरा, थाना रंका, धान की मेड़ पर खड़े होकर करीब 10 मजदूरों से धान कटवाकर एवं बंधवा कर श्री रामपृत महरा, बल्द श्री बेचू महरा, ग्राम सोनदाग की देख-रेख में उत्तर की ओर भेजवाये हैं।

मैं तुरत उत्तर की ओर बढ़ा और सोनदाग पूर्वी टोले पर पता लगाने लगा। मैं पहले श्री रामप्यारी भुइयां के घर पर ताजा धान कटने का पता लगाया, किन्तु वहां पता न लगा। फिर मैं भूखन भुइयां के घर पर गया। वहां उसकी धर्मपत्नी अपने पैरों से रगड़कर ताजा कटे हुए धान को पौधों से अलग कर रही थी। उन्होंने बताया कि पाठक जी का धान काटने गई थी, उसी की मजदूरी में यह धान मिला है। शेष बोझे के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लाल बिहारी भुइयां, पिता गणेशी भुइयां के दरवाजे पर शेष धान के बोझे की दौनी हो रही है।

अतः मैं तुरत पूरब की ओर बढ़ा और आगे बढ़ने पर सुरजी साहून, पति मृत श्री छवि साह ने हाथ से इशारा करके बिहारी का घर बताया जहां दौनी हो रही थी।

मैं श्री बिहारी भुइयां के दरवाजे पर हरे एवं ताजे धान की दौनी करते हुए रामनाथ भुइयां, पिता श्री जगदीश भुइयां को पाया। श्री रामपृत महरा, पिता श्री बेचू महरा वहां बैठकर धान की दौनी करा रहे थे। मैं ड्राइवर को भेजकर जोगीखुरा से सशस्त्र सैनिक को बुलवाया और सबों की देख-रेख में धान की दौनी तथा ओसौनी कराई। तौलवाकर असीमन बीबी, जौजे मृत श्री कमरुद्दीन मियां, भूतपूर्व चौकीदार के पास रखवा दिया। श्री सुकदेव भुइयां, श्री लाल बिहारी भूईयां, श्री केशर भुइयां, श्री जीतु भुइयां तथा रामनाथ भुइयां का व्यान लिया और उसे मूल आवेदन के साथ आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

जांच के दौरान यह भी हुआ कि दिनांक 11 नवम्बर 1976 को श्री सुरेन्द्र पाठक एवं उनके सहयोगी श्री सुकदेव भुइयां के तीन क्यारी धान श्री रामप्यारी महतो के पास रखे हुए हैं।

अतः आप से अनुरोध है कि श्री सुरेन्द्र पाठक, श्री रामपृत महरा, श्री लाल-बिहारी भुइयां एवं अन्य दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,
सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका।

ज्ञापांक 1040, दिनांक 23 नवम्बर 1976।

प्रतिलिपि व्यान की प्रति के साथ थाना प्रभारी, रंका की सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका।

अभिप्रमाणित।
सरयू राम,
प्र०वि०पदा०, रंका।
16-1-1977

सच्ची प्रतिलिपि

प्रेषक

श्री सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू),

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा, दक्षिणी प्रमण्डल।

विषय—वन श्रमिक सहयोग समितियों के साथ कूपों को बन्दोबस्ती के सम्बन्ध मे।

प्रसंग—आपका पत्रांक 4698 दिनांक 14 सितम्बर 1976 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 14 (सी०), दिनांक 22 अगस्त 1976।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में वांक्षित सूचनाएं इस पत्र के साथ आपके पास उचित कारंवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। संलग्न प्रपत्र में समितियों के नाम तथा उनके सचिव और उससे सम्बन्धित व्यवस्थापक जो विचोलिये (Middlemen) के रूप में लाभान्वित हो रहे हैं उनका व्योरा दिया जा रहा है।

अनु०—जैसा ऊपर वर्णित है।

विश्वासभाजन
(ह०) सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू)।

ज्ञापांक 232-मुख्य, दिनांक 18 दिसम्बर 1976।

प्रतिलिपि समितियों के मंत्री एवं व्यवस्थापक की सूची के साथ, अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ह०) सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू)।

सच्ची प्रतिलिपि

वन श्रमिक सहयोग समितियों की सूची

रंका प्रखण्ड (पलामू)

क्रम सं० ।	वन सहयोग श्रमिक समिति का नाम ।	समिति के मंत्री का नाम एवं पता ।	व्यवस्थापक (बिचौलिय) का नाम ।	अभ्युक्ति ।
1	हुरदाग वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री राजेश्वर सिंह (आदिवासी), ग्राम– हुरदाग ।	श्री मथुरा सिंह (गैर-आदिवासी,) ग्राम—सिगा-कला ।	
2	चफला वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री सुघन परहिया (आदिवासी), ग्राम—चफला ।	श्री सत्यनारायण प्रसाद (गैर-आदिवासी), ग्राम—सिगसिगा-कला ।	
3	खरडीहा शेरासाम वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री प्रभु भुइयां हरिजन), ग्राम—खरडीहा ।	श्री दीनबन्धु पाण्डेय (गैर-आदिवासी), ग्राम—रंका ।	

क्रम सं० ।	वन सहयोग श्रमिक समिति का नाम ।	समिति के मंत्री का नाम एवं पता ।	व्यवस्थापक (बिचौलिया) का नाम ।	अभ्युक्ति ।
4	उदयपुर वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री .... (आदिवासी), ग्राम—उदयपुर ।	श्री जगदीश साहु (गैर-आदिवासी), ग्राम—उदयपुर ।	
5	बरदरी वन श्रमिक सहयोग समिति ।	(आदिवासी)	श्री विजय बहादुर सिंह (गैर-आदिवासी), ग्राम—बरदरी ।	

(ह०) सरयू राम,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

रंका (पलामू) ।

सेवा में

थाना प्रभारी,

रंका (पलामू)।

विषय—श्री सुरेन्द्र पाठक, ग्राम जोगीखुरा द्वारा दवाव डालकर मुझे रोक रखने, मारने-पीटने की चेष्टा करने एवं सरकारी कार्य में व्यवधान डालने के सम्बन्ध में।

महाशय,

कल दिनांक 22 नवम्बर 1976 को संध्या समय जब मैं सोनदाग से परिवार नियोजन एव अन्य विकास कार्य करके मुख्यालय के लिये लौट रहा था और चाहता था कि मुख्यालय पहुंचकर जिला विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय निरीक्षण की तैयारी कर सकूं तो मैंने देखा कि श्री सुरेन्द्र पाठक अपने बहुत से सहयोगियों के साथ ग्राम सोनदाग के चौहार्नी पर खड़े थे और एक किनारे पर वन विभाग के कुछ पदाधिकारी भी खड़े थे। श्री पाठक ने क्रोधित एवं आवेशपूर्ण मुद्रा में कहा कि आज सोनदाग से आगे रंका बी० डी० ओ० को नहीं जाने दूंगा और न उनकी गाड़ी ही जायेगी। आज इन्हें बन्द कर देंगे ऐसा कहते हुए वे मुझे रोक दिए। उसी क्रोधित मुद्रा में उन्होंने यह भी कहा कि मेरा धान छीनकर चौकीदार के पास रख दिया है और ये जंगल में शिकार करते हैं।

श्री पाठक क्रोधित मुद्रा में बोलते जाते थे और मेरी ओर मारने-पीटने का प्रयत्न करते अ.ने का प्रयत्न करते थे। श्री एस० एन० चौधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी क्षेत्र मेरा बचाव कर रहे थे और श्री पाठक को अपने हाथ के सहारे किनारे भी करते जाते थे। श्री चौधरी ने इस प्रकार मेरी कुछ देर तक रक्षा की। मैंने श्री सुरेश राम ड्राईवर से कहा कि मेरे बचाव के लिए जमादार साहेब को तथा सशस्त्र पुलिस को मेरे पास ला दीजिए। ड्राईवर के द्वारा सशस्त्र पुलिस लाए जाने पर श्री पाठक कुछ नहीं बोले और किनारे हट गये। सशस्त्र पुलिस की सहायता से मैं सुरक्षित घर तक पहुचने में सफल हो सका। इस प्रकार श्री सुरेन्द्र पाठक ने दवाव डालकर रोका, कहीं आने-जाने से वंचित किया एवं सरकारी कार्य में विघ्न पहुंचाए। उस समय उनके अनेक सहयोगियों के साथ श्री रामपूत महरा, वसंत तिवारी, मोहम्मद सेराजुद्दीन एवं बिरझु साव भी थे।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय ताकि मैं निर्विघ्न रूप से सरकारी कार्य कर सकू ।

विश्वासभाजन

(ह०) सरयू राम,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

रंका (पलामू) ।

ज्ञाप सं० 1043, दिनांक 23 नवम्बर 1976

प्रतिलिपि (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (पलामू),

(2) अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गढ़वा (पलामू),

(3) आरक्षी अधीक्षक, पलामू, एवं

(4) उपायुक्त, पलामू की सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) सरयू राम,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

रंका (पलामू) ।

Monthly statement regarding Vassectomy operation during last three months.

Serial no.	Month.			Vassectomy done.
1	September, 1976	..	..	189
2	October, 1976	..	..	54
3	November, 1976	..	..	88
4	December, 1976	..	..	79
5	January, 1977	..	..	52
	Grand Total upto 15th January, 1977	..	..	490

From

Shri L. S. Agrawal,
C/o Ranka Camp, Jogikhuna.

To

The S. D. O., Garhba.

SUBJECT—Prayer for starting a proceeding under section 144, Cr. P. C.

Sir,

Today, i. e. on 18th November 1976 at about 11 A. M. one Budhan Mahto, son of Janki Mahto of village Sondag P.-s. Ranka met me in Jogikhuna Camp and informed me that there is apprehension of breach of peace in respect of the harvesting of crops from the land detailed below.

The informent further stated that the disputed land has been coming in his peaceful cultivating possession over the land for the last 40—50 years for which the petitioner is being granted a rent receipt from the State of Bihar.

The petitioner also stated that he had sown Ko do in disputed Plot no. 251 and in Plot no. 618 and 618 Paddy seads were sown by the petitioner but the same was transplanted by the O. P. s. who are the labourers of O. P. Surendra Pathak.

The petitioner showed me the certified copy of the concerned Demand Register from which it appears that the rech for the disputed land along with other land was fixed by the order of C. O., Ranka vide F. R. case no. 4 of 1961-62 one rent receipt issued by the Ex-landlord for an are a of 10.37 acers and the Government rent receipt was also shown by the petilioner. The demand and the rent receipt are in the name of the petitioners father Janki Kumhar.

The O. P. Surendra Pathak was also contacted he claimed only two plots *viz* 251 and 613. He claims the above land on the basis of sale deed no. 4568, dated 7th August1976 executed by Nanhu Mistri son of Ramruch Mistri of village Sondag in favour of Surendra Pathak. It is said by him that the above vender is the khatian raiyat of the land in dispute. He says

that the Kode was sown by the vender and the paddy has been tnansplanted by his men Bhukhan Bhulyan and others O. P.-s. on batai basis.

From the above it clearly appears that both parties are claiming the land as well as crops and are ready to harvest the crops which may lead to apprhension of breach of peace at the hands of foth parties.

As discussed above, the O. P. does not claim plotno. 618, hence there is no dispute over it. The patitioner is entitled to cut the crops of plot no 618. He has been directed by me to harvest is crops in presence of O. P. As regards the rest the plots 25 and 613, both the parties have been directed notever to harvest the crops standing over it.

Hence it is requested that a proceeding under section 144-Cr. P.C. he started and beth parties be restrained from cutting the crops till dicision.

First Party— Budhan Mahto, son of Janki Mahto of village Sondag, P.-S. Ranka.

Second Party— (1) Surendra Pathak, son of Praduman Pathak at prest on residing at village Jogikhuna.

(2) Bhukhan Bhuiyan.

(3) Brichh Bhuiyan.

(4) Dukhi Bhuiyan.

(5) Gubal Bhuiyan *alias* Lachhuman Bhuiyan.

Details of land

village Sondag, Khata 67/1
Plot 251—1.16, 613—0.38

Yours Faithfully.

Sd/ L. S. Agrawal.
C. O. Ranka.
13-11-1976

To

THE S. D. O. Garhwa.

SUBJECT.—Prayer for starting a proceeding u/s 144 Cr. P. C. in village Jogikhura P. S. Ranka.

Sir,

As per discussion held at village Jogikhura with you on 13th November 1976, I was verbally informed by you that the dmeands running in the names of O. Ps. in respect of the land detailed in Annexure I have since been cancelled. In view of the cancellation order, the land in question now belongs to the State of Bihar But it may be informed that the O. Ps. or their men have cultivated and crops are still standing on the land in question which they are likely to harvest very soon. It is also Printed out that in the above cancellation order the nature of some of the lands is that it was recorded in the names of different raiyats of that village, Hence there is every likelihood that there may be apprehension of breach of peace with regard to land shown in Annexure I.

It is, therefore, requested that a proceeding u/s. 144, Cr. P. C. be started in respect of the land in question and the O. Ps. be restrained from harvesting the crops till the matter is decided.

Names of the O. Ps.

1. Sri Surendra Pathak *alias* Dadu Pathak, at present village Jogikhura,
2. Sri Govind Pathak,
3. Sri Anand Mohan Pathak,
4. Sri Aloknath Pathak,
5. Sri Abinash Kumar Pathak, Sons of Sri Jagnarain Pathak, of village Chaukri, P.-S. Hussainabad.

Yours faithfully,
(Sd.) L. S. AGRAWAL,
13-111976
C. O., Ranka,
Camp Jogikhura.

ANNEXURE I

Details of land of village Gegikhnra, P.-S. Banka

Khata no.	Plot	Area
53	227	0.11
	229	0.04
	233	0.06
	242	0.61
	244	0.10
	247	0.06
	249	1.50
	256	6.55
	347	1.17
	356	0.05
	260	0.1½
	265	0.26½
	261	0.16
	259	0.2½
62	274	0.02
65	272	0.05
67	267	0.06½
69	70	0.04½

ANNEXUER I—*contd.*

Khat no.	Plot	Area
53	229	1,00
55	350	0.14
	353	0.20
58	263	0.21
59	356	0.05
	259	0.02½
60	260	0.01½
	265	0.26½
	261	0.16
61	271	0.27
	349	0.08
	271/773	0.23
62	274	0.06
63	359	0.23
65	372	0.05
66	355	0.08
67	267	0.06½
67	358	0.07

ANNEXURE I—*contd.*

Khata no	Plot	Area
68	264	0.03½
69	70	0.04½
70	230	0.06
	241	0.19
	243	0.47
	245	0.02
	246	0.03
	248	0.0[illegible]
	250	0.27
	252	0.11
	253	0.01
	254	0.07
	255	0.04
	258	0.25
	262	0.14
	266	0.08
	269	0.15
	284	0.11
	287	2.73

ANNEXURE I—*contd.*

Khata no.				Plot	Area
	..	..	..	346	0.05
	..	..	..	348	0.08
	..	..	..	354	5.06
	..	..	..	71	1.06
	..	..	...	36/788	0.65
	..	..	..	74/784	0.51
41	..	..	..	297	0.10
37	..	..	..	72	2.06
	..	..	..	74	0.49
	..	..	..	75	0.17
	..	..	..	78	0.03
	..	..	..	79	0.05
	..	..	..	80	0.09
	..	..	..	81	0.05
30	..	..	...	298	0.20
	..	..	..	299	0.03
	..	..	..	300	0.15
	..	..	..	302	0.40
	..	..	..	303	0.26

ANNEXURE I—*contd.*

Khata no.	Plot.	Area.
52	296	0.11
	293	0.12
15	64	3.90
24	68	1.32
13	40	1.61
15	44	1.13
30	39	0.59
	37	2.87
	305	6.15
	306	3.20
52	283	0.06
	277	0.10
	301	0.03
	345	0.13
1	343	4.12
	195/774	7.50
	340	0.51
34	280	0.09
1	285	0.35
21	276	0.13
1	279	0.86
	54	4.22
15	342	0.50
52	344	0.57
	70	0.10

पत्रांक 529, दिनांक 1 फरवरी 1977

प्रेषक,

श्री वि० वि० वर्मा,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल ।

सेवा में,

श्री धीरेन्द्र सिंह,
उप-सचिव,
बिहार विधान-परिषद् ।

विषय—पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर जो गोखूरा ग्राम में अवैध शिकार पर गठित त्रिसदस्यीय समिति ।

प्रसंग—आपका पत्रांक वि० प० प्र० प्र० 145/76-100 (1)-वि० प०, दिनांक 25वीं जनवरी, 1977 ।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र में निदेशानुसार दोनों विन्दुओं से संबंधित सभी सूचनाएं संलग्न कर भेज रहा हूं ।

कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

1 । प्रथम विन्दु पर—केस से संबंधित जांच पदाधिकारी की जांच प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि गवाहों के बयानों की प्रतिलिपि के साथ ।

2 । द्वितीय विन्दु पर—जोगोखूरा जंगल में कार्मरत कर्मचारियों का ब्योरा—

(1) श्री शिवनन्दन चौधरी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रंका
(2) श्री समशेर बहादुर सिंह, प्रसर पदाधिकारी, रंका पूर्वी प्रसर ।
(3) श्री जबीत तिवारी, वनरक्षी, सब-बीट गार्ड, चौवार सब-बीट ।

आपका विश्वासी,
(ह०) वि० वि० वर्मा,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी प्रमण्डल ।

अनु०—यथोक्त

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल,
पत्रांक 5921, दिनांक, गढ़वा; 5वीं दिसम्बर, 1976 ।

सेवा में,

मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार (नाम से),
पत्रालय--हिनू, रांची-2 ।

विषय:--गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत जोगोखूरा एवं मुगदा रक्षित वन में सूअर का अवैध शिकार ।

महाशय,

आपके पत्रांक 290, दिनांक 1 दिसम्बर 1976 के सम्बन्ध में मुझे सूचित करना है कि तिथि 23 नवम्बर 1976 के सुबह में मुझे क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी द्वारा एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि तिथि 22 नवम्बर 1976 को इस प्रमण्डल के जोगोखूरा वन में रंका प्रखन्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री सरयू राम तथा कृषि पदाधिकारी, श्री केवट ने अवैध रूप से शिकार खेला था । क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी ने अपने प्रतिवेदन के पक्ष में ग्राम सोनदाग, थाना रंका के एक श्री लाल बिहारी भूईया, वल्द गणेशी भूईया का बयान जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष लिया गया था, भी साथ में संलग्न कर भेजा था । चूंकि यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के दो राजपत्रित पदाधिकारी, एक श्री सरयू राम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तथा दूसरा कृषि पदाधिकारी श्री केवट जिसका पूर्ण नाम श्री महावीर प्रसाद केवट है, से सम्बन्धित था, अतः मैंने इसकी जांच अपने स्तर से भी करना उचित समझा । चूंकि मुझे उसी दिन एक बहुत ही आवश्यकार्यवश सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श करने निमित्त पटना जाना था, अतः मैंने अपने संलग्न पदाधिकारी, श्री शिवेश्वर प्रसाद को इन बातों को पूर्ण छान-बीन करने का आदेश निर्गत किया । संलग्न पदाधिकारी श्री प्रसाद ने क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन पर पूर्ण छान बीन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी एक प्रतिलिपि साथ में संलग्न है । श्री प्रसाद का जांच प्रतिवेदन विस्तृत एवं स्वतः स्पष्ट है ।

श्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा उनके द्वारा स्थल पर पाए गए विभिन्न सामग्रियों तथा परिस्थिति साक्ष्यों को देखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जोगोखूरा तथा मुगदा रक्षित वन में रंका प्रखण्ड के विकास पदाधिकारी श्री सरयू राम, रंका प्रखण्ड के कृषि पदाधिकारी, श्री महावीर प्रसाद

केवट तथा रंका स्थित परिवार नियोजन के श्री बद्री राम ने भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम की धारा का उलंघन करते हुए वन्य प्राणी का शिकार किया है। सर्वप्रथम तिथि 15 नवम्बर 1976 को रंका के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री सरयू राम द्वारा शिकार किया गया जिससे उन्होंने एक सूअर मार कर सभी को वितरण किया। यह शिकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री राम ने अकेले अपने निजी बन्दुक से, जिसे सम्भवतः उन्होंने हाल में ही खरीदा है, से किया था। इसी तीन मारे गए सूअर के सम्बन्ध मे सूअर के कून तथा विभिन्न अंग, बोरा तथा अन्य सामग्रियों को उचित जांच एवं प्रतिवेदन हेतु मैं पशु चिकित्सक विशेषज्ञ को भेज रहा हूं। जोगोखूरा रक्षित वन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रका, श्री राम द्वारा तिथि 22 नवम्बर 1976 को दूसरी बार शिकार किया गया था। इस शिकार में इनके साथ रंका प्रखण्ड के कृषि पदाधिकारी श्री महावीर प्रसाद केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री राम भी थे। शिकार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री राम तथा कृषि पदाधिकारी श्री केवट अपने अपने-निजी बन्दूकों के साथ बैठे थे। इस तीन किए गए शिकार में कोई जानवर नहीं पिटा पाया। शिकार के दिन ही इसकी सूचना क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वा क्षेत्र को मिल गई और उनके स्थल पर पहुंच जाने के कारण लोग इधर-उधर भाग गए और ऐसा होते समय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री सरयू राम के बन्दूक की खोली जो एक हुंकवाहा को रखने के लिए दिया गया था, भी उसी हुंकवाहा के साथ उसके घर चला गया जो बाद में संलग्न पदाधिकारी को जांच के समय प्राप्त हो गया।

चूंकि उपरोक्त दोनों शिकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के दो राजपत्रित पदाधिकारियों तथा एक अराजपत्रित पदाधिकारी, (श्री बद्री राम) से संबंधित है और चूंकि उन लोगों ने भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9 (2) 16 एवं 17 (1) का जान कर अवहेलना किया है, अतः उन पर क्या कार्रवाई किया जाय इस पर निर्देश होने तथा उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

इस पत्र की एक प्रति अनुलग्नक के साथ उपायुक्त, पलामू, डालटेनगंज को भी उचित कार्रवाई निमित्त दी जा रही है।

अनुलग्न-यथोक्त।

आपका विश्वासी,
(ह०) बि० वि० वर्मा,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

सच्ची प्रतिलिपि—
(ह०) बि० वि० वर्मा,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

श्री शिवेश्वर प्रसाद, संलग्न पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन-प्रमंडल द्वारा जोगीखुरा ग्राम में हुए सूअर का अवैध शिकार के संबंध में जांच प्रतिवेदन:—

तिथि 23 नवम्बर 1976 को जांच के क्रम में ग्राम सोनदाग के सर्वश्री लाल बिहारी भुईयां, वल्द गणेशी भुईयां, भुखन भुईयां वल्द करमदयाल भुईयां, रामपत राम, वल्द बेचु राम तथा ग्राम जोगीखुरा के श्री लतीफ, वल्द महदुल शेख ने मेरे समक्ष उपस्थित हो अपना लिखित बयान दिया जो साथ में संलग्न कर संचिका के पृष्ठ 2 (1) से 2 (7) तक पर रखी है। इनलोगों ने अपने ब्यान में बताया कि जोगीखुरा जंगल में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका तथा अन्य (जिनमें एक ब्लोक के कृषि पदाधिकारी, श्री केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री बाबू हैं) ने मिलकर दो बार आंटा पर बैठे कर शिकार किया था और ऐसा करने में इनलोगों के हंकवाहा के रूप में ग्राम सोनदाग, जोगीखुरा और पावा के लोगों ने कार्य किया था। सबसे पहले बी० डी० ओ०, रंका ने 15 नवम्बर 1976 को हंकवा कर अपने बन्दूक से एक सुअर का शिकार किया था। उस दिन उस शिकार में ब्लोक के कृषि पदाधिकारी श्री केवट तथा बद्री बाबू साथ नहीं थे। हंकवा करने में उस दिन ग्राम सोनदाग के सर्वश्री बुधन महतो, कामेश्वर महतो, नागेश्वर महतो कोयली महरा, भुखन महरा, परमेश्वर भुईयां, प्रसाद भुईयां, मुखन भुईयां, लाल बिहारी भुईयां, लतीफ शेख तथा ग्राम जोगीखुरा के गुलाबचन्द्र भुईयां और पावा के रहमान खां तथा अन्य थे। उस दिन के शिकार में बी० डी० ओ०, रंका अपने दो नाली बन्दूक के साथ अकेले कई जगह आंटा पर बैठे थे और उन्होंने अपने बन्दूक से जोगीयामाड़ा में करीब 12 से 1 बजे दिन के बीच एक सुअर का शिकार किया था और मारे गये सुअर को जोगीखुरा स्थित सशस्त्र पुलिस के शिविर के पश्चिम एक नाला के किनारे महुआगाछ के नीचे रखा गया था और वहीं उसे चीर-फाड़कर सभी हकवाहों को डेढ़ सेर से दो सेर प्रति हकवाहों के दर से मांस का वितरण किया गया था। सर्वश्री लाल बिहारी भुईयां तथा मुखन भुईयां ने मुझे यह बताया कि उनलोगों को भी उनके हिस्से का मांस बटवारा होते मिला था। इनलोगों ने अपने बयान में यह भी बताया कि सुअर का चीर-फाड़ तथा मांस का बंटवारा होते समय बी० डी० ओ०, रंका भी स्वयं वहीं उपस्थित थे और उन्होंने ही अपने सामने निदेश देते हुए मांस को बंटवाया तथा बंटवाया था। इनलोगों के बयानानुसार मरे हुए सुअर को

काटने में हकवाहों में से भुखन, बुधन महतो, कामेश्वर महतो, नागेश्वर महतो इत्यादि थे और बाकी सभी देख रहे थे। श्री भुखन भुईयां ने यह भी बताया कि बी० डी० ओ०, रंका ने लोगों को मांस वितरण करवाने के अतिरिक्त मरे हुए सुअर के चारो जांघ कटवा कर उन्हें एक बोरा में कसवाया और उसे इन्हें (भुखन भुईयां) देते हुए यह आदेश दिया कि वे (भुखन भुईयां) उसे उनके (बी० डी० ओ०) जीप जो जोगीखुरा भंडार के पास था, में जा रख दें। बी० डी० ओ०, रंका के आदेशानुसार वह बोरा श्री भुखन भुईयां ने ले जाकर बी० डी० ओ०, रंका के जीप पर रख दिया। इनलोगों के बयानानुसार जोगीखुरा जंगल में दूसरा शिकार बी० डी० ओ०, रंका के साथ रंका ब्लौक के एक कृषि पदाधिकारी, श्री केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री बाबु भी थे। इस शिकार के लिए बी० डी० ओ०, रंका उपरोक्त व्यक्तियों के साथ सरकारी जीप पर रंका से जोगीखुरा आए थे। उस दिन के शिकार में बी० डी० ओ०, रंका अपनी दुनली बन्दूक के साथ तथा ब्लौक के कृषि पदाधिकारी, श्री केवट अपने एक नली बन्दूक के साथ चार जगह आंटा बनवा कर अलग-अलग बैठे थे और ग्राम सोनदाग, जोगीखूरा तथा पावा के ग्रामीणों से हुंकवा करवाया। हुंकवा करते समय प्रायः वही लोग थे जिन्होंने 15 नवम्बर 1976 को हुंकवा किया था। उस दिन शिकार में बी० डी० ओ० साहब के साथ परिवार नियोजन के बद्री बाबू थे पर उनके हाथ में कोई बन्दूक नहीं थी। श्री लाल बिहारी भुईयां ने अपने बयान में यह भी बतलाया कि उस दिन के शिकार के लिए उन्हें 22 नवम्बर 1976 के प्रातःकाल करीब 8 बजे ही रंका के बुधु चौकीदार द्वारा बी० डी० ओ०, रंका ने सन्देश भेजा था। श्री लतीफ शेख ने अपने बयान में बताया कि तिथि 22 नवम्बर 1976 वाले शिकार के दिन बी० डी० ओ०, रंका ने अपना बन्दूक का खोली उन्हें रखने को दिया था और वे स्वयं बन्दूक लेकर आंटा पर बैठे थे। इसी दिन शिकार के संबंध में सूचना मिलने पर जब रेन्ज औफिसर, रंका पूर्वी क्षेत्र घटना स्थल पर शाम में पहुंच गये तब सभी लोग इधर-उधर भाग गये और उसी क्रम में लतीफ शेख भी बन्दूक के खोली के साथ चुपचाप अपने घर भाग कर छिप गये और उस खोली को तिथि 23 नवम्बर 1976 को अपना बयान देते समय मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जो मेरे द्वारा ले, क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी को सुरक्षित रूप से रखने हेतु दे दिया गया है। यह बन्दूक का खोली केनवास का है और इस पर अंग्रेजी में श्री एस० राम, बी० डी० ओ०, रंका (पलामू) अंकित पाया

गया। उस दिन के हुंकवा करने पर बी० डी० ओ० तथा अन्य को कोई शिकार हाथ नहीं लग पाया था। हुंकवाहा को हुंकवा करने की कोई मजदूरी भी नहीं दिया गया था। इनलोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि शिकार हो जाने पर हांका करने के मजदूरी में उन्हें शिकार दिया जायगा। इस दिन की शिकार की सूचना प्राप्त होने पर शाम में क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी अन्य के साथ जब घटना स्थल पर पहुचे तब लोग इधर-उधर भाग गये और इसी क्रम में क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी ने जोगीखुरा जंगल में ही श्री लाल बिहारी भुईयां तथा बी० डी० ओ० के जीपचालक श्री सुरेश राम को जंगल में पाया। श्री लाल बिहारी भुईयां ने अपने बयान में मुझे बताया कि उस समय वे बी० डी० ओ०, रंका के आदेश पर ही उनके जीपचालक को ले उनके जीप के पास जा रहे थे जब उन्हें क्षेत्र पदाधिकारी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि उन्होंने सभी बातें सही-सही क्षेत्र पदाधिकारी को बी० डी० ओ०, रंका के सामने ही शाम में बता दिया था। इन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि वन पदाधिकारी तथा कर्मचारियों के आगमन की सूचना पर कृषि पदाधिकारी, श्री महाबीर प्रसाद केवट तथा परिवार नियोजन के बद्री बाबू चुपचाप खसक गये थे।

उपरोक्त बयान लेने के बाद मैंने तिथि 23 नवम्बर 1976 को जोगीखुरा गया और वहां रक्षित वन में स्थल का निरक्षण किया। जोगीखुरा ग्राम में बांध के पश्चिम तरफ सशस्त्र पुलिस तथा एक दंडाधिकारी का शिविर है। उस शिविर के ठीक बगल से जोगीखूरा का वन प्रारम्भ हो जाता है। शिविर से मुश्किल से करीब एक फलांग के अन्दर एक नाला के किनारे मैंने एक महुआ गाछ के नीचे पत्तियों का एक बिछावन देखा जिसपर करीब २ फीट लम्बाई का एक लकड़ी का कुन्दा पड़ा देखा जो सम्भवतः सूयर के मांस काटने हेतु उपयोग किए गये थे। उस कुन्दे पर खून के अनगिनत निशान तथा किसी तेज औजार से मांस काटने का निशान बना हुआ था। मैंने उसे ले क्षेत्र पदाधिकारी को जिम्मे दे दिया। वही पर मुझे एक सूयर का ऊपरी जबड़ा का एक छोटा सा भाग भी मिला जिसपर सूअर के बाल लगे हुए थे। देखने पर यह प्रतीत हुआ कि यह जबड़ा हाल ही का था। उसे भी मैंने ले लिया और क्षेत्र पदाधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। संध्या होने के कारण अंधेर हो रहा था। अतः जंगल पूर्णरूपेण भी नहीं पर प्राधिक

रूप ही देख पाया। जितने भाग को मैं देख पाया उसमें तीन जगह मुझे मांटा बनाया हुया दिख पाया। इन तीनों जगहों में से दो जगहों का मांटा जो पूर्णरूपेण जोगीखूरा जंगल के बेवराही स्थान पर पड़ता है, एकदम ताजा दिख पड़ा। उन्हें बनाए जाने निमित्त काटे गए डालियों की पत्तियां एकदम हरी थी। मांटा के घेरे में रखे गय एक-एक पत्थर भी दीख पड़े जो सम्भवतः शिकार के लिय बैठने निमित रखे गय थे। दोनों मांटा जोगीखूरा स्थित पुलिस तथा दंडाधिकारी के शिविर के बिल्कुल पास ही थे और वे दोनों एक दूसरे के करीब (100 फीट) ही था, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि दोनों मांटा एक ही साथ दो व्यक्तियों के शिकार पर बैठने निमित्त बनाया गया था। तीसरा मांटा इन दो मांटों के समीप में ही एक नाला के किनारे मुगदा रक्षित वन में बनाया गया दीख पड़ा यह मांटा कुछ पुराना दीख पड़ा कारण इसके पत्ते और डाली सब सुखे हुए थे। इसके तुरन्त निकट में ही इसी अवधि का कोई दूसरा मांटा नहीं दीख पड़ा जो इस बात का संकेत करता है कि इस मांठा पर बैठते समय एक ही शिकारी अकेले ही बैठकर अंकवा कराया होगा। मांटा के सुखे हुए पत्तों पत्तों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मांटा सम्भवतः 8-10 दिन पहले का था। रात्री का अंधेरा हो जाने के कारण जंगल में स्थित और मांटा नहीं देख पाया। जांच के क्रम में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि जिस बोडा में बी० डी० ओ०, रंका द्वारा तिथि 15 नवम्बर 1976 को मारे गये सूयर का चार जांघा कसकर भेजा गया था। वह बोरा ग्राम सोनदाग के भूतपूर्व चौकीदार कमरू के यहां से वह बोरा बरामद किया। बोरा पर मैंने एक खून का दाग देखा जिससे मेरी शंका बढ़ी और मैंने उस बोरा को जरा कड़ा हो गया हुआ भी पाया जिससे यह संकेत किया कि भूतपूर्व चौकीदार कमरू के विधवा पत्नी से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इस बोड़ा को बी० डी० ओ० रंका ने अपने जीप चालक श्री सुरेश राम द्वारा उसके घर पर रखने निमित्त भेजवाया था। मैंने उस बोरा को ले लिया और उसे क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी को सुरक्षित रखने हेतु दे दिया। इस सम्बन्ध में ग्राम सोनदाग में उपस्थित श्री बुधु दुसाध जो रंका थाना के चौकीदार भी हैं का मैंने लिखित ब्यान भी लिया जो संचिका के पृष्ट 2 (8 से 9) पर रक्खी है। इस चौकीदार ने भी अपने ब्यान में यह बताया कि उस दिन से 8-10 दिन पहले एक जंगली सूअर पिटाकर जोगीखूरा स्थित पुलिस-सह-दंडाधिकारी शिविर के बगल में एक नाला के ऊपर महुआ गाछ के नीचे आया था और वहीं

उसे काटा-कूटा गया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि उन्होंने सुना है कि उस सूअर को बी० डी० ओ०, रंका ने मारा था। अपने ब्यान में उन्होंने यह भी बताया कि तिथि 20 नवम्बर 1976 को शाम में बी० डी० ओ०, रंका ने उनसे ग्राम सोनदाग के आदमिओं को तिथि 22 सितम्बर 1976 को जोगीखुरा स्थित शिविर में उपस्थित रहने का संदेश भेजवाया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस संदेश को उन्होंने लाल बिहारी भुईयाँ और मुखन भुईयां से कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सुना था कि तिथि 22 नवम्बर 1976 को बी० डी० ओ०, रंका जंगल में शिकार खेलने गये थे तथा लौटकर ग्राम पावा के रहमान के यहां ठहरे थे।

तिथि 23 नवम्बर 1976 को जोगीखूरा स्थित पुलिस-सह-दंडाधिकारी के शिविर के निकट उपरोक्त पाये गए बातों को देखकर मैंने शिविर में उपस्थित आरक्षी कर्मियों से पूछ-ताछ कर उनका बयान लेना चाहा। चूंकि ये सभी कर्मचारी आरक्षी विभाग के थे अतः मैंने उचित समझा कि इनके ब्यान लेने के पूर्व आरक्षी उपाधीक्षक, गढ़वा से इस निमित्त उचित अनुमति प्राप्त कर लूं। इस ध्येय से मैं तिथि 23 नवम्बर 1976 को रात्रि में ही लौटकर गढ़वा वापस आ गया और पुलिस उपाधीक्षक, गढ़वा से मिल विचार विमर्श करने के पश्चात् उनकी अनुमति प्राप्त कर लिया जो संचिका के पृष्ठ 4 पर देखी जा सकती है। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मैं पुनः जोगीखुरा तिथि 24 नवम्बर 1976 को गया और वहां पुलिस कर्मियों सर्व श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक, दयानन्द तिवारी सिपाही नं० 225, श्याम बाबु पटेल, सिपाही नं० 498, मोहम्मद कबीर खां, सिपाही नं० 562 तथा श्री यमुना, यादव, सिपाही न० 262 का बयान लिया। शिविर में मैंने बी० डी० ओ०, रंका पुलिस उपाधीक्षक, गढ़वा को भी उपस्थित पाया जो मेरे वहां पहुंचने से पूर्व ही उपस्थित थे। मैंने बी० डी० ओ०, रंका के जीप चालक श्री सुरेश राम का भी बयान लिया। सभी का बयान साथ में संलग्न है जो संचिका के पृष्ठ 2 (10 से 13 तक) पर देखी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक ने अपने बयान में तिथि 15 नवम्बर 1976 को वाकया के बारे में अपने को अनभिज्ञ बताया। उन्होंने बताया कि उस दिन वे शिविर से बाहर थे और सांय बेला ही शिविर में लौटे थे। तिथि 22 नवम्बर 1976 के घटना बारे में उन्होंने बताया कि वे

रूप ही देख पाया। जितने भाग को मैं देख पाया उसमें तीन जगह मुझे मांटा बनाया हुआ दिख पाया। इन तीनों जगहों में से दो जगहों का मांटा जो पूर्णरूपेण जोगीखूरा जंगल के बेवराही स्थान पर पड़ता है, एकदम ताजा दिख पड़ा। उन्हें बनाए जाने निमित्त काटे गए डालियों की पत्तियां एकदम हरी थी। मांटा के घेरे में रखे गय एक-एक पत्थर भी दीख पड़े जो सम्भवतः शिकार के लिय बैठने निमित्त रखे गय थे। दोनों मांटा जोगीखूरा स्थित पुलिस तथा दंडाधिकारी के शिबिर के बिल्कुल पास ही थे और वे दोनों एक दूसरे के करीब (100 फीट) ही था, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि दोनों मांटा एक ही साथ दो व्यक्तियों के शिकार पर बैठने निमित्त बनाया गया था। तीसरा मांटा इन दो बांटों के समीप में ही एक नाला के किनारे मुगदा रक्षित वन में बनाया गया दीख पड़ा यह मांटा कुछ पुराना दीख पड़ा कारण इसके पत्ते और डाली सब सुखे हुए थे। इसके तुरन्त निकट में ही इसी अवधि का कोई दूसरा मांटा नहीं दीख पड़ा जो इस बात का संकेत करता है कि इस मांठा पर बैठते समय एक ही शिकारी अकेले ही बैठकर अंकवा कराया होगा। मांटा के सुखे हुए पत्तों पत्तों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मांटा सम्भवतः 8-10 दिन पहले का था। रात्री का अंधेरा हो जाने के कारण जंगल में स्थित और मांटा नहीं देख पाया। जांच के क्रम में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि जिस बोडा में बी० डी० ओ०, रंका द्वारा तिथि 15 नवम्बर 1976 को मारे गये सूयर का चार जांघा कसकर भेजा गया था। वह बोरा ग्राम सोनदाग के भूतपूर्व चौकीदार कमरू के यहाँ से वह बोरा बरामद किया। बोरा पर मैंने एक खून का दाग देखा जिससे मेरी शंका बढ़ी और मैंने उस बोरा को जरा कड़ा हो गया हुआ भी पाया जिससे यह संकेत किया कि भूतपूर्व चौकीदार कमरू के विधवा पत्नी से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इस बोढ़ा को बी० डी० ओ० रंका ने अपने जीप चालक श्री सुरेश राम द्वारा उसके घर पर रखने निमित्त भेजवाया था। मैंने उस बोरा को ले लिया और उसे क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी को सुरक्षित रखने हेतु दे दिया। इस सम्बन्ध में ग्राम सोनदाग में उपस्थित श्री बुधु दुसाध जो रंका थाना के चौकीदार भी हैं का मैंने लिखित ब्यान भी लिया जो संचिका के पृष्ट 2 (8 से 9) पर रक्खी है। इस चौकीदार ने भी अपने ब्यान में यह बताया कि उस दिन से 8-10 दिन पहले एक जंगली सूअर पिटाकर जोगीखूरा स्थित पुलिस-सह-दंडाधिकारी शिविर के बगल में एक नाला के ऊपर महुआ गाछ के नीचे आया था और वहीं

उसे काटा-कूटा गया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि उन्होंने सुना है कि उस सूअर को बी० डी० ओ०, रंका ने मारा था। अपने ब्यान में उन्होंने यह भी बताया कि तिथि 20 नवम्बर 1976 को शाम में बी० डी० ओ०, रंका ने उनसे ग्राम सोनदाग के आदमिओं को तिथि 22 सितम्बर 1976 को जोगीखरा स्थित शिविर में उपस्थित रहने का संदेश भेजाया था। उन्होंनें यह भी बताया कि इस संदेश को उन्होंने लाल बिहारी भुईयां और मुखन भुईयां से कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंनें सुना था कि तिथि 22 नवम्बर 1976 को बी० डी० ओ०, रंका जंगल में शिकार खेलने गये थे तथा लौटकर ग्राम पावा के रहमान के यहां ठहरे थे।

तिथि 23 नवम्बर 1976 को जोगीखूरा स्थित पुलिस-सह-दंडाधिकारी के शिविर के निकट उपरोक्त पाये गए बातों को देखकर मैंने शिविर में उपस्थित आरक्षी कर्मियों से पूछ-ताछ कर उनका बयान लेना चाहा। चूंके ये सभी कर्मचारी आरक्षी विभाग के थे अतः मैंने उचित समझा कि इनके ब्यान लेने के पूर्व आरक्षी उपाधीक्षक, गढ़वा से इस निमित्त उचित अनुमति प्राप्त कर लूं। इस ध्येय से मैं तिथि 23 नवम्बर 1976 को रात्रि में ही लौटकर गढ़वा वापस आ गया और पुलिस उपाधीक्षक, गढ़वा से मिल विचार विमर्श करने के पश्चात् उनकी अनुमति प्राप्त कर लिया जो संचिका के पृष्ठ 4 पर देखी जा सकती है। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मैं पुनः जोगीखुरा तिथि 24 नवम्बर 1976 को गया और वहां पुलिस कर्मियों सर्व श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक, दयानन्द तिवारी सिपाही नं० 225, श्याम बाबू पटेल, सिपाही नं० 498, मोहम्मद कबीर खां, सिपाही नं० 562 तथा श्री यमुना, यादव, सिपाही न० 262 का बयान लिया। शिविर में मैंने बी० डी० ओ०, रंका पुलिस उपाधीक्षक, गढ़वा को भी उपस्थित पाया जो मेरे वहां पहुंचने से पूर्व ही उपस्थित थे। मैंने बी० डी० ओ०, रंका के जीप चालक श्री सुरेश राम का भी बयान लिया। सभी का बयान साथ में संलग्न है जो संचिका के पृष्ठ 2 (10 से 13 तक) पर देखी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक ने अपने बयान में तिथि 15 नवम्बर 1976 को वाकया के बारे में अपने को अनभिज्ञ बताया। उन्होंने बताया कि उस दिन वे शिविर से बाहर थे और सांय बेला ही शिविर में लौटे थे। तिथि 22 नवम्बर 1976 के घटना बारे में उन्होंने बताया कि वे

उस दिन बी० डी० ओ० रंका के साथ रंका से उनके जीप पर जोगीखरा स्थित शिविर में आये थे। जीप में बी० डी० ओ० साहब के साथ ब्लोक के कृषि पदाधिकारी, श्री केश्ट तथा परिवार नियोजन के बद्री बाबु (बद्री राम) भी थे। उन्होंने बताया कि शिविर में आने के पश्चात् वे तो शिविर में ही रह गये पर बी० डी० ओ० साहब शिविर से कहीं बाहर चले गये और दिनभर बाहर ही रहे। उन्हें उस दिन पुन: बी० डी० ओ० साहब से शाम में ही सोनदाग ग्राम में मुलाकात हुई जहाँ वे खाट पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह भी बतलाया कि शाम में जंगल से कुछ लोगों को निकल गाँव तरफ जाते देखा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि आते समय बी० डी० ओ० साहब के जीप पर काफी सामान था और इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उस पर बन्दूक था या नहीं। शिविर में स्थित अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने को पूर्णरूपेण अनभिज्ञ बतलाया पर श्री श्याम बाबु पटेल, सिपाही नं० 498 ने इतना अवश्य बतलाया कि 15 नवम्बर 1976 को जब 10 बजे दिन से 12 बजे दिन तक वे कार्यरत थे तब उन्होंने एक बन्दूक की आवाज पश्चिम तरफ से आते सुना था। मुझे पुलिस कर्मियों द्वारा तिथि 15 नवम्बर 1976 तथा तिथि 22 नवम्बर 1976 को घटित घटनाओं के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट करने पर बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। सूअर काटने तथा चीरने का स्थान पुलिस कर्मियों के शिविर से मुश्किल से एक फर्लांग के अन्दर ही है। सूअर काटना तथा चीरना एक मामूली कार्य नहीं है। इसे पूर्णरूपेण चीरने और काटने में निश्चय ही कुछ समय लगा होगा और ऐसा करते समय मांस भक्षि पक्षी (गीद्ध, चील इत्यादि) भी निश्चय ही आसपास मंडराते होंगे। शिकार पाने वाले हंकवाहा लोगों के जंगल से बाहर निकलने का पथ भी शिविर से ही है फिर उसी शिविर से होकर श्री भूलन भुईयाँ ने मांस भरे बोरे को भी ढोया था। उन परिस्थितियों पुलिस कर्मी यह कहें कि उन्हें घटना से कोई जानकारी नहीं थी, मानने योग्य कदापि नहीं हो सकता है। प्रश्न उठता है कि पुलिस कर्मियों ने सत्य को प्रकट करने के बदले उसे छिपाने का क्यों प्रयास किया है? यह तभी सम्भव है जब कि या तो पुलिस कर्मी स्वयं ही इस शिकार से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित हों या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर सत्य को छिपाने का प्रयास किया है। मेरे समझ से दोनों ही हालत में वे दोष से मुक्त नहीं किये जा सकते हैं। जीप चालक श्री सुरेश राम ने भी अपने बयान में तिथि 15 नवम्बर 1976 तथा 22 नवम्बर 197

को शिकार सम्बन्धित घटनाओं से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है। उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया है कि तिथि 22 नवम्बर 1976 के शाम में जंगल में उनसे क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी की मुलाकात हुई थी पर उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उनके साथ उस समय लाल बिहारी भुईयां भी थे। मुझे इनका बयान बहुत हद तक सत्य से दूर प्रतीत होता है। अपने बयान में जंगल में शाम के समय पाय जाने के सम्बन्ध में जो इन्होंने दलील पेश किया है वह सम्भवतः मान्य नहीं हो सकता है।

तिथि 24 नवम्बर 1976 को उपरोक्त बयान लेने के पश्चात् मैं पुनः जोगीखरा वन में निरीक्षण हेतु प्रवेश किया। जिस स्थान पर तिथि 23 नवम्बर 1976 को मैंने सूअर को काटने निमित्त प्रयोग में लाये जाने वाले लकड़ी का कुन्दा तथा सूअर का एक जबड़ा पाया था वहां पर पाया कि महुआगाछ के नीचे पत्ती का बिछावन साफ किया हुआ था, इस ध्येय से कि सूअर काटने से सम्बन्धित सभी साक्ष्य समाप्त हो जाये। इतना होने पर भी मैंने वहां अनेक ऐसे पत्तों तथा पत्थरों को देखा जिस पर सूखे हुए खून भरे पड़े थे। इसके अतिरिक्त वहां पर मैंने कुछ छोटी-छोटी हड्डियां जो सम्भवतः सूअर के जबड़े तथा दांत के थे पाया देखा। मैंने उन सभी को लेकर उन्हें क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी को सुरक्षित रखने हेतु दे दिया। जंगल में तीन जगह जहां पूर्व संध्या पर बना हुआ आटा मैंने देखा था वहां भी मैंने उन आटों का नामों निशान मिटाए हुए पाए। गोपनीय स्तर पर लोगों से पूछताछ करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि ये सभी कार्य तिथि 24 नवम्बर 1976 को मेरे स्थल पर पहुंचने के पहले ही बी० डी० ओ०, रंका द्वारा सम्पादित करा दी गई थी। इन सभी को देखते हुए मैंने जंगल में और जगह बने शिकार हेतु बनाए गए आटों को देखने का औचित्य नहीं समझा।

उपरोक्त सभी बयानों तथा स्थल पर पाए गए विभिन्न निशानों तथा सामग्रियों एवं परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा हूं :—

(अ) जोगीखरा तथा मुगदा रक्षित वन, जो जोगीखरा स्थित पुलिस शिविर के बहुत ही निकट है, में बी० डी० ओ०, रंका श्री सरयू राम, रंका ब्लौक के कृषि पदाधिकारी, श्री महाबीर प्रसाद केवट तथा रंका परिवार नियोजन के श्री बद्री राम द्वारा शिकार खेला गया है। शिकार दो तिथियों को हुई है, 15 नवम्बर 1976 तथा 22 नवम्बर 1976 को। तिथि 15 नवम्बर 1976 को बी० डी० ओ०

रंका श्री सरयू राम ने अकेले ही जोगीखरा वन के विभिन्न भागों में आंटा बना कर बैठे और हुंक्वा करवा कर जोगिय झाड से एक सूअर का शिकार अपने दुनाली बन्दूक से किया। इस सूअर का मांस बी० डी० ओ०, रंका श्री राम ने अपने सामने सभी को बंटवाया तथा चार जांघ बोड़ा में कमकर अपने जीप द्वारा बाहर भेजवाया। इन बातों की पुष्टि उपरोक्त लोगों के बयान तथा स्थल पर पाई गई सूअर का मांस (सूअर का हड्डी, ऊपर का जबड़ा, दांत, खून लगे पत्ते, खून लगे पत्थर, खून लगे लकड़ी का कुन्दा तथा खून लगे बोड़ा से ही जाता है) ऐसा कर बी० डी० ओ०, रंका श्री राम ने वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9 (2), 16 तथा 17 (1) (द) का खुलकर अवहेलना किया है।

(ब) जोगीखरा स्थित पुलिस शिविर के निकट जोगीखरा रक्षित वन में दूसरी बार शिकार रंका के प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री राम ने ब्लोक के कृषि पदाधिकारी, श्री महावीर प्रसाद केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री राम के साथ तिथि 22 नवम्बर 1976 को किया है। इस दिन के शिकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका श्री राम तथा कृषि पदाधिकारी, श्री केवट ने रक्षित वन के अन्दर आंटा बनवाकर शिकार करने के नियम से अपना-अपना बन्दूक हुंकवा करवाया था पर अभाग्यवश उस दिन उन्हें कोई जानवर नहीं मिल पाया। इस बात की पुष्टि उपरोक्त बयानों तथा बी० डी० ओ०, रंका श्री सरयू राम का बन्दूक का खोली जिस पर उनका नाम अंग्रेजी में अंकित है और जिसे मुझे हुंकवाहा ने जांच के समय दिया, से हो जाता है, बी० डी० ओ०, रंका, श्री सरयू राम, कृषि पदाधिकारी, श्री महावीर प्रसाद केवट तथा परिवार नियोजन के श्री बद्री राम ने इस दिन अन्तः वन प्राणी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत धारा 9 (2) तथा 16 का खुलकर अवहेलना किया है।

श्री लाल बिहारी भुईयां वल्द गणेशी भुईयां, ग्राम सोनदाग— मेरा बयान है

कि आज से आठ रोज पहले जोगीखुरा जंगल के जोगिया स्थान पर सूअर का शिकार आटा पर बैठ कर रंका के बी० डी० ओ० साहब ने किया था। शिकार दो नाली बन्दूक द्वारा किया गया था। हकवा में बुधन महतो, कामेश्वर महतो, नागेश्वर महतो, कोईली महरा, भुखन महरा, परमेश्वर भुईयां, प्रसाद भुईयां, भुखन भुईयां, रहमान मियां तथा मैं था। शिकार 12 से 1 बजे दोपहर को किया गया था। सूअर पिटा कर जोगीखुरा कैम्प लाया गया था और कैम्प से थोड़ा पच्छिम हट कर महुआ गाछ के नीचे काटा गया था। काटने में भुखन महरा, कोइली महरा, परमेश्वर भुईयां तथा भुखन भुईयां थे और हमलोग सभी देख रहे थे। हम सभी को बांटी दे दिया गया और चारो जंघा बी० डी० ओ० साहब अपने साथ ले गये। मुझको करीब 2½ सेर मांस मिला था। इतना ही मांस हम सभी को मिला था।

कल्ह याने तिथि 22 नवम्बर 1976 को रंका के बी० डी० ओ० पुनः हमारे गांव सोनदारा आये और हमलोगों को शिकार खेलने को चलने को कहे। इसके पहले 8.00 बजे सुबह बुद्ध चौकीदार जो रंका थाना में रहता है ने आ सूचना दिया था कि बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने को आने वाले हैं अतः हमलोग साथ रहेंगे। बी० डी० ओ० साहब 9.00 सुबह गांव पर आ गये। उनके साथ केवट बाबू, बदरी बाबू तथा बी० डी० ओ० साहब के जीप ड्राइवर सुरेश थे। ये सभी जीप से वहां गये थे। उनलोगों के पास दो बन्दूक थे। बी० डी० ओ० साहब के हाथ दो नाला बन्दूक तथा केवट बाबू के हाथ एक नाला बन्दूक था। अन्य दोनों आदमियों के हाथ में बन्दूक नहीं था। बी० डी० ओ० के कहने पर हम सभी शिकार में जाने को तैयार हो गये। हम में से पहले दिन वाले दसो आदमी साथ चले और जंगल में और भी आदमी साथ हो लिये। वे लोग दूसरे-दूसरे गांव के थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता। कल्ह याने तिथि 22 नवम्बर 1976 को बी० डी० ओ० साहब तीन-चार जगह आटा पर बैठ कर हंकवा करवाये, कहीं कोई जानवर नहीं मिला। बी० डी० ओ० साहब तथा केवट बाबू ही आटा पर बैठते थे। अन्य सभी हंकवा तथा इन्तजाम करता में रहते थे। दोनों व्यक्तियों के लिए 3-4 जगह आटा बाली तथा

पत्ती का बनाया गया था जो अभी भी देखने को मिल सकता है। माटा चार जगह बनाया गया था जो निम्न स्थान पर है:-

(1) पहला जोगीखूरा कैम्प से उत्तर करीब ½ माईल पर।

(2) दूसरा बेवराही जंगल में।

(3) तीसरा जोगिगा में।

(4) चौथा धरती जंगल में।

कहीं भी हुंकवा करने पर कोई चीज नहीं मिला। हुंकवा करने के लिए हमलोगों को कोई पैसा भी नहीं दिया गया था। कहा गया था कि यदि कोई शिकार मिलेगा तथा हिस्सा दिया जायगा। शाम में बी० डी० ओ० साहब ने मुझ से कहा कि तुम ड्राइभर को लेकर मेरे जीप जो कैम्प के पास था, पर चले जाओ और मैं उन्हीं के कहे अनुसार ड्राइवर के साथ उस स्थान पर जा रहा था कि जंगल में ही मुझे क्षेत्र पदाधिकारी रंका पूर्वी से मुलाकात हुई जिन्हें मैंने सभी बातें बताई। बाद में मैं ड्राइवर तथा अन्य वन कर्मचारियों के साथ बी० डी० ओ० साहब के जीपपर गया जहां बाद में क्षेत्र पदाधिकारी भी आये। कुछ देर बाद बी० डी० ओ० साहब भी आये। उस समय तक पूरा अंधेरा हो गया था। क्षेत्र पदाधिकारी बी० डी० ओ० साहब के सामने पुनः मुझसे पूछ-ताछ कर बयान लिया। केवट बाबू नहीं थे। जब क्षेत्र पदाधिकारी तथा अन्य वन कर्मचारियों के आने की बात हल्ला हो गया तब केवट बाबू वहां से खिसक गये। बदरी बाबू भी खिसक गये।

बायें अंगूठे का निशान—लाल विहारी भुईयां।

बयान मैंने लिया।

(ह०) शिवेश्वर प्रसाद--23 नवम्बर 1976।

(2) श्री लतीफ शेख, बल्द महदुल शेख, ग्राम जोगीपुरा का बयान—मेरा बयान है कि कल्ह के पहले वाले सोमवार याने तिथि 15 नवम्बर 1976 के करीब 12.00 बजे दिन में मैं अपने गांव में भैंस चरा रहा था कि बी० डी० ओ०, रंका तथा कुछ हंकवा जिनमें भूखन महर, कोईली महर, नगेसर महतो, कामेश्वर महतो, बुधन महतो, रहमान खां, गुलाबचन्द भुईयां, लाल बिहारी भुईयां तथा अन्य थे मेरे पास आये। इनमें रहमान खां ग्राम पावा के हैं और गुलाबचन्द भुईयां, जोगीपुरा के हैं। अन्य सभी ग्राम सोनदाग के हैं। बी० डी० ओ० साहब के हाथ में उस दिन दो नाली का बन्दूक था। उन्होंने मुझसे कहा कि वे लोग शिकार में जा रहे हैं। और तुम भी हंकवा में मेरे साथ चलो। उनके कहने पर मैं उनलोगों के साथ गया। और जोगिया पाड़ा के पास हांका हुआ जिसमें मैंने भाग लिया। आटा पर बी० डी० ओ० साहब बैठे थे। हांका में एक सूअर पिटाया। एक हांका हुआ था मैं नहीं जानता हूं मैंने सिर्फ एक ही हांका में भाग लिया था जिसमें कुछ भी नहीं पिटाया था। एक हांका के बाद मैं चुपचाप भाग गया था। सूअर दोपहर ही मे पिटा गया था और चीर-फाड़ तथा हिस्सा बटाने के लिए जोगीपुरा गांव के कैम्प के पश्चिम तरफ दोपहर में ही ले आया गया था। वहीं मैं जान पाया कि सूअर पिटाया है। मैं फिर अपने भैंस चराने चला गया था। सूअर काट कर हिस्सा बांटने वालों में नगेश्वर महतो, कामेश्वर महतो, बुधन महतो तथा गुलाबचन्द भुईयां थे। किसको कितना हिस्सा मिला मुझे नहीं मालूम।

कल्ह तिथि 22 नवम्बर 1976 के 9 00 बजे सुबह बभनदाहा नदी में मैं भैंस बैठाये हुए था और उसी जगह पर मैं भी बैठा हुआ था। यह नदी जोगीपुरा तथा सोनदाग गांव के सीमा पर है। वहीं जीप पर बी० डी० ओ०, रंका जिनका नाम मैं नहीं जानता तथा केवट बाबू और बदरी बाबू जीप ड्राइवर के साथ आये। जीप ड्राइवर चला रहा था जिसका नाम सुरेश है। केवट बाबू तथा बदरी बाबू को मैं नहीं पहचानता था। लोगों से सुनकर ही मैं कल्ह ही जान पाया कि उनलोगों को नाम केवट बाबू तथा बदरी बाबू था। ड्राइवर सुरेश को मैं पहचानता हूं। बी० डी० ओ० साहब आकर मुझसे बोले कि आठ दिन पहले वाले शिकार में तुम क्यों भागा था। उन्होंने यह भी बताया कि वे लोग शिकार में जा रहे थे। बी० डी० ओ० साहब के पास एक दुनाली बन्दूक था और केवट बाबू के पास एक-

एक नाली बन्दूक था। और लोगों के पास कोई बन्दूक नहीं था बी० डी० ओ० साहब ने मुझ से कहा कि चूंकि आठ दिन पहले वाला शिकार में मैं भाग गया था इसलिये आज साथ में चलना ही होगा। बी० डी० ओ० साहब के बहुत जोर-जबरदस्ती करने पर मुझे उनके साथ हो जाना पड़ा। हमलोग गोगढ़ी अहरा जो जोगीपुरा भण्डार के उत्तर में है जब पहूंचे तब वहीं पर आठ-दस आदमी और जूट गये। उनमें बुधन महतो, कामेश्वर महतो, नागेश्वर महतो, लाल बिहारी भुईयां तथा अन्य थे। कुल चार हंकवा आटा बनाकर किया गया। हंकवा एक गोगढी के अहरा के पास दूसरा जोगिया, तीसरा सूटा पहाड़ तथा चौथा बेबराही जंगल में किया गया। आटा पर बी० डी० ओ० साहब तथा केंवट बाबू अलग-अलग बंठे थे। आटा पर बैंठते समय बी० डी० ओ० साहब अपना बन्दूक का खोली मुझे दे दिये थे जो मै अभी मेरे पास है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। खोली बी० डी० ओ० साहब का ही है। दूसरे आदमी का नहीं है। हंकवा करने पर कुछ भी नहीं मिला। हंकवा करने के बाद घर लौटते समय शाम हो गया था। उसी समय मालूम हुआ कि रेंजर साहब तथा फौरेस्ट साहब इत्यादि को इस शिकार का पता चल गया है और वे लोग आये हुए हैं। यह सुनकर बन्दूक का खोली सहित मैं चुपचाप भाग गया और भाग कर घर चला आया।

ह०/लतीफ शेख।

बयान मेरे द्वारा लिया गया।

ह०—शि० प्रसाद—23 नवम्बर 1976।

श्री भुखन भुईयां वल्द करमदयाल भुईयां, ग्राम-सोनदोग का बयान।

मेरा बयान है कि कल के पहले वाले सोमवार, तिथि 15 नवम्बर 1976 को बी०डी०ओ०, रंका जिन्हें मैं पहचानता हूं मेरे गांव पर मेरे घर आये। वे करीब 8 बजे सुबह आये थे। उन्होंनें कहा कि शिकार खेलने चलना है अतः चलिये। मेरी असमर्थता व्यक्त करनें पर भी वे नहीं माने और बहुत जोर-जबरदस्ती कर मुझे शिकार में चलने को कहे। उनके साथ मैं जोगीखूरा कैम्प में आया। बी० डी० ओ० साहब जीप पर गये थे और मैं जीप पर उनके साथ ही जोगीखूरा कैम्प में आया। बी० डी० ओ० साहब कैम्प में आ नाश्ता-पानी करने बैठ गये और मुझसे सीकत गांव जा शरण सिंह तथा प्रेमन सिंह को शिकार के लिये बुला भेजने को कहा। मैं सिकट गांव चला गया, वहां उनलोगों से भेंट नहीं हुई। सीकट ग्राम से मैं दोपहर को लौटा। मैं जोगोखूरा ग्राम ही लौटा। लौटनें में दोपहर हो गया था। कैम्प में मैंने बी० डी० ओ० साहब को नहीं पाया। वहीं गार्ड लोगों से पूछनें पर मालूम हुआ कि कैम्प से पश्चिम में जोगियामांड़ तरफ फायर हुआ है। वहीं जा कर मैं पता लगाऊँ कि क्या मरा है। उनलोगों नें बताया कि जोगियामड़ा के तरफ ही बी०डी०ओ०साहब शिकार के लिये गये हैं। मैं वहां गया। जोगियामड़ा के उत्तर तरफ एक नाला में लोग सुअर मार कर लाये हुए थे और उसे चीरफाड़ कर रहे थे। चीरफाड़ करने में बुधन महतो, कौशल्या महतो, कमेश्वर महतो, नागेश्वर महतो, भुखन महरा थे और-और लोग बैठे हुए थे। पूछ-ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जोगिया माड़ में हंकवा हुआ था और वहीं आट पर बी० डी० ओ० साहब नें इसे मारा था। जहां सुअर को चीरा-काटा जा रहा था वहां पर बी० डी० ओ० साहब भी मौजूद थे। उन्होंने चारो पांव कटवा कर बोड़ा में कसवाये और उसे मुझे देते हुए कहा कि मैं इसे जीप में जो कैम्प के पूर्व में भण्डार के नजदीक था वहां पहुंचा दें। मैं उस बोरे को जीप में जाकर रख दिया। उस समय जीप पर कोई नहीं था। बोरा देते समय मुझे भी मांस का हिस्सा जो करीब डेढ़ सेर कच्चा था दिया गया। बी० डी० ओ० साहब ने बुधन महतो से देने को कहा और उसने मुझे बी० डी० ओ० साहब के सामने दिया। जीप पर मांस भरे बोड़ा को पहुंचा कर अपना घर चला आया।

कल तिथि 22 नवम्बर 1976 के वाकया के बारे में मुझे कहना है कि मैं करीब 10-11 बजे दिन में जलावन का लकड़ी लानें केवराही जंगल गया हुआ

था। वहीं पर बी० डी० ओ० रंका, बदरी बाबू, केवट बाबू, रहमन खां तथा करीब 10-12 हकवई लोग आये। ये सभी लोग पैदल थे। केवट बाबू के पास एक एकनाली बन्दूक था और बी० डी० ओ० साहब के पास एक दुनाली बन्दूक था। वे लोग पीछे से शिकार खेलते हुए आ रहे थे। वहीं बी० डी० ओ० साहब नें मुझसे कहा कि वे शिकार खेलने को निकले हैं और उन्होंने मुझसे भी हंकवा में भाग लेनें को कहा। हांका, एक बेवराही तथा दूसरा अमवांखाड़ में मैंने भी भाग लिया। हांका में बी० डी० ओ० साहब तथा केवट बाबू अलग-अलग आटा बनाकर बैठे थे। आटा डाली तथा पत्ती का हंकवाहा लोग ने ही बनाया था। हंकवा में कुछ भी नहीं मिला। तब मैं लकड़ी लेके मैं अपनें घर चला आया। करीब 3 बजे दोपहर में मैं अपने घर चला आया। मेरे आने के बाद भी वे लोग जंगल में हंकवा करते रह गये। हंकवाहा में ग्राम सोनदाग के बुधन महतो, नागेश्वर महतो, कामेश्वर महतो, काइली महरा, भुखन महरा, लछमन महरा, राजपति महरा तथा ग्राम जोगीखुरा का गुलाबचन्द भुईयां तथा बाके रहमान खां थे। लाल बिहारी को मैं नहीं देख पाया था।

ह० भुखन भुईयां

बयान मैंने लिखा।
ह० शिवेश्वर प्रसाद,
23 नवम्बर 1976।

श्री रामप्रीत राम, वल्द श्री बुदु राम, ग्राम सोनदाग का बयान।

मेरा बयान है कि कल्ह से पहले वाले सोमवार यानि तिथि 15 नवम्वर 1976 को किसी कार्यवश मैं जोगीखूरा में बी० डी० ओ० साहब के पास गया हुआ था जहां वे कैम्प कर रहे थे। वहां मैं करीब 12 बजे दिन में पहुंचा था। कैम्प में मुझे बी० डी० ओ० साहब से मुलाकात नहीं हुई। वहीं गार्ड लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे शिकार में कैम्प से पच्छिम जोगिया माड़ तरफ गये हुए हैं। मैंने कैम्प में ही एक बन्दुक का आवाज सुना था जो जोगिया माड़ तरफ से आया था। मैं भी उस ओर गया। रास्ते में एक नाला पर मैंने गोली से मरा सुअर देखा जिसे लोग चीर-फाड़ कर रहे थे। बी० डी० ओ० साहब भी वहीं थे। चीर-फाड़ करने में ग्राम सोनदाग के नगेश्वर महतो, बुधन महतो, कामेश्वर महतो, कोइली महरा तथा रजपति महरा थे। और लोग चारो तरफ बैठे थे मुझे बी० डी० ओ० साहब से अपने कार्य के सम्बन्धी बात चीत हुई और मैं वापस आ गया।

कल्ह याने तिथि 22 नवम्वर 1976 को कुछ कारणवश मैं पुनः करीब 12 बजे दिन में जोगीखूरा गया था। मुझे रास्ते में ही बांध पर बी० डी० ओ० साहब, केवट बाबू तथा बदरी बाबू जीप पर दीख पड़े। जीप ड्राइवर सुरेश भी था। केवट बाबू तथा बी० डी० ओ० साहब के हाथ में बन्दूक भी था। उनलोग पाठक जी के महुरा में तेदार पक्षी मारने के लिए खोज रहे थे। नहीं मिला। केवट बाबू से बात चीत करने पर मुझे मालूम हुआ कि वे लोग शिकार में जा रहे थे। जोगीखूरा से उसी दिन रंका आते समय बमनदाहा नदी पर मैं करीब 10 आदमियों को बी० डी० ओ० साहब के तरफ जाते देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग बी० डी०ओ० साहब के बुलाने तथा आग्रह पर उनके मदद के लिये शिकार में जा रहे थे। मैं रंका चला आया और इसकी सूचना क्षेत्र पदाधिकारी रंका पूर्वी को देना चाहा। वे नहीं थे। अतः मैंने इसकी सूचना क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पच्छिमी को दिया। फिर क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ ट्रक पर मैं जोगीखूरा गया तथा रंज आफिसरों के साथ मिला। क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी ने लाल विहारी भूईयां का जो बयान लिया था वह मेरे सामने लिया गया था और उस समय बी० डी० ओ० साहब भी थे उनके सामने ही बयान लिया गया था।

बयान मैंने लिया। ह० रामप्रीत राम

ह० शि० प्रसाद,

23-11-1976।

बुधु दुसाध, वल्द धुरा दुसाध शा० रंका का बयान।

मैं रंका थाना के अन्दर तथा रंका तथा सोनदाग गांव का चौकिदार हूं। मेरे अन्दर सोनदाग, पावा, भकुआनी चौकड़ी तथा पाल्हे गांव है। तथा रंका का चौकिदार हूं। जब से जोगीखूरा में कैम्प गड़ा है तब मैं रोनदाग में रह रहा हूं। जोगीखूरा कैम्प के पास भी मुझे ड्यूटी करना पड़ता है। मुझे पता है कि आज से करीब 8-10 दिन पहले एक जंगली सूअर पिटाकर कैम्प के बगल में एक नाला के ऊपर महुआ गाछ के नीचे आया था। सूअर कहां पिटाया था मुझे मालूम नहीं है। मैंने सुना है वे इसे रंका के बी० डी० ओ० साहब, जिन्हें मैं पहचानता हूं ने मारा था। मांस कहां-कहां गया मुझे नहीं मालूम। मुझे उसका हिस्सा नहीं मिला है।

परसो तिथि 21 नवम्बर 1976 को शाम में बी० डी० ओ० साहब ने मुझसे सोनदाग के आदमियों को कल तिथि 22 नवम्बर 1976 को कैम्प में उपस्थित रहने के लिये बुलवाया था।

मैं इस बात को लाल बिहारी भुंईया तथा भूखन भुंईया को इस बात को कहा था कि कैम्प में बी० डी० ओ० साहब ने बुलाया था। किस काम के लिए बुलाया था इस बात को मैं नहीं कह सकता। कल तिथि 22 नवम्बर 1976 को मुझे बी० डी० ओ० साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। कल मैं सोनदाग गांव में ही था। कल ही मैंने सुना था कि बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने गये थे तथा लौटकर रहमान के यहां ठहरे थे। ऐसा मैंने गांव वालों से सुना था। बी० डी० ओ० साहब के साथ शिकार में कौन-कौन था मैं नहीं जानता, नहीं मैंने सुना है। शिकार में कुछ पिटाया था कि नहीं मैं नहीं जानता।

आज तिथि 23 नवम्बर 1976 को शाम में सोनदाग गांव के भूतपूर्व चौकीदार कमरु के यहां से एक बोरा बरामद हुआ है जिसे कमरु के घर वाली ने बताया कि उसे बी० डी० ओ० साहब ने अपने जीप ड्राईवर के मारफत भेजवाया था। इस बोरे पर खून का दाग देखा गया तथा मांस कसने के कारण

उसे कड कड भी पाया गया। बोरा वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ले लिया गया।

नि० बुधु चौकीदार

बयान मेरे द्वारा लिया गया

(ह०) समशेर बहादुर सिंह,

वनपाल, रंका पूर्वी

बयान मेरे समक्ष लिया गया।

(ह०) शि० प्रसाद

13-11-1976

सच्ची प्रतिलिपि

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

गढ़वा दक्षिणी प्रमण्डल।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अवर-निरीक्षक, जोगीखूरा कैम्प का बयान—

तिथि 15 नवम्बर 1976 के वाक्या के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कैम्प में नहीं था। जोगीखूरा कैम्प में 15 नवम्बर 1976 के शाम को आया था। 16 नवम्बर 1976 से 21 नवम्बर 1976 तक प्राय: मैं बाहर ही रहा। 15 नवम्बर 1976 के शाम में लौटने के पश्चात् मैं सुअर मरने के बारे में किसी से कुछ नहीं सुना।

22 नवम्बर 1976 को रंका के बी० डी० ओ० साहब के गाड़ी में मैं उनके साथ सी० ओ० साहब के साथ रंका से कैम्प करीब 12-00 बजे आये। गाड़ी में केवट बाबू तथा बदरी बाबू भी थे। ड्राइवर सुरेश राम भी थे। गाड़ी में काफी सामान था मैं मार्क नहीं किया कि बन्दूक था या नहीं। कैम्प में आने के बाद मैं कैम्प में रह गया। बी० डी० ओ० साहब कहीं चले गये। कहां गये मुझे नहीं मालूम। इनके साथ कौन-कौन लोग गये मैं नहीं बता सकता। दिन भर मुझे बी० डी० ओ० साहब से मुलाकात नहीं हुई। मुझे उनसे सोनदाग ग्राम में शाम में मुलाकात हुई जहां वे खटिया पर बैठे हुए थे। मैं कैम्प में हुंकवा का आवाज नहीं सुना था। शाम को मैं जंगल में कुछ लोगों के जंगल से निकलकर आते देखा जो गांव के तरफ चला गया।

बयान मैंने लिया।

(ह०) शिवेश्वर प्रसाद,
12-11-1976।

श्री दयानन्द तिवारी, सिपाही नं० 225, जोगीखूरा कम्प—मैं जोगीखूरा कैम्प में 1 नवम्बर 1976 से 4 अन्य साथियों के साथ हूं। बराबर यहां रहता हूं। तिथि 15 नवम्बर 1976 को मैं कैम्प में ही था उस दिन 12 बजे दिन से 2-00 बजे दिन तक मेरा ड्यूटी था। उस दिन सुअर पिटाने के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं कारण मुझे कुछ पता नहीं। मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरे कैम्प के बगल में कोई सूअर चीरा-फाड़ा गया था। मैं नहीं बतला सकता कि उस दिन कोई बन्दूक का आवाज हुआ था। मैं जंगल जो कैम्प के बगल में है जाता हूं पर मैं उसमें सूअर काटने तथा चीरने का तथा आटा वगैरह का कोई निशान नहीं देखा है।

परसों तिथि 22 नवम्बर 1976 को भी मैं कैम्प में ही था उस दिन रंका के बी० डी० ओ० साहब को मैं कैम्प में $11\frac{1}{2}$ बजे दिन में देखा था; केवट बाबू तथा बदरी बाबू थे मैं नहीं पहचानता हूं। मैंने बी० डी० ओ० साहब के हाथ में बन्दूक नहीं देखा था। मुझे हंकवा का कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ा था।

बयान मैंने लिया।
(ह०) शि० प्रसाद,
22-11-1976।

सच्ची प्रतिलिपि

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा दक्षिणी प्रमण्डल।

श्री श्याम बाबू पटेल, सिपाही नं० 498, जोगीखूरा कैम्प का बयान—

15 नवम्बर 1976 को मैं यहीं पर कैम्प ड्यूटी पर था। 10-00 बजे दिन से 12-00 बजे दिन तक मेरा ड्यूटी था पर वास्तव में मैं 12-00 बजे दिनवाला ड्यूटी किया था और 10-00 बजे दिन से 12-00 बजे दिन वाला ड्यूटी दयानन्द तिवारी ने कर दिया था। जब मैं ड्यूटी में था तब एक बन्दूक का आवाज सुना था। आवाज करीब 1-30 बजे दिन में सुना था। आवाज पच्छिम तरफ से आयी थी। उस दिन रंका के बी० डी० ओ० साहब कैम्प में ही ठहरे थे। जब आवाज सुनाई दिया था तब उस समय बी० डी० ओ० साहब कैम्प में ही थे। उस दिन कैम्प के बगल में कोई सूअर पिटा कर आया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि कोई सूअर का मांस कैम्प के बगल में चीरा-फारा गया था। मुझे यह भी मालूम नहीं कि कोई सूअर का मांस जंगल से लेकर बस्ती के ओर कोई गया था या नहीं। मुझे पता नहीं कि कैम्प के बगल में कोई आदमी लोग गुजरा था या नहीं।

परसों तिथि 22 नवम्बर 1976 को भी मैं कैम्प में ही था। परसों मेरा ड्यूटी सुबह 8-00 बजे से 10-00 बजे तथा शाम में 4-00 बजे से 6-00 बजे तक था। उस दिन मुझे बी० डी० ओ० साहब से मुलाकात हुई थी। मुझे उनसे 1-30 बजे मुलाकात हुई थी। कैम्प में वे कब आये थे मुझे ख्याल

नहीं है। आते समय मैं नहीं देखा। मैं सोया हुआ था। उठने पर मैंने उन्हें देखा था। केवट बाबू तथा बदरी बाबू को मैं नहीं पहचानता हूं। मैंने उस दिन बी० डी० ओ० साहब के हाथ में कोई बन्दूक नहीं देखा था। कैम्प के बगल में मैंने शिकार का कोई हल्ला-गुल्ला नहीं सुना था। मैंने कोई आदमी को जंगल तरफ जाते भी नहीं देखा था।

श्री मुहम्मद कबीर खां, सिपाही नं० 562, कैम्प जोगीखूरा का बयान—

मैं यहां 1 नवम्बर 1976 को आया हूं और तब से यहीं कैम्प में हूं। 15 नवम्बर 1976 को मेरा ड्यूटी 8-00 बजे सुबह से 10-00 बजे सुबह तक था तथा शाम में 4-00 बजे से 6-00 बजे तक था। उस दिन सूअर पिटाने तथा सूअर का चीर-फाड़ के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैंने कुछ सुना भी नहीं था। बन्दूक का भी कुछ आवाज मैंने नहीं सुना था।

परसों तिथि 22 नवम्बर 1976 को भी मैं कैम्प में ही था। उस दिन मेरा 12-00 बजे दिन से 2-00 बजे दिन तक ड्यूटी था। मैंने उस दिन बी० डी० ओ० साहब को कैम्प आते देखा था। बी० डी० ओ० साहब करीब 11-30 बजे दिन में आये थे। मैंने उन्हें अकेले आते देखा। उनके हाथ में मैंने कोई बन्दूक इत्यादि नहीं देखा था। शाम में बस्ती से जंगल तरफ कुछ आदमियों को मैंने जाते देखा था। जंगल से आते मैंने किसी को नहीं देखा था।

श्री यमुना यादव, सिपाही नं० 262, जोगीखूरा कैम्प के सिपाही का बयान—

तिथि 15 नवम्बर 1976 को मैं कैम्प में नहीं था। मैं डाल्टेनगंज वेतन लेने गया हुआ था। मैं वहां से 17 नवम्बर 1976 को पुनः लौटा था। यहां आने पर अभी तक सूअर के शिकार के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना है।

तिथि 22 नवम्बर 1976 को मैं कैम्प में था। बी० डी० ओ० साहब को मैंने उस दिन कैम्प में नहीं देखा था। अगर वे उस दिन आये होंगे तब मैंने नहीं देखा था कारण मैं अपना कपड़ा फींचने चला गया था।

श्री सुरेश राम, जीप चालक बी० आर० ओ० 769 का बयान --मैं रंका बी० डी० ओ० साहब का ड्राइवर हूं। 15-11-1976 के वाक्या के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस दिन मैं डियूटी पर था और जीप चलाया था। जीप जोगीखुरा कैम्प में उस दिन 12 से 1 बजे दिन के बीच में आया था। बी० डी० ओ० साहब के साथ आया था। जोगीखुरा से करीब 4 बजे शाम में रंका लौटा था। जीप में किसी भी प्रकार का कोई बोरा नहीं रख कर गया था।

परसों तिथि 22-11-1976 को मैं डियूटी में था। उस दिन गाड़ी लेकर सुबह 11 बजे मैं जोगीखुरा कैम्प आया था। गाड़ी में बी० डी० ओ० साहब तथा बदरी बाबू थे। कैवट बाबू नहीं थे। बी० डी० ओ० साहब के पास बन्दूक नहीं था मैं उस दिन जंगल में शाम को मैदान गया हुआ था। रेन्जर साहब से मुझे कैम्प के बगल में ही जंगल में मुलाकात हुई थी। मेरे साथ अन्य कोई नहीं था। मैं अकेला था। मैं उस दिन गाड़ी जोगीखुरा पाठक जी के भण्डार के पास लगाया था तथा पानी पीने कैम्प आया था और वहीं मुझे मैदान जाने को महसूस हुआ और मैं कैम्प के बगल जंगल में बिना लोटा लिये चला गया। वहीं मुझे रेन्जर साहब तथा अन्य कर्मचारियों से मुलाकात हुई और फिर उन्हीं में से कुछ के साथ मैं जीप पर चला आया।

ह०/ सुरेस राम

बयान मैंने लिया।

ह०/शिवेश्वर प्रसाद, 22-11-1976।

सच्ची प्रतिलिपि

सच्ची प्रतिलिपि

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

गढ़वा दक्षिणी प्रमण्डल।

अनुबन्धन 9

सं० 18249-वि० प०

प्रेषक,

डा० मु० जु० अंसारी,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रांका।

दिनांक 19 फरवरी 1977।

सेवा में,

उप-सचिव,

बिहार विधान परिषद्, पटना।

विषय—पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वन जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर जोगीखुरा ग्राम में अवैध शिकार श्री जगनारायण पाठक, स०वि०प० के ध्यानाकर्षण पर गठित त्रिसदस्यीय समिति।

महाशय,

आपके पत्रांक वि० प० अ० प्र० 145/76, दिनांक 2 फरवरी 1977 के प्रसंग में मुझे यह कहना है कि निम्नलिखित कर्मचारी, परिवार नियोजन के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1976 में कार्यरत थे जिनका अभिप्रमाणित दैनन्दिनी उक्त माह का संलग्न कर आप के पास उचित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

(1) श्री बद्री साद, प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक, रंका।

(2) श्रीमती शांति कच्छप, स० एन० सम० रंका।

(3) श्रीमती बेनदिक्त केरकेट्टा, ए० एन० एम० गोदरमना।

विश्वासभाजन,

ह०/अस्पष्ट,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,

रंका।

श्री बद्री प्रसाद, प्रसार प्रशिक्षक, रंका के माह नवम्बर, 1976 की दैनिक भ्रमण डायरी।

1-11-1976—मुख्यालय में रहकर एक नसबंदी का केस कराया।

2-11-1976—मुख्यालय में रहकर एक नतिबंदी का केस कराया।

3-11-1976—मुख्यालय में रहकर प्रतिवेदन तैयार किया।

4-11-1976—डालटेनगंज मासिक बैठक में भाग लिये।

5-11-1976—डालटेनगंज से वापस।

6-11-1976—मुख्यालय।

8-11-1976—सबेरे मुख्यालय से जीप द्वारा गढ़वा गया। वहां जाकर सदर अस्पताल, गढ़वा में परिवार नियोजन का कार्य किया तथा शाम को जीप द्वारा मुख्यालय वापस।

9-11-1976—सबेरे मुख्यालय से कोपुम्रा मोड़ गया। वहां से पैदल तुतुरू गया। वहां जाकर नसबंदी कराये हुए व्यक्तियों का फौलो अप किया तथा आवश्यक बातें समझायी कुछ नये दम्पतियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया और उन्हें परिवार नियोजन की सलाह दी। रात्रि में सोने के पहले एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया जिसमें 10 आदमी उपस्थित हुए। तुतुरू ग्राम में मुस्लिम लोगों की संख्या काफी है। इसलिए वे लोग परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं हैं। वे लोग अधिक धार्मिक कारणों से इसका विरोध करते हैं। रात्रि विश्राम।

10-11-1976—आज सबेरे 8 बजे तुतुरु से मखातू गया। वहां जाकर चेचक कार्य का निरीक्षण किया और पाया कि काम सही रूप से किया गया है। किसी भी घर में चेचक की शिकायत नहीं है। कुछ लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें परिवार नियोजन की सलाह दी। नसबंदी कराये हुए लोगों को देखा। कुछ नये लोगों से भी नसबंदी कराने को कहा। शाम को ट्रक द्वारा मुख्यालय वापस।

11-11-1976 आज सवेरे 10 बजे चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जीप द्वारा सरकंडा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में हमलोग शरेगाड़ा, चटकमान, जासेदाग तथा केखा आदि गांवों में चेचक कार्य का निरीक्षण किया। 4 बजे सरकंडा पहुंचा। रात्रि विश्राम।

12-11-1976 सरकंडा से जीप द्वारा मुख्यालय वापस।

13-11-1976 मुख्यालय।

14-11-1976 आज सवेरे 8 बजे साईकिल द्वारा तमगे के लिए प्रस्थान किया। तमगे दिन के 10 बजे पहुंचा। वहां जाकर लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया। कुछ नये दम्पत्तियों के बच्चों की संख्या में सुधार किया। लोगों को मातृ शिशु कल्याण के बारे में बताया और नसबंदी के लिए उत्प्रेरित किया। रात्रि में सोने के पहले एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया जिसमें 10 आदमी उपस्थित हुए। इनलोगों को भी मैंने नसबंदी कराने की सलाह दी। मगर वे लोग अपने उदासीन विचार व्यक्त किये। उनलोगों का कहना है कि नसबंदी करा लेने से आदमी नपुंसक हो जाता है। उनलोगों में भारी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। 4 बजे शाम को साईकिल द्वारा मुख्यालय वापस।

15-11-1976 आज सवेरे मुख्यालय से 10 बजे साईकिल द्वारा सोनदाग गया। वहां जाकर कपुल सर्वे में कुछ सुधार किया, डा० योगेसने दम्पत्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया और उनलोगों को सफाई के बारे में बताया। मैंने यह भी बताया कि बच्चों के स्वास्थ्यपर बराबर ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर सुई तथा टीका लगवाते रहना चाहिए। दोपहर को एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया जिसमें 15 आदमी उपस्थित हुए। इनलोगों को मैंने समझाया कि अपनी औकात के मुताबिक ही कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब कि यथासंभव परिवार को सीमित रखना चाहिए। इसलिए जिस किसी को भी दो या तीन बच्चे हो गये हों उन्हें अपनी नसबंदी करा लेनी चाहिए। 5 बजे शाम को मुख्यालय वापस।

16-11-1976 आज सबेरे साईकिल द्वारा कुदूरुम गया। कुदूरुम दिन के 10 बजे पहुंचा। वहां सबसे पहले चैत कोखा के यहां गया जो अपना नसबंदी आपरेशन करा चुका था। उसे थोड़ी सूजन भी हो गयी थी। मैंने दवा दी और कहा कि गरम पानी में नमक डालकर सेको। मैंने यह भी कहा कि विशेष-तकलीफ होने पर अस्पताल में चले आओ। 13 आदमियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया तथा उन लोगों को नसबंदी कराने के लिए उत्प्रेरित किया। वे लोग नसबंदी करना चाहते हैं मगर अभी उनके अंदर हिचकिचाहट है। रात्रि विश्राम।

17-11-1976 सबेरे कुदूरुम से साईकिल द्वारा विश्रामपुर आया। विश्रामपुर में मुखिया जी से भेंट किया तथा निवेदन किया कि कम-से-कम 10 नसबंदी के मामले दें। डा० एम०पी० वर्मा को लेकर मैं बस्ती में गया और लोगों से नसबंदी कराने के लिए कहा। वे लोग आश्वासन भी दिये कि हमलोग सोच लेंगे तब नसबंदी करावेंगे। इसलिए एक-दो सप्ताह की देर हो सकती है। दोपहर को एक बैठक का आयोजन किया जिसमें 10 आदमी उपस्थित हुए। इन लोगों को भी मैंने नसबंदी कराने की सलाह दी। शाम को बस द्वारा मुख्यालय वापस।

18-11-1976
————— मुख्यालय।
20-11-1976

21-11-1976 आज साईकिल द्वारा सोनपुरवा गया। वहां जाकर विपुल सर्वे का पुनरीक्षण किया तथा कुछ योग्य दम्पत्तियों का नाम रजिस्टर में दर्ज किया। कुछ घरों में जाकर बच्चों तथा गर्भवती माताओं को बताया कि यथासंभव यह प्रयास रखना चाहिए कि अच्छी खुराक मिले। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल भी करना जरूरी है क्योंकि बच्चे के ऊपर ही देश का विकास निर्भर करता है। बाद में मैंने परिवार नियोजन के ऊपर भी प्रकाश डाला। वे लोग अभी नसबंदी कराना नहीं चाहते। शाम को साईकिल द्वारा मुख्यालय वापस।

22-11-1976 आज सवेरे 11 बजे प्रखंड जीप द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रंका के साथ योगीखूरा कैम्प गया। योगीखूरा दिन के 1 बजे पहुंचे। वहां से तीनों आदमी पैदल मलुआनी गये। वहां पर चूंकि रबी अभियान की एक बैठक थी इसलिए उस बैठक में भाग लिया। रबी अभियान के पश्चात् मैंने एकत्रित लोगों के बीच परिवार नियोजन कल्याण के बारे में बताया कि बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए समय-समय पर सुई तथा टीका भी लगवाते रहना चाहिए। मैंने लोगों से बताया कि आजकल रंका अस्पताल में बराबर ही मर्दों का नसबंदी आपरेशन किया जा रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराना चाहते हैं वे जाकर नसबंदी करा सकते हैं। इसकी सम्पुष्टि प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रंका ने की। शाम को 4 बजे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रंका के साथ पैदल मुख्यालय वापस।

23-11-1976 आज सवेरे मुख्यालय से पैदल मानपुर गया। मानपुर दिन के 10 बजे पहुंचा। वहां जाकर लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया और परिवार नियोजन की सलाह दी। लोगों से नसबंदी कराने के लिए कहा। चूंकि मानपुर मुस्लिम बस्ती है इसलिए वे लोग धार्मिक कारणों से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। 3 बजे शाम को एक सामूहिक बैठक की व्यवस्था की जिसमें 9 आदमी उपस्थित हुए। इनलोगों को भी मैंने बताया कि नसबंदी करानी चाहिए। साढ़े चार बजे चलकर मुख्यालय वापस।

24-11-1976 आज सवेरे 9 बजे निरंजन गाड़ी से गोदरमाना गया। गोदरमाना से चूंकि परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया गया था लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, भंडरिया शिविर से नहीं लौटे थे इसलिए पुनः रंका वापस। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के लौटने पर 5 नसबंदी ऑपरेशन किये गये जो गोदरमाना से ही आये थे।

25-11-1976 डालटेनगंज क्षतिपूर्ति राशि के लिए।

26-11-1976 डालटेनगंज से 5,000 रुपया लेकर वापस।

27-11-1976 आज सबेरे परिवार नियोजन जीप से चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका के साथ रमकंडा स्वास्थ्य उप-केन्द्र गया। वहां पर परिवार नियोजन शिविर का आयोजन कर 10 नसबंदी किये गये। फिर शाम के वहां से जीप द्वारा मुख्यालय वापस।

28-11-1976 आज सबेरे परिवार नियोजन की गाड़ी से चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ गोदरमाना गया। गोदरमाना के शिविर का आयोजन किया गया तथा सात नसबंदी के मामले किये गये। फिर शाम को 4 बजे गोदरमाना से जीप द्वारा मुख्यालय वापस।

20-11-1976
———————— मुख्यालय।
30-11-1976

अनुमोदित।
मुजु अंसारी,
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
रंका।

बद्री प्रसाद
1-12-1976।

अभिप्रमाणित।
(ह०) (-अस्पष्ट,)
चिकित्सा पदाधिकारी,
राजकीय चिकित्सालय,
रंका (पलामू)।

शान्ती कच्छा, ए० एन० एम०, रंका प्रखंड के माह नवम्बर, 1976 की दैनन्दनी

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
1-11-1976	खरडीहा	कार्यालय में मन्थली रिपोर्ट देने गई ।	
2-11-1976		आज 10 बजे सवेरे मुख्यालय से पैदल गई, वहां $11\frac{1}{2}$ बजे पहुंची, हर एक घरों में जाकर औरतों से मिली तथा व्यक्तिगत मुलाकात की। स्वास्थ्य सफाई के बारे में बातचीत हुई। बातचीत के सिलसिले में परिवार नियोजन का जो फायदा है उसके बारे में बात हुई। नसबन्दी, वन्ध्याकरण, लूप के विषय में सुझा-बुझाकर समझाई । अतः मैं चार बजे शाम में वापस लौटी । सलाह दी 10 व्यक्ति को प्रसव 1	पोस्ट नेटल (एक)
3-11-1976	तेतरडीह	आज सुबह $9\frac{1}{2}$ बजे मुख्यालय से पैदल गई, वहां 11 बजे पहुंची, वहां के औरतों से मिली और एक (सलाह 14 व्यक्ति) जगह पर एकत्र होने को कही, दोपहर में एक सभा की। सभा में 5 मर्द, 8 औरतें जमा हुए। उन लोगों के बीच में बच्चों की शिक्षा दी, नसबन्दी, वन्ध्याकरण, लूप के बारे में (नसबन्दी) अभी सलाह से ही हो	

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
		रहा है। बाद में जबर्दस्ती भी होगा, यह समझाकर 4 बजे शाम में वापस लौटी। (पोस्टनेटल 1) प्रसव हुआ-----	
4-11-1976	तेंनुडीह	आज 10 बजे मुख्यालय से पैदल गई, वहाँ जाकर औरतों से मिली तथा उन्हें परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी, वन्ध्याकरण, निरोध, झग्गदार (गोली के विषय में समझाई (सलाह दी 6), 4 बजे शाम में वापस आई।	
5-11-1976	शेराशायम	आज 8 बजे मुख्यालय से पैदल गई, वहाँ 11 बजे पहुंची और घर-घर में जाकर औरतों से मिली, बच्चों की शिक्षा के बारे में, सफाई के बारे में बताई और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बताई जैसे निरोध, झग्गदार गोली के बारे में बताई और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बताई जैसे निरोध, झग्गदार गोली, व्यक्ति); नसबन्दी, वन्ध्याकरण के बारे में बताई। रात में रहकर एन्टीनेटल 2। एक बैठक शाम में हुई। बैठक में 11 औरत जमा थी। परिवार छोटा होने की विधियों को समझाई। दो घन्टा बैठक थी। उन्हें समझाकर बैठक समाप्त कर विश्राम की, सुबह में वापस आई।	(सलाह दी 11; पोस्ट नेटल 1

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
6-11-1976		कार्यालय----	
7-11-1976		रविवार----	
8-11-1976	अखाडीह	आज सुबह 9 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर औरतों से मिली तथा उन्हें प०नि० निरोध लुप नसबन्दी बन्घ्याकरण के विषय मे समझाई कि नसबन्दी या वन्घ्याकरण कराना बहुत ही जरूरी है। इसमें सरकार का जोर सोर इसमें है। यह समझाई अतः मैं 4 बजे शाम को वापस आई।	सलाह दी 8 व्यक्ति।
9-11-1976	संमरवाड़	आज सुबह मुख्यालय से पैदल गई औरतों से मिली प०नि० दवा के बारे में बताई कि निरोध लुप से बच्चा होने का दूरी होता है फिर से बच्चा पैदा होता है और आपरेशम मर्द का हो या स्त्री का हो इस से बच्चा होने का शक नहीं रहता है निरोध, लूप, बच्चा होने का सम्भाव होता है। यह समझाकर 3 बजे मैं वापस आई।	सलाह दी 8 व्यक्ति।
10-11-1976	रंका	आज सुबह मुख्यालय से गई घर-घर में आकर टेटभेक की सुई लगाई और गर्भवती स्त्री को और नसबन्दी बन्ध्योकरण लूप के बारे में सलाह दी। सुई दी 10 व्यक्ति टेटमाइस आइरन गोली 5 व्यक्ति 250 गोली।	सलाह दी 6 व्यक्ति।

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
11-11-1976	खूरा	आज दस बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर औरतों के साथ मिली औरतों को प०नि० का जो फायदा है उसके बारे में बतायी सफाई मां-बाप तथा बच्चों के बारे समझाई। दवा खाने वाले के बारे में जवाब दी कि सूई से बच्चा बन्द होता तो ठीक था। इसके बारे में मैं बताई की सुई या दवा से बच्चा पैदा होने का दूरी होता है नसबन्दी या वन्ध्या-करण करा लेने से बच्चा पैदा होने का सम्भावना ही नहीं रहती। इसलिये वन्ध्या-करण लूप कराना ठीक है। यह समझाकर मैं वहां से 4 बजे शाम मे वापस आई।	सलाह दी 10 व्यक्ति अंटीनेटल 1।
12-11-1976	रवदा	आज सुबह 10 बजे मुख्यालय से पैदल रवदा गई औरतों से घर-घर में जाकर भेंट की तथा उन्हें कही कि एक जगह पर आइये दोपहर में एक परिवार नियोजन सामूहिक बैठक किया। इस बैठक में 8 औरतें आईं। उन्हें नसबन्दी, वन्ध्याकरण, लूप के विषय में बातचीत की उनलोगों का कहना है कि नसबन्दी कराने से बच्चा पैदा कैसे हो जाता है यह बात मैं उन्हें समझाई कि नसबन्दी कराने के बाद 3 माह के बाद जाय कर औरत मर्द मिलने से नहीं होगा वन्ध्याकरण के लिए तैयार हो जाइये। रंका गाड़ी से (सभा एक बजे) ले जायेगी यह समझा कर मैं 4 बजे शाम में वापस आई आइरन गोली 100 (व्यक्ति दो)।	सलाह दो 8 व्यक्ति।

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
13-11-1976		कार्यालय--—	
14-11-1976		रविवार———	
15-11-1976	डाले	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई घर-घर में जाकर औरतों से मिली उन्हें एक जगह में इकट्ठा होने की सलाह दी। दोपहर में एक बैठक की उसमें 9 औरतें जमा थीं दामोदरी देवी, जिला देवी, मालती देवी को नसबन्दी, वन्ध्याकरण, लूप के बारे में बताई बहुत समझाने के बाद ही उन्हें परिवार नियोजन के प्रति उदासीन रूप से प्रकट की अतः बैठक समाप्त कर मैं टेटभाईट लगा दी आइरन गोली 60 को 4 बजे शाम में वापस आई।	सलाह दी 8 व्यक्ति।
16-11-1976	होन्हे कला	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर मर्द औरत से मिली तथा उन्हें परिवार नियोजन लूप, नसबन्दी. वन्ध्याकरण झगदार गोली, जैली के बारे में बताई लूप का जो फायदा है। उन्हें बताई झगदार गोली निरोध का फायदा हो उनको बताई नसबन्दी वन्ध्याकरण का जो फायदा है उसके बारे में अच्छी तरह से समझाई, समझाकर मैं 4 बजे शाम में वहां से वापस आई।	सलाह दी 6 व्यक्ति।

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
17-11-1976	विश्राम पुर ।	आज 6 बजे सुबह में गाड़ से विश्रामपुर गई, आकर मुख्यालय से भेंट की, औरतों से भेंट की, उसी जगह दोपहर में बैठक हुआ उस बैठक में 8 मर्द जमा थे। उन्हें परियार नियोजन नसबन्दी, वन्ध्याकरण के वारे में बातचीत हुआ, बैठक समाप्त कर घर-घर भेज जाकर औरतों से भेंट की 5 औरतें परिवार नियोजन प्रति सलाह दी। अतः मैं 4 बजे गाड़ी से वापस आई।	सलाह दी 8 व्यक्ति। बैठक- 1 अंटी नेटल दो।
18-11-1976	झगराहा	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर औरतों से मिली तथा उन्हें परिबार नियोजन लूप जेली झागदार गोली निरोध नसबन्दी वन्ध्याकरण के वारे में समझाई उन्हें समझा-बुझा कर मैं 4½ बजे शामवापस आई।	सलाह दी 8 व्यक्ति।
19-11-1976	मझीगांव	आज दस बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर 6 घरों में औरतों से मिली तथा उनलोगों को बच्चों का स्वास्थ्य सफाई के बारे में वातचीत के सिलसिले में नशवन्दी वन्ध्याकरण का भी बात की मगर लोग डर से कहते हैं कि नसबन्दी वन्ध्याकरण कराने से लोग मर जाते हैं। हमलोगों को बहुत भय लगता है। इस वात पर मैं सलाह दी की डरने का बात नहीं दुनिया में हो रहा है। दो चार आदमी कराकर देख लें। इसके बाद विश्वास होगा यह समझा कर मैं चार बजे शाम को वापस आई।	सलाह दी 12 व्यक्ति

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
20-11-1976		कार्यालय———	
21-11-1976		रविवार———	
22-11-1976	बड़गढ़	आज सुवह 8 बजे गाड़ी से बड़गढ़ गये कैम्प में तथा रात में विश्राम की सुवह 10 बजे गाड़ी से वापस आई।	सलाह दी 5 अन्टी नेटल 1
		विश्राम 2	
23-11-1976	रंका कला	आज 1 बजे दिन में रंका में 10 घरों कुर्मी तथा औरतों को नसबन्दी वन्ध्याकरण लूप के बारे में समझाई।	सलाह दी 10 व्यक्ति
24-11-1976	सेनाडीह	आज सुबह 10 बजे से मुख्यालय से पैदल गयी वहां जाकर औरतों से मिली तथा उनलोगों को वन्ध्याकरण नसबन्दी लूप, निरोध के विषय में समझाई। अतः समझाकर 4 बजे शाम को वापस आई।	सलाह दी 6 व्यक्ति
25-11-1976	उच्चरो	आज सुवह 10 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहां हर-एक घरों में घुमी और औरतों को एक जगह पर इकट्ठा होने को कही तथा दोपहर में एक प० नि० का सामुहिक बैठक किया और उन लोगों को प० नि० लूप, नसबन्दी, वन्ध्याकरण, निरोध जोभी के बारे में बताई उस बैठक में 8 औरत जमा थी। उन्हें समझा बुझाकर वापस आई।	सलाह दी 9 व्यक्ति। बैठक

तिथि	ग्राम	कार्य	विवरण
26-11-1976	रंका खुर्द	आज सुबह 10 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर औरतों से मिली और उन्हें सफाई स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की इसी के सिलसिले में नसबन्दी वन्ध्याकरण लूप का भी बातचीत हुआ उन्हें प० नि० के प्रति विरोध की नसबन्दी वन्ध्याकरण के प्रति प्रगट नहीं की अतः मैं फिर भी उन्हें विस्तार पूर्वक से समझाई 4 बजे शाम वापस आई।	सलाह दी 6 व्यक्ति
27-11-1976		को वन्ध्याकरण केश लेकर डाल्टेनगंज गयी और वन्ध्याकरण कराई।	
28-11-1976	डाल्टेनगंज		
29-11-1976	डाल्टेनगंज		
30-11-1976	डाल्टेनगंज		

अनुमोदित

मु० जु० अन्सारी--1-12-1976
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
रंका

शान्ती कच्छप ए० एन० एम०
1-12-1976।

तिथि ।	ग्राम ।	कार्य । विवरण ।
अनुदित केरकेटा ए० एन० एम० गोदरनाना का दैनिक भ्रमण का संक्षिप्त विवरण		
2-11-1976	चुहिया	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गयी। वहां 12 बजे पहुंचे तथा लोगों को साथ मिले तथा परिवार नियोजन के लूप, नसवन्दी बन्ध्याकरण के बारे में बतायी कि आपरेशन कराने से कोई तकलीफ नहीं होती है। सूई दवा सब सरकार की ओर से मिलता है। इसमें कोई बात का डर नहीं है। इस प्रकार समझा बुझाकर वापस 4 बजे आयी।
2-11-1976	होमिगा	आज 9 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई। वहां 10/30 बजे पहुंचे। वहीं लोगों के साथ मिले और एक सामूहिक बैठक की। बैठक में 9 औरत तथा दस मर्द जमा हुए उन्हें प० नि० लूप, नसबन्दी बन्ध्याकरण के विषय में बातचीत हुआ कि सरकार का कहना है कि दो या तीन बच्चे से अधिक नहीं करना चाहिए इसलिए आपरेशन करा लीजिए इस प्रकार समझा बुझाकर 3 बजे वापस आयी।
3-11-1976	भौरी	आज 10 बजे मुख्यालय से दल गई। वहां जाकर 1 बजे पहुंचे। वहां जाकर लोगों के साथ मिले तथा परिवार नियोजन लूप, नसवन्दी बन्ध्याकरण के विषय में बताई इसमें कोई तकलीफ नहीं होता है। सूई दवाई सब मुफ्त में मिलता है। इस प्रकार सलाह देने पर कहने लगे कि कटनी खतम होने पर आपरेशन करायेंगे। इस प्रकार समझा बुझाकर 4 बजे वापस आयी।

कार्य ।	विवरण ।
	ाज सबेरे 12 बजे मुख्यालय से पैदल गई । 1 बजे पहुंचे । वहां जाकर लोगों के साथ मिले तथा एक सामूहिक बैठक की उसमें परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी, बन्ध्याकरण के विषय में कि दो या तीन बच्चे से अधिक रहने पर खाने-पीने तथा लिखने-पढ़ने में तकलीफ होती है । इसलिए कम परिवार रहने पर सभी प्रकार की सुविधा मिलती है । इसलिए आपरेशन करा लीजिए । इस तरह समझा-बुझाकर 5 बजे वापस ।
	आज सबेरे 2 बजे मुख्यालय से पैदल गये तथा औरतों के साथ मिले और परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी, बन्ध्याकरण के विषय में बातचीत किये कि कम बच्चा होने पर हेल्थ भी ठीक रहता है । अधिक बच्चा होने पर हेल्थ भी खराब होते जाता है । इसलिए आपरेशन कराना ठीक है । आप लोग बिना डर भय का करा सकते हैं । इस प्रकार से सलाह देकर 5 बजे वापस आयी ।
	कार्यालय ।
	रविवार ।

तिथि।	ग्राम।	कार्य।	विवरण
8-11-1976	इर्जन	आज दस बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई। वहां 11/30 बजे पहुंचे तथा लोगों के साथ मिले और एक सामूहिक बैठक की उसमें ६ औरतें तथा दस मर्द गये और परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी बन्ध्याकरण के विषय में बातचीत की तथा 5 औरतें तथा 6 मर्द सहमत हुए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार खाने नहीं देती है। हमलोग अपने कमाई खाते हैं। परन्तु उनको बहुत-सी बातें समझा बुझाकर 3 बजे आयी।	
9-11-1976	हाटदोहर	आज 2 बजे मुख्यालय पैदल गई। वहां 3 बजे पहुचे तथा लोगों के साथ मिले और परिवार नियोजन कराने के लिए लूप, नसबन्दी, बन्ध्याकरण के विषय में बताई कि 2 या 3 बच्चा रहना ठीक है। अधिक बच्चा रहने पर सरकार मालगुजारी मांगने के लिए शुरू हो जायगा। इस प्रकार से सलाह देकर 4 बजे वापस आयी।	
10-11-1976	गोदरमाना	आज 2 बजे मुख्यालय से पैदल गयी। वहां जाकर औरतों के साथ मिले तथा परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी, बन्ध्याकरण के विषय में बातचीत होने लगी कि नसबन्दी करने पर भी बच्चा होता है नसबन्दी कराने से क्या हुआ। इसमें मुझे कहना हुआ कि नसबन्दी कराने के पहले अपने औरत से मिले थे इसलिए हुआ है। हुआ नहीं तो कभी नहीं होता है इस प्रकार समझा बुझाकर 5 बजे वापस आयी।	

तिथि ।	ग्राम ।	कार्य ।	विवरण ।
11-11-1976	होमिया	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गये। वहां 12 बजे पहुंचे। और एक सामूहिक बैठक की उसमें परिवार नियोजन के साथ भला है के बारे में भी बातचीत हुआ कि अधिक बच्चा होने पर लोगों के खाने पीने तथा शरीर में कपड़ा ढंकने के लिए नहीं मिलता है। सो आपरेशन करा लेना ठीक है जिसमें हमलोगों को अच्छी सुविधा मिल सके इस प्रकार सलाह देकर 4 बजे वापस आयी।	
12-11-1976	मौरी	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां 11/ 0 बजे जाकर लोगों के साथ मिले और परिवार नियोजन, लूप, नसबन्दी वन्ध्याकरण के विषय में बतायी कि आपरेशन कराने से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। सूई तथा दवा सब सरकार की ओर से मिलता है इस तरह सलाह देकर 5 बजे वापस आई।	
13-11-1976	कार्यालय।		
14-11-1976	रविवार।		
15-11-1976	होमिया	आज 9 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां। 1 बजे पहुचे तथा लोगों के साथ मिले तथा परिवार नियोजन, लूप, नसबंदी, वन्ध्याकरण के विषय में बताई कि कम परिवार रहने में सुविधा मिलती है। इस प्रकार समझा-बुझाकर वापस 4 बजे आयी।	

तिथि।	ग्राम।	कार्य।
16-11-1976	भौरी—	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहा। 11/30 बजे पहुंचे तथा लोगों के साथ मिले परिवार नियोजन, लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के विषय में बताई कि सूई, दवा के सिवा कुछ इनाम बच्चा के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार सलाह दी तथा 5 बजे आयी।
17-11-1976	गोदरमाना—	आज तीन बजे मुख्यालय से गई तथा एक सामूहिक बैठक की जिसमें औरत 10 तथा 12 मर्द जमा हुए थे। प० नि० लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के विषय में बताई कि ऑपरेशन होने में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। अभी सरकार सूई, दवा तथा पैसा दे रही है, ऐसा समय आयेगा कि सूई दवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बात करने पर लगों को बतलाने या कुछ लोग समझ गये तथा 5 बजे आये।
18-11-1976	इर्जन—	आज 9 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां जाकर 10-30 बजे पहुंचे। वहां जाकर लोगों से मिले तथा प० नि० लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के बारे में बताई कि आप लोग नसबंदी, बन्ध्याकरण अपरेशन हो जाय जिसमें कि आप लोग अच्छी तरह से खिला-पिला सकते हैं तथा हेल्थ भी ठीक रहे। इस तरह सलाह देकर 4 बजे वापस।
19-11-1976	हाटदोही—	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से गई वही 11 बजे पहुचे तथा लोगों के साथ मिले तथा प० नि० लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के विषय में बताई। इसके बाद सरिता तथा गीता देवी को एन्टीनेटल देखी तथा 2 बजे वापस आई।
20-11-1976	कार्यालय—	
21-11-1976	रविवार—	

तिथि	ग्राम	कार्य
22-11-1976	चुहिया—	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई। वहां 11-30 बजे पहुंची तथा लोगों के साथ मिली तथा प० नि० लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के बारे मे बताई कि अपरेशन कराने में कोई तकलीफ नहीं होता है। सब सुई, दवा मुफ्त में मिलता है। तथा हेल्थ भी ठीक रह सके। अधिक बच्चा होने पर हेल्थ खराब हो जाता है इसलिए अपरेशन करा लिजिए। इस प्रकार सलाह दी तथा 4 बजे वापस आई।
23-11-1976	होमिया—	आज 9 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई। वहां 11 बजे पहुंचे तथा लोगों के साथ मिले तथा परिवार नियोजन के लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के बारे में बताई कि 2 बच्चे को 105, रु० तीन बच्चे को 55 तथा इससे अधिक बच्चे को तीस रुपया दिया जाता है। अपने शरीर की ताकत बनाने के लिए आप लोगों को अपरेशन करने पर दिया जाता है। इस प्रकार समझा-बुझाकर 5 बजे वापस आई।
24-11-1976	भौरी—	आज 10 बजे सुबह में मुख्यालय से पैदल गई वहां 11-30 बजे पहुंची वहां एक सामूहिक बैठक की जिसमें 10 औरत तथा मर्द 11 जमा थे। प० नि० के लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के विषय में बात-चित हुआ। अपरेशन करा लिजिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। सूई दवा मुफ्त मिलता है। इस प्रकार समझा-बुझाकर 4 बजे वापस आई।
25-11-1976	गोदरमाना—	आज 2 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहां औरतों की एक सामूहिक बैठक की जिसमें प० नि०, लूप, नसबन्दी, बन्ध्याकरण के विषय में बातचीत की तुमलोग ऑपरेशन करा लें। कम बच्चा रहने पर साफ-सुथरा से रह सकते हो तथा एक एन्टीनेटन की। इसके बाद 2 बजे वापस आई।

26-11-1976 हर्जन–आज 10 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहाँ 12 बजे पहुँची वहां लोगों के साथ मिली तथा प० नि०, लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के बारे में बताई सरकार का कहना है कि दो या तीन बच्चा से अधिक नहीं करना चाहिए कम परिवार रहने पर सभी प्रकार की सुविधा मिलता है इसलिए अपरेशन करा लीजिए। इस प्रकार समझा-बुझाकर 3 बजे वापस आई।

27-11-1976 कार्यालय।

28-11-1976 रविवार।

29-11-1976 हाटदोहर–आज 12 बजे मुख्यालय से पैदल गई वहां लोगों से मिली और परिवार नियोजन की सामूहिक बैठक की जिसमें सावित्री देवी, बुद्धी देवी, प्रभा देवी, चिन्ता देवी, अग्नी देवी, प्यारी देवी औरत जमा हुई। जिसमें परिवार नियोजन, लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण के विषय में बताई। इसके कोई तकलीफ नहीं है दवा, सूई सब सरकार की ओर से मिलता है। इस प्रकार सलाह देकर 4 बजे वापस आई।

30-11-1976 गोदरमाना–आज 2 बजे मुख्यालय से पैदल गई। वहां औरतों की एक सामूहिक बैठक की जिसमें निर्मला देवी, ललिता देवी, आशा देवी, एतवारी देवी, गीता देवी, सीता देवी, कुन्ती देवी इतना जमा हुई थी इसमें प० नि०, लूप, नसबंदी, बन्ध्याकरण विषय में इतना हुआ कि अपरेशन करा लीजिए इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सूई, दवा सिब मलता है। इस प्रकार समझा बुझाकर 4 बजे वापस आई। एन्टीनन्टल केश देखी।

वर्नादित केरकेटा
ए० एन० एम०
गोदरमाना
1-12-1976

अनुमोदित।
मंजु अंसारी,
1-12-1976
प्रभारी चि० पदा० के०

अनुबन्धन 10

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

13 अगस्त, 1977

सं० वि० प० अ० प्र० 145/76—1370(1)-वि० प०—बिहार विधान परिषद् अधिसूचना संख्या 65, दिनांक 10 जनवरी, 1977 के क्रम में उप-सभापति, बिहार विधान परिषद् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 184(1) के अधीन सभापति का कार्य करते हुए बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 208 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा निम्नलिखित माननीय सदस्यों को पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर गठित जांच समिति का संयोजक एवं सदस्य मनोनीत करने की कृपा की है :—

(1) श्री धनंजय महतो, स० वि० प०—संयोजक

सदस्यगण

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स० वि० प०

(3) श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स० वि० प० एवं

(4) श्री कृपानाथ पाठक, स० वि० प०।

उप-सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,

राजेश्वर प्रसाद मंडल,

सचिव,

बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक वि०प०अ०प्र० 145/76—1371 (1) वि० प०, दिनांक 13 अगस्त, 1977

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इनकी सौ मुद्रित प्रतियां इस सचिवालय को यथाशीघ्र आपूर्ति करने के लिए।

(ह०) अस्पष्ट,

उप-सचिव,

बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक वि०प०अ०प्र० 145/76—1371(1), वि०प०, पटना, दिनांक 13 अगस्त 1977।

प्रतिलिपि बिहार विधान परिषद् के सम्बन्धित सदस्यगण/सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / महालेखाकार, प्रशाखा 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक वाई के लिए।

(ह०) अस्पष्ट,

उप-सचिव,

बिहार विधान परिषद्।

अनुबन्धन 11

रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच समिति की दिनांक 8 अक्तूबर 1977 को गढ़वा डाक बंगला पर हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

अध्यक्ष

1। श्री धनंजय महतो।

सदस्यगण

2। श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया।

3। श्री कृपानाथ पाठक।

विशेष आमंत्रित।

4। श्री जगनारायण पाठक।

सदस्य

1। उपायुक्त, डाल्टेनगंज।

2। श्री मु० जुबेर अन्सारी, स्वास्थ्य विभाग।

3। श्री बद्री प्रसाद, बी० ई० ई०, रंका, स्वास्थ्य विभाग।

4। श्री शांति कश्यप, एन० एन० एम०, स्वास्थ्य विभाग।

5। श्री विपिन बिहारी वर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी।

6। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, सहायक प्रबंधक, साल बीच परियोजना, गढ़वा।

7। श्री शिवनन्दन चौधरी, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी अभी सहायक निदेशक, पलामू परियोजना डिवीजन नं० 2।

8। श्री दिनेश चन्द प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा (वर्तमान)।

सचिवालय

श्री सुशील प्रसाद सिन्हा, सहायक सचिव, बिहार विधान परिषद्।

समिति की गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० आपको अपना टूर प्रोग्राम देते हैं या नहीं ?

उपायुक्त, डालटेनगंज—जी नहीं। वे एस० डी० ओ० को देते हैं क्योंकि उनका कंट्रोलिंग अफसर वहीं हैं।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० ने कहा है कि हम कभी भी टूर प्रोग्राम नहीं देते हैं तो क्या उन्हें टूर प्रोग्राम देना आवश्यक नहीं है ?

उपायुक्त—ये तो वे खुद जानें लेकिन जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनको अपना टूर प्रोग्राम अपने कंट्रोलिंग अफसर को देना पड़ता है।

अध्यक्ष—एस० डी० ओ० ने कभी आपको रिपोर्ट किया है कि बी० डी० ओ० अपना टूर प्रोग्राम नहीं भेजते हैं ?

उपायुक्त—जी नहीं।

अध्यक्ष—सदन में जब ध्यानाकर्षण हुआ तो उसमें आपने अपना प्रतिवेदन दिया है। क्या उसकी कोपी आपके पास है ?

उपायुक्त—जी हाँ।

अध्यक्ष—उसे पढ़कर जरा सुना दिजीए ?

(उपायुक्त का प्रतिवेदन समिति के समक्ष पढ़ा गया)

श्री कृपानाथ पाठक—आपने जो प्रतिवेदन दिया है वह स्वयं जांच करके दिया है या अपने संलग्न पदाधिकारी से जांच करवा कर दिया है ?

उपायुक्त—मैंने स्वयं जांच नहीं किया है।

श्री कृपानाथ पाठक—आप ब्लौक भी नहीं गये हैं ?

उपायक्त—इसके जांच के संबंध में कभी नहीं गये।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको यह जानकारी है कि स्वास्थ्य पदाधिकारी, रंका ने जो अपना कार्यक्रम का प्रतिवेदन दिया है उसमें दिया है कि मैं दिनांक 22 नवम्बर, 1976 बी० डी० ओ० के साथ जोगीखुरा गये और वहाँ कैम्प में परिवार नियोजन संबंधी कार्य कर 4 बजे पैदल वापस चले आये ?

उपायुक्त—हमको यह जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष—यह मामला सुअर के शिकार के संबंध में था। हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें दादु पाठक का नाम कैसे आया ?

उपायुक्त—जिस पृष्ठभूमि में यह हो रहा है उस पृष्ठभूमि का जिक्र कर देना जरूरी था।

अध्यक्ष—जब यह ध्यानाकर्षण पारटीकूलर सुअर के शिकार के संबंध में था तो इसमें और बातों की चर्चा करने का क्या औचित्य था ?

उपायुक्त—किसी घटना को समझने के लिए यदि उसके पृष्ठभूमि को नहीं समझा जाय तो यह ठीक नहीं होगा। यह गलत है या सही है इसको जानने के लिए मैंने पृष्ठभूमि का रहना आवश्यक समझा इसीलिए उसकी चर्चा की है।

श्री कृपानाथ पाठक—जब आपने स्वयं जांच नहीं की तो आपने पृष्ठभूमि की बात क्यों कही ?

उपायुक्त—इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि यह मेरी जानकारी में था।

अध्यक्ष—आप ने रिपोर्ट दी थी कि वन विभाग के पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह एक तरफा है इसलिए हम इसकी जांच फिर से करा रहे हैं तो क्या वह जांच हो गयी ?

उपायुक्त—अभी नहीं हुई है। हमने कहा था कि वन विभाग के पदाधिकारियों को दोनों पक्षों की बातों को सुनकर जांच करना चाहिए लेकिन उन्होंने अभीतक नहीं किया है।

श्री जगन्नाथ पाठक—आप ने किस रिपोर्ट के बारे में कहा है कि यह एक तरफा है ?

उपायुक्त—वन विभाग के पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में मैंने कहा है कि यह रिपोर्ट एक तरफा है। उसमें बी० डी० ओ० से पूछा नहीं गया है।

अध्यक्ष—रिपोर्ट को तो पढ़ने से पता चलता है कि उनसे पूछा गया है।

उपायुक्त—जी नहीं उनसे पूछा नहीं गया है।

श्री जगनारायण पाठक—आप ने स्वीकार किया है कि सूअर मारा गया है ?

उपायुक्त—मैंने कहा है कि सूअर का शिकार किया गया है लेकिन बी० डी० ओ० ने मारा है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री जगनारायण पाठक—आपने यह कहां कहा है कि बी० डी० ने नहीं मारा है ?

उपायुक्त—मैंने कहा है कि बी० डी० ओ० ने मारा है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता है। अब तो जो जांच करेंगे वही बतलायेंगे कि बी० डी० ओ० ने मारा है या नहीं मारा है।

श्री जगनारायण पाठक—आपके एस० डी० ओ० ने जांच करके बतलाया है कि बी० डी० ओ० ने शिकार किया है ?

उपायुक्त—उन्होंने जांच कर के बतलाया है कि सूअर का शिकार किया गया है।

उन्हें यह पता नहीं चला कि किसने शिकार किया है। वन विभाग के पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि बी० डी० ओ० ने शिकार किया है। जब गवाहों से पूछा गया तो अच्छा था कि वन विभाग के पदाधिकारी बी० डी० ओ० से भी पूछ लेते। यदि बी० डी० ओ० ने शिकार किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष—वन विभाग के पदाधिकारियों की रिपोर्ट को देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने बी० डी० से पूछा है ?

उपायुक्त—जी नहीं, बी० डी० ओ० से नहीं पूछा गया है।

श्री कृपा नाथ पाठक—आप अपनी रिपोर्ट परसनल डिपार्टमेंट को देने के पहले वन विभाग के पदाधिकारियों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया ?

उपायुक्त—जी नहीं। उनकी रिपोर्ट बाद में आयी।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने यह जरूरी नहीं समझा कि वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जाय। किसी जिला में जब कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी वहां के जिला पदाधिकारी पर भी होती है जब ध्यानाकर्षण हुआ और आप से जांच कर के प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया तो आप ने वन विभाग के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा ?

उपायुक्त—हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वन विभाग के पदाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आयी है। चूंकि ध्यानाकर्षण का जवाब देना था इसलिए समय नहीं था कि उनसे विचार-विमर्श किया जाय।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने पृष्ठभूमि की चर्चा की लेकिन वन विभाग के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श नहीं किया। जब आप ने पृष्ठभूमि की चर्चा की तो यह भी आवश्यक था कि आप वन विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर पूछ लेते ?

उपायुक्त—हमने उनको कहा कि आप इसको देख लीजिए क्योंकि सरकार के पास एक तरफा रिपोर्ट नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष—रिपोर्ट 3 दिसम्बर 1976 की है और सदन में सरकार की तरफ से अब 10 दिसम्बर 1976 को दिया गया है तब तो आप के पास समय था।

उपायुक्त—हमने तो 30 नवम्बर 1976 को ही जवाब भेज दिया था।

श्री जगनारायण पाठक—3 दिसम्बर 1976 की रिपोर्ट आप को कब मिली?

उपायुक्त—6 दिसम्बर 1976 को।

श्री कृपानाथ पाठक—पृष्ठभूमि में एक भूखन भूइया का नाम आया है। उसने अपने गवाही में कहा है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने सूअर का शिकार किया है। उसने यह भी कहा है कि शिकार की भावना से वे बराबर वहां जाते थे?

उपायुक्त—उन्होंने इसलिए ऐसी गवाही दिया कि वे उनके सहयोगी हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—हमलोग यह जानना चाहते हैं कि सही बात क्या है?

उपायुक्त—आप यदि फ्रैंकली पसंद करेंगे तो मैं कहूं।

श्री कृपानाथ पाठक—हमलोग जरूर पसंद करेगें।

उपायुक्त—स्थिति यह है कि एक सूअर के शिकार के लिए परमीशन मांगा जाय तो 50 रु० लगेगा और यदि बिना परमीशन के भी शिकार किया जाता है तो उसे 50 रु० जुर्माना होगा। इस तरह से यह सारा मामला 50 रु० के लिए है। इस छोटी-सी बात को इतना बढ़ाया गया कि आपलोगों से लेकर कमिश्नर साहब को भी तकलीफ उठानी पड़ी। आश्चर्य तो यह है कि यदि कोई दूसरा आदमी यह काम करता तो वन विभाग के पदाधिकारी स्वयं सक्षम थे कि 50 रु० जुर्माना कर देते। लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं कर के उसे अपने उच्चाधिकारी के पास भेजा। इस तरह से इस छोटी-सी बात को इतना बवंडर बनाया गया कि इसके लिए आपलोगों का भी बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ।

श्री जगनारायण पाठक—उपायुक्त महोदय, इस मामले में हस्तक्षेप करके आप भी इस मामले को बढ़ने से रोकते और इसे सुलझाते।

उपायुक्त—हमें मौका नहीं मिला। हमने तो इसको तब जाना जब इस पर ध्यानाकर्षण हुआ।

अध्यक्ष—वन विभाग के पदाधिकारियों के रिपोर्ट देने के बाद आपने फिर जांच किया?

उपायुक्त—कमिश्नर साहब स्वयं इसकी जांच कर रहे थे और वे मेरे उच्चाधिकारी थे, इसलिए फिर हमने जांच नहीं किया।

मु० जुबेरे अंसारी का साक्ष्य।

मु० जुबेरे अंसारी—मैं श्री जुबेरे अंसारी सर्व शक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

श्री कृपानाथ पाठक—दिनांक 22 नवम्बर 1976 को आप कहां थे?

मु० जुबेरे अंसारी—उस दिन हम भडरीया ब्लौक के बरगद में थे।

अध्यक्ष—यह रिपोर्ट आपने भेजी है?

मु० जुबेरे अंसारी—जी हां।

अध्यक्ष—बद्री प्रसाद आपके स्टाफ हैं?

मु० जुबेरे अंसारी—जी हां।

अध्यक्ष—उन्होंने अपना टूर डायरी आपके पास भेजा है?

मु० जुबेरे अंसारी—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—वह आपके पास है?

मु० जुबेरे अंसारी—जी हां।

अध्यक्ष—शांति कश्यप आपके स्टाफ हैं?

मु० जुबेरे अंसारी--जी हां।

अध्यक्ष--और श्रीमती करकट्टा भी आपकी स्टाफ है?

मु० जुबेरे अंसारी--जी हां लेकिन वे आज आ नहीं सकी हैं।

श्री जगनारायण पाठक--श्री बद्री प्रसाद का जो टूर डायरी आपके पास है वह किस महीने का है?

मु० जुबेरे अंसारी--नवम्बर 1976 का है।

श्री जगनारायण पाठक--वे कितने दिनों से वहां काम कर रहे हैं?

मु० जुबेरे अंसारी--सही तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं।

श्री जगनारायण पाठक--1974-75 और 1975-76 का उनका टूर डायरी आप दे सकते हैं?

मु० जुबेरे अंसारी--देखूंगा, जरूर मिल जाना चाहिए।

अध्यक्ष--ठीक है आप अप्रील, 1974 से मार्च, 1976 तक का उनका टूर डायरी भेज देंगे।

मु० जुबेरे अंसारी--जी ठीक है। मैं उसे दो सप्ताह में भेज दूंगा।

श्री बद्री प्रसाद का साक्ष्य।

श्री बद्री प्रसाद--मैं श्री बद्री प्रसाद सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष--आप कहां पदस्थापित हैं?

श्री बद्री प्रसाद—रंका ब्लौक में ।

अध्यक्ष—आप वहां कब से हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—1971 ई० से ।

अध्यक्ष—आप जो टूर करते हैं तो अपना टूर प्रोग्राम किसके पास भेजते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—मेडिकल औफिसर के पास ।

अध्यक्ष—बराबर भेजते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

श्री जग नारायण पाठक—हर महीने आप एडभांस टूर प्रोग्राम भेजते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

अध्यक्ष—आप परिवार नियोजन के काम से ब्लौक से बाहर जाते हैं तो आप बी० डी० ओ० के साथ जाते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जब जरूरत होती है तब उनके साथ जाते हैं ।

श्री कृपानाथ पाठक—दिनांक 22 नवम्बर 1976 को योगीखुरा से आप बी० डी० ओ० साहब के साथ ही पैदल आयें ?

श्री बद्री प्रसाद—हम बी० डी० ओ० साहब के साथ नहीं आये ।

अध्यक्ष—सोनदाग में जो झगड़ा हुआ उस समय आप कहां थे ?

श्री बद्री प्रसाद—हमलोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ ।

अध्यक्ष—सोनदाग में झगड़ा हुआ और बी० डी० ओ० साहब ने एफ० आई० आर० किया यह आपको मालूम नहीं है ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

श्री कृपानाथ पाठक—आप कितने बजे तक बी० डी० ओ साहब के साथ रहे ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग साढ़े तीन या चार बजे तक ।

श्री कृपानाथ पाठक—आपलोग पैदल थे या गाड़ी पर ?

श्री बद्री प्रसाद—पैदल थे ।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके साथ कौन-कौन थे ?

श्री बद्री प्रसाद—हमारे साथ बी० डी० ओ० साहब और कृषि पदाधिकारी थे ।

श्री कृपानाथ पाठक—आप तीनों आदमी साथ लौटे ?

श्री बद्री प्रसाद—हम और कृषि पदाधिकारी साथ लौट आये और बी० डी० ओ० साहब कुछ काम से दूसरे जगह चले गये ।

अध्यक्ष—आप कितने बजे वापस पहुंचे ?

श्री बद्री प्रसाद—5 बजे के लगभग ।

श्री जग नारायण पाठक—कितना दूर है ?

श्री बद्री प्रसाद—5-6 की० मी० ।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० साहब मलवानी गये थे ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

अध्यक्ष—वे वहां से कहां गये ?

श्री बद्री प्रसाद—उन्हें कुछ इनक्वायरी का काम था इसलिए वे चले गये ।

अध्यक्ष—आपलोग कितने देर तक साथ रहे ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग 4-5 घंटा ।

अध्यक्ष—आपलोग जोगीखुरा कितने बजे पहुंचे ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग 9 बजे ।

सहायक सचिव—आपके टूर डायरी में है कि आप अक्सर सबेरे ही साईकिल से निकल जाया करते थे तो उस दिन जो आप 12 बजे निकले तो क्या आप उस दिन बी० डी० ओ० साहब के लिए इंतजार कर रहे थे ?

श्री बद्री प्रसाद—जब उनके साथ जाना होता था तो उनका इंतजार करना पड़ता था ।

सहायक सचिव—आपलोगों का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

सहायक सचिव—12 बजे आप उनके साथ गये ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

अध्यक्ष—रंका से जोगीखुरा कितना दूर है ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग 10 कि० मि० ।

श्री जगनारायण पाठक—जोगीखुरा से मलवानी कितनी दूर है ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग 5-6 कि० मी० ।

श्री जगनारायण पाठक—मलवानी आप कब गये ?

श्री बद्री प्रसाद—लगभग एक-डेढ़ बजे ।

श्री जगनारायण पाठक—फिर आप वहां से चार बजे पैदल चल दिये ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां ।

अध्यक्ष—सिवेश्वर प्रसाद, ए० डी० एफ० ओ० ने जांच किया था तो हकवाहों ने बतलाया था कि बी० डी० ओ० साहब ने सुअर का शिकार किया है। क्या यह सही है ?

श्री बद्री प्रसाद—हम नहीं बतला सकते हैं ।

श्री जगनारायण पाठक—शिकार के सम्बन्ध में आप नहीं जानते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

सहायक सचिव—जब आप बी० डी० ओ० साहब के साथ गये उस समय जीप पर कितना बन्दूक था ?

श्री बद्री प्रसाद—एक भी नहीं ।

सहायक सचिव—बी० डी० ओ० साहब आपको छोड़कर कहां गये ?

श्री बद्री प्रसाद—वे सोनदाग गये। वहां पर उन्हें खेत सम्बन्धी कुछ जांच करना था।

श्री जगनारायण पाठक—बी० डी० ओ० साहब रंका कितने बजे पहुंचे; यह आपको मालूम है ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

श्री जगनारायण पाठक—आपको यह भी नहीं मालूम है कि रास्ता में उनको किसी ने रोका था ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

सहायक सचिव—परिवार नियोजन के काम में आपको किसी ने बाधा पहुंचाया था ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

अध्यक्ष—रास्ता में भी आप से कोई कुछ नहीं बोला ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० साहब के बन्दूक का खोल कहीं छूट गया था यह आपको मालूम है ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं ।

सहायक सचिव—ए० डी० एफ० ओ० साहब ने कहा है कि पहले दिन आप शिकार में बी० डी० ओ० साहब के साथ थे तो क्या दूसरे दिन आप उनके साथ नहीं थे ?

श्री बद्री प्रसाद—मैं कभी भी शिकार पर उनके साथ नहीं गया ।

सहायक सचिव—आप बी० डी० ओ० साहब को छोड़कर चले आये तो क्या बी० डी० ओ० साहब उस दिन रात भर बाहर ही रहें ?

श्री बद्री प्रसाद—हमको मालूम नहीं है ।

श्री कृपानाथ पाठक—उस समय बी० डी० ओ० साहब के साथ कृषि-पदाधिकारी भी थे ?

श्री बद्री प्रसाद—कृषि पदाधिकारी हमारे साथ लौट आये लेकिन बी० डी० ओ० साहब नहीं आये ।

सहायक सचिव--आपने कहा था कि हम लौटकर आ रहे थे तो बी० डी० ओ० साहब को फलां जगह पर खाट पर बैठे हुआ देखा था तो आप उनको कहां खाट पर बैठा हुआ देखे थे ?

श्री बद्री प्रसाद--ऐसी बात हमने कभी नहीं कहा है ।

श्री कृपानाथ पाठक—सोनदाग में बी० डी० ओ० साहब से आपकी कोई बातचीत हुई थी ?

श्री बद्री प्रसाद--जी नहीं।

सहायक सचिव—इसके पहले आपका स्टेटमेंट कभी लिया गया है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं; यह मेरा पहला स्टेटमेंट है ।

सहायक सचिव—बी० डी० ओ० साहब को बन्दूक है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद--जी, उनको बन्दूक है ।

सहायक सचिव—कितने नाल की है ।

श्री बद्री प्रसाद—दो नाल की है ।

श्री जगनारायण पाठक—बी० डी० ओ० साहब को आपने बन्दूक चलाते हुए कभी देखा है ?

श्री बद्री प्रसाद--जी, देखा नहीं है, सुना है ।

श्री जगनारायण पाठक—कहां पर ?

श्री बद्री प्रसाद—कभी-कभी ब्लौक के पास उनके द्वारा बन्दूक चलाने की बात हमने सुनी है ।

श्री कृपानाथ पाठक--बी० डी० ओ० साहब शिकार के शौकीन हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—यह तो मैं नहीं बतला सकता हूं ।

श्री जगनारायण पाठक—बन्दूक चलाने के शौकीन हैं ?.

श्री बद्री प्रसाद—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—बन्दूक कहां चलाते थे ?

श्री बद्री प्रसाद—ब्लौक के बगल में।

श्री जगनारायण पाठक—ब्लौक के बगल में तो सिपाही भी होंगे ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—उनलोगों ने कभी बन्दूक चलाने की आवाज सुनी या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद—वे सुने या नहीं हम नहीं कह सकते हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—लतीफ शेख नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं।

श्री कृपा नाथ पाठक—लतीफ शेख ने कहा है कि मैं बराबर बी० डी० ओ० साहब के पास जाता था क्या यह सही है ?

श्री बद्री प्रसाद—हमको जानकारी नहीं है। ऐसे तो बराबर लोग बी० डी० ओ० साहब से मिलने आते हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने यह कभी सुना है कि बी० डी० ओ० साहब के बन्दूक की खोली कहीं पाया गया है ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं।

सहायक सचिव--आपने कहा था कि हम लौटकर आ रहे थे तो बी० डी० ओ० साहब को फलां जगह पर खाट पर बैठे हुआ देखा था तो आप उनको कहां खाट पर बैठा हुआ देखे थे ?

श्री बद्री प्रसाद--ऐसी बात हमने कभी नहीं कहा है ।

श्री कृपानाथ पाठक—सोनदाग में बी० डी० ओ० साहब से आपकी कोई बातचीत हुई थी ?

श्री बद्री प्रसाद--जी नहीं।

सहायक सचिव—इसके पहले आपका स्टेटमेंट कभी लिया गया है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं; यह मेरा पहला स्टेटमेंट है ।

सहायक सचिव—बी० डी० ओ० साहब को बन्दूक है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद--जी, उनको बन्दूक है ।

सहायक सचिव—कितने नाल की है ।

श्री बद्री प्रसाद—दो नाल की है ।

श्री जगनारायण पाठक—बी० डी० ओ० साहब को आपने बन्दूक चलाते हुए कभी देखा है ?

श्री बद्री प्रसाद--जी, देखा नहीं है, सुना है।

श्री जगनारायण पाठक—कहां पर ?

श्री बद्री प्रसाद—कभी-कभी ब्लौक के पास उनके द्वारा बन्दूक चलाने की बात हमने सुनी है ।

श्री कृपानाथ पाठक--बी० डी० ओ० साहब शिकार के शौकीन हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—यह तो मैं नहीं बतला सकता हूं।

श्री जगनारायण पाठक—बन्दूक चलाने के शौकीन हैं ?.

श्री बद्री प्रसाद—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—बन्दूक कहां चलाते थे ?

श्री बद्री प्रसाद—ब्लौक के बगल में।

श्री जगनारायण पाठक—ब्लौक के बगल में तो सिपाही भी होंगे ?

श्री बद्री प्रसाद—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—उनलोगों ने कभी बन्दूक चलाने की आवाज सुनी या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद—वे सुने या नहीं हम नहीं कह सकते हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—लतीफ शेख नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं।

श्री कृपा नाथ पाठक—लतीफ शेख ने कहा है कि मैं बराबर बी० डी० ओ० साहब के पास जाता था क्या यह सही ह ?

श्री बद्री प्रसाद—हमको जानकारी नहीं है। ऐसे तो बराबर लोग बी० डी० ओ० साहब से मिलने आते हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने यह कभी सुना है कि बी० डी० ओ० साहब के बन्दूक की खोली कहीं पाया गया है ?

श्री बद्री प्रसाद—जी नहीं।

श्रीमती शांति कश्यप का ब्यान।

अध्यक्ष—आपकी पोस्टिंग कहां पर है ?

श्रीमती शांति कश्यप—रंका में।

अध्यक्ष—परिवार नियोजन के काम से आप और बद्री प्रसाद एक साथ ही होती हैं ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

अध्यक्ष—आप कभी भी उनके साथ नहीं रहीं ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

अध्यक्ष—22 नवम्बर 1976 को उनलोगों ने जो परिवार नियोजन का काम किया था उसमें आपको नहीं बुलाया था ?

श्रीमती शांति कश्यप—हमको मालूम नहीं था।

अध्यक्ष—उनलोगों ने भलुआही में मीटिंग की थी तो उसकी खबर आपको नहीं दी थी ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

अध्यक्ष—उस दिन आप कहां थीं ?

श्रीमती शांति कश्यप—उस दिन हम बरगड कैम्प में थी।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके साथ और कौन था ?

श्रीमती शांति कश्यप—डाक्टर अंसारी थे।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने सुना या नहीं कि सुअर का शिकार किया गया है ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

श्री कृपानाथ पाठक—अभी भी आपको मालूम नहीं है ?

श्रीमती शांति कश्यप --जी नहीं।

श्री जगन्नारायण पाठक—आपको यह मालूम है या नहीं कि भलुआनो में लोगों ने बी० डी० ओ० साहब को रोका था ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

अध्यक्ष—सोनदाहा में परिवार नियोजन को लेकर झगड़ा हुआ था यह आपको मालूम है ?

श्रीमती शांति कश्यप—जी नहीं।

श्री विपिन बिहारी वर्मा का साक्ष्य।

अध्यक्ष—आपने यह रिपोर्ट दी है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा, वन-प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी—जी हां।

अध्यक्ष—यह जो आपने रिपोर्ट दिया है तो क्या आपने स्वयं जांच किया है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा— जी नहीं। यह जांच मेरे संलग्न पदाधिकारी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने किया है।

अध्यक्ष—इस रिपोर्ट को आपने देखा है?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—इस रिपोर्ट को पढ़कर आप कनभिन्स हुए हैं ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी हां। उसको पढ़कर कनभिन्स होने के बाद ही हमनें उसे फारवर्ड किया है।

अध्यक्ष—आप अपने संलग्न पदाधिकारियों और बी० डी० ओ० से पूछताछ किया था ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—यह प्राइमरी जांच हमें ही करना था लेकिन इसी बीच टेलेक्स आ जाने से हमें दूसरे जगह जाना पड़ गया। इसलिए हमको मौका नहीं मिल पाया। चूंकि यह एक राजपत्रित पदाधिकारी से संबंधित था, इसलिए हमने उच्चाधिकारी के पास लिखा कि इनपर क्या कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष—आपके उच्च धिकारी नें आपको कोई निर्देश दिया ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी नहीं।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके संलग्न पदाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि बी० डी० ओ ने सुअर का शिकार किया है और उसका बटवारा भी किया गया है। इसका सही प्रमाण भी पाया गया है। उन्होंने खून से रंगा हुआ पत्थर भी पाया है। तो क्या आपको उनके प्रतिवेदन पर विश्वास है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जांच हमारे संलग्न पदाधिकारी ने किया है तो जबतक हम उसकी जांच स्वयं नहीं करेंगे तबतक उस प्रतिवेदन को झूठ नहीं मान सकते हैं।

अध्यक्ष—डी० सी० साहब या एस० डी० ओ० साहब नें आपसे कुछ कहा था ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—डी० सी० साहब नें कहा था कि एकपक्षीय जांच नहीं होना चाहिये बल्कि न्यायपूर्वक जांच हो।

अध्यक्ष—इसपर आपने कुछ किया ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी नहीं।

अध्यक्ष—आपने अपने रिपोर्ट में दिया है कि बी० डी० ओ०, रका का नाम लिखा आ एक बन्दूक का खोल पाया गया है तो वह खोल आपके कस्टडी में है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी हां। वह अभी भी मेरे कस्टडी में है।

अध्यक्ष—आप खोल दिखा सकते हैं ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी हां। कल हम उसे दिखा देंगे।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके संलग्न पदाधिकारी ने जांच करके जो रिपोर्ट दी है उसी को आधार मानकर आपने उस रिपोर्ट को फारवर्ड कर दिया है या स्वयं आपने को छानबीन किया है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—हमने ही तो उन्हें अपना पावर देकर जांच करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उनके रिपोर्ट को फारवर्ड कर दिया है ।

श्री जगनारायण पाठक—कमिश्नर साहब ने कुछ जांच किया है ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—जी हां । उन्होंने फरवरी माह में डेट रखा था और मैं उसमें गया हुआ था ।

अध्यक्ष—आपसे क्या पूछा गया था ?

श्री विपिन बिहारी वर्मा—हमसे कोई खास बात नहीं पूछा गया क्योंकि जांच हमारे संलग्न पदाधिकारी ने की थी ।

श्री शिवेश्वर प्रसाद का साक्ष्य ।

श्री शिवेश्वर प्रसाद—सहायक प्रबन्धक, साल बीज परियोजना, गढ़वा—मैं, शिवेश्वर प्रसाद सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष—यह आपकी रिपोर्ट है ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—जी हां ।

अध्यक्ष—आपको जांच करने का अधिकार किसने दिया था ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—डी०एफ०ओ० साहब ने । उस समय हम उनके यहां उनके संलग्न पदाधिकारी थे । लेकिन अभी हमारी बदली हो गयी है ।

श्री कृपानाथ पाठक—यह जो जांच आपने किया है, तो क्या आप घटनास्थल पर गये थे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद—जी हां ।

श्री कृपानाथ पाठक—वहां आपने लोगों से पूछताछ करके शिकार खेलने की सम्पुष्टि की ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—जी हां। कुछ लोगों से हमने पूछा।

श्री कृपानाथ पाठक—वे कौन-कौन लोग थे ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—वह सब रिपोर्ट में अंकित है।

श्री कृपानाथ पाठक—डी०सी० साहब ने कहा है कि इस केस में बी०डी०ओ० साहब शामिल हैं लेकिन आपने बी०डी०ओ० साहब से सफाई के तौर पर कुछ नहीं पूछा है, इसपर आपको क्या कहना है ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—जब मैं जांच करने गया तो मैंने लाल बिहारी भूइया, रामप्रीत राय और अन्य आदमियों का बयान लिया। मैं नहीं बतला सकता हूं कि वे पाठकजी के आदमी थे या नहीं। लेकिन उनके बयान के आधार पर हम स्पौट पर गये और वहां जो भी सामान मिला हम उसकी जांच करते हुए चले गये। यह कहना कि वे सब लोग पाठकजी के आदमी थे मान भी लिया जाए तो बुद्ध चौकीदार तो पाठकजी के आदमी नहीं थे ? जांच में चौकीदार ने भी बी०डी०ओ० साहब के विरुद्ध गवाही दी है।

श्री कृपानाथ पाठक—जिनलोगों से आपने बयान लिया उनसे आपको यह पता चला कि शिकार में बी०डी०ओ० साहब, कृषि पदाधिकारी और बद्री बाबू थे तो आपने इन तीनों व्यक्तियों से कुछ पूछा या नहीं ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—इनलोगों से नहीं पूछा गया लेकिन बी०डी०ओ० साहब रेंज ऑफिस में उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से कैसे बचा जाय। मैंने कहा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए तो केस कम्पाउन्ड हो सकता है। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं केस की स्थिति को किसी तरह छिपाऊंगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम योगीपुरा में जांच के लिए गये थे और गवाहों का बयान ले रहे थे तो बी०डी०ओ० साहब भी वहीं पर बैठे थे। उस समय तो उनको उसका विरोध करना चाहिए था।

श्री कृपानाथ पाठक—बी०डी०ओ० साहब ने आपसे कहा कि हमें किसी तरह बचाइये ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—उनकी भावना यही थी।

सहायक सचिव—बी०डी०ओ० साहब आपके पास सिफारिश करने आये थे ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—जी हां।

सहायक सचिव--उस समय वहां पर कोई और व्यक्ति थे?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--हमारे रेंज अफसर श्री शिवनन्दन चौधरी, रंका ईस्ट थे।

श्री कृपानाथ पाठक--आपने जब उनसे यह कहा कि आप बचना चाहते हैं तो इसे स्वीकार कर लें तब केस कम्पाउन्ड हो जायेगा। तो इसपर उन्होंने क्या कहा ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--इसपर उन्होंने कुछ कहा नहीं।

श्री कृपानाथ पाठक--आपको यह सूचना किसने दी कि बी०डी०ओ० साहब के बन्दूक का खोल अमुक व्यक्ति के पास है ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--जब हम जांच करने रंका गये थे तो एक आदमी उपस्थित हुआ और उसने बता दिया कि हम शिकार में हकवा का काम करते थे और यह बी०डी०ओ० साहब के बन्दूक का खोल है, इसे आप ले लीजिए।

अध्यक्ष--सभी सामान आपने अपने खुद सीज किया ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक--जांच के दौरान आप योगीखुरा गये थे तो आपको यह मालूम हुआ कि 22 नवम्बर 1976 को बी०डी०ओ० साहब ने एक केस किया है कि उन्हें रोका-टोका गया है ?

श्री विवेश्वर प्रसाद--ऐसी बात हमको मालूम नहीं है।

श्री कृपानाथ पाठक--आपने रिपोर्ट में कहा है कि ये लोग 15 तारीख को भी शिकार खेलने गये थे तो यह आपने कैसे जाना ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--23 नवम्बर 1976 को जब हम जांच करने के लिए गये तो वहां पर नाला के पास तीन अंटा बना हुआ देखा। उसमें से दो अंटा की पत्तियां सूखी हुई नहीं थीं लेकिन एक अंटा की पत्तियां सूखी हुई थीं। इसीसे हमने अनुमान लगाया कि यह 15 नवम्बर 1976 का बना होगा।

अध्यक्ष--आपको जांच करने के समय गवाही मिली है कि तीनों आदमी शिकार पर गये थे ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद--15 तारीख को बी०डी०ओ० साहब अकेले गये थे लेकिन 22 तारीख को तीनों आदमी थे।

श्री कृपानाथ पाठक—बी०डी०ग्रो० साहब या कृषि पदाधिकारी या बद्री बाबू से आपने पूछा नहीं।

श्री शिवेश्वर प्रसाद—जांच के क्रम में हम संतुष्ट होते गये इसलिए उनसे पूछा नहीं। लेकिन पुलिस वालों से पूछा गया था।

श्री कृपानाथ पाठक—पुलिस वालों ने क्या कहा ?

श्री शिवेश्वर प्रसाद—कुछ ने तो अनभिज्ञता बतायी। एक ने कहा कि हम गोली चलने की आवाज सुने हैं।

श्री शिवनन्दन चौधरी, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, का पूर्वी, अभी सहायक निदेशक, पलामू परियोजना डिवीजन नं० 2 का बयान।

श्री शिवनन्दन चौधरी—मैं श्री शिव नन्दन चौधरी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—उस समय आप रंका में पदस्थापित थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां।

अध्यक्ष—22 नवम्बर 1976 को आप कहां थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—हम यहीं आये हुए थे तब पता चला कि 20-25 आदमी हकवा कर रहे हैं।

अध्यक्ष—आपको यह जानकारी किसने दी ?

श्री शिव नन्दन चौधरी—सुरेन्द्र पांडेय ने हमको खबर दी।

अध्यक्ष—आपको कितने बजे खबर मिली ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—चार-साढ़े चार बजे के लगभग।

अध्यक्ष—आप उसी समय उस तरफ चल दिये ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—वहां आपने क्या देखा ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—वहां पर तालाब के पास बी० डी० ओ० साहब की जीप रखी हुई थी और योगीखरा के तरफ शिकार हो रहा था। हमलोग जंगल

की तरफ गये तो लाल बिहारी भूइआ और जीप का ड्राइवर पैदल ही आ रहे थे। उन्होंने बतलाया कि बी० डी० ओ० साहब शिकार पर गये हुए हैं और जीप लेकर आगे बुलाया है।

अध्यक्ष -उस दिन उनलोगों को शिकार मिला?

श्री शिवनन्दन चौधरी —उस रोज शिकार नहीं मिला। हमलोगों ने देखा कि कुछ आदमी इधर-उधर भाग रहे हैं लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण पहचान नहीं सके।

श्री कृपानाथ पाठक —यह 22 नवम्बर 1976 की बात है?

श्री शिवनन्दन चौधरी —जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक —तो उस दिन शिकार नहीं मिला ?

श्री शिवनन्दन चौधरी —जी नहीं।

अध्यक्ष —शिकार कब मिला था ?

श्री शिवनन्दन चौधरी —7-8 रोज पहले मिला था। जब छोटे साहब जांच करने गये तो लाल बिहारी भूइआ ने बयान दिया कि 7-8 रोज पहले शिकार किया गया था और उस रोज एक सुअर मारा गया था।

अध्यक्ष —सुअर का शिकार करने का निशान आपलोगों को कब मिला ?

श्री शिवनन्दन चौधरी —23 नवम्बर 1976 को मिला। 23 नवम्बर 1976 को जब छोटे साहब जांच करने गये थे तो पुलिस कैम्प के पास सुअर के शिकार का निशान मिला।

अध्यक्ष - हड्डी वगैरह देखकर आपलोगों ने कैसे मालूम किया कि सुअर का ही शिकार हुआ है ?

श्री शिवनन्दन चौधरी —जो हड्डी मिली उसमें सुअर का जबड़ा था और लोगों ने भी कहा इसलिए अनुमान लगाया गया कि वह सुअर ही था।

अध्यक्ष —जब शिकार के बारे में आप 22 तारीख को जांच करने गये तो लाल बिहारी भूइया और ड्राइवर से आपने पूछा तो आपने बी० डी० ओ० साहब से भी पूछ लिया ?

श्री शिवनन्दन चौधरी —उस समय हमने भी यह महसूस किया था। लेकिन हम उस समय नन-गजटेड पदाधिकारी थे और बी० डी० ओ० साहब राजपत्रित

पदाधिकारी थे इसलिए हमने नहीं पूछा। लेकिन जब लाल बिहारी भूइया ने उनके सामने उनके विरूद्ध बयान दिया तो उस समय उनको कुछ कहना चाहिए था।

अध्यक्ष :—जब लाल बिहारी भूइया बयान दे रहा था उस समय बी० डी० ओ० साहब वहां थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—बी० डी० ओ० साहब रेंज ओफिस में भी गये हुए थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां। वहां पर उन्होंने कहा कि जो कुछ हो गया वह हो गया लेकिन अब बचाने का उपाय कीजिए।

श्री कृपानाथ पाठक—उन्होंने स्वीकार किया था कि हमने शिकार किया है ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—वे स्पष्ट मान भी नहीं रहे थे। छोटे साहब ने बतलाया था कि स्वीकार कर लेने पर मामला सलटाया जा सकता है।

अध्यक्ष—22 नवम्बर 1976 को लाल बिहारी भूइया का बयान कहां लिया गया ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—रोड पर।

अध्यक्ष—बी० डी० ओ० साहब उस समय वहां खाट पर बैठे हुए थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां।

अध्यक्ष—उस समय उनके साथ और कोई अफसर थे ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—कोई अफसर नहीं थे।

श्री कृपानाथ पाठक—आपलोगों ने कैम्प के सिपाहियों से भी बयान लिया था ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—पहले हमलोगों ने सोचा की उनलोगों के बयान लेने से पहले डी० एस० पी० साहब से अनुमति ले ली जाय।

श्री कृपानाथ पाठक--डी० एस० पी० साहब ने अनुमति दी या नहीं ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—वे आपलोगों के साथ गये ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—साथ तो नहीं गये लेकिन उनके सामने बयान लिया गया।

श्री कृपानाथ पाठक—पुलिस वालों ने इसको स्वीकार किया ?

श्री शिवनन्दन चौधरी—कुछ लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों ने नहीं किया।

श्री कृपानाथ पाठक--कुछ लोगों ने बी० डी० ओ० साहब का नाम बतलाया ?

श्री शिवनन्दन चौधरी--नाम नहीं बतलाया।

श्री कृपानाथ पाठक--जो जांच हुई और आप जो घटना-स्थल पर गये तो आप कन्भींस हो गये कि बी० डी० ओ० साहब ने 15 नवम्बर 1976 को शिकार किया था और 22 नवम्बर 1976 को भी वे शिकार करने गये थे लेकिन शिकार नहीं मिला।

श्री शिवनन्दन चौधरी—23 नवम्बर 1976 की जांच के बाद हमलोग कन्भीन्स हो गये कि 22 नवम्बर 1976 को हकवा हुआ था लेकिन शिकार नहीं मिला।

श्री दिनेश चन्द प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा (वर्त्तमान) का साक्ष्य।

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—मैं, दिनेश चन्द प्रसाद, सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

श्री कृपानाथ पाठक—यह परिपाटी है या नहीं कि बी० डी० ओ० कहीं टूर में जाय तो टूर डायरी आपको भेजें।

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—टूर प्रोग्राम दो तरह का होता है। एक ऐडभांस टूर प्रोग्राम होता है और एक टूर डायरी होती है। जहां तक ऐडभान्स टूर प्रोग्राम का प्रश्न है उसे हर पदाधिकारी को अपने कंट्रोलिंग अफसर को देना पड़ता है। हां, उसमें कुछ रद्दोबदल की आवश्यकता होती है तो वे उसकी सूचना बाद में देते हैं। जहां तक टूर डायरी का प्रश्न है नियमतः हर पदाधिकारी को टूर डायरी देनी पड़ती है।

श्री कृपानाथ पाठक—यदि कोई पदाधिकारी टूर डायरी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—जी हां। सरकारी पदाधिकारियों के काम का दो भाग होता है। एक कार्यालय का कार्य और दूसरा फिल्ड का काम। जिस पदाधिकारी का फिल्ड का भी काम है और वे यदि केवल कार्यालय का काम करते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपको कौन-सा ऐसा काम हो गया जिससे आप क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सके।

श्री कृपानाथ पाठक—उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—हां, उनसे स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई की जा सकती है।

अध्यक्ष—रंका के बी० डी० ओ० साहब जब पिछली बार समिति की बैठक में उपस्थित हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी टूर प्रोग्राम नहीं देते हैं, ऐसा क्यों?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—मैं उस समय पदस्थापित नहीं था।

अध्यक्ष—उन्होंने यह भी कहा था कि टूर प्रोग्राम देने की कोई जरूरत नहीं है ?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—नियमतः उनको देना है।

श्री जगनारायण पाठक—उस समय के एस० डी० ओ० ने तो उनके टूर प्रोग्राम नहीं देने पर कोई कारवाई नहीं की होगी ?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—यह तो मैं संचिका देखकर ही कह सकता हूं।

अध्यक्ष—अब रंका के बी० डी० ओ० की टूर डायरी आपके पास आती है ?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—ब्लौक के पदाधिकारियों की भी आई है ?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—कुछ ब्लौक की तो आई है ?

श्री जगनारायण पाठक—रंका ब्लौक की आई है या नहीं ?

श्री दिनेश चन्द पाठक—रंका की कुछ टूर डायरी आई है।

श्री जगनारायण पाठक—जब आई है तो आप बतला सकते हैं कि कब-कब की टूर डायरी आई है ?

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—यह तो संचिका देखकर ही बता सकते हैं।

श्री जगनारायण पाठक—ठीक है आप कल इसे दे दीजिए।

श्री दिनेश चन्द प्रसाद—ठीक है संचिका देखकर मैं कल बता दूंगा।

समिति की बैठक दिनांक 9 अक्तूबर 1977 को 10 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबन्धन 12

रंका प्रखंड पदाधिकारी जांच समिति की गढ़वा डाकबंगला पर दिनांक 9 अक्तूबर 1977 की बैठक की कार्यवाही ।

अध्यक्ष

1 । श्री धनंजय महतो

सदस्यगण

2 । श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसीया ।

3 । श्री कृपानाथ पाठक ।

विशेष आमंत्रित

4 । श्री जयनारायण पाठक ।

साक्ष्य

1 । श्रीमती बेनदित्त केरकेट्टा, ए० एन० एम० ।

2 । श्री समशेर बहादुर सिंह, वनपाल, वन विभाग ।

3 । श्री जवीत तिवारी, वन विभाग ।

4 । श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, सहायक प्रबन्धक, साळ बीज परियोजना, गढ़वा ।

5 । श्री सरयू राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका ।

सचिवालय

श्री सुशील प्रसाद सिन्हा, सहायक सचिव, बिहार विधान परिषद् ।

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—मैं वेनदित्त केरकेट्टा सर्व शक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेती हूं कि इस मामले में जो साक्ष्य दूंगी वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगी नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—आप कहां पर पोस्टेड हैं ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—रंका में ।

अध्यक्ष—कितने दिनों से ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—लगभग डेढ़ वर्ष से ।

श्री कृपानाथ पाठक—22 नवम्बर 1976 को रंका के बी०डी०ओ० साहब के साथ आप भी गयी थी ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—जी नहीं ।

श्री कृपानाथ पाठक—उस दिन आप कहां थीं ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—उस दिन हम चूहिया गयी थी ।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके साथ और कौन था ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—हम अकेले गयी थी। मेरे साथ और कोई नहीं था।

श्री कृपानाथ पाठक—आप को मालूम है कि बी०डी०ओ० साहब ने सुअर का शिकार किया है और उसकी जांच हो रही है ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—जी हां, यह बात हमको मालूम हुई ।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको किससे मालूम हुई ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—यह बात हमको डाक्टर साहब से मालूम हुई।

श्री कृपानाथ पाठक—डाक्टर साहब ने आप से क्या कहा ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—डाक्टर साहब ने कहा कि बी०डी०ओ० साहब शिकार खेलने गये थे और पकड़े गये हैं।

श्री कृपा नाथ पाठक—आप को व्यक्तिगत जानकारी है कि बी०डी०ओ० साहब ने शिकार खेला है या नहीं ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—मेरे विचार से तो शिकार खेला नहीं गया था।

श्री कृपानाथ पाठक—तब तो आप के डाक्टर साहब झूठ बोल रहे थे।

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—कागज गया होगा तब बतलाये होंगे।

श्री जगनारायण पाठक—जब बी०डी०ओ० साहब परिवार नियोजन के काम से कहीं जाते थे तो आप लोगों को खबर देते थे ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—जी हां।

श्री जगनारायण पाठक—22 नवम्बर 1976 को खबर दिये थे ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—हमें मालूम नहीं था।

श्री जगनारायण पाठक—बद्री प्रसाद के बारे में आपको मालूम है कि वे भी बी०डी०ओ० साहब के साथ गये थे ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—उनके बारेमें भी हमें मालूम नहीं है।

श्री जगनारायण पाठक—आप रंका कब लौटीं ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—हम रंका गयी ही नहीं। रंका तो हम पहली तारीख को ही रिपोर्ट देने के लिए आते हैं।

श्री जगनारायण पाठक—आप को यह मालूम है कि बी०डी०ओ० साहब को कहीं रोका गया था ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—यह हमको नहीं मालूम है ।

श्री कृपानाथ पाठक—आप को पहली तारीख को ही डाक्टर साहब ने शिकार के विषय में बतलाया ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—जी हां ।

श्री कृपा नाथ पाठक—बद्री बाबू शिकार में थे यह आप को मालूम है या नहीं ?

श्रीमती वेनदित्त केरकेट्टा—पहली तारीख को ही हमें उनके बारे में भी मालूम हुआ कि वे शिकार में पकड़े गये थे ।

श्री समशेर बहादुर सिंह का साक्ष्य ।

श्री समशेर बहादुर सिंह—मैं समशेर बहादुर सिंह सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष सपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष—यह जो शिकार हुआ है वह आपके ही एरिया में हुआ है ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—जी हां, वह हमारा ही एरिया पड़ता है, लेकिन उस दिन हम दूसरी जगह चले गए थे ।

अध्यक्ष—23 तारीख को सिद्धेश्वर बाबू जांच करने गये तो आप उनके साथ थे ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—जी हां ।

अध्यक्ष—23 तारीख को आप उनके साथ कहां गये ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—शिकार करने के लिए पेड़ पर जो अंटा बनाया गया था वहां पर और जहां पर सुअर का मांस काटा गया था उसे हमने देखा।

श्री कृपानाथ पाठक--आपने देखा ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको वहां पर क्या जानकारी मिली ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--हमको वहां पर यही जानकारी मिली कि हकवाहा हुआ था और शिकार किया गया था। शिकार का कुछ अंश भी पाया गया।

श्री कृपा नाथ पाठक--किसने शिकार किया ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--रंका के बी० डी० ओ० साहब ने किया।

अध्यक्ष--लतीफ शेख को आप जानते हैं ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--जी नहीं।

अध्यक्ष--जब बयान लिया गया था आप नहीं थे ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--थे जरूर लेकिन हमको याद नहीं है।

अध्यक्ष--बन्दूक का खोल किसके पास मिला था ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--हमको याद नहीं पड़ रहा है।

श्री कृपानाथ पाठक--आपको यह मालूम हुआ कि नहीं कि बन्दूक का खोल एक हकवा करने वाले ने लाकर दिया।

श्री समशेर बहादुर सिंह--बन्दूक का खोल हमने ऑफिस में देखा।

श्री जगनारायण पाठक--बी० डी० ओ० साहब पहले भी शिकार खेले थे ?

श्री समशेर बहादुर सिंह--हमको इसकी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष--आपलोगों को योगीखरा में क्या-क्या सामान मिला ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—हमलोगों को लकड़ी मिली जिस पर मांस काटा गया था और सुअर का दांत और जबड़ा मिला तथा पत्थर तथा पत्ता मिला जिसमें खून लगा हुआ था। सौनदाग में एक बोरा मिला।

अध्यक्ष—आप लोगों को यह कैसे पता चला कि सुअर का ही शिकार हुआ है ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—चूंकि सुअर का हल्ला हुआ था इसलिए हमलोगों ने विश्वास किया कि सुअर का ही शिकार हुआ है।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको विश्वास है कि बी० डी० ओ०, रंका ने 15 तारीख को शिकार किया और 22 तारीख को भी शिकार पर गये थे लेकिन आपके पदाधिकारियों के चले आने के कारण भाग गये ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—बी० डी० ओ० साहब ने शिकार किया इसका विश्वास मैं अपने तरफ से कैसे दिला सकता हूं। हकवाहों के गवाही से मालूम होता है कि बी० डी० ओ० साहब ने शिकार किया है।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके वन विभाग में खासकर के आपके कार्यक्षेत्र में यह शिकार किया गया तो उसकी जानकारी आपको नहीं है तो इसका तो मतलब यह है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में नहीं रहते हैं ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—हम तो रहते ही हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—तो फिर आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है।

श्री समशेर बहादुर सिंह—जानकारी तो है ही।

श्री कृपा नाथ पाठक—आपको विश्वास है कि बी० डी० ओ०, रंका ने ही शिकार किया है ?

श्री समशेर बहादुर सिंह—जी, हमलोग कन्भींस हैं।

श्री जवीत तिवारी का साक्ष्य।

श्री जवीत तिवारी--मैं जवीत तिवारी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूं कि इस मामले में मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य होगा, मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं तथा मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश असत्य नहीं होगा।

अध्यक्ष—आपकी पोस्टींग योगीखुरा में है ?

श्री जवीत तिवारी—जी हां।

अध्यक्ष--वन में कोई अवैध रूप से लकड़ी काटने या शिकार खेलने जाता है तो आप उसकी जानकारी रखते हैं ?

श्री जवीत तिवारी--जी हां।

अध्यक्ष--15 तारीख को बी० डी० ओ० साहब शिकार करने गये थे ?

श्री जवीत तिवारी--हमको मालूम नहीं है।

श्री कृपानाथ पाठक--आप वहां किस पोस्ट पर काम करते हैं ?

श्री जवीत तिवारी--गार्ड के पोस्ट पर।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको मालूम है कि 22 तारीख को बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने गये थे और उन्होंने ड्राईवर को कहा था कि तुम गाड़ी लेकर सोनदाग में आना। यह आपको मालूम है ?

श्री जवीत तिवारी—उस समय हम दूसरे जगह काम पर थे। 25 तारीख को हमें मालूम हुआ कि 22 तारीख को बी० डी० ओ० साहब ने शिकार किया और डी० एफ० ओ० ए० साहब ने उसकी जांच की।

समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सामान दिखलाया गया :—

(1) बन्दूक का खोल जिस पर एस० राम, बी० डी० ओ०, रंका, पलामू, बिहार लिखा हुआ है। यह बन्दूक का खोल 23 नवम्बर 1976 को लतीफ शेख ने सिद्धेश्वर प्रसाद के सामने बयान के समय प्रस्तुत किया।

(2) लकड़ी का एक कुन्दा जिस पर मांस काटा गया था।

(3) सुअर का ऊपर का जबड़ा।

(4) हड्डी, दांत तथा पत्थर का दो टुकड़ा जिसमें खून का दाग लगा हुआ है।

(5) कुछ पत्ती जिसमें खून का दाग है।

(6) एक बोरा जिसमें खून का दाग लगा हुआ है।

श्री एस० राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी का साक्ष्य।

श्री कृपानाथ पाठक—लतीफ शेख आपके यहां बराबर आया करते थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—हम तो उनको जानते भी नहीं हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—अभी भी आप उनको नहीं जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जब कमिटी के सामने उपस्थित हुआ तब मैंने उसे जाना।

श्री कृपानाथ पाठक—आपको बन्दूक है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक—आपने बन्दूक आत्म रक्षा की दृष्टि से रखा है या शिकार खेलने की दृष्टि से ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—बन्दूक का लाइसेंस मैंने हाजीपुर में आत्म-रक्षा के लिए लिया। यहां पर भी जब मैं आवश्यकता महसूस करता हूं उसे अपने साथ ले जाता हूं और जब आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं और मुझे बाहर जाना रहता है तो अंचल कार्यालय में गार्ड के पास उसे रख जाता हूं।

श्री कृपानाथ पाठक—15 तारीख को आप कहां थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—उस दिन हम योगीखुरा और रंका दोनों जगह में थे।

श्री कृपानाथ पाठक--15 तारीख को आप कितने बजे योगीखुरा में थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी--14 तारीख को 1 बजे रंका से चल कर योगीखुरा डेढ़ बजे गये और वही रात्रि विश्राम किया और 15 तारीख को 8 बजे योगीखुरा से चल कर रंका आये, योगीखुरा 5 बजे गये।

श्री कृपानाथ पाठक—आप योगीखुरा 2 बार क्यों गये ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—एस० डी० ओ० साहब का आदेश था कि आप केवल औफिस का काम नहीं करें बल्कि लॉ एण्ड औडेर का काम भी देखें, इसलिए मैं योगीखुरा दो बार गया।

श्री कृपानाथ पाठक—बी० डी० ओ० साहब, हम लोग एक जानकारी चाहते हैं कि वहां पर अंचल गार्ड भी रहते होंगे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां, रंका में है।

श्री कृपानाथ पाठक—आप अंचल में यदा-कदा शिकार खेलने की दृष्टि से बन्दूक चलाते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी, शिकार खेलने के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही वहां पर मकई के खेत में निशाना के लिए बन्दूक चलाते थे।

श्री कृपानाथ पाठक—22 तारीख को आप योगीखुरा में जो जंगल है उसके पास अपने ड्राईवर और एक आदमी को यह कहा कि तुम गाड़ी लेकर सोनदाग में आओ हम जंगल ही जंगल वहां आते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—बात ऐसी है कि एक ही गाड़ी है और उसका व्यवहार सर्किल अफसर और मैं भी करता हूं। 22 तारीख

को हम योगीखुरा गये और वहां से पैदल ही भलुआनी गये। वहां पर भी० एल० डब्लू० वगैरह का रबी अभियान के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। वहीं पर कैम्प में ही एक जमीन की जांच करने के लिए मिला था। हम सोनदाग चले गये और भलुवानीं आकर उनलोगों की प्रतीक्षा करना था।

श्री कृपा नाथ पाठक--हम यह जानना चाहते हैं कि आप योगीखुरा में गाड़ी छोड़कर जंगल में प्रवेश किया और ड्राईवर को कहा कि तुम गाड़ी लेकर सोनदाग में आना, हम शिकार करते हुए आ रहे हैं।

प्रखंड विकास पदाविकारी--शिकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम योगीखुरा गये।

श्री कृपा नाथ पाठक--आप प्रश्न का जवाब छोटा में ही दें।

प्रखंड विकास पदाधिकारी--आपलोगों को प्रश्न करने का अलग तरीका है और मेरा जबाब देने का अलग तरीका है। आप जो चाहेंगे मैं वही जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री कृपा नाथ पाठक--आप बुद्धु चौकीदार को जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी--जानते तो नहीं थे लेकिन जांच के समय जान गये।

अध्यक्ष--उसनें बयान दिया है कि आपने 21 तारीख को ही उसे बुलाकर कहा था कि हम 22 तारीख को शिकार खेलने आयेंगे।

प्रखंड विकास पदाविकारी--ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में मुझे शंका है कि उसने जो बयान दिया है उसका सही रेकर्ड नहीं किया गया है। वह अंगूठे का निशान देता है इसलिए गलत लिखाकर उससे अंगूठे का निशान बनवा लिया गया है।

अध्यक्ष--सिद्धेश्वर प्रसाद, ए० डी० एफ० ओ० रेंज ऑफिस गये थे यह आपको मालूम है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं ।

श्री कृपानाथ पाठकः—ग्राप कभी रेंज ग्रौफिस गयें थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारीः—15 ग्रगस्त ग्रौर 26 जनवरी को छोड़ कर हम कभी नहीं गये है ।

श्री कृपा नाथ पाठकः—जब गवाहों का बयान रेकर्ड किया जा रहा था तो ग्राप वहां मौजूद थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—हमको तो मालूम ही नहीं था ।

ग्रध्यक्ष—ग्राप वहां नहीं गये थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं ।

ग्रध्यक्ष—ग्राप ग्रपने ड्राईवर को यह कहा था कि हम शिकार खेलकर के ग्रा रहे हैं ग्रोर तुम जीप लेकर ग्रागे ग्राग्रो?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—मैं तो जीप छोड़कर रवी ग्रभियान के लिए चला गया था इसलिए इसके बाद क्या हुग्रा हमको मालूम नहीं है ।

ग्रध्यक्ष—वन विभाग के पदाधिकारियों के पास जो बन्द्रक का खोल है वह ग्रापका है या नही ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं, मेरे पास बन्दूक का खोल है । जिसका मैं खरीदने का रसीद भी रखे हूं । साथ ही मैं तो यह नहीं समझता हूं कि कोई भी डिप्टी कलक्टर रैंक का ग्रादमी इस तरह से बन्दूक के खोलपर ग्रपना नाम लिखकर रखता है ।

श्री जगनारायण पाठक—आपको यह मालूम है या नहीं कि आप पर शिकार खेलने का मुकदमा हुआ है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—मुझे आप के द्वारा मालूम हुआ ।

श्री जगनारायण पाठक—एस० डी० ओ० साहब के पास आकर आपने कहा है कि हमें बचाइये ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं ।

श्री जगनारायण पाठक—आप एस० डी० ओ० ऑफिस भी कभी नहीं गये थे ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—ऑफिस के काम से बराबर गये हैं । लेकिन शिकार के सम्बन्ध में कभी नहीं गये हैं ।

श्री कृपानाथ पाठक—15 तारीख और 22 तारीख के बीच में आपके साथ किसी से कहीं पर झगड़ा वगैरह हुआ था ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—22 तारीख को सोन दाग में हुआ था । वहां पर सुरेन्द्र पाठक ने कहा कि वन विभाग वाले कुछ करें या नहीं करें लेकिन हम आज कुछ करके ही रहेंगे ।

अध्यक्ष—आप ने केस किया है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां ।

अध्यक्ष—उसमें क्या हुआ है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—उसमें चार्ज शीट हो गया है।

अध्यक्ष—आप रामप्रीत राम को जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां।

अध्यक्ष—पहले से ही उन्हें जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—सुरेन्द्र पाठक ने जब सुखदेव भुइयां का धान कटवा लिया था तब से ही उन्हें जानते हैं।

अध्यक्ष—आपने उनसे रुकवा के लिए कहा था ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं।

अध्यक्ष—बूढ़ु चौकीदार को आप जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां।

अध्यक्ष—दुखन भुईया को आप जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां। सुरेन्द्र पाठक द्वारा धान कटवा लेने वाले केस में ये भी थे।

श्री कृपानाथ पाठक—आप सही चीज न कहकर हरबार सुरेन्द्र पाठक का नाम क्यों ले रहें हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—हर के साथ सुरेन्द्र पाठक लगे हुए हैं, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी है।

श्री कृपानाथ पाठक—सुरेन्द्र पाठक को आप से क्या दुश्मनी है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—दुश्मनी है। जब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था उस समय गरीबों ने आवेदन दिया कि वे हमारे जमीन पर कब्जा कर लिए हैं तो उन पर मीसा के अन्तर्गत कार्रवाई हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको विश्वास है कि मेरे ही कारण ऐसा हुआ है इसलिए वे मेरे पीछे पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष—लाल मुनी मुईया, लतीफ शेख, रामप्रीत राय और बुद्ध दुसाध इन सभी व्यक्तियों ने बयान दिया है कि बी० डी० ओ० साहब 15 तारीख को शिकार मारे हैं और उन्होंने हमलोगों को हकवा के लिए बुलाया था। फिर 21 तारीख को ही उन्होंने हमलोगों को बुलाकर कह दिया था कि हम 22 तारीख को शिकार खेलने आयेंगे तो क्या ये सभी लोगों से आपको दुश्मनी थी ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—वे सभी लोग एक ही पक्ष के आदमी हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—ऐसा आप कैसे कहते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—21 नवम्बर 1976 को न हम जांच करते और न यह केस होता। आखिर 16 या 17 या 18 तारीख को शिकार करने का नाम क्यों नहीं लिया गया। 22 नवम्बर 1976 को ही यह आरोप क्यों लगाया गया है।

अध्यक्ष—श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जो वन विभाग के आदमी हैं और जो जांच करने के लिए गये थे उन्हें आप जानते हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है।

श्री कृपानाथ पाठक—वन विभाग के लोगों से भी आपको झगड़ा है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जरूर है। मैंने उनलोगों पर भी लिखकर दिया है जिसकी कौपी मैं समिति का देता हूं।

श्री कृपानाथ पाठक—इसपर कोई कार्रवाई हुई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी—डी०एफ०ओ० साहब ने को-आपरेटिव सोसाइटी का नाम मांगा था, मैंने उसका जवाब दे दिया और को आपरेटिव सोसाईटी के नाम का लिस्ट बनाकर दे दिया है।

हमें वन विभाग के पदाधिकारियों से दुश्मनी इसलिए हैं कि वन विभाग के को-आपरेटिव सोसाईटी में हो रहे गड़बड़ी के संबंध में मैंने लिख कर दिया है कि कुछ को-आपरेटिव सोसाईटी फोरजरी है। इस संबंध में मैंने एक पत्र भी दिया है जिसकी संख्या 14-सी, दिनांक 21 अगस्त 1976 है। इसलिए वन विभाग के पदाधिकारी हमसे खफा होकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट किया है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, वन विभाग—जब कोई भी को-आपरेटिव सोसाईटी बनती है तो उसमें वहां के लोकल अफसर ही जिसमें बी०डी०ओ० भी रहते हैं जांच कर के सर्टिफिकेट देते हैं तब ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है। यदि इनको यह मालूम था कि इसमें सिडियूल कास्ट या सिडियूल ट्राइब्स नहीं है तो वे खुद उस को-आपरेटिव सोसाईटी को भंग कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो लिखकर दिया है उसपर डी०एफ०ओ० साहब ने एक जांच-समिति बना दी है जिसमें बी०डी०ओ० साहब भी हैं। लेकिन जब उसके जांच का डेट फिक्स होता है जहां तक मेरी जानकारी है ये कभी भी जाते नहीं हैं जब। हालाकि उसके बारे में पुर्ण जानकारी मुझे नहीं है। उसके बारे में पूर्ण जानकारी श्री वर्मा दे सकते है क्योंकि फाईल वे ही रखते हैं।

श्री कृपानाथ पाठक—बी०डी०ओ० साहब आप अपने अधीनस्थ किसी भी को-आपरेटिव सोसाइटी को खत्म करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं या नहीं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां, संयुक्त रजिस्ट्रार को लिख सकता हूं।

श्री कृपानाथ पाठक—तब इस को-आपरेटिव सोसाइटी में हो रही गड़बड़ी के छानबीन के लिए डी०एफ०ओ० कैसे उत्तरदायी हैं ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—इसलिए उत्तरदायी हैं कि वन विभाग की देख-रेख में ही ये को-आपरेटिव सोसाइटी संचालित किये जाते है।

अध्यक्ष--कोई भी को-आपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसमें लोकल अफसर बी० डी० ओ० आदि सर्टिफिकेट देते हैं तब जाकर को-आपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन होता है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जायगा तब उस को-आपरेटिव सोसाइटी को जंगल का बन्दोबस्ती किया जाता है। जब आपको मालूम था कि इसमें हरिजन और आदिवासी के जगह पर दूसरे लोग है तो आप रजिस्ट्रेशन के समय ए०आर० के पास फारवर्ड ही नहीं करते ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—यह को-आपरेटिव सोसाइटी मेरे समय का बना हुआ नहीं है।

श्री कृपानाथ पाठक—आप कन्भीन्स्ड हैं कि आपने जितने को-आपरेटिव सोसाइटी का लिस्ट दिया है वह फोरजरी है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी हां।

श्री कृपानाथ पाठक--आपके अधीनस्थ पदाधिकारी ने जो गलत रिपोर्ट देकर गलत सर्टिफिकेट दिलाया है उनके खिलाफ आपने कोई कारवाई की ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—वे ट्रांसफर होकर चले गये थे।

श्री कृपानाथ पाठक—प्रशासन में ट्रांसफर से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। आपने जो वन विभाग के पदाधिकारियों के पास पत्र लिखा तो आपके अधीनस्थ पदाधिकारी ने जो गलत सर्टिफिकेट दिया था उसके खिलाफ आपने कोई कारवाई की

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं।

श्री कृपानाथ पाठक—आपके पहले जो रंका के बी०डी०ओ० थे और जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया और जब आप उनके जगह पर आये और आपको यह जानकारी हुई कि वह को-आपरेटिव सोसाइटी गलत है तो उनके खिलाफ कारवाई के लिए आपने सम्बन्धित पदाधिकारियों को लिखा ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जी नहीं।

श्री कृपानाथ पाठक —तो यह गलत नहीं हुआ ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी —हमारे रिपोर्ट के बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने एक अलग जांच के लिए रख दिया। अब जब तक जांच कार्य पूरा नहीं हो जाता है कैसे लिखा जा सकता है।

श्री कृपानाथ पाठक —आप कम्पीटेन्ट औथीरीटी है या नहीं ? जब आपको लगा कि इन को-आपरेटिव सोसाइटी में हरिजन और आदिवासी नहीं है तो उसका रोक थाम होना चाहिए। तब आपको यह भी अधिकार था कि आप एस० डी० ओ० को लिखते कि हमारे अधिनस्थ पदाधिकारी ने जो सर्टिफिकेट दिया है वह गलत है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—जबतक जांच कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आगे कैसे लिखा जा सकता है।

अध्यक्ष —जंगल के बन्दोबस्ती के लिए आपने डी० एफ० ओ० को लिखा और उसके लिए उन्होंने जांच के लिए तिथि निर्धारित कर दिया। लेकिन को-आपरेटिव सोसाइटी में सही आदमी नहीं है इसका जांचती आप को ही करना है?

प्रखंड विकास पदाधिकारी —हर को-आपरेटिव सोसाइटी में जाकर देखना सम्भव नहीं था।

अध्यक्ष —हम भी को-आपरेटिव सोसाइटी में है इसलिए हम जानते हैं कि जब तक को-आपरेटिव-सोसाइटी सुपरवाइजर और बी० डी० ओ० यह लिखकर नहीं देते हैं कि यह व्यक्ति हरिजन और आदिवासी है तबतक ए० आर० रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी —हां आदेश आया है कि दो ही आदमी सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें एक बी० डी० ओ० हैं।

अध्यक्ष —उसकी आपने छानबीन की या नहीं कि वह जो सर्टिफिकेट जो दिया गया हैं वह गलत दिया है ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी—उसके लिये जांच करने के लिए अलग से बना दिया गया है।

अध्यक्ष —उसमें डी० एफ० ओ० कौन होते हैं? बन्दोबस्ती के लिए डी० एफ० ओ० हो सकते हैं, लेकिन को-आपरेटिव सोसाइटी में जो मूल गड़बड़ी है उसके लिए आपने क्या किया?

प्रखंड विकास पदाधिकारी —मूल गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही जांच शुरू हुआ।

श्री कृप नाथ पाठक —वन विभाग के पदाधिकारी वन के वन्दोवस्ती मात्र को ही देखते हैं। लेकिन आपको अपने ब्लोक के सारी गड़बड़ी को देखना है। आपको विभिन्न विभागों में हो रही गड़बड़ी में भी आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जब वन विभाग अपने जिम्मेवारी से भाग गया तो आप भी अपने जिम्मेवारी को छोड़ दीजियेगा?

प्रखंड विकास पदाधिकारी —वन विभाग भागा नहीं है। उसने जाँच के लिए तिथि निर्धारित कर दिया है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, वन विभाग —एक बात है कि इन सारी गड़बड़ियों के जांच के लिए जब डी० एफ० ओ० साहब ने जांच की तिथि फिक्स की तो उसमें ये क्यों नहीं आये?

प्रखंड विकास पदाधिकारी —जब आप ही हमसे वायस्ड हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकता है?

समिति की बैठक दिनांक 11-10-1976 को 3 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध 13

No. 3060/C

From

B. P. Sinha,
Deputy Commissioner, Palamau.

To

The Secretary to Government,
Department of Personnel, Bihar,
Patna.

Dated, Daltonganj, 30*th November* 1976.

Ref.—Call attention motion by Sri Jagnarayan Pathak M. L. C. fixed for 1st December 1976.

Sir,

With referenee to your wireless message no. P22668, dated the 29th November 1976 I have to report the following facts by way of reply to the call attention motion:—

1. It is a fact that there was a case of shooting of a wild boar in the Jungle of Jogikhura village under Garhwa Forest Division.

2. It is also a fact that the Forest Department officials enquired into the incident. Their findings are awaited

3. The BDO Ranka filed a FIR copy of which is enclosed. It is said that one Sri Dadu Pathak nephew of Sri Jagnarayan Pathak, MLC, illegally detained and confined him at village Jogikhura while he had gone therefor family planning work. It appears that the BDO was rescued by the magistrate and armed force deputed at Jogikhura for harvesting season. The case is under investigation. The BDO has denied that he went to Jogikhura for shooting. It is not a fact that people are being harassed by use of DIR.

4. It is not a fact that the Subdivisional Officer and Dy. S. P. are having a part in the matter The Subdivisional officer was ill for four days. Dy. S. P., Garhwa came to know about

the incidents during his visit to Ranka P. S. and he only informed me about the incidents and the case. I gave him oral direction that the cases should be properly investigated.

Yours faithfully,
Sd./ B. P. Sinha,
30-11-1976.
Deputy Commissioner, Palamau.

Note for suplementaries.

Sri Jagnarayan Pathak, MLC, his family members and Miss Rajesnwari Saroj Das, Dy. Chairman, Bihar Legislature Council are having landed interest is village Jogikhura P. S. Ranka which are managed by one Sri Dadu Pathak *alias* Surendra Pathak nephew of Sri Jagnarayan Pathak, MLC. There were various cases of land grabbing, atrocities against Harijans and Adivasis, keeping bonded labour, murder etc against Sri Dadu Pathak for which he was detained under Misa. The Misa order was subsequently revoked by Government and Commissioner, South Chotanagpur Division was requested to enqure into the report. It is understood that the report of the Commissioner is under consideration of the Home Department.

On release from detention, Sri Dadu Pathak let loose a reign of terror in the area and several station diary entries have been recorded in the thana about his atrocities Sri Dadu Pathak and also his uncle Sri Jagnarayan Pathak are very angry about the detention and they have been threatening local officers including the local Police, BDO and Dy. S. P. The latest alleged Act of Sri Dadu Pathak of illegally confining the BDO is another instance of how he has no respect for law and how he can commit criminal acts against the representatives administration at the Block and Subdivisional level. The B. D. O., S. D. O. and Dy. S. P. have done their Duty admirably in initiating action against land grabber, oppressor hardended criminal and enemy of the New Economic Programme. Being emboldened by his release from detention Sri Dadu Pathak has started taking law in his own hands. A report about this has already been sent by me to Commissioner, Chief Secretary and Home Special Department (copy enclosed).

अनुबन्धन 14 ।

पत्रांक 3140-सी० ।

प्रेषक

श्री वी० पी० सिंहा,
उपायुक्त, पलामू,

सेवा में

श्री एस० विजयराघवन,
सरकार के अवर सचिव,
कार्मिक विभाग, विहार, पटना ।

डालटेनगंज, दिनांक 8 दिसम्बर 1976 ।

विषय—श्री जगनारायण पाठक, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: श्री सरयु राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका द्वारा वन्य जन्तु सुरक्षा कानून का उल्लंघन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मैं अपना प्रतिवेदन अपने पत्रांक 3060-सी०, दिनांक 30 नवम्बर 1976 द्वारा भेज चुका हूं ।

दो दिन पहले इसी विषय से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिण, का प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका द्वारा अवैध शिकार करने संबंधित संलग्न पदाधिकारी का प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया है । इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि वास्तव में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अवैध शिकार किया ।

प्रतिवेदन को पढ़ने से पता चलता है कि संलग्न पदाधिकारी द्वारा एकतरफा जांच की गई है । जांच के दौरान मुख्यत: तीन गवाहों के बयान पर विश्वास किया गया है जिनकी पृष्ठभूमि निम्न प्रकार है:—

श्री भुखन भुइंया ।

सोनदाग के छवि साव की हत्या का आरोप इन पर है । इनके साथ श्री सुरेन्द्र पाठक (भतीजा श्री जग नारायण पाठक) भी अभियुक्त थे, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दिया गया ।

श्री रामपृत राम ।

श्री दुखी सिंह की हत्या के आरोप में श्री रामपृत राम और श्री सुरेन्द्र पाठक के खिलाफ चार्जशीट दिया गया है।

श्री लाल विहारी भुइंया ।

उपर्युक्त व्यक्तियों के ये सहयोगी हैं । इन्होंने शुकदेव भुइया का धान काट लिया था जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जप्त करके अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन दिया था ।

उपर्युक्त सभी आदमी श्री पाठक के सहयोगी हैं तथा संभवतः प्रखंड विकास पदाधिकारी को फसाने की साजिश की गई है ।

जांच प्रतिवेदन का एक दूसरा पक्ष यह है कि जांच पदाधिकारी ने पुलिस पदाधिकारीगण के साक्ष्य को बिना किसी कारण दर्शाये अस्वीकार कर दिया जब भूतपूर्व मीसा बंदी श्री सुरेन्द्र पाठक के आदमियों पर शतप्रतिशत विश्वास किया है।

तीसरा पहलू यह है कि जांच पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछताछ भी नहीं की और न किसी स्वतंत्र गवाहों को ही गवाही ली। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच पदाधिकारी पहले ही से अपना मत बना चुके थे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिकार की है। यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो जांच की गई वह निष्पक्ष नहीं है ।

मुझे इस बात की विल्कुल जानकारी नहीं है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिकार किया या नहीं लेकिन चूंकि इस विषय पर सरकार द्वारा विधान परिषद् में वक्तव्य दिया जाना है एकपक्षीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर ऐसा कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिकार किया उचित नही होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय पर पहुंचने के पहले यह उचित होगा कि जांच पदाधिकारी उनके पक्ष को भी सुन लें और तब अपना मन्तव्य दें । चूंकि उपर्युक्त बातें सरकार के समक्ष रखना मुझे उचित प्रतीत हुआ, मैं यह पत्र लिख रखा हूं ।

विश्वासभाजन,
(ह०) बी० पी० सिन्हा,
उपायुक्त, पलामू ।

अनुबंधन 15

कार्यालय, वन क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी ।

सेवा में

वन-प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी ।

कैम्प गढ़वा, दिनांक 23 नवम्बर 1976 ।

विषय—जोगीखुरा एवं मुगदह जंगल में हकवा करा कर शिकार करने की कोशिश करना ।

महाशय,

दिनांक 22-11-1976 को मैं गढ़वा से करीब 5 बजे शाम रंका पहुंचा । नाका पर उतरते ही श्री सुरेन्द्र पाठक (ददु पाठक) ग्राम जोगीखुरा के नाका पर, ही खड़े थे । मेरे उतरते ही उन्होंने कहा कि जोगीखुरा जंगल में ग्राम सोनदाग एवं और दूसरे गांव के करीब पचास आदमी हंकवा कर शिकार कर रहे हैं । मैंने तुरत नाका पर खड़ी बी० आर० ओ० 1264 के ड्राइवर श्री चन्द्रिका सिंह को घटनास्थल पर ट्रक ले चलने का आदेश दिया । मैंने तुरत साथ में श्री आर० डी० सिंह, वं० क्षे० प०, रंका पश्चिमी, वनपाल भौंरा, श्री रामकुमार शर्मा, डि० मु०, कन्हैया लाल वर्मा, कू० मू०, राम प्रति राम, वनरक्षक को लिया और 5 मिनट के अन्दर हमलोग जोगीखुरा के लिए प्रस्थान कर गये । जोगीखुरा जंगल में हमलोग करीब 300 गज अन्दर गये कि रास्ते में श्री लालबिहारी भुइंया एवं बी० डी० ओ० रंका के जीप ड्राइवर सुरेश मिले । पूछने पर उन्होंने बताया कि लाल बिहारी भुयाइं ड्राइवर को रास्ता बताने आया है । उन दोनों को साथ लेकर चलने के लिये वनपाल भौंरी को कहा गया एवं हम सभी जंगल में भीतर चलने लगे । हमलोगों को देख कर 5-6 आदमी भागने लगे । चूंकि धीरे-धीरे अंधेरा होता जा रहा था, अतः

उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया और वे जंगल में ही इधर-उधर छिप गये। इसके बाद हम सभी लौट कर उनलोगों को ढूढ़ते हुए बमनदाहा नाला पर आये जिसके पास में ट्रक खड़ी थी। ट्रक लेकर हमलोग आगे बढ़े जहां वनपाल भौंरी लाल बिहारी तथा सुरेश के साथ मौजूद थे। यह जगह सोनदाग ग्राम के पास था। लाल बिहारी भुइंया एवं सुरेश ड्राइवर ने भी बताया कि बी० डी० ओ० साहब शिकार कर रहे हैं और हमलोगों को जीप लेकर यहां पर रहने का बोले हैं। हमलोगों ने जीप के पास ही और शिकार करने वाले लोगों की इन्तजारी किया। थोड़ी देर के बाद बी० डी० ओ० साहब आये। बी० डी० ओ० साहब के समक्ष ही लाल बिहारी भुईया का बयान लिया गया जो संलग्न है। लाल बिहारी भुइंया के बयान से स्पष्ट हो जाता है कि इस शिकार करने की चेष्टा में ब्लौक के दो राजपत्रित पदाधिकारी, बी० डी० ओ०, श्री सरयु राम एवं केवट बाबू, कृषि पदाधिकारी हैं। इन्हीं दोनों पदाधिकारियों का बन्दूक भी शिकार करने के लिये लाया गया था। और ये ही दोनों पदाधिकारी शिकार करने की जगह पर बैठे थे। हमलोगों से जिस स्थल पर बी० डी० ओ० साहब से भेंट हुई उस समय उनके हाथ में बन्दूक नहीं था और वे अकेले ही उस स्थान पर लौट कर आये थे। गांव वालों में से ही एक आदमी ने यह भी बताया कि बी० डी० ओ० साहब का बन्दूक रहमान खां के घर पर छुपाया गया है। चूंकि रात्रि का समय था और घर में प्रवेश करने के लिये यह उचित समय नहीं था अतः घर की तलाशी नहीं ली जा सकी।

चूंकि यह केस बिहार सरकार के दो राजपत्रित पदाधिकारियों से सम्बंधित है अतः यह प्रारम्भिक सूचना श्रीमान् को देकर निवेदन करता हू, कि इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाय मुझे आदेश दिया जाय। अगर उचित समझा जाय तो उपायुक्त, पलामू से इसके बारे में विचार-विमर्श कर लिया जाय।

आपका विश्वासी,

(ह०) शिवनन्दन चौधरी,

अ० प०, रां० पू०, 23-11

संलग्न लाल बिहारी भुइंया का बयान।

मैं, लाल बिहारी भुइंया व०, गनेशी भुइंया गांव सोनदाग, थाना रंका का रहने वाला हूं। मैं ने आपलोगों को जोगीखुरा जंगल में मिला। मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। मेरे हाथ में टांगी था। हमारे साथ में बी० डी० ओ० जीप के ड्राइवर थे जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। हमारे साथ में नीचे लिखे आदमी थे।

बुधन महतो, नगेशर महतो, व० बुधन महतो, धनेसवर महतो, वल्द बुधन महतो, परमेश्वर भुइंया व० रघुनन्दन भुइंया भुखन भुइंया, व० फुलच भुइंया प्रसाद भुईया, व० रघुनन्दन भुइंया, कोइली महरा, भुखन महरा, रहमान खां सभी ग्राम सोनदाग के थे। हमारे पास आज सबेरे बुधु चौकीदार रका आया कि बी० डी० ओ० साहब शिकार खेलने आये हैं। जाओ। हमलोग करीब 12 बजे जोगीखुरा जंगल गये। हम लोग सोनदाग गांव के सभी एक साथ गये। हमलोगों के साथ जोगीखरा से बी० डी० ओ० साहब, ड्राइवर साहब, केवट बाबु तथा एक आदमी और था जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं। उस समय से लेकर जब तक आप से भेंट हुई तब तक सभी जंगल में थे। हकवा के सिलसिले में न कुछ दिखाई पड़ा और न किसी जानवर को मारा गया। आज से पांठ रोज पहले एक सुअर मारा गया था जिसका बांटो लगाया जा रहा था इस समय हम वहां पहूंचे थे। भुखन महरा एवं कोइली महरा सुअर को टांगी से काट रहे थे। हमको भी करीब कच्चा 1 से $1\frac{1}{2}$ सेर शिकार मिला। हम जानते हैं कि जंगल में शिकार करना या करवाना नाजायज काम है। हम शिकार में इसीलिये जाते हैं कि हमको भी कुछ शिकार मिल जायगा। शिकार करने के सिलसिले में बी० डी० ओ० साहब के हाथ में एक बन्दूक तथा केवट बाबु के हाथ में एक बन्दूक था।

लाल बिहारी भुइंया का बायें
अंगूठे का निशान

बयान मैं ने लिया।
(ह०) शि० न० चौ०, क्षे० प०,
रंका पूर्वी- 22-11-1976।

अनुबन्धन 16

श्री महावीर केवट, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, रंका (पलामू) का भ्रमण वृतान्त माह नवम्बर, 1976 ई० ।

1-11-1976 आज विश्रामपुर से सुवह 7 बजे जीप द्वारा चलकर मुख्यालय 8 बजे वापस लौटा और मुख्यालय सम्बन्धी कार्य किया तथा साईकिल द्वारा चलकर 2 बजे हेंताड़कलां में भदई धान का फसल कटनी जांच प्रयोग देखा और हेंताड़कलां से चलकर चिनियां ५ बजे पहुंचा और चिनियां में रात्रि विश्राम किया ।

जीप द्वारा	12 कि०मी०
साईकिल	26 कि०मी०
पैदल	5 कि०मी०
रात्रि विश्राम	1

2-11-1976 आज चिनियां से 8 बजे सुवह चलकर राजबांस गया और धान भदई का फसल कटनी प्रयोग देखा और फसल स्थिति सर्वेक्षण किया । कृषकों को रब्बी फसल पर विशेष ध्यान देने और अधिक उपज के गेहूं की खेती के तरीके बताया और चिनियां 5 बजे शाम को वापस लौटा और रात्रि विश्राम किया ।

साईकिल द्वारा	12 कि०मी०
पैदल	12 कि०मी०
रात्रि विश्राम	1

3-11-1976 आज चिनियां से 6 बजे साईकिल द्वारा चलकर रंका 10 बजे वापस लौटा ।

साईकिल द्वारा	26 कि०मी०

4-11-1976 से
——————— मुख्यालय रहकर कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया ।
7-11-1976 तक

8-11-1976 आज मुख्यालय से 10 बजे बस द्वारा चलकर गढ़वा 11 बजे पहुंचा और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय में जाकर मासिक बैठक में भाग लिया और प्रतिवेदन दिया तथा सुखाड़ोन्मुख कार्यक्रम का प्रदर्शन हेतु गेहूं एवं चना का बीज प्राप्त किया और रात्रि विश्राम गढ़वा में किया।

बस द्वारा	22 कि०मी०
पैदल	4 कि०मी०
रात्रि विश्राम	1

9-11-1976 आज सुबह प्रदर्शन का बीज प्रखण्ड जीप में लादकर 8 बजे मुख्यालय वापस लौटा।

जीप द्वारा	25 कि०मी०

10-11-1976 आज मुख्यालय से 11 बजे साईकिल द्वारा भाया सिरोई, रनपुरा 3 बजे पहुंचा और फसल कटनी प्रयोग देखा तथा रात्रि विश्राम रनपुरा में किया।

साईकिल	35 कि०मी०
रात्रि विश्राम	1

11-11-1976 आज रनपुरा से 6 बजे सुबह चलकर रंका 10 बजे वापस आया और कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया।

साईकिल द्वारा	35 कि०मी०

11-11-1976 पुनः रंका से 11 बजे जीप द्वारा चलकर 2 बजे रामकन्डा गया और महिला मंडल की बैठक और खाद्य प्रदर्शन हेतु सदस्यों को बुलवाया। प्रदर्शन-क्षेत्र का चुनाव किया और रब्बी अभियान प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और जन-सेवक के कार्यों की समीक्षा किया तथा सेव किया, आहार एवं बड़ा आहर में रसायनिक उर्वरक उलवाया गया एवं रात्रि विश्राम किया।

जीप द्वारा	60 कि०मी०
पैदल	6 कि०मी०
रात्रि विश्राम	1

12-11-1976 आज रामकंडा से 10 बजे जीप द्वारा चलकर 12 बजे मुख्यालय वापस लौटा और रब्बी बीजों का अकुरण शक्ति की जांच की और सलेया एवं सपने आहर में ए०एन० पी० का कार्य देखा।

जीप द्वारा 60 कि०मी०

पैदल 10 कि०मी०

13-11-1976 आज मुख्यालय में रहकर सप्ताहिक बैठक में भाग लिया और प्रतिवेदन बनाया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा अपराह्न में आए उन्होंने समीक्षा किया। अनुमंडल कृषि प्रक्षेत्र के साथ भदगड़ी प्रक्षेत्र गया और फसल कटनी से सम्बन्धित कार्य एवं निरीक्षण कार्य में भाग लिया एवं रात्रि विश्राम किया।

जीप द्वारा 40 कि०मी०

रात्रि विश्राम 1

14-11-1976 आज भदगड़ी प्रक्षेत्र से 5 बजे सुबह चलकर भाया विश्रामपुर रंका 7 बजे वापस लौटा।

जीप द्वारा 40 कि०मी०

15-11-1976 आज मुख्यालय रहकर कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया।

16-11-1976 — 17-11-1976 आज मुख्यालय रहकर कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया।

18-11-1976 आज मुख्यालय रहकर कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया और जनसेवकों से प्रगति प्रतिवेदन लिया और पैदल चलकर खरडीहा ए०एन०पी० तालाब जाकर कार्य किया।

पैदल 8 कि०मी०

19-11-1976 आज जन-सेवकों से प्रगति प्रतिवेदन लिया और प्रतिवेदन बनाया तथा कार्यालय में दिया। संध्या 3 बजे अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के साथ जीप द्वारा मदगड़ी प्रक्षेत्र गया, फसल कटनी प्रयोग का कार्य देखा। रात्रि विश्राम किया।

जीप द्वारा—40 कि० मी०

रात्रि वि०—1

20-11-1976 मगदड़ी प्रक्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग में भाग लिया और रात्रि विश्राम किया।

रात्रि वि०—1

21-11-1976 मगदड़ी प्रक्षेत्र से बस द्वारा चलकर विश्रामपुर 7 बजे चलकर 8 बजे पहुंचा और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा से मिला प्रदर्शन क्षेत्र का चुनाव किया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ छूकर फसल स्थिति की समीक्षा किया और जन-सेवक का निरीक्षण अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा कराया। विश्रामपुर जीप द्वारा चलकर 10 बजे रंका वापस लौटा।

बस द्वारा—28 कि० मी०

जीप द्वारा—12 कि० मी०

22-11-1976 आज सुबह 11 बजे सरकारी जीप द्वारा चलकर जोगीखुरा ग्राम जाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, परिवार नियोजन प्रसार प्रर्यवेक्षक के साथ रंका थाना पहुंचा और थाना स्टाफ को लेकर जीप द्वारा 1 बजे जोगीखुरा पहुचा और जोगीखुरा कैम्प से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परिवार नियोजन प्रसार पर्यवेक्षक के साथ पैदल चलकर भलुआनी ग्राम 2 बजे पहुंचा और जन-सेवक द्वारा आयोजित रब्बी अभियान प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। कृषकों को प्रशिक्षण दिया और प्रदर्शन क्षेत्र का चुनाव किया। कृषक

श्री भुनेश्वर सिंह को खेत की तैयारी हेतु सुझाव दिया तथा खेत में कम्पोस्ट डालने एवं बोआई के पहले रासायनिक उर्वरक डालने की मात्रा एवं बोआई के लिए निर्देश किया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अन्य जांच कार्यों से सोनदाग ग्राम के लिए प्रस्थान किए। मैं जन-सेवक, परिवार नियोजन प्र० पर्य० के साथ दस सीमान्त एवं लघु कृषकों को जिन्हें प्रशिक्षण भत्ता देना था लेकर रेका मुख्यालय 5½ बजे शाम वापस लौटा और श्री भुवनेश्वर सिंह एवं जन-सेवक की पहचान पर प्रति कृषक 10.00 रु० की दर से दो दिन के प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया।

जीप द्वारा—10 कि० मी०

पैदल—10 कि० मी०

23-11-1976 मुख्यालय रहकर कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया और संध्या 3 बजे बस द्वारा चलकर विश्रामपुर गया और जन-सेवक के साथ ग्राम पारवाही श्री विगन उरांव के धान अगहनी का फसल कटनी जांच-कार्य देखा और रात्रि विश्राम, विश्रामपुर में किया।

बस द्वारा—10 कि० मी०

पैदल—4 कि० मी०

रात्रि विश्राम—1

24-11-1976 आज विश्रामपुर से 5½ बजे सुबह बस द्वारा चलकर 6 बजे मुख्यालय लौटा और कार्यालय सम्बन्धी कार्य किया।

बस द्वारा—12 कि० मी०

पैदल—2 कि० मी०

25-11-1976 आज मुख्यालय से 0 बजे बस द्वारा चलकर गढ़वा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में 11 बजे जाकर विभागीय प्रदर्शन के सम्बन्ध में बातचीत किया और निर्देश प्राप्त किया तथा प्रतिवेदन दिया। संध्या 6 बजे की बस द्वारा चलकर मुख्यालय 7 बजे संध्या में वापस।

बस द्वारा—44 कि० मी०

रिक्शा द्वारा—4 कि० मी०

D. A.—½

26-11-1976 आज मुख्यालय से बस द्वारा 9 बजे चलकर रेहला स्थित सी० सी० ए० डिपो 11 बजे गया और रसायनिक उर्वरकों की खरीदगी किया और गढ़वा आकर रात्रि विश्राम किया।

बस द्वारा—32 कि० मी०

रात्रि विश्राम—1

27-11-1976 आज मुख्यालय के लिए गढ़वा से 7 बजे सुबह बस द्वारा चलकर रंका 8 बजे वापस लौटा और प्रतिवेदन बनाया और विभागीय एवं ए० एन० पी० के कार्य से 4 बजे जीप द्वार चलकर चिनिया 6 बजे पहुंचा, प्रदंशन क्षेत्र का चुनाव किया और रात्र विश्राम चिनिया में किया।

जीप द्वारा-- 25 कि० मी०

रात्रि विश्राम 1

28-11-1976 आज चिनिया से 8 बजे सुबह चलकर 10 बजे रंका वापस लौटा और कार्यालय सम्बन्धि कार्य किया। 1 बजे सिगसिगा कलां के लिए पैदल प्रस्थान कर 3 बजे पहुंचा और श्री रामाधार प्रसाद यादव एवं श्री अम्बिका प्रसाद यादव का

धान अगहनी का कटनी जांच प्रयोग कार्य देखा और रात्रि विश्राम सिगसिगा कलां में किया।

पैदल—15 कि० मी०
रात्रि वि०—1

29-11-1976 आज सिगसिगा कला से 8 बजे चलकर चकला 9 बजे पहुंचा और श्री भीखू महतो का धान अगहनी का फसल जांच कटनी प्रयोग कार्य देखा और मुख्यालय के लिए प्रस्थान कर 3 बजे वापस लौटा।

पैदल—18 कि० मी०
D A—½

30-11-1976 आज मुख्यालय से 11 बजे की बस द्वारा चल कर गोदरमाना गया और गोदरमाना से हुमिया गया तथा श्री राम लगन पाण्डेय के अगहनी धान की फसल कटनी जांच प्रयोग कराया। रात्रि विश्राम गोदरमाना में किया।

बस द्वारा— 26 कि० मी०
पैदल—20 कि० मी०
रात्रि वि०— 1

सारांश—

(1) भ्रमण के कुल दिन—
 (क) प्रखण्ड के अन्दर—16
 (ख) प्रखण्ड के बाहर—9

(2 भ्रमण के कुल रात्रि विश्राम—
 (क) प्रखण्ड के अन्दर—8½
 (ख) प्रखण्ड के बाहर—5 दिन

(ह०) अस्पष्ट
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, रंका (पलामू)
2-12-197

अनुमोदित
(ह०) एस० राम
प्र० दि० पदा०, रंका (पलामू)

अभिप्रमाणित,
(ह०) अस्पष्ट,
प्रखंड कृषि पदा०, रंका (पलामू)।

दिनांक 6 जुलाई 1976 को 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो बाबू जेठन सिंह की अध्यक्षता में हुआ तथा जिसम श्री जेठन सिंह, श्री जगमोहन राम, श्री ब्रजनन्दन साह, श्री रामपूत राम तथा श्री सरयू राम (प्र0 वि0 पदा0) उपस्थित थे का उद्धरण।

प्रस्ताव संख्या 4—बेता, आपालहे, हथवभवा इत्यादि ग्रामों को महुआ इस वर्ष फारेस्ट गार्ड बंद कर दिए थे जिससे गरीब जनता को महुआ के फूल तथा फल नहीं प्राप्त हो सका। समिति डी0 एफ0 ओ0, गढ़वा से अनुरोध करती है कि इसकी पूरी छानबीन कर गरीबों को राहत दिलावें।

इसका उद्धरण इस कार्यालय के ज्ञापांक 520, दिनांक 7 जुलाई 1976 के द्वारा वन-प्रमण्डल पदाधिकारी महोदय गढ़वा, को भेजा गया।

प्रस्ताव संख्या 5—रंका प्रखण्ड में प्रत्येक हल के पीछे फारेस्ट गार्ड मांग करते हैं। गरीबों द्वारा नहीं देने पर झूठा केस करते हैं तथा फंसाने की धमकी देते हैं। यह समिति वन-प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा से अनुरोध करती है कि ऐसे फारेस्ट गार्ड पर कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करें ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके।

इसका उद्धरण इस कार्यालय के ज्ञापांक 520 दिनांक 7 जुलाई 1976 के द्वारा वन-प्रमण्डल पदाधिकारी महोदय, गढ़वा को भेजा गया।

(ह0) जेठन सिंह,

अध्यक्ष।

अभिप्रमाणित,

(ह0) अस्पष्ट,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

रंका (पलामू)।

प्रेषक

श्री सरयू राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू)।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा, दक्षिणी प्रमण्डल।

विषय—वन श्रमिक सहयोग समितियों के साथ कूपों की बन्दोवस्ती के सम्बन्ध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 4698, दिनांक 14 सितम्बर 1976 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 14 (सी0), दिनांक 21 अगस्त 1976।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएँ इस पत्र के साथ आपके पास उचित कारंवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैं। संलग्न प्रपत्र में समितियों के नाम तथा उनके सचिव और उससे सम्बन्धित व्यवस्थापक, जो विचौलिये (Middle Men) के रूप म लाभान्वित हो रहे हैं उनका व्योरा दिया जा रहा है।

अनु0—जैसा ऊपर वर्णित है।

विश्वासभाजन,
एस0 राम,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू)

ज्ञापांक 222 मुख्य
दिनांक 18 दिसम्बर 1976।

प्रतिलिपि समितियों के मंत्री एवं व्यवस्थापक की सूची के साथ, अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन श्रमिक सहयोग समितियों की सूची । रंका प्रखण्ड (पलामू)

क्रम सं0	वन सहयोग श्रमिक समिति का नाम ।	समिति के मंत्री का नाम एवं पता ।	व्यवस्थापक (बिचौलिया) का नाम ।	अभ्युक्ति
1	हुरदाग वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री राजेश्वर सिंह (आदिवासी) ग्राम—हुरदाग ।	श्री मथुरा सिंह (गैरआदिवासी) ग्राम—सिगाकला ।	
2	चकला वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री सुगन परहिया (आदिवासी) ग्राम—चकला ।	श्री सत्यनारायण प्रसाद (गैर-आदिवासी) ग्राम—सिगसिया कलाँ ।	
3	खरडीहर-सेरुसाग वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री प्रभु भुइयाँ (हरिजन) ग्राम खरडीहा ।	श्री दीनबन्धु पांडेय (गैर-आदिवासी) ग्राम—रंका ।	
4	उदयपुर वन श्रमिक सहयोग समिति ।	श्री (आदिवासी) ग्राम—उदयपुर ।	श्री जगदीश साह (गैर-आदिवासी) ग्राम—उदयपुर ।	
5	बरहरी वन श्रमिक सहयोग समिति ।	(आदिवासी)	श्री विजय बहादुर सिंह (गैर-आदिवासी) ग्राम—बरपरी ।	

(ह0) अस्पष्ट,
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रंका (पलामू)

MEMO. NO

FROM

SHRI SARJOO RAM,

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, RANKA (PALAMAU).

To,

THE DIVISION FOREST OFFICER,

GARHWA SOUTH AND GARHWA NORTH DIVISION.

Dated.....

SUBJECT.—Settlement of Jungles to the Forest Labourers Co-operative Societies.

SIR,

I have to bring the following points for your kind consideration and necessary action :—

(1) Several Forest Labour Co-operative Societies in the names of Harijans and Adivasies have been formed in this Ranka Block.

(2) The Harijans and Adivasis are purely labours, meanless and ignorant to serve the Co-operative Societies.

(3) Several "Middle men" who are non-Harijan and non-Adivasi have been merged in the name of Manager and are exploiting the poor people.

(4) The actual benefits go to these middle men and the poor Harijans and Adivasis are only getting their wages which is not equivalent to minimum wages.

(5) The jangles are settled in the name of Forest Labour Co-operative Societies on "Fixed Zama" which is always less than the open "bid money".

(6) The purpose of the settlement of jungles is not seived because neither the poor-peoples get the benefit nor the higher amount is deposited in the Government treasury by way of action.

Under the above circumstances I request you sir, to kindly look into the matter sympathetically and the settlement of the forest should not be done in the name of so called Forest Labour Co operative Societies to serve the actual interest of the Government as well as Harijans and Adivosis. This will be in the interest of 20 points Programme.

Your faithfully

(Sd.) S. RAM,

Blcok Develop.. ent Offic r, Ranka, (Palamau).

Memo. no. 14(c), dated 21st August 1976.

Copy forwarded to the Subdivisional Officer, Garhwa/Assistant Registrar Co-operative Societies, Garhwa for information and necessary action.

S. RAM—21-8-1976,

Block Development Officer, Ranka, (Palamau).

सच्ची प्रतिलिपि

संख्या········ दिनांक····

प्रेषक—श्री सरयू राम

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंका

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा

विषय—श्री सुखदेव भुइयां ग्राम सिकट का धान श्री सुरेन्द्र पाठक, ग्राम—जोगीखुरा द्वारा कटवाये जाने का प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित श्री सुखदेव भुइयां ग्राम सिकट के आवेदन-पत्र पर आपके द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार मैंने दिनांक 21 नवम्बर 1976 के लगभग 12 बजे दिन में दिये गये तथ्यों का जांच किया। प्रस्तावित धान के खेत में धान की फसल नहीं थी और उसकी कटनी समाप्त हो चुकी थी। पास के कुछ चरवाहों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि आधा घंटा पहले श्री सुरेन्द्र पाठक पिता श्री प्रदुम्न पाठक ग्राम चौकड़ी थाना हुसेनाबाद, जिला पलामू हाल मुकाम जोगीपुरा थाना रंका धान के मेढ़ पर खड़े होकर करीब 10 मजदूरों से धान कटवा कर एवं बंधवा कर श्री रामपूत महरा पिता श्री बेचू महरा ग्राम सोनदाग की देख-रेख में उत्तर की ओर भेजवाये हैं।

मैं तुरत उत्तर की ओर बढ़ा और सोनदाग पूर्वी टोले पर पता लगाने लगा। मैं पहले श्री राम प्यारी महतो के घर पर ताजा धान कटने का पता लगाया; किन्तु वहां पता न चला। फिर मैं श्री भुखन भुइयां के घर पर गया। वहां उसकी धर्मपत्नी अपने पैरों से रगड़ कर ताजा कटे धान के पौधे से धान अलग कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाठक जी का धान काटने गयी थी। उसी की मजदूरी में यह धान मिला है। शेष धान के बोझे के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लाल बिहारी भुइयां पिता गनेशी भुइयां के दरवाजे पर शेष धान के बोझे की दौनी हो रही है।

अब मैं तुरत पूरब की ओर बढ़ा और आगे बढ़ने पर सूरजी साहुन पति मृत श्री छवि साह ने हाथ से इशारा करके बिहारी का घर बताया जहां दौनी हो रही थी।

मैंने श्री बिहारी भुइयां के दरबाजे पर हरे एवं ताजे धान की दौनी करते हुए राम नाथ भुइयां पिता श्री जगदीश भुइयां को पाया।

राम पूत महरा पिता श्री बेच महरा वहां बैठ कर दौनी करा रहे थे। ड्राइवर को भेजकर जोगीखुरा से सशस्त्र सैनिक को बुलवाया तथा सबों की देख रेख में धान की दौनी तथा ओसौनी कराई और तौलवा कर अतीमन बीबी जौजे मृत श्री कमरूद्दीन मियां भूतपूर्व चौकीदार के पास रख दिया।

श्री सुखदेव भुइयां, श्री लाल बिहारी भुइयां, श्री केशर भुइयां श्री जीतू भुइयां तथा श्री राम नाथ भुइयां का ब्यान लिया और इसे मूल आवेदन के साथ आपकी सेवा में आवश्यक कारंवाई हेतु संलग्न कर रहा हूं।

जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि दिनांक 11 नवम्बर 1976 को श्री सुरेन्द्र पाठक एवं उनके सहयोगी श्री सुखदेव भुइयां का तीन क्यारी धान श्री राम प्यारी महतो के पास रखे हुए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री सुरेन्द्र पाठक, श्री राम पूत महरा, श्री लाल बिहारी भुइयां एवं अन्य दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कानूनी कारंवाई करने का कष्ट करें।

विश्वास भाजन,
(ह०) सरयू राम,
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
रंका।

ज्ञापांक 1040, दिनांक 23 नवम्बर, 1976।

प्रतिलिपि ब्यान की प्रति के साथ थाना प्रभारी रंका को सेवा में आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) सरयू राम,
प्रखंड विकास पदाधिकारी'
रंका।

अनुबन्धन 17।

रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच पर गठित कमिटी को दिनांक 13 अक्तूबर 1977 की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

अध्यक्ष

1। श्री धनंनजय महतो।

सदस्यगण

2। श्री योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया।

3। श्री कृपानाथ पाठक।

सचिवालय

1। श्री सुशील कुमार सिन्हा, सहायक सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना।

समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :

'क'—सचिवालय को निदेश दिया जाता है कि इस विषय पर अब तक की कार्यवाहियों की छान-बीन कर एक प्रतिवेदन का प्रारूप समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही प्रतिबेदन का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के निदेश पर तैयार करने का अधिकृत किया जाता है।

समिति की अगली बैठक अश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1978